(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खण्ड 7] पंचम विधान सभा के सातवें सत्र का 24 वां दिवस [संख्या 17

सोमवार,

दिनांक 12 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, अकाल सहायता, यातायात, कारागृह, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत, उद्योग, पंचायत, श्रम, सामुदायिक विकास, आवासन एवं गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्रीमती निर्मला कुमारी।

वृद्ध गृह खोलने की योजना

416. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वृद्ध व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान में विभाग द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा कोई वृद्ध गृह चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो यह वृद्ध गृह कहां कहां हैं ? यदि नहीं है तो क्या निकट भविष्य में वृद्ध गृह खोलने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मंत्री) : राजस्थान में वृद्ध व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा पुष्कर जिला अजमेर में एक वृद्ध एवं अशक्त गृह चलाया जा रहा है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : इसमें कितने वृद्ध व्यक्ति हैं ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : कुल जो प्रावधान है वह 25 व्यक्तियों का है और अभी फिलहाल 17 वृद्ध इसमें रह रहे हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : कोई ऐसे और भी वृद्ध गृह चलाये जाने की योजना है या नहीं ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी 25 वृद्ध वहां रहने का प्रावधान है जो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अतः आगे की योजना बनाने का कोई सवाल नहीं है।

श्री रावतराम (छापर) : इन वृद्ध व्यक्तियों को वहां पर शामिल करने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो वृद्ध 60 साल के हों और उसका कोई सहारा नहीं है और 40 साल के ऐसे व्यक्ति जो हेन्डीकेप्ड हों और उनका कोई सहारा नहीं हो तो ऐसे व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है।

Page No 2

(9)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : केवल पुष्कर में ही खोलने का क्या आधार है ?

श्री ओंकारलाल चौहान (डीग) : 25 व्यक्तियों का ही कोटा आपने बताया है। राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए क्या यह संख्या आप उपयुक्त समझते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या आपने पिछले वर्षों में 73-74 और 74-75 में सर्वे कराया है कि कितने वृद्ध ऐसे हैं जिनको आश्रय दिया जाना चाहिए और जो वृद्ध स्थल है उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्होने यह सर्वे कराया है कि कहां कहां पर ऐसे वृद्धगृह खोले जा सकते हैं। कहीं कहीं पर 100|200 महिलाएं भी मिल सकती हैं। क्या सर्वे कराकर आपने यह देखा है ?

श्री रावतराम : वृद्ध व्यक्ति जो ओल्ड ऐज पेन्शन मिल रही हैं तो वृद्धगृह खोलने का क्या कारण है ?

श्री नत्थासिंह (नदबई): भरतपुर के लिए आपने कोई योजना रखी है इसके लिए क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान भर में ऐसे वृद्धगृह कहां कहां पर खोले जा सकते हैं और केवल पुष्कर में ही यह वृद्धगृह रखने का क्या कारण है। अन्य स्थानों पर यह क्यों नहीं चलाये जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था सरकार ने चालू की है, यह हमारी पारिवारिक व्यवस्था के कारण नहीं चल पा रही है। वैसे इंगलैन्ड और रसिया में ऐसे वृद्ध घर प्रारम्भ किए गए थे परन्तु वहां पर भी ये सफलतापूर्वक नहीं चल पाये हैं। इसका मुख्य कारण आपस में झगड़ा और वृद्ध व्यक्तियों का अपने सम्बन्धियों के साथ रहने की इच्छा है। उनको वहां पर अपने जीवन में रस नहीं मिलता है। इसलिए वे इन वृद्धघरों से नेह नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण हमारी समाजिक व्यवस्था है। हम आज भी एक वृद्ध घर में 25 व्यक्ति भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे वृद्ध को रहने के लिए वे उपलब्ध कराएंगे तो मैं उन के लिए, भरती के लिए आवश्यक व्यवस्था करूंगा।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बताएगें कि इस वृद्धघर में खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है वह 15 पैसा प्रति वृद्ध है। उन को डाइट पूरी नहीं मिल पा रही है ? क्या यह कारण तो नहीं है जिसके कारण वृद्ध उपयुक्त सख्या में भरती नहीं हो पा रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारी जो व्यवस्था है, उसमें खाने पीने की व्यवस्था है। बिस्तर, कपड़ा भी फ्री दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं हैं। एक अधीक्षक वहां पर नियुक्त किया हुआ है एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, एक पार्ट टाइम डाक्टर है। इस सारी व्यवस्था के बावजूद भी वृद्ध वहां पर नहीं आ रहे हैं।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

क्योंकि वे नेह नहीं कर पाये हैं इस वृद्धघर से उनको वह रस नहीं मिल पाता है जो वे अपने संबंधियों से पाते हैं इसलिए वे बाहर जाने को तैयार रहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या वृद्ध महिलाओं को भी रखा जाता है उनके साथ ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : महिलाओं को भी रखा जाता है। उसके बावजूद भी वह नेह नहीं होता है और वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं।

श्रीमती नरेन्द्रबाला : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि एक वृद्ध के ऊपर कितना खर्च किया जाता है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं आंकड़े दे देता हूं कि कितना प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है। वहां 25 के रहने की व्यवस्था है फिलहाल वहां पर 17 वृद्ध व्यक्ति हैं जिनमें से 15 पुरुष और 2 महिलाएं है। 65-66 में 25 हजार 295 रुपया खर्च किया गया, 66 67 में 19 हजार 201 रुपया, 67-68 में बीस हजार खर्च किया गया, 71-72 में 33513.72 पैसे खर्च किये गये, 72-73 में 25218 रुपये व्यय किये गये 73-74 में 39621 रुपये खर्च किये गये और 74-75 में 1-4-74 से 28-2-75 तक 28208.68 पैसे खर्च किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहती हूं कि एक वृद्ध व्यक्ति को 30 रुपया ओल्ड ऐज पेन्शन दी जा रही है और इस खर्च के हिसाब से जो यह पेन्शन दी जा रही है क्या सरकार उसको उपयुक्त समझती है।

श्री अध्यक्ष : अब छोड़िये भी इसको।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह अलग से प्रश्न है वृद्ध घर चलाना और पेन्शन देना, दोनों अलग अलग हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

कोटा के थरमल पावर प्रोजेक्ट का कार्य

417. श्री भुवनेश चतुर्वेदी : (कोटा) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि कोटा में प्रस्तावित थरमल पावर प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार और योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है ?

2. अगर स्वीकार कर लिया है तो प्रोजेक्ट कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

3. अगर स्वीकार नहीं किया है तो वस्तुस्थिति बताने की कृपा करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रोजेक्ट अभी तक स्वीकार नहीं की गई है परन्तु अग्रिम कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

(3) प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग के विचाराधीन है।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह प्रोजेक्ट कब तक स्वीकार हो जाएगा।

Page No 4

(५)

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके लिये निश्चित नहीं कहा जा सकता' क्योंकि यह विचाराधीन योजना आयोग के सामने है, राज्य सरकार के सामने नहीं है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग कमीशन और केन्द्र सरकार को राज्य सरकार अभी तक इसके बावजूद कन्वीन्स नहीं कर पायी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जितना कन्वीन्स आरगुमेन्ट देकर, यह कर चुकी है परन्तु इस प्रोजेक्ट को योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया है। परन्तु राजस्थान की आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ने थरमल प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। अग्रिम कार्यवाही की दृष्टि से मशीन खरीदने की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। ओरिजनली यह प्रोजेक्ट 440 मेघावाट के लिए है परन्तु चूंकि यह सभंव नहीं था, स्वीकृति नहीं मिली थी इसलिए इस प्रोजेक्ट को चार हिस्सों में बांटा गया है और 110 मेघावाट की एक एक यूनिट रखी गयी है। इस प्रकार 110 मेघावाट की चार यूनिट वहां लगाने की योजना बनाई है। उसमें से एक यूनिट तो अभी तक हालांकि स्वीकृति नहीं मिली है फिर भी राजस्थान सरकार ने और राजस्थान विद्युत् मण्डल ने यह सोचा कि एक यूनिट की योजना का काम वहां पर करें उसके बाद में दूसरे यूनिट का करें। उसके लिए जमीन वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। आफिसर्स एपाइंट कर दिये गये हैं जो उसकी अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं। जो वहां पर मशीनों की जरूरत होगी उसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को आर्डर दे दिया गया है। एक करोड़ का एडवान्स भी उसके अगेन्स्ट में कर दिया गया है। यह नहीं है कि राज्य सरकार इस बारे में जागरूक नहीं है। राजस्थान सरकार बराबर कदम उठा रही है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें पूछना चाहती हूं। मंत्री महोदय ने यह बताया है उसमें एक शंका है कि यह जो अग्रिम कार्यवाही की जा रही है उसके बावजूद क्या यह दूसरी जगह चला जायगा या नहीं चला जायगा। यह ग्राम पब्लिक के लिए है।

दूसरी यह जानकारी देना चाहूंगी कि जैसा कि कोयले के बारे में कहा है तो उसके बारे में हमने जानकारी की है जिस जरिये से होता है कि मध्यप्रदेश से जितना कोयला लिया जा सकता है राजस्थान को मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। अभी जो कोयला राजस्थान को आने वाला है वह पानीपत को चला जाता है। रेलवे लाइन की बात है तो बिना लाइन बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उधर भी लाइन लाई जा सकती है और आपके टेक्निशियन्स ने एडवाइस किया है। न लाइन की दिक्कत है और न कायले की दिक्कत है। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान विद्युत मण्डल जो धनराशि इन एडवान्स में जमा करा देना चाहिए थी वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जमा करा पाई है उसके कारण ही खटाई में पड़ी हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई अग्रिम राशि जम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कराने की बात नहीं की है। दो शंकाएं इन्होंने व्यक्त की है, एक तो कोयले की तो कोयले के लिए मैंने निवेदन किया था कि प्रारम्भ में जब बातचीत हुई थी तो वह शायद कोयला देने में सक्षम हो सकेंगे। बाद में रेलवे इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि जो साईडिंग है उस पर जो लाइन है वहां से वह कोयला देने में सक्षम नहीं हो पायेगी तो हमने दूसरी लाइन का सर्वे कराकर थर्मल स्टेशन जहां पर बनना है वहां तक लूप लाइन डालकर कोयला रेलवे सप्लाई कर दे। उसकी सर्वे के लिए 3 लाख की राशि एडवान्स दे दी है ताकि वह सर्वे कम्प्लीट करके जल्दी से जल्दी दे सकें। तो सरकार ने अपनी तरफ से की जाने वाली सारी कार्यवाही की है। यह बात नहीं है कि जिस समय यह अन्दाजा लगाया जा सके कि विद्युत मण्डल वाले या राज्य सरकार इस बारे में जागरूक नहीं है और थर्मल स्टेशन को दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ढिलाई बरत रही है। योजना आयोग ने और केन्द्रीय सरकार ने थर्मल पावर प्रोजेक्टस फिक्स्ड नहीं किये है कि इतने ही खोलेंगे जिससे एक जगह के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो। इस तरह की बात नहीं है कि कोटा का थर्मल पावर प्रोजेक्ट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाय। दूसरी जगह और हो सकता है। कोटा के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मन्जूर न करके उसके बजाय दूसरे को मन्जूर किया जाय ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

प्रश्न संख्या 418

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री लूणाराम।

बन्दी पर प्रतिदिन खर्च

419. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य में एक बन्दी पर प्रतिदिन कितना खर्च किया जाता है ?

2. इन्हें प्रतिदिन क्या क्या खुराक किस किस को दी जाती है तथा चाय आदि भी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी बार ?

3. सर्दी से बचाव के लिए उन्हें कितने कम्बल दिये जाते हैं ? क्या जो कम्बल दिये जाते हैं वे पर्याप्त है या नहीं ?

राज्य मंत्री कारागृह (श्री बनवारी लाल) : (1) राज्य में एक बन्दी पर प्रति दिन 4-02 रुपये का व्यय होता है।

(2) कारागृहों में एवं उप-कारागृहों में बन्दियों को लेबरिंग एवं नान-लेबरिंग खुराक जेल मेन्युअल में निर्धारित स्केल के अनुसार दी जाती है। 'सी' श्रेणी के बन्दियों को चाय दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) कारागृहों एवं उप-कारागृहों में बन्दियों को सर्दी की मौसम में प्रति बन्दी 3 कम्बल दिये जाते हैं, जो पर्याप्त हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह (उणियारा) : अध्यक्ष महोदय, जो तीन श्रेणियों के बन्दी होते हैं उनको सबको एक ही तरह का खर्चा दिया जाता है या अलग अलग ?

(6)

श्री बनवारीलाल : 'सी' श्रेणी और अन्डर ट्रायल में उसमें एक ही तरह का खर्चा होता है और वह 4-02 पैसा प्रतिदिन खर्चा होता है। श्रेणी 'अ' में 8-99 पैसा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 4 02 पैसा जो खर्चा है उसमें से डाइट पर कितना है?

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : यह ओवरआल सारा खर्चा है ?

श्री बनवारीलाल : यह ओवर आल खर्चा होता है। 1 रु० 38 पैसा खुराक का एवरेज आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1 रुपया 38 पैसा एवरेज एक दिन का आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि 68 पैसा की खुराक देते हैं तो क्या इस महंगाई के जमाने में 68 पैसा की खुराक ठीक होता है ?

श्री बनवारीलाल : ऐसा नहीं है। दरअसल यह हिसाब जो इनका दिया गया है तो जो क्वान्टिटी हम देते हैं उसके उपर खर्चा जिस तरह का आता है तो सस्ताई में खर्चा कम पड़ता है और महंगाई में खर्चा ज्यादा पड़ता है।

श्री केदारनाथ एवं श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो खर्चा बताया है ...

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत 68 पैसा एक खुराक का एक कैदी को आप: देते हैं तो इसका विवरण कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 68 पैसा जो खर्चा होता है वह आपने वर्तमान रेट्स के आधार पर बताया है। क्वान्टिटी 68 पैसे में जितनी आती है उतना ही आप देते हैं। इसलिए मौजूदा रेट्स के आधार पर यह जो खर्चा देते हैं यह कम है यह बात सही है कि नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री बनवारीलाल : यह जो खर्चा दिया गया है वह मौजूदा रेट्स के आधार पर बताया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक कैदियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है तो नाश्ते में और डाइट में क्या-क्या दिया जाता है ? क्या क्या आइटम्स दिये जाते हैं पूरे आइटम्स बताने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सुबह जो चने या घुघरी या दो रोटी खुश्क दी जाती है उसके अलावा चाय भी दिये जाने की सिफारिश जिला ऑथोरिटीज की तरफ से की गई थी और वह आज तक मन्जूर नहीं की गई ? और क्या यह बात सही है कि जो मयाद की खुराक 30 साल पहले दी जाती थी उससे ज्यादा नहीं दी जाती है। मैं अपने पर्सनल अनुभव को याद करके आपको कह रहा हूं। इसलिए यह बताने की कृपा करेंगे।

दूसरी चीज जो मैं पूछूंगा वह यह पूछना चाहूंगा कि उनको दो रोटी रोज खुश्क दी जाती है उसके साथ में कोई भी ऐसी चटनी या ऐसी कोई चीज भी नहीं दी जाती है, क्या यह बात भी सही है ? वह किस आधार पर नहीं दी जाती है ? क्या

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एक्सपेन्सेज के आधार पर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट के आधार पर नहीं दी जाती है ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह आपने जवाब में क्वान्टिटी के बेसिस पर 68 पैसे बताये हैं और क्वालिटी नहीं बतलाई, वह बतलायेंगे तो समझेंगे। क्वान्टिटी के हिसाब से 68 पैसे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि 'ए' श्रेणी को चार फुलके देते हैं और 'सी' श्रेणी को 3 फुलके देंगे तो यह रेश्यो किस प्रकार से लगाया है आपने, यह बतायें।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी कि जेलों में क्या सुधार किये जाने चाहिए और इसके लिए एक रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट में जो कैदियों को जो सुविधाएं देने का रखा है तो उसको क्यों लागू किया है ? अगर लागू नहीं किया गया है तो क्या कारण है यह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि कुल जेलों में जितने भी कैदी हैं उन्हें तीन रोटी फी कैदी के हिसाब से सुबह और शाम मिलती हैं, और क्या यह सही है कि तीन रोटी से कैदी का पेट नहीं भरता है और वह मांगता ही रह जाता है और उसका आगे नहीं दी जाती है और वह इस कारण नहीं दी जाती है कि इससे ज्यादा खुराक नहीं मिल सकती है ? तीसरा, क्या यह सही है कि भाव बढ़ने की वजह से रोटी की तादाद तो तीन ही हैं लेकिन उनका वजन कम कर दिया गया है ? इस तरीके से मियाद 68 पैसे की जो आज है वह कितने ही वर्ष पहले, पांच वर्ष पहले भी वही मियाद थी और भावों की वजह से क्वान्टिटी बहुत कम आने लगी है। क्या यह सही है कि इस तरह से राज्य सरकार मजबूर कैदियों का भूखों मारती है ? राजनैतिक तौर से जो आन्दोलन करके जाते हैं उनको भी उतनी ही रोटी दी जाती है और उनको भूखों रहना पड़ता है। मेरे को खुद को अनुभव है कि हमने चौथी रोटी मांगी तो हमको चौथी रोटी नहीं मिल सकी। तीन रोटी से ज्यादा नहीं मिली, यह मेरे खुद का अनुभव है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आपने प्रति खुराक एक व्यक्ति के लिए 68 पैसे बताया है तो यह कितने वर्षों से निर्धारित है, और क्या माननीय मंत्रीजी उसको एक कैदी के लिए पर्याप्त खुराक मानते हैं ?

श्री मोहरसिंह (शादुलपुर) : अन्डर ट्रायल कैदियों को तो 37 पैसे ही मिलते हैं।

श्री केदारनाथ : पुलिस लाक में क्या यह 68 पैसे प्रति डाइट दिया जाता है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक बात और बतला दें कि मीसा के अन्दर जो लोग बन्दी हैं उनके ऊपर प्रति व्यक्ति एक दिन का एक डाइट पर कितना खर्चा किया जाता है ?

श्री बनवारीलाल : माननीय अध्यक्षजी, चूंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि राज्य में एक बन्दी पर प्रतिदिन कितना खर्च किया जाता है, तो आज की हालत में जो खर्चा आ रहा है उसका विवरण मैंने प्रस्तुत किया है। अब चूंकि वह सामान जो कैदियों को दिया जाता है वह इतने पैसों के अन्दर आजकल खरीदा जा रहा है,

(श्री बनवारीलाल)

इसलिए मैंने पैसों के अन्दर वह बताया है। उसमें क्या प्रोवीजन किया जाता है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं—

फ्लोर	583 ग्राम
दालें	87 ग्राम
आइल	15 ग्राम
वेजिटेबल्स	233 ग्राम्स
कोन्डिमेन्ट्स	7 ,,
साल्ट	17 ,,
गुड़	29 ,,

(ट्वाइस ए वीक टू कनवीक्टेड प्रिजनर्स ओनली)

पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज	117 ग्राम्स
जवार फूला	58 ग्राम्स
और धानी और	
पचंड ग्राम और	
सोक्ड ग्राम	

यह (सी) क्लास कैदी को दिया जाता है।

(बी) क्लास के कैदी के लिये यह है—(अर्ली मार्निंग मील)

टी	7 ग्राम्स
मिल्क	117 ,,
शुगर	14 ,,
व्हीट फ्लोर	87 ,,

और ब्रेड लोफ 117 ग्राम्स, बटर 14 ग्राम्स घी 14 ग्राम्स

और गुग्रल 467 ग्राम्स।

इससे मुलाहिजा फरमा लीजिये (सी) क्लास के कैदी और (बी) क्लास के कैदी पर जो खर्चा होता है। (बी) क्लास में जाने वालों को मेहनत मसक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका खर्चा कम होता है और (सी) का ज्यादा होता है।

व्हीट फ्लोर	292 ग्राम्स
,,	407 ,,
राइस	408 ,,
रूट वेजिटेबल्स	233 ,,
अदर वेजिटेबल्स	233 ,,
दाल	175 ,,
घी और बटर	29 ,,
स्वीट आइल	29 ,,
साल्ट	29 ,,
शूगर और गुड़	14 ,,
मिल्क	117 ,,
कोन्डीमेन्ट्स	29 ,,
अमचूर और चटनी	7 ,,
और लाइम ज्यूस	29 ,,
फ्रूट्स	13 नया पैसा थ्री टाइम्स ए वीक
फायर वुड और कोल	700 ग्राम्स

दोनों का इस तरह से मैं, मैंने आपका हिसाब बताया है। आपने पूछा कि कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ? मांगों पर बहस हो रही थी उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि मई तक रिपोर्ट आने वाली है, उस पर विचार करके सरकार निर्णय देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्डर ट्रायल्स का तो आपने बताया नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राम गोपाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको तो जाना नहीं पड़ता है, हमको वहां जाना पड़ता है।

कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

420. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण कराने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : कोटा जिले में 1974-75 में चल रहे कार्यों की सूची संलग्न है, इनके अलावा पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2500 व इससे ऊपर आबादी वाले सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत है; चम्बल कमान्ड क्षेत्र के विकास योजना के अन्तर्गत धन राशि उपलब्ध होने पर कोटा जिले में जिन सड़कों पर कार्य कराया जावेगा, उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रौत।

श्री रामगोपाल : मेरा सप्लीमेंट्री है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय·······

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये और आप भी पूछ लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता था कि क्या जयपुर से कोटा होते हुए भोपाल को यह सड़क जाती है उसको राष्ट्रीय मार्ग के रूप में स्वीकृत किया गया है ?

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्षजी, मेरा प्रश्न यह है कि कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण कराने की राज्य सरकार की क्या योजना है ? माननीय अध्यक्षजी प्रश्न इस प्रकार का है। माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि पहले आप यह बतायें कि कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण कराने का क्या विचार है इसका स्पष्टीकरण करें। क्या यह सही है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र रेवेन्यू पे करते हैं उस मात्रा में गांवों की सड़कों को बनाने में उपेक्षा कर रहे हैं ? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि हमारे कोटा जिले में ऐसी सड़कें हैं, जो मध्यप्रदेश से जोड़ती हैं और मध्य प्रदेश की सरकारी बस चलती हैं क्या यह मंत्रीजी को मालूम है ? क्या आपने इस प्रकार से सड़कों की उपेक्षा नहीं की है कि मध्य प्रदेश में तो सड़कों पर डामर बिछा हुआ है और हमारे यहां सड़कों पर धूल उड़ती है ? हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की सड़कों से कोटा डिविजन में धूल उड़ती है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है क्या माननीय मंत्रीजी ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की है कि कोटा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की क्या हालत है और क्या आवश्यकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न और है। कोटा से पीपलदा सड़क जाती है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्या नदियों पर पुलिया न होने से साल में छः महीने वह बन्द रहती है ? अच्छी हालत में वहां से जायं और वहां से बीमार हालत में आयें क्या ऐसी स्थिति सड़कों की नहीं है ? मैं खुद दौरा करके आया हूं और मेरा यह कटु अनुभव है।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछे, जयपुर से टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाई वे है, इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। इस रूट को नेशनेलाइज नहीं किया है।

माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बारे में पूछा, इस समय जो सड़कें हैं जिन पर काम चल रहा है, चाहे इम्प्रूवमेंट का हो चाहे नई सड़कों का हो, वह सारी सूची मैंने संलग्न की है। सारे डिस्ट्रिक्ट का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में इस तरह से विभाजन नहीं किया जा सकता कि वह ग्रामीण क्षेत्र की है या वह शहरी क्षेत्र की है। जो भी सड़कें चल रही हैं उसमें चम्बल कमान्ड एरिया में आने वाली सड़कों का भी वर्णन किया गया है। मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों के बारे में भी कहा है। 2500 आबादी के गांवों को जोड़ने की बात का जहां तक सम्बन्ध है कोटा जिले में दो ही गांव हैं वहां पर 2500 की जनसंख्या है। दो को सड़कों से जोड़ने का है। एक के लिए सड़क बनेगी दस किलोमीटर की। इस योजना में ली है। राजस्थान को 1 करोड़ 30 लाख रुपया कुल मिला है। उसको सारे राजस्थान में डिवाइड करना है। दो सड़कें आती हैं कोटा में उसमें से एक को लिया गया है। दूसरा ब्यौरा जो पूछा वह अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि इस प्रश्न से उसका सम्बन्ध भी नहीं है। सड़क विशेष के लिए पूछना हो तो अलग से पूछा जा सकता है।

श्री रामगोपाल : एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने कहा दौरा करते हैं। सूची दी है उसमें बताया है। सूची में बताया है कि 30 हजार रुपया शाहबाद तहसील को दिया है। एक सड़क मध्यप्रदेश को मिलाती है। मध्यप्रदेश में डामर बिछा हुआ है और यहां पर धूल उड़ रही है। यह 30 हजार की राशि रखी क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है ? आप कहते हैं कि यह अलॉटमेंट कर दिया। तोड़ मरोड़ कर सवाल का जवाब दे देते हैं। सदस्यों को आप सन्तुष्ट करें आश्वासन देकर कि सन्तोषजनक कार्यवाही करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक सड़क के बारे में प्रश्न पूछलें मैं उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप सभी का ब्यौरा पूछना चाहते हैं तो मेरे पास वह सूचना अभी है नहीं। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि जो सड़कें इम्पोर्टेन्ट हैं उनके लिये प्रोविजन नहीं किया गया है। यह कहना कि कोटा की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की उपेक्षा गयी है। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि यह कहना गलत है कोटा की सड़कों की उपेक्षा नहीं की गयी है जहां पर इस साल यानि 74 में छः लाख रुपये का प्रोविजन था वहां पर इस साल राज्य सरकार ने 8 लाख और दो हजार रुपये खर्च किये हैं। यह खर्च एडीशनल किया गया है जो कि दो लाख और दो हजार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रुपये है जहां तक सवाल सभी सड़कों की मरम्मत का है माननीय सदस्य जानते है कि वित्तीय भार अधिक पड़ता है और सारे राजस्थान को ध्यान में रख कर फण्ड अलोट किये जाते हैं। राज्य सरकार जहां तक होती है सड़कों का विकास कर रही है।

श्री राजकुमार : आपने बताया कि ..

श्री अध्यक्ष : Now finish, Next Question श्री रामचन्द्र रौत।

डूंगरपुर में नेहरू युवक केन्द्र

421. **श्री रामचन्द्र रौत** (चौरासी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। डूंगरपुर में नेहरू युवक केन्द्र कब से प्रारम्भ हुआ, उसका इंचार्ज कौन है तथा उसका वार्षिक बजट क्या है ?

2. क्या यह सत्य है कि इस केन्द्र की गतिविधियां केवल शहर तक ही सीमित है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिये इसकी क्या उपयोगिता है ? यदि नहीं तो केन्द्र की स्थापना से अब तक कितना कितना व्यय किस किस प्रवृत्ति पर कहां कहां किया गया ? ग्रामवार सूचना सदन की मेज पर रखने का श्रम करे।

राज्य मन्त्री शिक्षा(श्री फारूक हसन): यह केन्द्र 1-3-71 से प्रारम्भ हुआ। इसका इन्चार्ज केन्द्र का संयोजक है। इसका वार्षिक बजट अब तक निम्न रखा : वर्ष 1972-73 में 15,000.

वर्ष 1973-74	40,000.00
वर्ष 1974-75	37,500.00

(2) जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यह युवकों के लिये कई कार्यक्रम आयोजित करता है केन्द्र की गतिविधियों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री रामचन्द्र रौत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानका ी चाहूंगा 1. यह नेहरू केन्द्र आपने कब खोले। और इसके इन्चार्ज कौन है तथा इनकी नियुक्ति कौन करता है। दूसरा जब राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी बराबर पैसा देती है तो ग्रामीण क्षेत्र में इस नेहरू युवक केन्द्र की प्रवृतियां शुरू क्यों नहीं होती हैं।

श्री अध्यक्ष : एक एक प्रश्न पूछिये।

श्री फारुक हसन : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना कब हुई उसका तो प्रश्न में जबाब दे दिया गया है और जहां तक डूंगरपुर युवक केन्द्र का सवाल है उसका इंचार्ज अफरुल्ला है।

श्री रामचन्द्र रौत : मेरा निवेदन यह है कि क्या नेहरू युवक केन्द्र की प्रवृतियां शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। वहां पर इस बारे में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जाती है। इसके अलावा श्री जफरुल्ला जो है वह उस ग्रामीण क्षेत्र की भाषा भी नहीं समझते है। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने को तैयार है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी जो नेहरू युवक केन्द्र खोले गये है किस,

(१२)

(श्री दीपंकर)

क्राईटेरिया से खोले गये हैं। उसके खोलने का आधार क्या है। क्या वहां पर जो इन्चार्ज रखा जाता है उसके लिये कोई कमेटी बनी हुई है और कहां कहां खोले गये हैं।

श्री फारुक हसन : अध्यक्ष महोदय, वह जो प्रश्नकर्ता महोदय फरमा रहे हैं कि नेहरू युवक केन्द्र की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है और सिर्फ शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है वह सही नहीं है। राजस्थान में सात आठ जगह पर नेहरू युवक केन्द्र खोले गये हैं। जहां तक सवाल नियुक्ति का है इसके लिये एक केन्द्रीय समिति बनी हुई है वह राज्य सरकार के सिफारिशों पर नियुक्ति करती है।

श्री एक माननीय सदस्य : क्या इसके लिये केन्द्रीय सरकार कोई निर्देश देती है। इसकी प्रवृत्ति की रिपोर्ट भेजी जाती है क्या ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां इस नेहरू युवक केन्द्र की प्रवृत्ति का सवाल है उसकी रिपोर्ट बराबर आती है। और वहां पर नियुक्ति के लिये एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें सलेक्शन करने का अधिकार किस को है। इसका आधार क्या है।

श्री खेतसिंह : जहां तक आधार का सवाल है अलग से प्रश्न है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री फूलचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह नेहरू युवक केन्द्र है वहां पर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बून्दी में भी नेहरू युवक केन्द्र खुला हुआ है वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है और धन का दुरुपयोग हो रहा है। पहले भी विधान सभा में इस बारे में प्रश्न आ चुका है यह काबिले बरदाश्त नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इनकी नियुक्ति का क्या क्राईटेरिया है ? आधार क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में 6 जगहों पर है डूंगरपुर, जयपुर, बांसवाड़ा बाड़मेर, बून्दी और एक जगह और है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जहां तक इनके कार्य क्षेत्र का सवाल है और नियुक्ति का सवाल है धन के खर्च का सवाल है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका सारा का सारा खर्च भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय है वह खर्च वहन करता है। इसके अलावा इनके खोलने के लिये और नियुक्ति के लिये एक कमेटी बनी हुई है यहां पर से सिफारिश की जाती है और मिनिस्ट्री आफ ऐजूकेशन गवर्नमेंट आफ इन्डिया ही फाईनल करती है जहां तक माननीय सदस्य डूंगरपुर से आने वाले हैं उन्होने वहां के इन्चार्ज के बारे में सवाल किया है उसके लिये मैं यही कह सकता हूं कि वहां इन्चार्ज श्री जफरुल्ला साहब हैं उनकी कई शिकायतें राज्य सरकार के पास आयी हैं कि उनका सन्तोषजनक कार्य नहीं है उसके लिये राज्य सरकार ने भारत

(शिक्षा मंत्री)

सरकार को लिखा है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राजेन्द्रसिंह।

जयपुर अहमदाबाद नेशनल हाई-वे

422. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. राजस्थान में नेशनल हाई-वे व स्टेट हाई-वे कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या राज्य सरकार जयपुर अहमदाबाद वाया सिरोही को नेशनल हाई वे में परिवर्तित करने का सिफारिश केन्द्र सरकार को करने का विचार रखती है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) (1) राजस्थान में नेशनल हाई-वे 4, तथा स्टेट हाई-वे 30 हैं जिनकी सूची (अ) सलंग्न है।

(2) जयपुर से अहमदाबाद पहले से ही नेशनल हाई-वे है। अतः नया मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि यह जयपुर से अहमदाबाद किधर होकर नेशनल हाई-वे जाता है।

श्री हीरालाल देवपुरा: जयपुर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर रतनपुर होकर।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको अजमेर ब्यावर को सिरोही होकर जाने में ज्यादा नजदीक रहता है इसलिये इधर से होकर क्यों नहीं लिया जाता।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे है उसकी जरूरत महसूस राज्य सरकार को इसलिये नहीं होती पहले से ही जयपुर से अहमदाबाद का नेशनल हाइवे बना हुआ है। और जयपुर अहमदाबाद का वाया सिरोही होकर नेशनल हाई वे डिक्लेअर किया हुआ नहीं इसलिये नहीं हो सका है।

श्री किशन मोटवानी : (अजमेर पश्चिम): इसका रख रखाव कौन करता है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में सप्लीमेन्ट्री कर लेना।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, अगर उपयोगी रास्ता हो सकता है तो क्यों नहीं बनाया जाता है। इससे रास्ता छोटा हो जाता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से अहमदाबाद वाया सिरोही सड़क तो बनी हुई है। वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हां (श्री किशन मोटवानी की तरफ इशारा करके) हां आपने क्या पूछा था?

श्री किशन मोटवानी : मैंने पूछा इसका रख रखाव कौन करता है नेशनल हाई वे का। खर्च कौन वहन करता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह भारत सरकार करता है। खर्च भी उसका वहन भारत सरकार करता है काम राजस्थान सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

नेशनल हाई वे के रख रखाव का खर्चा मिलता है वह भी भारत सरकार करती है देख कर।

श्री दलपतसिंह : क्या मंत्री महोदय के नोटिस में है कि जयपुर दिल्ली का जो ट्रैफिक अहमदाबाद जाने वाली रोड पर है वह पाली सिरोही होकर जाती है न कि उदयपुर होकर क्योंकि उदयपुर का रास्ता उपयुक्त नहीं है और क्या इसी वजह से पाली सिरोही होकर जाता है न कि उदयपुर होकर? क्योंकि यह रास्ता टेढ़ा मेडा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह टेढ़ा मेडापन हटा दिया गया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : किसी समय टेढ़ामेडा था। अध्यक्ष महोदय ट्रैफिक दोनों तरफ से जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर के हिसाब किताब की जांच

423. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे :

1. क्या यह सही है कि स्थानीय लालबहादुर शास्त्री कालेज की हिसाब संबंधी एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो जांच आयोग नियुक्त किये थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो कब? कृपया दोनों रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि हिसाब किताब सम्बन्धी जांच में आयोग ने इस कालेज में धन के अनेकों प्रकार के दुरुपयोग जैसे 360 बोरी सीमेंट गायब कर देना बगैर नम्बर के ट्रैक्टर द्वारा ग्राउन्ड लेवलिंग, दोहरा पेमेन्ट, झूठे वाउचर आदि के गम्भीर आरोप प्रमाण सहित लिखे है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जुम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की है?

3. क्या यह सही है कि हिसाब किताब संबंधी जांच आयोग ने रिपोर्ट के साथ अपने पत्र में इस कालेज को दिया जाने वाला अनुदान तत्काल बन्द करने की सिफारिश की है? यदि हां तो, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

4. क्या यह सही है कि दूसरे आयोग की रिपोर्ट में श्री कक्कड़ ने डा. आनन्द-स्वरूप सेठ को नौकरी से हटाने का प्रबन्ध समिति द्वारा डा. सेठ का विक्टिमाईजेशन माना है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने डा. सेठ को इस कालेज में री-इन्स्टेट कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

5. क्या यह सही है कि श्री कक्कड़ ने अपनी रिपोर्ट में 7 सितम्बर, 1973 को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस कॉलेज को चलाने वाली संस्था के मूल संविधान में किए गये संशोधन को अवैध माना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अवैध रूप से बनी इस प्रबन्ध समिति को अब तक भंग क्यों नहीं किया है ?

6. क्या यह सही है कि कॉलेज शिक्षकों के संगटनों रुक्टा एवं रटा ने भी अपने प्रतिवेदनों में राज्य सरकार का ध्यान इस कॉलेज की अनियमितताओं की ओर दिलाया है ?

7. क्या यह सही है कि इस कॉलेज के आठ वर्षों में 20 से अधिक बरखास्तगियां हो चुकी हैं जो कि अनियमित है ?

8. क्या यह सही है कि इस कॉलेज के वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक श्री ललित किशोर पारीख को तीन वर्ष तक अस्थायी रूप से असुविधाजनक स्थिति में रहकर संदिग्ध स्थिति में कालेज छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा ? क्या उक्त प्राध्यापक ने राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन मार्च 1974 में दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त प्राध्यापक का 2500 रु. का भुगतान अभी तक कालेज प्रबन्धकों ने किसी बहाने रोका हुआ है ? राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

9. क्या यह सही है कि कॉलेज के भूतपूर्व प्रिन्सीपल श्री द्रविड़ को भी इस कालेज से अनुचित रूप से हटाया गया था और उनका भी भुगतान अभी तक पूरी तरह नहीं किया गया है ?

10. क्या यह सही है कि इस कॉलेज में प्रिंसीपल के पद पर कोई व्यक्ति आज तक समुचित विज्ञापन के बाद चुनकर नहीं आ सका है ? क्या यह भी सही है कि इस पद पर अब तक वृद्ध या रिटायर्ड व्यक्ति ही नियुक्त होते रहे हैं ? क्या इसे राज्य सरकार नियमानुकूल मानती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पोस्टपोनमेंट की प्रार्थना करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि पिछले कई सत्र से यह देखने में आया है कि माननीय मंत्री महोदय प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यह कैसे अवाइड हो जाता तो कभी यह किस प्रकार अवाइड हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर स्थगन करने का क्या कारण है। पिछले सत्र में भी इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तैयार है लेकिन उत्तर देने में कोई कठिनाई या एम्ब्रेसमेंट महसूस होती है इसलिये उत्तर देना उचित नहीं लगता है। या तो आज ही उत्तर दें या इसी हफ्ते में देने की कोशिश करें।

श्री खेतसिंह : एम्ब्रेसमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस प्रश्न पर आज जवाब देने को तैयार नहीं हूं। अगला टर्न पर मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: Should be replied on the next turn.

नेक्स्ट।

क्रय विक्रय संघ फतहनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार

424. श्री राम रघुनाथ (देगाना) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है यदि हां, तो किन किन को और कब से ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ फतहनगर द्वारा स्थापित आयल मिल तथा सालवेन्ट प्लान्ट के मामले में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी सहकारिता विभाग द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और उक्त जांच रिपोर्ट पर आगे क्या निर्णय लिया गया ?

राज्य मन्त्री सहकारिता (श्री बनवारी लाल) : माननीय अध्यक्ष जी माननीय प्रश्न कर्ता ने सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना चाही है। भ्रष्टाचार की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है। स्पष्ट नहीं है कि क्या सहकारिता की संस्थाओं में भ्रष्टाचार है अथवा सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकारियों में भ्रष्टाचार है। इस स्पष्टीकरण के अभाव में दिनांक 12-3-75 की कार्य सूची में ··

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of order.

श्री अध्यक्ष : There can be no point of order during question hour.

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सदस्य के स्पष्ट सूचना चाही जाने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो माननीय मंत्री ने पहले उत्तर दिया वह गलत है। यह प्रश्न तो एडमिशन होने पर ही तय हो गया। मंत्री महोदय का उत्तर इस प्रकार का असंदिग्ध, वेग और स्पष्ट है मैं मंत्री महोदय के इस प्रकार के उत्तर पर एक्सपर्सन करता हूं इसलिये उनको उत्तर देना चाहिये। एडमिशन के प्रश्न को चेलेन्ज करे यह तो सीधा चेयर पर आक्षेप करना है····

श्री निरन्जननाथ आचार्य : असेम्बली के फ्लोर पर आबजेक्शन था तो अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में मिलकर स्पष्ट करते बजाय इसके कि····

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है यह पीनल कोड में लिखा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय और कांग्रेस सरकार 27 वर्ष के बाद में भी यह पता नहीं लगा सके कि भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है। मेरा मानना है निश्चित रूप से प्रश्न के उत्तर को अवाइड करना चाहते हैं। डेफिनेशन में कौनसा काण्ड हुआ है और कौनसा काण्ड नहीं हुआ ··

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने निवेदन किया माननीय सदस्य के स्पष्ट सूचना चाहने पर राज्य सरकार को उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री दीपंकर : भ्रष्टाचार का अर्थ स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि यह किससे सम्बन्धित है, यह तो सप्लीमेंटरी में भी साफ हो जायगी उसमें आप जवाब दे दीजिये।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय इसको भी एडजोर्नमेंट दे दीजिये अगली टर्न पर।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन। Next

श्री श्रीराम गोटेवाला : भ्रष्टाचार के मामले में अध्यक्ष महोदय, लोढाजी का ज्ञान ज्यादा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कानूनी ज्ञान मेरा ले लें और व्यक्तिगत ज्ञान उनका ले लें अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं समझता हूं कानूनी और व्यक्तिगत दोनों ही ज्ञान आपको ज्यादा है।

श्रीरामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्ता तो मैं हूं, मेरी बात सुनते ही नहीं है आखिर एडजोर्न हो गया तो क्यों हो गया, इसके कारण भी तो होंगे।

श्री अध्यक्ष : आगे की तारीख बदल दी है। नेक्स्ट।

जेवरा कन्ट्रक्टर का मामला

425. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य सरकार ने सदन में यह बताया था कि जेबरा कन्ट्रक्टर का मामला आर्बीट्रेशन में चल रहा है क्या आर्बीट्रेशन का फैसला हो चुका है ? यदि हां, तो उस फैसले की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या उक्त फैसले रिपोर्ट में विद्युत मण्डल के कर्मचारी अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम बताने का कष्ट करें।

3. क्या राज्य सरकार दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जेबरा कन्ट्रक्टर का मामला अभी भी आर्बीट्रेशन में चल रहा है। आरबीट्रेटर का फैसला अभी नहीं हुआ है। अत: फैसले की प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) अभी यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : मैं यह जानना चाहता हूं यह कब दिया गया और झगड़ा कब से है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सन् 1971 से

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसकी कोई सीमा फिक्स की है कब तक पूरा हो जायगा

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : 1971 में आर्बीट्रेशन में दिया गया आखिर

(१८)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

यह झगड़ा 67 से है तो 67 से आज तक कुछ नहीं हुआ और 1971 में जाकर आर्बीट्रेशन नियुक्त हुआ आखिर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार का कोई धनी धोरी भी है कि नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्षजी, यह सही है यह मामला सन् 1971 से आर्बीट्रेशन में चल रहा है। इसमें दोनों पार्टीज से कन्डक्ट किया गया है विद्युत् मंडल से अपने अपने जवाब पेश हो चुके हैं। विटनेस चल रही है। आर्बीट्रेशन का मामला भी एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह से चलता है। कई लीगल दिक्कतें आ जाती हैं इस वजह से अब तक नहीं निपट पाया है। हम इस कोशिश में है कि जल्दी ही निपटे। यह प्रयत्न बराबर जारी है और जैसा बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 67 से जेवरा कन्डक्टर का मामला चल रहा है यह भी सही है कि 67 में खरीदा गया था और जब उपयोग में आना शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि डिफेक्टिव है। पहले प्रिलिमिनिरी इन्क्वायरी चली और बाद में जब मालूम पड़ा कि काफी उलझा हुआ मामला है इसलिये आर्बीट्रेशन में दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आर्बीट्रेटर कौन है नम्बर 1, नम्बर दो कितने की खरीद की गई थी और नं. तीन राज्य विद्युत मण्डल को कितने का घाटा हुआ है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय इसी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आर्बीट्रेटर पर कोई सरकारी दबाब काम कर रहा है इसलिये अनावश्यक देरी हो रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बिलकुल असत्य है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्ता तो मैं हूं। क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल कोर्ट में भी कोई केस जाता है तो 71 से 75 का अर्सा नहीं लगता है। क्या रीजन्स है कि इतना विलम्ब हो रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जहाँ तक अध्यक्ष महोदय आर्बीट्रेटर का प्रश्न है जस्टिस के. के. शर्मा रिटायर्ड जज, राजस्थान हाई कोर्ट है। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सिविल केसेज में भी इतना टाइम नहीं लगता है तो माननीय सदस्य स्वयं एडवोकेट हैं। उन्हें मालूम होगा आज कितने सिविल केसेज अपील के हाई कोर्ट में पेन्डिग हैं ?

श्री किशन मोटवानी : क्या आप डिले को जस्टीफाई मानते है ?

श्री अध्यक्ष : I will not allow any more questions please.

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं डिले को जस्टीफाई नहीं मानता हूं लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है किस तरह जल्दी से जल्दी फैसला करें। जज की हैसियत से उनको सौंपा गया है तो अब वे ही करेंगे। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कोई सरकारी दबाब है,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह असत्य बात है। कोई सरकारी दबाव नहीं है। आर्बीट्रेशन बिल्कुल स्वतंत्र है। लीगल वे में जो प्रोसीजर हैं उसके आधार पर प्रोसीड कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिरलाओं का दबाव हो सकता है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री यशवंतसिंह नाहर : क्या यह सही है कि यह जेबरा कन्डक्टर एक करोड़ रुपए में खरीदा गया और टोटल अमाउन्ट पे कर दिया गया है, एक पैसा भी बाकी नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : मंत्री महोदय यह बतायें कि आर्बीट्रेशन में विद्युत मंडल ले गया या दूसरी पार्टी, जिससे लिया गया, कौन ले गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आर्बीट्रेशन में दोनों पार्टीज मिलकर ले गई। यह सही है कि 1।। करोड़ रुपए का यह कन्डक्टर है, चूंकि वह आ चुका था इसलिए पूरा पेमेंट कर दिया गया है और इस प्रश्न पर पहले भी इस सदन में निवेदन किया था कि मैंने कोशिश की है कि यह कन्डक्टर जो इस समय पड़ा हुआ है वह जितना काम में लिया जा सकता है, लिया जाए, बाकी को स्क्रेप के रूप में बेच दिया जाए। तो उससे आज के भाव के हिसाब से ब्याज व मूलधन के हिसाब से बोर्ड को नुकसान नहीं होता है। लेकिन लीगल ओपीनियन ऐसी है कि चूंकि मामला आर्बीट्रेशन में पड़ा है और विद्युत मंडल ने जिससे माल खरीदा है उसकी गल्ती है उसके आधार पर आर्बीट्रेशन में गया है इसलिए यदि बीच में इसका उपयोग किया जाएगा तो आर्बीट्रेशन में सही निर्णय नहीं लिया जा सकेगा इसलिए उसका सही उपयोग नहीं कर पाए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप किन टर्म्स आफ रेफरेंस पर आर्बीट्रेशन में गए।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह जेबरा कन्डक्टर्स खरीदने वाला वही व्यक्ति है जो उस समय बोर्ड के चेयरमैन थे और आज चीफ सेक्रेटरी हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : खरीदने का का काम चेयरमन डाइरेक्ट नहीं करता। खरीदने के लिए अलग से अधिकारियों की कमेटी होती है, चेयरमैन भी उसमें जरूर थे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आर्बीट्रेशन तो विद्युत मंडल के अंदर पेमेंट वगैरह के संबंध में है लेकिन जिन लोगों की खरीदने की जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या एक्शन लिया है, आपने जिम्मेदारी फिक्स की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आर्बीट्रेशन केवल इस बात का नहीं है कि हमने पेमेंट किया वह ज्यादा था या कम। आर्बीट्रेशन में मामला ले जाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि कन्डक्टर जो खरीदा गया उसकी वाजिब कीमत भी वह चुका दी लेकिन खरीदने के बाद जब उस कन्डक्टर का उपयोग करने वाले थे तब वह डिफेक्टिव मालूम हुआ। तो यह आर्बीटेशन के सामने है कि यह डिफेक्टिव है या नहीं। सप्लायर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कहता है कि डिफेक्टिव नहीं है। बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों की राय है कि डिफेक्टिव है। यही एक मेन मुद्दा आर्बीट्रेशन के सामने है।

जहां तक प्राइसेस का सवाल है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर साबित होता है कि डिफेक्टिव है तो सप्लायर को वापस पैसा देना पड़ेगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिसने पर्चेज किया उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : डिफेक्टिव है या नहीं इसके लिए कोई आर्बीट्रेटर नहीं हो सकता। स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार है या नहीं, वह टेक्नीकल ओपीनियन की बात है। मेरा सवाल था कि जो बोर्ड के अधिकारी इस कन्डक्टर की खरीद के लिये जिम्मेदार थे और उसकी इन्सपेक्शन के लिए, उनके विरुद्ध आपने जिम्मेदारी फिक्स की है या नहीं ? की है, तो क्या एक्शन लिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका दूसरा पार्ट यह भी रहा है कि जिन लोगों ने खरीदारी की उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की गई या नहीं। उस समय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने इस कन्डक्टर की खरीद के बारे में कुछ अधिकारियों पर उत्तरदायित्व ठहराया था कि इन लोगों की नेग्लीजेंस के कारण जो केयर करनी चाहिए थी वह नहीं की इसलिये डिफेक्टिव कन्डक्टर खरीदा गया।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : तो फिर उनकी तरक्की क्या हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उस समय जिन अधिकारियों के खिलाफ यह उत्तरदायित्व ठहराया गया, वे उस समय बोर्ड की सीधी सर्विस में नहीं थे, डेपूटेशन पर थे। बोर्ड ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को लिखा कि कार्यवाही की जाए और जब तक कार्यवाही इनीशिएट हो तब तक राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जितनी सर्विसेज पहले उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थी सारे की सारी बोर्ड को ट्रान्सफर हो गई, पुनः इनकी सर्विसेज बोर्ड को ट्रांसफर हो गई। वह एन्क्वायरी बोर्ड के सामने गई। जब नए चेयरमैन आए, उन्होंने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए चार्जशीट वगैरह का काम स्वयं ने अपने हाथ में ले लिया है और जो मामला आर्बीट्रेशन में गया है, उस पर एडवर्स इफेक्ट न हो, जो भी कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही बोर्ड की तरफ से की जाएगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो जिम्मेदार हैं उनके नाम बतायें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि यह पाइंट आर्बीट्रेशन में है। इट इज ए पाइन्ट आफ एन्क्वायरी। आर्बीट्रेशन नहीं हो सकता। लीगली स्पीकिंग, ला की हिस्ट्री में ऐसी चीज नहीं हो सकती। जो जिम्मेदार अधिकारी थे कन्डक्टर का खरीदने के लिए, वह पाइन्ट आर्बीट्रेशन में नहीं आ सकती।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

दूसरी बात, टर्म्स आफ रेफरेंस आर्बीट्रेशन के सदन के पटल पर रखे जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल । जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, उनके नाम पढ़कर सुनायें।

श्री पी० के० चौधरी : यह कन्डक्टर डिफेक्टिव था उसको डिटेक्ट आपने कब किया ? डिटेक्ट होने के बाद कितने दिनों बाद अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स की ? जिम्मेदारी फिक्स करने के बाद आज कितना समय हो गया कि आप इग्जामिन कर रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपने एन्क्वायरी की और दोष साबित हो गया उनके नाम, डेजिग्नेशन इत्यादि सदन के सामने रखें और आपने उनके खिलाफ कार्यवाही के बारे में गोलमाल बताया कि पहले डेपुटेशन पर थे, बाद में इधर गये उधर गये, कार्यवाही हो गई। आपने सी. सी. ए. की धारा 16 के तहत कोई चार्जशीट दिया है ? उनको सस्पेंड किया है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? दूसरी बात डिफेक्टिव होते हुए भी एक करोड़ से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होने के बाद में उनसे वसूल करने की कार्यवाही आप कर रहे हैं ? तीसरी बात जो आर्बीट्रेशन में टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं वे सदन के पटल पर रखें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपको 90 परसेन्ट पेमेंट पहले करना था, 10 परसेन्ट कन्डक्टर चलाने के बाद करना था। चलाने से पहले ही 10 परसेंट दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा नहीं है। पूरी सप्लाई हो जाने के बाद 10 परसेन्ट करना था। पूरी सप्लाई के बाद 10 परसेंट किया गया। बाकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बाद में दे सकता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न को स्थगित किया जाए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाम आने चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक पदों का सवाल है वह तो हैं लेकिन व्यक्ति उस समय कौन थे यह जानकारी मेरे पास मौजूद नहीं है।

कई माननीय सदस्य : कमाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एन्क्वायरी नामों से होती है, पदों से नहीं होती है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : प्रश्न को पोस्टपोन किया जाए, अगर सरकार के पास जवाब नहीं है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक करोड़ का घोटाला और नाम नहीं बता रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं माननीय सदस्यों की उत्तेजना समझ सकता हूं, मेरे पास नाम नहीं है। मुझे बताने में संकोच नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इनके नाम बताइये, यह कैसे हो सकता है कि आपके पास इनके नाम नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप पोस्टपोनमेन्ट सीक कर लीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं आपको कह रहा हूं कि नाम इस समय मेरे पास नहीं है, नाम मैं आपको बाद में बता सकता हूं। वे व्यक्ति जिस पद पर काम कर रहे थे वे थे :

चीफ इन्जिनियर (कन्स्ट्रक्शन) सुपरिन्टेन्डिग इन्जिनियर (प्रोक्योरमेन्ट), सुपरिन्टेन्डिग इन्जिनियर (कन्स्ट्रक्शन कन्सर्नड) एक्जीक्यूटिव इन्जिनियर।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको उनके नाम बताना चाहिए, इससे तो आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नाम चाहते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अकाल के विषय में है, राजस्थान के लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, यह प्रश्न है इसलिए आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें, यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न अकाल के विषय से सम्बन्धित है, इसलिए जब अकाल के विषय पर डिस्कशन की बात हो, उस समय इसको भी ले लिया जायगा।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इन्फोर्मेशन सीक की है, वह मिलेगी नहीं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है, और अकाल के सम्बन्ध....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, स्थगित।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अकाल के लिए एक डिबेट होना चाहिए और इसके लिये कोई समय निश्चित किया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। इसके लिए अलग से डिबेट होनी चाहिए, यह मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अब मेरी भी सुन लीजिये। इस सम्बन्ध में बगैर किसी माननीय सदस्य के फरमाने के मैंने खुद ने सदन में यह कहा था, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। ऐसा है कि इस सम्बन्ध में पूरी बातचीत नहीं हो सकती इसके लिए और कोई समय निर्धारित करना पड़ेगा। मैं स्वयं भी इस मत का हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर अलग से सदन में चर्चा हो जाना उचित होगा। किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई तिथि भी निश्चित कर दी है, उस समय बातचीत हो सकेगी।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(समयाभाव के कारण नहीं पूछे गए तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आबूरोड़ में महाविद्यालय की मांग

418. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सिरोही जिले में केवल मात्र एक ही महाविद्यालय है जबकि आबूरोड रेवदर व पिण्डवाड़ा तहसीलों में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक और महाविद्यालय की आवश्यकता है ? यदि हां, तो आबूरोड़ में महाविद्यालय कब तक खोल दिया जावेगा ?

2. आबूरोड रेवदर और पिण्डवाड़ा में कुल कितने हाईस्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं ? और प्रत्येक में कुल कितनी छात्र एवं छात्रायें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अभी राज्य सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जालोर-जयपुर चलने वाली बसें

224. श्री विक्रमसिंह भाटी (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि दिनांक 27-1-75 को जालोर-जयपुर चलने वाली बस नं० आर. आर. एम. 1473 के जिये जो ब्यावर से 12 बजे जयपुर के लिये रवाना होती है, ब्यावर के बुकिंग क्लर्क ने ब्यावर से जयपुर के लिए बैठने वाले 14 यात्रियों से ग्यारह रुपये पचास पैसे प्रति टिकट चार्ज किये और कन्डक्टर को मिलने वाले वे बिल में प्रति यात्री दस रुपये पांच पैसे लिखा ? क्या यह भी सही है कि उसमें टिकटों में रकम व तारीख तक नहीं लिखी ?

2. क्या यह सही है कि उक्त 14 टिकटों के अतिरिक्त दो टिकट ऐसे थे जिनका न तो वे बिल में इन्द्राज था और न वे उन टिकटों की सिरीज के थे जो बुकिंग से दिये गये थे, क्या इसकी भी जांच गलत बस कन्डक्टर से जो उस समय ड्यूटी पर था द्वारा की गयी ? यदि हां, तो गलत टिकट किस प्रकार दिये गये और उनका जमा खर्च कहां हुआ ?

3. क्या यह सही है दिनांक 27-1-75 को बस में सफर करने वाले श्री गुरनानी, असिस्टेन्ट मार्केटिंग आफिसर कृषि भवन, जयपुर ने बस नं० 1473 की शिकायत पुस्तिका में उस मामले की शिकायत दर्ज की व अधिकारियों को लिखित शिकायत भी भेजी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२५)

(यातायात मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। बुकिंग क्लर्क ने इन यात्रियों से 10-50 रुपये के स्थान पर 11-45 रुपये चार्ज किये। इसकी शिकायत प्राप्त होने पर बुकिंग क्लर्क को दिनांक 1-2-75 को आरोप पत्र दिया गया एवं उसके विरुद्ध जांच कार्यवाही चल रही है।

(3) जी हां, इस आरोप के लिये भी बुकिंग क्लर्क को आरोप-पत्र दे दिया गया है और इसकी जांच विचाराधीन है।

(3) जी हां। इन सभी आरोपों के लिये बुकिंग क्लर्क को आरोप पत्र दे दिया गया है व जांच विचाराधीन है।

श्रमिक यूनियनों में चन्दे की धनराशि

225. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. सन् 65 से लेकर सन् 74 दिसम्बर तक निम्नलिखित श्रमिक यूनियमों में से प्रत्येक यूनियम में प्रति वर्ष कितने सदस्य रहे और उनसे कितना कितना सबस्क्रिप्शन व एडमिशन फी व चन्दा लिया गया।

(1) जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर।

(2) जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ उदयपुर।

(3) राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर।

(4) उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ, उदयपुर।

(5) पेस्टिसाइड मजदूर संघ, उदयपुर।

(6) सीमेन्ट माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर।

(7) सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़।

(8) मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा।

कृपया प्रत्येक यूनियन की प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में प्राप्त किए गए सबस्क्रिप्शन व एडमिशन फी व चन्दे की धनराशि की सूची सदन के पटल पर रखाने का कष्ट करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु अनुदान

226. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान के किन किन जिलों में अनुसूचित जाति व जन-जाति की किन किन सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु राजस्थान हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी से बिना ब्याज रकम प्राप्ति के लिये प्रत्येक सदस्य तीन सौ रुपये शेयर मनी के अनुदान के रूप में दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. इस रकम का अलाटमेंट किस आधार पर कब कब किया गया और उपयोगिता के क्या परिणाम रहे ?

3. क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार पर्याप्त धन राशि न दे सकने के कारण कई सहकारी समितियों को ऋण नहीं मिल पाया ?

उत्तर

राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति व जन-जाति की जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग कोपरेटिव फाईनेन्स सोसायटी से बिना ब्याज ऋण प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रति सदस्य 300 रु० की दर से हिस्सा पूंजी हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है, उनकी वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग कोपरेटिव फाईनेन्स सोसायटी लि० जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति की सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत किये जाने के पश्चात् तथा उनके द्वारा विभाग को प्रस्ताव भेजने पर नियमानुसार हिस्सा पूंजी राशि का अनुदान का अलोटमेन्ट किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा हिस्सा पूंजी क्रय करने हेतु अनुदान स्वीकृत करने के पश्चात् दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग कोपरेटिव फाईनेन्स सोसायटी लि० जयपुर द्वारा गृह निर्माण हेतु ऋण की राशि किश्तों में स्वीकृत की जाती है और ऋण राशि की उपयोगिता देखने की जिम्मेदारी फाईनेन्स सोसायटी की है। प्रबन्ध संचालक फाईनेन्स सोसायटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसकी उपयोगिता सन्तोषजनक रही है।

(3) जी नहीं। दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग कोआपरेटिव फाईनेन्स सोसायटी लि० जयपुर द्वारा जिन अनुसूचित जाति व जन जाति की सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत किये जाने के पश्चात् इनके द्वारा प्रस्ताव विभाग में भेजे गये हैं, उन सबको हिस्सा पूंजी राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिवहन निगम की बसें

227. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को गन्तव्य स्थान की टिकटें छपी हुई नहीं दी जाती है? अगर हां, तो टिकट नहीं काटने के जुर्म में कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि निगम की बसों में यात्रियों को छतों पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है? अगर हां, तो क्यों और इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कर रही है?

3. क्या यह सही है कि निगम के पूछताछ कार्यालयों के तथा अन्य कर्मचारियों का यात्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

4. क्या यह भी सही है कि डीलक्स बसों में सीटों के अलावा भी सवारियां ली जाती हैं? अगर हां, तो क्यों?

(श्री दीपंकर)

5. क्या यह भी सही है कि 22 जनवरी, 1975 को प्रात: पौने छ: बजे एक साधारण बस नं० आर. आर. एम. 4975 श्री गंगानगर को गई थी और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों से डीलक्स बस का किराया जबरन वसूल किया गया ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों को सरकार दंडित कराने का इरादा रखती है ?

6. क्या यह सही है कि निगम की बसें निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान के लिये रवाना नहीं होती ? अगर हां, तो इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार ठहराये जाते हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) निगम के बुकिंग घरों से यात्रियों को जो टिकट दिये जाते हैं उनमें यात्री का गन्तव्य स्थान अंकित होता है। किन्तु बस में जो टिकट काटे जाते हैं उनमें परिचालक द्वारा ही गंतव्य स्थान लिखा जाता है। वर्ष 1974-75 में टिकिट नहीं काटने के आरोप में 702 परिचालकों को निलम्बित किया गया।

(2) जी नहीं, किन्तु गंगानगर-बीकानेर आदि क्षेत्रों में यात्री जबरन बसों की छतों पर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार जयपुर नगर वाहन सेवा में भी छात्र वर्ग जबरन बसों की छतों पर बैठ जाते हैं। निगम द्वारा इस प्रवृत्ति को कम करने का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी हां। ऐसी शिकायतों पर सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

(4) जी नहीं। निगम द्वारा डीलक्स बसें जयपुर-दिल्ली मार्ग पर सचालित की जाती है। जिसमें निर्धारित सीटों के अलावा यात्रियों का परिवहन नहीं किया जाता है।

(5) जी हां। दिनांक 22 जनवरी, 1975 को ऐसी सभी डिलक्स वाहन ऑफ रोड होने की वजह से साधारण बस भिजवाई गई जिसकी जानकारी बुकिंग क्लर्क को नहीं थी। अत: भूलवश ऐसा किया गया। जबरन किराया वसूल करने का प्रश्न ही नहीं होता। इस मामले में बुकिंग क्लर्क की कोई दुर्भावना नहीं थी अत: कर्मचारी को दण्डित करना उचित नहीं समझा गया।

(6) यान्त्रिक खराबी के कारण अथवा अन्य विशेष कारणवश बसें कभी कभी निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो पाती। निगम इसके लिये पूर्णतया सचेष्ट है कि बसें निर्धारित समय पर चलें।

ग्राम पापड़दा के वैद्य को बकाया राशि का भुगतान

228. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि श्री गोपाल कृष्ण वैद्य जो कि 4-1-74 से पूर्व ग्राम पापड़दा में नियुक्त थे के बकाया बिल निम्न प्रकार थे :—

(ए) फिक्सेशन एरियर बिल
सन् 1964 राशि 554/-

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(बी) रिइम्बर्समेंट बिल
सन् 1964 राशि 106.47

(सी) रिइम्बर्समेंट बिल
सन् 1964 राशि 93.65

योग 734.12

यदि हां, तो उक्त बिल्स की राशि का भुगतान उन्हें आज तक क्यों नहीं किया गया ? क्या वे इसके अधिकारी नहीं हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

2. क्या यह सही है कि उक्त राशि के लिये वैद्य ने सरकार को जेर दफा 80 जा. दी. की सूचना दे दी है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

1- जी हां। श्री गोपाल कृष्ण वैद्य इन बकाया बिलों की राशि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इनका फिक्सेशन एरियर बिल 534-00 का जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (पूर्व क्षेत्र) द्वारा आक्षेप पूर्ति के बाद उनके पत्र संख्या 567 दिनांक 24-1-75 को पारित करने हेतु महालेखाकार कार्यालय, जयपुर को भिजवाया जा चुका है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा बिल पारित करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल क्रमशः रु० 106=47 एवं 93=65 का जिला आयुर्वेद अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा पत्रांक 568 दिनांक 24-1-75 के द्वारा वैद्यजी के घर के पते पर आक्षेप पूर्ति हेतु भिजवाये गये है। आक्षेप पूर्ति के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

2- जी हां। वैद्यजी ने उक्त राशि हेतु दफा 80 जा. दी. की सूचना सरकार को दिनांक 15-12-74 को भिजवायी है जो कि इस विभाग में दिनांक 19-12-74 को प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर को शीघ्र कार्यवाही हेतु दिनांक 4-1-75 को लिखा गया है।

बीकानेर जिले की पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

229. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया—(नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या जिला बीकानेर की पंचायत समिति के और जिला परिषद् द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में संविधान के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को लिया जाता है ? कृपया जिला परिषद् बीकानेर की जिला परिषद् के अन्तर्गत पाठशालाओं में काम करने वाले समस्त अध्यापकों की मय नाम, पते व जाति के सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त के क्षेत्र कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों में जो नियुक्ति जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों द्वारा आज तक की गई है उनमें कर्मचारियों को पक्षपात से प्रेरित होकर अनुसूचित जाति एवं जन जाति का बहिष्कार किया गया है ? यदि नहीं, तो जिला परिषद एवं चारों पंचायत समितियों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूची

Page No 28

(28)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उनकी नियुक्ति की तिथि, नाम व पूरा पता जाति आदि का समस्त विवरण देते हुये सदन की मेज पर रखी जाये।

3. क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हकों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

1- जी हां। जिला बीकानेर की पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के नाम पते व जाति की सूची संलग्न है।

2- जी नहीं। जिला बीकानेर की पंचायत समितियों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूची उनके पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

3- प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत रटलाई (झालावाड़) के विरुद्ध शिकायत

230. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच (जिला झालावाड़) द्वारा आबादी भूमि की अवैध रूप से बिक्री बहुत ही कम दामों पर की गई ?

2. इसकी शिकायतें राज्य सरकार को कब कब की गई और आज तक भी बेचान की जांच क्यों नहीं हुई। और बेचान अवैध किया जाकर लोगों को बेदखल क्यों नहीं किया है ? कृपया जमीन बिक्री की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. क्या यह भी सही है कि लोगों ने बिना जमीन खरीदे हुए मनमाने तरीके से चाहे जहां ही मकान बनाकर रास्तों तक को रोक दिया जिसकी भी शिकायतें की गई ?

4. यदि हां, तो कब कब व इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत राज्य सरकार को दिनांक 27-7-72 को प्राप्त हुई जिसकी जांच हेतु जिलाधीश, झालावाड़ को दिनांक 29-8-72 को लिखा गया इसके अतिरिक्त जनता रटलाई की शिकायत श्री रामप्रसाद बोहरा विधायक द्वारा दिनांक 21-2-73 को जिलाधीश, झालावाड़ को की गई तथा उन्होंने विकास अधिकारी बकानी को दिनांक 6-3-63 को जांच हेतु लिखा।

(3) विकास अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन जिलाधीश झालावाड़ को दिनांक 27-11-73 को प्रेषित किया जो जिलाधीश के माध्यम से राज्य सरकार को दिनांक 3-10-73 को प्राप्त हुआ। इस पर राज्य सरकार ने अवैध विक्रय निरस्त करने हेतु दिनांक 8-10-73 को जिलाधीश को आदेश दिये तथा सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही

(उत्तर)

की जा रही है। विस्तृत जांच प्रतिवेदन की परीक्षा में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त जिलाधीश, झालावाड़ के यहां अवैध विक्रय निरस्त किये जाने की निगरानी विचाराधीन है। 40 प्लाटों के विक्रय की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि लोगों ने बिना जमीन खरीदे मनमाने ढंग से मकान बनाकर रास्तों को नहीं रोका है और राज्य सरकार के पास इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचायत समिति पदमपुर व रायसिंहनगर क्षेत्र में कैश प्रोग्राम

231. **श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** (करणपुर) :—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. पंचायत समिति पदमपुर व पंचायत समिति रायसिंहनगर क्षेत्र के कितने ऐसे गांव हैं जिन्होंने कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पक्के खाले बनाए जाने हेतु रकम जमा करवाई थी लेकिन उनके खाले पक्के नहीं बनाए गए? अब कब तक पक्के खाले बनवा दिए जायेंगे?

2. क्या यह सच है कि चक 4 पी. एस. एवं 4 पी. एस. पी. पंचायत समिति रायसिंहनगर ने 16 व 22 हजार रुपये दोनों गांवों के काश्तकारों से जमा करवा लिये हैं और इसी तरह चक 40 आर. बी. ने पंचायत समिति पदमपुर में 6 हजार रुपये जमा करवा दिये हैं? यदि हां, तो कब?

स्थगित किया गया।

पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी

232. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान में सत्र 72-73 और 73-74 में प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं में कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा ले रहे थे? अलग-अलग वर्ष के अलग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों की तादाद बताने का कष्ट करें।

2. उक्त सत्रों में उक्त विद्यार्थियों को कितने अध्यापक शिक्षा दे रहे थे?

3. शिक्षा देने सम्बन्धी नियमों, व्यवस्थाओं और तय शुदा कार्यभार के अनुसार कितने अध्यापकों की उक्त सत्रों में आवश्यकता थी?

4. उक्त सत्र वर्षों में प्रशिक्षित अध्यापक जिनको कार्य नहीं दिया जा सका उनकी संख्या कितनी थी?

5. अजमेर जिले में उपरोक्त वर्षों में कितने अध्यापक थे और कितने विद्यार्थी थे तथा कितने अध्यापक इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आवश्यक थे और कितने प्रशिक्षित काम पाने के लिए इन्तजार करते रहे और कितनी पाठशालाओं में कितने अध्यापकों की कमी थी?

उत्तर

(1) राजस्थान में सत्र 72-73 और 73-74 में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं में छात्रों की संख्या इस प्रकार रही:—

(उत्तर)

वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा० स्तर	माध्यमिक एवं उ०मा० स्तर
72-73	19-19 लाख	4-76 लाख	2-44 लाख
72-73	20-90 लाख	4-90 लाख	2-58 लाख

(2) सत्र 72-73 एवं 73-74 में शिक्षकों की संख्या इस प्रकार रही—

वर्ष	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा० स्तर	माध्यमिक एवं उ०मा० स्तर
72-73	43183	30492	24890
73-74	47032	33209	27107

(3) विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपरोक्त अध्यापक पर्याप्त थे। प्राथमिक कक्षाओं में 40 छात्रों पर एक अध्यापक मिडिल कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा पर एक और सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विषयों के अनुसार अध्यापक दिये जाते हैं।

(4) वर्ष 73-74 में उपलब्ध सूचना अनुसार निम्नांकित प्रशिक्षित आशार्थी नौकरी की प्रतीक्षा में थे :—

पुरुष 1274

महिला 771

इनमें वे आशार्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(5) अजमेर जिले में वर्ष 73-74 में निम्नांकित स्थिति थी :—

नाम विद्यालय	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
प्रा०विद्यालय	79370	2915	1:27
उ०प्रा०वि०	35967	1775	1:20
मा०एवंउ०मा०	44375	2115	1:20

कार्यरत शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से कुछ अधिक थी। अजमेर जिले में 74 के जनवरी माह में एस. टी. सी. प्रशि. के पुरुष 64 एवं महिला 171 नौकरी का प्रतीक्षा में थे।

सुभाष बाल मन्दिर श्री डूंगरगढ़

233. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. मान्यता प्राप्त सुभाष बाल मन्दिर, श्री डूंगरगढ़ को सर्वप्रथम किस वर्ष में मान्यता व सरकारी सहायता दी गई ? वर्ष-वार सहायता राशि की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. उक्त संस्था के व्यवस्थापक कौन हैं और उन्हें माहवारी क्या वेतन एवं भत्ता आदि दिया जाता है ? कृपया वर्षवार सूची सदन को मेज पर रखें।

3. उक्त संस्था का मकान निजी है या किराये का ? यदि निजी है तो किस स्थान पर है तथा मकान एवम् भूमि का पट्टा संस्था के नाम है ? अगर नहीं, तो किसके नाम का है तथा उस व्यक्ति से संस्था का क्या सम्बन्ध है ?

4. उक्त संस्था का मकान कब बना और कुल कितना खर्च हुआ ?

5. संस्था के मकान पर जो धनराशि खर्च हुई वह कहां से व किस किस से प्राप्त हुई ? व्यक्तियों व संस्था के नाम पता व सहायता सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

6. उक्त संस्था द्वारा प्रति बच्चा क्या फीस ली जाती है और बच्चों के नाश्ते पर दैनिक प्रति बच्चा क्या खर्च किया जाता है और क्या नाश्ता दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री सूरणराम)

7. जब से संस्था बनी है तब से कितनी बार लेखा का ऑडिट किया गया तथा इसमें क्या क्या खास कमियां पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

8. यह भी बताने का कष्ट करें कि जब से संस्था स्थापित हुई है तब से आज तक किस किस अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया गया तथा क्या क्या कमियां पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सुभाष बाल मन्दिर, श्री डूंगरगढ़ को सर्व प्रथम प्राथमिक स्तर की मान्यता 1964-65 में दी गई। सरकारी सहायता सर्वप्रथम 1967-68 में दी गई। वर्षवार सहायता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संस्था के व्यवस्थापक श्री जमालुद्दीन चुनगर हैं। संस्था से कोई माहवारी वेतन एवं भत्ता आदि नहीं दिया जाता है। सूची की आवश्यकता नहीं है।

(3) संस्था का भवन किराये का है। श्री जमालद्दीन चुनगर का है जिसका किराया 150)-प्रतिमाह संस्था द्वारा दिया जाता है।

(4) संस्था का भवन निजी नहीं है। यह किराये के भवन में चल रही है।

(5) संस्था के भवन पर कोई व्यय नहीं हुआ।

(6) प्रति छात्र से ली जाने वाली फीस की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। संस्था की ओर से बच्चों को कोई नाश्ता नहीं दिया जाता है और न ही नाश्ता फीस ली जाती है।

(7) संस्था के सम्पूर्ण हिसाब की ऑडिट अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रति वर्ष की जाती है तदनुसार प्रति वर्ष अनुदान हेतु नियमानुसार विभाग द्वारा ऑडिट की जाती है। कोई कमियां नहीं पाई गई।

(8) समय समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाता रहा है। संस्था की कोई भी शिकायत विभाग के विचाराधीन नहीं है तथा न ही किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट करणपुर व रायसिंह नगर में विचाराधीन मुकदमें

234. श्री गुरदयालसिंह सिन्धु (करणपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट करणपुर और रायसिंह नगर के न्यायालयों में पदमपुर तहसील क्षेत्र के कितने फौजदारी, दीवानी व सिविल के मुकदमें विचाराधीन हैं?

ख. क्या यह सच है कि इन मुकदमों में हर माह बढ़ोतरी हो रही है और ये 600 के लगभग हैं?

ग. क्या सरकार जनता को सस्ता व कम समय में न्याय दिलाने हेतु पदमपुर में एक न्यायालय कायम करेगी जिससे मुकदमों का निपटारा कम समय में हो सके और जनता आने जाने के खर्च से भी बच सके? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(क) जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तहसीलवार फौजदारी, दीवानी, व

उत्तर

सिविल मुकदमों का तहसीलवार अलग-अलग रेकार्ड नहीं रखा जाता; अतः इस प्रश्न का उत्तर देना अभी संभव नहीं है।

(ख) प्रश्न 1 से संबंधित है, उत्तर देना संभव नहीं है।

(ग) इस मामले में उच्च न्यायालय से राय मांगी गई थी। उच्च न्यायालय ने राय दी है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट करणपुर का कार्यालय पदमपुर में खोलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

खनिज निगम की योजनाएं

235. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान राज्य खनिज निगम ने अब तक क्या क्या योजनायें हाथ में ली हैं और उनमें क्या क्या कार्य किये गये हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. निगम ने विभिन्न प्रवृत्तियों में कितना-कितना धन लगाया है और वह कहां कहां से प्राप्त किया गया?

3. निगम की हिस्सा पूंजी कितनी है और किस किस से प्राप्त की गई है तथा कार्यशील पूंजी कितनी है?

4. शुरू से लेकर अब तक निगम को नफा या नुकसान क्या रहा है? वर्षवार विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंजीकृत लघु उद्योग

236. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क. क्या यह सच है कि राज्य के पंजीकृत लघु उद्योगों में से 42 प्रतिशत उद्योगों का अस्तित्व नहीं है?

ख. क्या यह सच है कि अधिकांश फर्जी लघु उद्योग सरकारी कोटे से कच्चा माल उठाते आ रहे थे?

ग. क्या यह सच है कि उक्त घोटालों में राज्य के उच्च अधिकारियों का हाथ रहा है?

घ. यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों व फर्जी उद्योगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की तो क्यों? कृपया फर्जी उद्योगों, फर्जी व्यक्तियों व दोषी अधिकारियों को कोटे द्वारा कच्चा माल उठाने व उनकी कीमत दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्रित होने के पश्चात् ही इसका निर्णय किया जा सकेगा।

(घ) अन्य इकाईयों को री-रजिस्टर्ड कर दिया गया है। अन्य इकाइयों के बारे में सूचना एकत्रित होने के पश्चात् ही इस विषय में अगला कदम उठाया जायेगा।

लघु उद्योगों को सहायता

237. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान में सन् 1971 से अब तक कितने तथा किस किस के नये उद्योग लगे हैं?

2. इन नये उद्योगपतियों को राज्य सरकार की ओर से क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई?

(श्री जयकिशनलाल सोसावड़ा)

3. राज्य सरकार नये लघु उद्योगों को किस किस रूप में क्या क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले के पुलिस थानों में दर्ज मुकद्दमें

238. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले के थानों एवं चौकियों में 1973 एवं उससे पूर्व दर्ज मुकद्दमें फाइनल रिपोर्टों या बगैर चालानों के बकाया हैं ? यदि हां, तो कितने तथा कब-कब के बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया मुकद्दमें की निष्पक्ष एवं स्पेशल पुलिस के अधिकारी से जांच करवाने को तैयार है ? यदि हां, तो किससे और कब तक ।

उत्तर

(1) जी हां । वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(2) मुकद्दमों की जांच निष्पक्षता से ही की जा रही है फिर भी इन मुकदमात की जांच से किसी भी पार्टी को जांच अधिकारी से असन्तोष है तो उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतिकरण हेतु अनुदान का विवरण

239. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस-किस जिले में विद्युतिकरण के लिए 1974-75 में कितनी रकम दी गई ?

(2) सन् 1974-75 में किस-किस जिले में कितने किलोवाट की कितनी नई लाइनें बिछाई गई हैं ?

(3) ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतिकरण के अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का जिलेवार वितरण किस प्रकार किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण वर्ष 1974-75 में मण्डल के बजट से नये गांवों के विद्युतिकरण हेतु बहुत कम राशि की स्वीकृति दी जा सकी । इस वर्ष में स्वीकृत गांवों की सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) लाइनों का जिलेवार ब्यौरा नहीं रखा जाता । तथापि वर्ष 1974-75 में 132 के० वी०, 33 के०वी०, 11 के०वी० की क्रमशः लगभग 117 किलो मीटर, 530 किलो मीटर व 1075 किलो मीटर लाइनें खेंची गईं ।

(3) भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये नहीं दिया जाता ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

घोसुण्डा बांध चित्तौड़गढ़ का निर्माण

240. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांचवीं योजना में कौन कौन से कार्य लिये जावेंगे ?

(2) घोसुन्डा बांध की कितनी सिंचाई की क्षमता होगी तथा इस पर कितना व्यय किया जावेगा ?

(3) घोसुन्डा बांध का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। फिलहाल सन् 1974-75 व 1965-76 की केवल वार्षिक योजनाओं के आधार पर कार्य किया जा रहा है। बस्सी वागन डाईवरशन व घोसुन्डा के नये मध्यम सिंचाई कार्य पांचवीं योजना में प्रस्तावित किये गये हैं किन्तु चालू योजनाओं की अनुमानित कीमत में भारी वृद्धि के कारण नई योजना को चालू करना अभी सम्भव नहीं हो सकेगा।

(2) घोसुन्डा बांध की योजना पर 450 लाख रुपये का व्यय तथा 20,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की सम्भावना है।

(3) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को प्रारम्भ करने का विचार किया जा सकेगा।

चाकसू तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

241. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चाकसू तहसील के कितने ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में किन ग्रामों का विद्युतिकरण करना चाहती है ?

उत्तर

(1) चाकसू तहसील के विद्युतिकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बिजली के प्रसार का कार्यक्रम तहसीलवाइज न बनाया जाकर जिलावाइज बनाया जाता है। इसलिये चाकसू तहसील में अगले वर्ष कितने गांव हो सकेंगे यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

राजस्थान नहर लिफ्ट परियोजना

242. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) राजस्थान नहर लिफ्ट परियोजना में 1 अप्रेल,1970 से 31 मार्च,1974 तक की अवधि में पम्पिंग क्षेत्र में कोई सामग्री खरीदी गई ? यदि हां, तो सामग्री का विवरण मय रेट व लागत तथा खरीद किये जाने वाले के पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(2) क्या सरकार ने लिफ्ट मशीनें भी खरीदने की व्यवस्था कर ली है ? यदि हां, तो क्या और कितने-कितने में ? सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(3) क्या लिफ्ट योजना से 31 मार्च, 1975 तक किसी क्षेत्र के खेतों में पानी दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कहां-कहां और किन-किन स्रोतों द्वारा ? जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) पंपिंग क्षेत्र में पम्पिंग स्टेशनों के लिये जो भी सामग्री खरीदी गई है उसकी सूची संलग्न है। (सूची संख्या नं. 1)

(2) सूची संलग्न है। (सूची संख्या नं 2)

(3) जी हां 31 मार्च, 1975 से पहले ही लिफ्ट योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है। जिन जिन गांवों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया गया है उनका विवरण सूची संख्या 3 में उपलब्ध है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

दौसा-लालसोट सड़क को चौड़ा करने का कार्य

243. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि लालसोट कस्बे के समीप पहाड़ के घाटे में दौसा-लालसोट सड़क को चौड़ा करने के लिये कुछ वर्ष पूर्व पहाड़ को तोड़कर सड़क चौड़ा करने का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सच है कि पहाड़ को तोड़ने के पश्चात् उक्त सड़क को सुधारने के लिये अब तक एक बार भी रोड़ी व डामर नहीं बिछाई गई, जिससे सड़क अत्यधिक खराब हो गई है और आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की खराब सड़क को क्यों नहीं ठीक करवाई जा रही है ? यदि ठीक करवाई जायेगी तो कब से ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह कार्य 1971-72 व 1972-73 में क्रेश योजना के अन्तर्गत किया गया था।

(2) जी, हां। वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में बजट प्रावधान के अभाव में

(श्री सार्वजनिक मंत्री)

आगे कार्य संभव नहीं हुआ है। वर्ष 1975-76 में डामर कराये जाने का कार्य विचाराधीन है।

राता भाटा-बाजोरा फीडर के ठेकेदार का भुगतान

244. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राता भाटा-बाजोरा फीडर, उप-खण्ड ब्यावर, जिला अजमेर पर लेबर रेट पर किसी कार्य का ठेका श्री माधोलाल टांक को दिया गया था ?

(2) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि ठेकेदार को पैसा देने के सम्बन्ध में कई दफा वायदा किया है और पैसा दिया नहीं गया ?

(3) यदि हां, तो उसके कार्य पूरा होने पर अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया और कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर में कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्य श्री योगेन्द्र झा की एक मीटिंग में अन्य पार्टियों के कुछ लोगों द्वारा व्यवधान डालने के विषय में,

2. सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव और मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान की बिजली को भाखड़ा कल बिजली व्यवस्था के साथ जोड़ देने के कारण राजस्थान के बड़े कारखानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के विषय में,

3. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 7 मार्च को चूरू में एक पुलिस अधीक्षक की जीप से टकरा जाने से दो छात्रों की मृत्यु हो जाने के विषय में,

4. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर), सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा कारागार (कारागृह) में बन्दियों द्वारा गत 4 मार्च से किये जा रहे आमरण अनशन के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

5. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले में जनवरी, फरवरी व मार्च माह का चीनी के

(श्री ग्रध्यक्ष)

कोटे का वितरण नहीं होने के विषय में। यह प्रश्न भविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

6. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से जमवारामगढ़ बांध से सिचाई के लिये पूरा पानी न दिये जाने के विषय में। इस विषय पर माननीय सदस्य सिचाई की मांगों के समय चर्चा उठा सकते हैं।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण ग्रौर लोकमहत्व का है। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पधारे थे; जिस समय माननीय गवर्नर साहब, कर्नाटक, को छोड़ने के लिए दौसा तक पधारे थे तो ग्रापने किसानों से बातचीत की थी ग्रौर उनको विश्वास दिलाया था कि इस वर्ष जमवारामगढ़ के लिए सिचाई की व्यवस्था की जायगी ग्रौर खेतों को पानी दिया जायगा, ग्रौर मुख्य मन्त्री महोदय के इस ग्राश्वासन पर, उनके ग्राश्वासन देने के बाद भी लोग यहां पर ग्राये ग्रौर उनसे बातचीत की। दौसा के एम. पी. के नेतृत्व में उनसे मिलने भी गये तो उस समय भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस वर्ष जरूर पानी दिया जायगा। इसी ग्राश्वासन के ग्राधार पर वहां के किसानों ने सैंकड़ों एकड़ जमीन में जौ, चने ग्रौर गेहूं की खेती साथ-साथ की, मुख्य मन्त्री के ग्राश्वासन के ग्रनुसार। लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि मुख्य मन्त्री, किसी स्टेट का मुख्य मन्त्री इतनी बड़ी हैसियत का आदमी किसानों को एश्योरेन्स दे ग्रौर वह उस ग्राश्वासन को पूरा नहीं करे तो इस तरह से धोखा दे, मेरी समझ में नहीं ग्राया कि वह मुख्यमन्त्री की हैसियत को होते हुए भी लोगों को दगा दे कि ग्रापको पूरा पानी दिया जायगा। इससे उनका लाखों रुपये का बीज, खाद ग्रौर उनकी मेहनत, व जुताई बुआई पर खर्च हुग्रा उसकी वजह से। मेरे पास एक लिस्ट भी है, ग्रध्यक्ष महोदय, चालीस गांवों की लोगों की उनको लाखों रुपयों का लॉस हुग्रा, ग्रौर इस महंगाई के जमाने में ग्रौर अकाल की छाया में जबकि लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल हो रहा है। वे लोग तरस रहे हैं जिन्दा रहने लिए, मुख्य मन्त्री महोदय ने उनको जल्दी मरने के लिए मजबूर किया है। इसलिए उचित तो यह होगा कि उन लोगों को जितना पानी का नुकसान हुग्रा है ग्रौर जो फसल का नुकसान हुग्रा है, उसका उनको मुग्रावजा दिया जाना चाहिए अन्यथा मुख्य मन्त्री ग्रौर सिचाई मन्त्री जी के खिलाफ वे लोग प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूं कि मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में कोई स्टेटमेंट दें। ग्रध्यक्ष महोदय, उन लोगों को गलत तरीके से एश्योरेन्स देते हैं। क्या दुश्मनी है दौसा क्षेत्र से जो लोगों को समझाते हैं? जमुग्रारामगढ़ बांध का पानी ग्राजादी के बाद काम में नहीं लिया जा रहा है। यह वहां के नेतृत्व की कमजोरी के कारण है कि उनका पानी बांध का छीन लिया गया है। यह समझ कर वे लोग खेती करते हैं। यह समझ में नहीं ग्राती बात, मुख्य मंत्री महोदय ने चलाकर उनको क्यों प्रोत्साहित करा, क्यों उन्हें मजबूर करके लाखों रुपये

Page No 38

(38)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बीज और खाद, जुताई-बुवाई में खर्च करवाया ? यह गम्भीर मसला है। मुख्य मंत्री को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और लोगों के साथ ज्यादती की, उनसे माफी मांगते हुए उनको मुआवजा देना चाहिए, उनकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।

श्री मीठालाल मीणा : दोस्ती निभा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव राजस्थान में 86 हजार बोरी शक्कर का कोटा राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण, शक्कर नहीं उठाने के कारण लैप्स होने के सम्बन्ध में दिया है। उसमें मैंने बताया है, इसके कारण से जोधपुर व अन्य स्थानों पर पिछले तीन महीने से शक्कर का पब्लिक डिस्ट्रि-ब्यूशन सिस्टम से कतई वितरण नहीं हुआ है। मैं समझता हूं, पूरे प्रस्ताव पर उस अहमियत के साथ में विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो सरकार पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से चीनी व शक्कर का बहुत कम कोटा जनता को उपलब्ध करवाती है, और अधिकतर कोटा बहुत बड़ी कीमत में, महंगाई के अन्दर ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए दुकानदारों को उपलब्ध होने का रास्ता खोलती है। दूसरी ओर, अध्यक्ष महोदय, 86 हजार बोरी ग्वालियर की फर्म है जिससे खाद्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार व जो यहां पर खाद्य मंत्रालय के जरिये से उपभोक्ता संघ या सोसाइटी है, जो शक्कर मंगाती है, उसने बराबर तार से सूचित किया है कि आप 86 हजार बोरी उठायें वरना कोटा लैप्स हो जायगा और जो आपका कोटा इयरमार्कड है, वह नहीं देंगे। मुझे कहते हुए दुख होता है, सरकार की अकर्मण्यता के कारण वह रेल्वे वेगन्स और ट्रान्सपोर्टेशन के अन्दर साधन नहीं जुटा सके हैं, इस कारण जो कोटा मिलता है वह लैप्स हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल जोधपुर में चीनी के वितरण का प्रश्न नहीं है, होली का अवसर आ रहा है, आवश्य-कता इस बात की थी कि राजस्थान सरकार चीनी का कोटा अधिक देती, उपभोक्ताओं को ढाई सौ, तीन सौ, चार सौ ग्राम चीनी देती है। उसके स्थान पर अधिक देती। लेकिन स्थिति यह बन गई है कि तीन महीने से एक ग्राम चीनी भी जोधपुर के उपभोक्ताओं को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से आज तक नहीं मिली है। इस कारण से असंतोष बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आज भी खाद्य मंत्री यहां विराजमान है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि रेल्वे वेगन्स लेकर कोटा लाने में असमर्थ रहे हैं तो आपको चाहिए, ट्रान्सपोर्ट के जरिये, ट्रक्स के जरिये कोटा उठवाते। आज के युग में लोग चांद पर जाकर वापिस आ सकते हैं लेकिन हमारी सरकार केवल इस-लिए, इस वजह से कि रेल्वे वैगन के लिए जो ऑफिसर गये थे, वह रेल्वे वैगन उप-लब्ध नहीं करवा पाये, 86 हजार का कोटा लैप्स हो जाय। यह शर्मनाक स्थिति है। यह खाद्य मंत्री के लिए शोचनीय स्थिति है उनको इस पर विचार करना चाहिए और ट्रान्सपोर्ट के द्वारा शक्कर लानी चाहिए। यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, स्थान स्थान पर कोटा लैप्स हो रहा है, सीमेंट जो मंगाई जाती है उसका लैप्स हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आदेश दिया, यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है. आप इस पर दुबारा विचार करें और या यहां पर मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें, या आप राज्य सरकार से जानकारी लें। राजस्थान में आज सारी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, उसको चीनी मिल नहीं रही है और अब सरकारी कोटा लेप्स हो रहा है। यह एक दो, या पांच बोरी का सवाल नहीं है, 86 हजार बोरी का कोटा लेप्स हो रहा है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। जोधपुर में पहले राशन के प्रश्न को लेकर दो तीन अक्टूबर को वहां की जनता ने प्रदर्शन किया था। इससे जन-आक्रोश बढ़ता है। ऐसी स्थिति पर राज्य सरकार विचार नहीं करती है और इस विधान सभा में अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न नहीं समझ कर इस पर विचार करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जनता को निश्चितरूप से आह्वान दिया जाय, न तो राज्य सरकार इस पर कोई कान देने को तैयार है, यह बहरी है, यह अन्धी है। इस विधान सभा में प्रश्न उठायें, लेकिन दूसरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जनता सड़कों पर उतर कर राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को बाध्य करेगी कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से चीनी का वितरण गवर्नमेंट करे। इसमें निश्चितरूप से लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ने का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया : सब जगह यह प्रश्न है, तीन चार महीने से चीनी नहीं मिल रही है।

(शोरगुल। अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री सदन की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर तो आप विचार करें, 86 हजार बोरी लाकर लोगों को चीनी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में जेल के अधीक्षक के अत्याचारों से पीड़ित होकर वहां के कैदियों ने चार तारीख से भूख हड़ताल की हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तीन चार दिन पहले की खबर है, दो की हालत बड़ी चिन्ताजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजाना अखबारों में समाचार आते हैं, जेल में कैदियों के प्रति अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है, उनको खाने की दिक्कत है, सामान लेकर या मिलाई के लिए कोई आये तो उसमें दिक्कत होती है, बराबर वहां पर भ्रष्टाचार है, लोगों से पैसा लिया जाता है। कोई मिलने के लिए आये तो मिलने की इजाजत तब देंगे जब पैसा सामने रख दिया जायगा। सामान रखेंगे तो उनका मिलने दिया जायगा। इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं। कोई डॉक्टर की सहायता मांगे तो उससे डण्डे से बात की जाय। रोजाना इस प्रकार की घटनायें होती हैं। कोटा की बात है, वहां पर कैदियों ने भूख हड़ताल कर रखी

(श्री मोहरसिंह)

है। वास्तव में जो कैदी है, उनके साथ में अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। इसलिए इस पर सम्बन्धित मंत्री महोदय को जरूर गौर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले अखबारों में देखा होगा, आपने सुना होगा, बीकानेर में सत्याग्रही राजगढ़ से गये थे, 114 सत्याग्रहियों पर बर्बर हमला किया गया, आठ सत्याग्रहियों की खोपड़ी तोड़ दी गई, उनकी पिटाई हुई, लहूलुहान किया गया। आये दिन इस प्रकार की घटना हो रही है, लेकिन न उनकी जांच हो रही है, न उन पर कोई कार्यवाही की जा रही है। यह इस बात का द्योतक है, ठीक है, वहां जो कैद के अन्दर हैं वह बुरे लोग हैं, मजबूर लोग हैं, लेकिन उनके साथ जो इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, इसे मनुष्योचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के बर्ताव के बारे में वास्तव में सरकार को सोचना चाहिए, सम्बन्धित मंत्री को विचार करना चाहिए। ताकि इस प्रकार की घटना अन्यत्र न हों। वास्तव में वे भी इन्सान हैं, कोई बात नहीं, यदि किसी जुर्म में उनको सजा हुई है, आपको उनके मनुष्यत्व के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए और उनके साथ में मानवीय बर्ताव होना चाहिए। आज जगह जगह रोजाना इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं जिसका प्रतिबिम्ब यह कोटा जेल की घटना है। इस कारण से कैदियों की भूख हड़ताल चार तारीख से चल रही है। इस पर गौर किया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी मंत्री महोदय इस पर गौर कर और इस सदन में वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल:

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर आपने कृपापूर्वक सरकार से जानकारी मांगी है। परन्तु विषय इतना महत्वपूर्ण है, गम्भीर है, इस कारण मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, गत 9 तारीख को अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से योगेन्द्र झा, एम० पी० के भाषण के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में लाजिमीतौर पर पार्टी की नीति, खासतौर से जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इससे पहले कि मीटिंग शुरू हों, माइक वगैरह लगाये जा रहे थे, स्टेज बन रहा था और माइक से ऐलान हो रहा था, तब वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ताओं, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने आकर हमला किया, माइक को वह उठाकर ले गये, झण्डे को अपमानित करने का कोशिश कर रहे थे, जो माइक का संचालन कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले गये और उनके साथ मार-पीट की....

श्री भानुकुमार शास्त्री: यह गलत है कि हमला किया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की यह आदत बन गई है....

श्री फूलचन्द जैन: सही है।

श्री अध्यक्ष: हाउस ने सच्चाई एक्सेप्ट नहीं की है। सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: चोर का दाढ़ी में तिनका।

श्री भानुकुमार शास्त्री : चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, राष्ट्रीय स्वयं संघ और जन संघ का भय आपको खा रहा है :

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं । यहां दुहाई दी जाती है, जयप्रकाश की ओर से और उनके पीछे हुई है पार्टियां उनकी ओर से कि इस देश में प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, जनता के अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहूंगा और माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अलवर में कितनी ही मीटिंगें आपकी ओर से भी हुई होंगी और हमारी ओर से भी हुई होंगी फिर क्या वजह है कि आन्दोलन की वजह से और उसका पर्दाफाश करने के लिए पहली मीटिंग हुई उसके ऊपर हमला किया गया । मैं समझता हूं कि अलवर के माननीय सदस्य इसको महसूस करेंगे कि इसका अगर हम जवाब देना चाहते तो दे सकते थे लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते थे । 'उस समय भी उसका जवाब दिया जा सकता था लेकिन यह स्थिति आप पैदा करना चाहते हैं । जो व्यूज में आप से सहमत नहीं है, जो आपके विरोधी हैं उनको आप सहन नहीं करके उनकी मीटिंगों को नहीं होने देना किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता । तो जो बात हम उस मीटिंग के जरिये करना चाहते थे, इस तरह से आप लोकतन्त्र को नहीं फासिस्टवाद को लाना चाहते हैं और यह आपकी इस तरह की बातों से साबित करता है ।

अध्यक्ष महोदय, केवल पार्टी की बात होती तो सदन में नहीं आती और हम बाहर ही निपट लेते, लेकिन खेदजनक बात है कि वहां पर पुलिस मौजूद थी और एक फर्लांग दूरी पर कोतवाली है और इस तरह से दंगा और फसाद होता रहे और वह देखते रहें, और, अध्यक्ष महोदय, उस समय कलेक्टर वहां नहीं थे वह कुछ देर बाद आये और बाहर गये हुए थे । वह घटना-स्थल पर आये और तब जाकर स्थिति पर थोड़ा काबू पाया गया । इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर जनसंघ के नेता श्री जीतमल वहां से थोड़ी दूर दुकान पर बैठ गये और वहां पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता गड़बड़ी कर रहे थे वह उनसे सलाह करके वहां गड़बड़ी करते रहे और उस मीटिंग में उन्होने खुले आम विध्वंस पैदा करने की कोशिश की । इसी प्रकार की शुरुआत विहार में की गई थी । कुछ दिन हमारी पार्टी मीटिंग नहीं करने देने की शुरुआत वहां से की गई । मुझे यह कहना है कि आज जरा हिम्मत करें विहार के अन्दर, वहां हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत करें । अभी तक यह हिम्मत नहीं पड़ रही है । अब चिल्लाते हैं। दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को डिफेन्ड करने में सक्षम हैं, लेकिन वह यदि अग्रेसर करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आपको प्रोटेक्ट करेंगे । इस तरह से लाठियां, पत्थर-बाजी और गुण्डागर्दी करने की कोशिश करें तो हम पूरे तरीके से अपना संरक्षण करेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विधान सभा में कांग्रेस के बहुमत के आधार पर ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवस्था घंटी)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पार्टी से पार्टी बात भी करना चाहती है, इस सदन में सब पार्टियां मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी के तौर पर इस सदन में कहना चाहता हूं कि इस सदन में सब पार्टियां मौजूद हैं। हम इस बात में विश्वास करते हैं...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ... और यहां वह पार्टियां भी हैं जो कि जय प्रकाश जी के आन्दोलन का समर्थन कर रही हैं और वह पार्टियां भी मौजूद हैं जो कि उसकी मुखालफत कर रही हैं। जयप्रकाश जी के आन्दोलन का समर्थन करने वाली जो भी मीटिंगें वहां पर आज तक हुई हमने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया और इस प्रकार का मामला न अखबारों में आया होगा और न यहां पर ही आया होगा...

श्री भानुकुमार शास्त्री : खूब आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ...और वह इस प्रकार की बात करते हैं प्रजातंत्र के बारे में ढोल पीटने की बातें करते हैं...

श्री अध्यक्ष : टू दी पाइन्ट कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इस बात की शुरूआत करें तो उसका नतीजा केवल अलवर तक नहीं रहेगा। उसका नतीजा सारे राजस्थान के अन्दर आयेगा और इस तरह की स्थिति पैदा होगी कि यहां टकराहट पैदा होगी, झगड़े होंगे और सड़कों पर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव पर ही कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को कि राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि हर पार्टी को जो उसको संविधान के अन्दर उनको अधिकार प्राप्त हैं उनकी रक्षा की जाये। हमारी सरकार की ओर से उदासीनता, इस प्रकार की जो उदासीनता दिखाई गई है और मुझे यह आश्चर्य है कि उसके अन्दर पुलिस के स्थानीय आफिसर्स की कुछ हमदर्दी या सांठगांठ हो सकती है जिसकी वजह से यह स्थिति है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से तुरन्त कार्यवाही की जाकर यहां पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाये और माननीय अध्यक्ष महोदय आप आग्रह करें कि सरकार वक्तव्य देने के बारे में कम से कम आश्वासन दे और साथ ही सरकार यह आश्वासन दे कि आगे किसी भी पार्टी की मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। यह हमारी दलील का वजह है जिससे जनता तक हमारी बात पहुंचती है। उसमें इनको क्यों दिक्कत होती है? दलील जब खत्म हो जाती है तब इस प्रकार से लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से इस पर शीघ्र वक्तव्य होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के बारे में...

श्री अध्यक्ष : उनके एलीगेशन को किसी ने एक्सेप्ट तो किया नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, इनको भी बोलने दें, हम भी बोलेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह मान्यता है कि संवैधानिक परम्पराओं से कोई भी दल मीटिंग करे और अपनी मीटिंग सुचारू रूप से चलाये और उसके अन्दर कोई विघ्न डालता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले माननीय रामानन्दजी ने स्वयं सदन में कहा था और उसका उत्तर श्री पूनम चन्द जी विश्नोई ने दिया था जब इन्होंने कहा कि आपको चाहिए और हमें चाहिए कि सड़कों पर चलकर हम इसका निपटारा करें। मुझे आज इस बात की खुशी है कि श्री रामानन्द जी इस बात को समझ गये कि जो श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने कहा था कि सड़कों पर निपटारा करने की बात लोकतंत्रीय परम्पराओं के विरुद्ध है और इसको कम से कम कांग्रेस दल एडाप्ट नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट दल करना चाहे तो उसकी बात अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर की मीटिंग में जय प्रकाश जी के बारे में यह कुछ भी कहें मुझे आपत्ति नहीं है। कारण इसका यह है कि जय प्रकाश जी के बारे में या डांगे के बारे में या अटल बिहारी जी के बारे में या इन्दिरा जी के बारे में जब हम जनतंत्र में रहते हैं तो दो मत निश्चित रूप से हो सकते हैं। पटना में कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और दिल्ली के अन्दर श्री जय प्रकाश जी के नेतृत्व में 10 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया और लोक सभा के अन्दर एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। यह सारे के सारे संवैधानिक तरीके हैं और इनके लिए हमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि हमने सदन में आकर जो भी जानकारी की और पता लगाया तो पता लगा कि जिस समय मीटिंग में जय प्रकाश जी के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहे गये तो विद्यार्थियों ने वहां पर आब्जेक्शन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात को ठीक नहीं समझता कि इस तरह से वहां आब्जेक्शन किया जाये लेकिन उसमें जनसंघ को घसीटना और आर. एस. एस. को घसीटना और कहना कि जनसंघ के अध्यक्ष श्री जीतमल जी दुकान पर बैठे हुए आदेश दे रहे थे और ऐसा लगा जैसे रामानन्द जी की बात से कोई वाटरगेट जैसा तरीका था जिससे वह सारे के सारे आदेश सुन रहे थे। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को इस प्रकार से लेना उचित नहीं लगता।

एक माननीय सदस्य : वे विद्यार्थी कौन थे बतायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह सर्वमान्य जानकारी सबको है और भारत इसमें अपवाद नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी जनतंत्र में विश्वास नहीं करती।.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत है। "दिस इज ब्लण्डर"।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह आपका मत हो सकता है। वरना सारे संसार में सर्वमान्य रूप से कहते हैं कि जनतन्त्र में उनका विश्वास बिलकुल नहीं है।

श्री दीपंकर । आप कसे आये हैं यह तो बतायें ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब विषय में आपको बोलना आवश्यक है क्या ? कोई भी विषय हो आप बोलेंगे ।

श्री दीपंकर : समय बरबाद कर रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है । हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का यह आरोप है कि आर. एस. एस. या जनसंघ के जीतमल जी द्वारा कोई आदेश दिये जा रहे थे तो यह आरोप बिलकुल निराधार है । इनकी मीटिंग बिहार में हुई और कोई लोकसभा के सदस्य आये और जब लोकसभा में बहस चल रही थी मोहन धारिया बोल रहे थे और वहां पर भी खड़े हो गये यह दूसरी बात है कि उन्होंने अपने तरीके से उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और स्पीकर महोदय ने उनको अलाऊ नहीं किया और कांग्रेस के सदस्यों ने मोहन धारिया को बहुत शांति से सुना और कांग्रेस के ही बहुत से सदस्यों ने मोहन धारिया को क्लेपिंग दिया, सब प्रकार से स्वागत किया यह दूसरी चीज है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह भी गलत है । कांग्रेस वालों से क्लेपिंग नहीं किया जनसंघ वालों ने किया था ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं वहां लोकसभा में स्वयं मौजूद था मोहन धारिया का जो बयान हुआ उसका लगातार कांग्रेस वालों ने स्वागत किया ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल रामधन एम.पी. ने किया और एक अन्य एम.पी. कोई थे ।

(लगातार व्यवधान जारी-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप कहां अलवर से दिल्ली चले गये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो ये होनोलूलू पहुंचने वाले हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : कांग्रेस के लोगों ने क्लेपिंग किया और कम्युनिस्ट लोगों ने इण्टरफियरेंस करने की कोशिश की उसके अलावा किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, किसी एम. पी. ने यहां तक प्राईम मिनिस्टर ने भी ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मोहन धारिया के बारे में You should see what is written there on the wall....

श्री अध्यक्ष : Are you speaking on Mr. Dharia here ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे हमदर्दी नहीं मिलने वाली है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा । आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जनता के लाखों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर समर्थन दिया है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चैलेंज करता हूं कि धारीया के साथ किसी की हमदर्दी नहीं, अगर कोई हो तो उठ कर बता दें।

(निरन्तर व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ...

श्री मूलचन्द सामरिया : (अश्रव्य)

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हाथ उठवाने का मसला तो अध्यक्ष महोदय, आपका है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यहां किसी को मोहन धारिया के प्रति किसी की हमदर्दी है या नहीं, किसी प्रकार की सहानुभूति है या नहीं यह प्रदर्शित करने का प्रश्न नहीं है This is the time when you are rewarding the corruption and putting on premium in undermining the democracy.

इस बात का चलेंजिंग किया था जब मोहन धारिया ने कहा कि जो आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था....

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, कहां से कहां पहुंच गये ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : कहां से कहां पहुंचने का प्रश्न नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। वहीं पहुंचा हूं अध्यक्ष महोदय, जहां सबको पहुंचना है।

श्री अध्यक्ष : वह समय अभी नहीं आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके लिए आ गया है साहब।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मैं यह कह कर समाप्त कर रहा हूं एक बात कि रामानन्दजी ने यह कहा कि हम ऐसी स्थिति सारे राजस्थान में पैदा कर देंगे, उनको आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। अलवर में स्थिति पैदा हो सकती है और उनको सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाय, आर. ए. सी. भेज दें, बी. एस. एफ. भेज दें, पुलिस फोर्स भेज कर प्रोटेक्शन दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी यदि आर. ए. सी. वहां पर भेज कर डिप्लोमा करवा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जनता की भावनाओं का, जनता के विचारों का प्रश्न है क्या उनको पुलिस के जवान रोक सकते हैं, क्या दमन से उनको रोक सकेंगे, क्या जयप्रकाश की आवाज को पुलिस से रुकवा सकेंगे, इस पर विचार करना होगा। आज देश का महान नेता जनता के उसूलों को लेकर खड़ा हुआ है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो जनता ही रोक देगी। यह आपका जोधपुर का अनुभव है, हमारी कांफ्रेंस में आप लोगों ने चैलेंज दिया था, आपके बनेसिंह ने जोधपुर में चैलेंज दिया था कि कम्युनिस्टों ने वहां आह्वान किया तो जवाब देंगे। हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं मांगा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी वहां पर आकर डिस्टर्ब करने की।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री गुमानमल लोढा : मैं समाप्त करता हूं। न तो हमने जोधपुर में आपका आह्वान किया और न बनेसिंह ने सी. पी. आई. के साथ मिलकर जोधपुर बन्द का आह्वान किया और न 2 तारीख को बन्द का आह्वान किया। हमने कभी आपका आह्वान किया भी नहीं और आह्वान करते भी नहीं हैं। हम तो वैधानिक तरीके में विश्वास करते हैं और उसी पर चलते हैं। हम आपकी उस नीति में विश्वास नहीं करते कि कांग्रेस के अन्दर घुसकर उसी को खत्म करना चाहते हैं। जनता को ही निर्णय करना होगा लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि आप सड़कों पर मिलना चाहते हैं जो आप जिस अवसर पर चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे और राजस्थान के अन्दर किसी भी जगह चाहते हैं तो मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट....

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट....

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट का समय चाहता हूं। मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया था....

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को 1 जीप पुलिस की जिसका नम्बर 1410 था वह 7 मार्च की शाम को ठीक सात बजे जा रही थी। उसमें कुछ छात्र और बैठ गए जो उस ड्राइवर को कह रहे थे कि सिनेमा चलना है। वो ले गया। कोई बीच में तांगा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं और ड्राइवर शराब में धुत्त था और धुत्त होने के कारण एक धर्म स्तूप से टकरा गया। एक की जान चली गई, कुछ पत्रों में दो की जान चली गई यह लिखा है और कई लोग घायल पड़े रहे। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी दुर्घटना के बाद जिस चूरू की पुलिस के बारे में हमने यहां प्रतिदिन चर्चा की, यह दशा हो गई कि भूतपूर्व पार्षद ने पुलिस में रिपोर्ट की कि इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है, घायल जमीन पर पड़े हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाना है लेकिन पुलिस की गाड़ी तक वहां नहीं गई। कोई देखने को नहीं गया कि कोई लाश पड़ी है, घायल पड़े हुए हैं उनको उठाकर कौन ले जाएगा। अन्ततोगत्वा लोगों ने उन घायलों को अस्पताल भिजवाया। एक एस० ई० की जीप में उनको पहुंचाया। तो ऐसी निकम्मी पुलिस जिसका विश्वास जनता खो चुकी है और जनता अपने आपको असुरक्षित पाती है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू के अन्दर जो पुलिस का एक राज बना हुआ है उस पुलिस राज्य का एक अनोखा उदाहरण आपके सामने पहले दंगों में आया था, उन्होंने निरपराध लोगों को पीटा था और पीटने के बाद उन्होंने इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि मुझे एक अंश मात्र भी संदेह हो गया तो वहां से हटा दूंगा लेकिन संदेह के बजाय वहां पर तो घटना चक्र चल रहा है फिर माननीय मुख्य मंत्री वहां की पुलिस को

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हटाने को तैयार नहीं है। मैं सदन के माध्यम से आज गृह मंत्रालय को, मुख्य मंत्री को और गृह मंत्री को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देंगे तो यह पुलिस का दमन चक्र केवल चूरू में ही नहीं बल्कि सब जगह बढ़ता हुआ चला जाएगा। सब जगह पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन जाएगी और जनता भी इनको रक्षक की जगह भक्षक समझेगी। वह समझेगी कि यह भला करने की बजाय नुकसान करने वाले मौजूद हैं। तो मैं कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बड़े 2 पोस्टर लगा रखे हैं कि May I help you ? तो इसके बजाय यह पोस्टर लगा लें May I crush you ? इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी बैठाई जाय कि वहां पर इस प्रकार की घटना कैसे घटित हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जीप किसकी थी, किसने किसको क्यों दी और समय पर घायलों को नहीं पहुंचाने का उत्तरदायित्व किसका था, यह सब रेसपोंसिबिलिटी फिक्स-अप करने के लिए राज्य सरकार सदन के अन्दर वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : यस नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो राजस्थान में पावर की शोर्टेज हुई उस संबंध में है। राजस्थान में पहले पावर सरप्लस थी उस समय कई उद्योग यहां पर लगना चाहते थे लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता से लग नहीं पाये। जब राज्य सरकार ने राजस्थान में सरप्लस पावर का उपयोग नहीं किया तो राज्य सरकार ने इस सरप्लस पावर को दूसरे अन्य राज्यों में दे दिया। मेरा निवेदन करना है कि इस कदर पहले उद्योग लगे नहीं, आप अब लगाना चाहेंगे तो लग पायेंगे नहीं क्योंकि सरप्लस पावर दे दिया। इसलिये निवेदन करना है कि यों तो राज्य सरकार बहुत सी बातें कहती हैं लेकिन पावर ट्रिपलिंग मार्च 74 से एक घण्टे से लेकर 169 घण्टे तक हुआ है। राजस्थान के कारखाने ठप्प होने लगे हैं और राजस्थान के उद्योगों की जो स्थिति है वह अब बिल्कुल खड़खड़ा गई है। मेरा निवेदन करना है कि आज बड़े 2 कारखाने ले ऑफ करने की स्थिति में पहुंच गये है। जयपुर का औद्योगिक क्षेत्र है उसके वहां पर जितने कल-कारखाने हैं उसमें आज यह घोषणा की गई है कि दिन को दो बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक ट्रिपिंग होगा। यह तो घोषित है लेकिन बिना घोषणा के ही कितना ट्रिपिंग हो रहा है इस पर राज्य सरकार ने गम्भीर रूप से विचार नहीं किया है कि इससे कितना नुकसान उद्योगों को हो रहा है। यह तो गत अगस्त से रोजाना ट्रिपिंग हो रहा है। सरप्लस पावर तो दूसरे राज्यों को दे दिया है और आज बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे राजस्थान के जो मजदूर हैं। उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और जो मजदूरों के सामने आज रोजी और रोटी का प्रश्न हो गया कि वह अब नसीब होगी कि नहीं, यह प्रश्न खड़ा हो गया है। यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो पिछले दिनों विद्युत विभाग को जो कहा था कि नियन साईनबोर्ड नहीं जलेंगे लेकिन आज जयपुर शहर में आप कहीं भी घूम जायं, स्थान 2 पर नियन साईनबोर्ड जल रहे हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं समझता हूं कि सरासर राज्य सरकार की घोषणा का खुला उल्लंघन बाजार में हो रहा है। यहां का जयपुर का मेटल कारखाना, कमानी का कारखाना, जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स इन सबकी हालत खराब हो रही है। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक मिनिट की त्रुटि के कारण 45 मिनिट का उत्पादन में नुकसान हो रहा है। इससे उत्पादन को धक्का लगा है। अलवर में कारखाने खोलने की घोषणा की गई थी इस घोषणा के उपरान्त भी विद्युत विभाग वहां पर बिजली नहीं दे रहा है। प्रत्येक उद्योग का 12-12 लाख का खर्चा हो गया.......

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हालत यह है अध्यक्ष महोदय, चाहे बड़े उद्योग हों, चाहे छोटे उद्योग हों, उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। मेरा निवेदन करना यह है अध्यक्ष महोदय, कि एक मिनिट की पेरेलेनिंग में लाखों रुपया का नुकसान होता है। यहां पर जो कारखाने लगने वाले थे उनको भी आपकी आज्ञा के बावजूद उसका उल्लंघन कर, बिजली विभाग ने बिजली नहीं दी है। वे अपने उद्योगों के लिए जेनरेटर सेट्स लगाने को तैयार हैं.......

श्री अध्यक्ष : क्या आप इण्डस्ट्रीज का सर्वे कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : परन्तु उस पर भी ऐतराज खड़ा कर दिया है कि अलग से आप जेनरेटर सेट्स नहीं लगा सकते। आप लोगों को सस्ती बिजली नहीं दे रहे हैं और दूसरी ओर जेनरेटर सेट्स लगाने पर भी आपका विद्युत विभाग रोड़ा अटका रहा है तो मेरा निवेदन करना है कि इससे राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो गया है। इससे राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है, मजदूरों को नुकसान हो रहा है और इस प्रकार से मजदूरों का भविष्य अन्धकार में चला गया है। राज्य सरकार का इस स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया है। यह अहमियत का प्रश्न है। गत बजट सत्र में भी कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे.......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाये। जैसे अकाल की समस्या, उसी तरह से आज विद्युत की समस्या राजस्थान में उत्पन्न हो गई है और एक एक करके उद्योगों का विकास बंद होता जा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार यह कह रही है कि बिजली हमारे पास सरप्लस है और दूसरी ओर राज्य के लोगों को, उद्योगों को, बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए राज्य सरकार को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिये। राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को मन्जूर किया जाय ताकि सदन के माध्यम से इस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कहा है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही सीरियस बात है। बिजली एग्रीकल्चर परपज के लिए दिये जाने के कारण इन्डस्ट्रीज को नहीं दी जा रही है और इसलिए आज कई इन्डस्ट्रीज बंद है। दूसरी ओर आल इन्डिया पैमाने पर, इंडियन एक्सप्रेस में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि राजस्थान सरप्लस बिजली देने के लिए इन्कार कर रहा है। इसी तरह से केन्द्रीय सरकार के किसी प्रवक्ता ने बयान दिया है। इसलिए इस विषय में कोई नीति वक्तव्य राज्य सरकार का होना चाहिए। एक तरह से आल इंडिया लेविल पर एक गलत प्रचार राजस्थान के बारे में हो रहा है कि राजस्थान में सरप्लस बिजली है और राजस्थान सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि राजस्थान के पास सरप्लस बिजली है और राजस्थान सरकार उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है और उसको बाहर देना भी नहीं चाहती है जैसा कि हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। दूसरी ओर हमारे उद्योग धंधे भी सफर कर रहे है और जिन उद्योगों ने लाइसेन्स ले लिए है वे बड़े सन्देहावस्था में है कि हम उद्योग लगावें या नहीं। जैसा अभी अलवर का जिक्र किया गया, वहां के इन्डस्ट्रीयलिस्ट बिजली के बारे में मुझे मिले थे। वे यह सोच रहे है कि पैसा लगावें या नहीं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय भी यहां पर मौजूद हैं, उन्हें इस सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिए ताकि हमारे प्रान्त के सम्बन्ध में जो गलत धारणाएं पैदा की जा रही हैं, या फैल रही है, उसका निराकरण हो सके और हमारे उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली मिल सके। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जल्दी से जल्दी वक्तव्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय और विद्युत मंत्री महोदय ने इस सदन में यह कहा था कि पेरेलेलिंग लाइन जोड़ने से हमारे राज्य की विद्युत पर, उद्योगों व कृषि पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात को गलत साबित करना हूं। उन्होंने सदन में गलत बयानी की है और सदन के सदस्यों को गुमराह किया है। उनके द्वारा गलत बयानी ी जाने के कारण एक प्रस्ताव लाये जाये, करीब करीब यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। इस मामले पर मंत्री महोदय को गंभीरता से विचार करना चाहिये। आज गांवों को बिजली नहीं मिल रही है। उद्योग भी बंद है। दो-तीन दिन से जयपुर और आस पास के क्षेत्रों में यह स्थिति पैदा हो गई है कि कारखाने एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं। चाहे वह बाल बियरिंग का कारखाना हो, चाहे कमानी का कारखाना, चाहे वनस्पति घी के कारखाने हों। वनस्पति घी के कारखाने चार, पांच दिन से बंद हैं। कुओं को भी बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है। खेत में फसल पकने को आ रही है, उसे एक दो पानी की जरूरत है किन्तु बिजली नहीं मिल पा रही है सवाई माधोपुर जिले के उद्योग धन्धे भी बंद हो रहे हैं। टेलिफोन एक्सचेंज की हालत आज यह है कि 4-5 दिन से टेलिफोन नहीं मिल पा रहे हैं। वहां पर बिजली नहीं है। टेलिफोन लाइन खराब

(श्री मीठालाल)

हो रही है। यही हालत आज जयपुर की भी पैदा हो गई है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली फेल हो गई है। टेलिफोन बंद है, कारखाने बंद है। फिर आप किस तरह से उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं। किस प्रकार उद्योग उत्पादन बढ़ावेंगे। किस प्रकार आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। बेकारी की समस्या आने वाली है। इस पर सरकार गंभीरता से सोचे और इसका कोई हल निकाले। एक तरफ कहते हैं, सरप्लस है, बिजली ज्यादा है, एक तरफ कहते हैं हम बाहर नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कारखाने बंद हो रहे हैं। यह स्थिति है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए मंत्री महोदय को एक वक्तव्य इस सदन में देना चाहिए और इस मामले पर शीघ्र कदम उठावे और सदन को विश्वास में लें। इसको गंभीरता से लिया जाये और एक दो दिन में ही सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता की तरफ से कह दिया गया है....

श्री केशरीमल : एक पाइन्ट रह गया है........

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर हर एक को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आपके दल का दृष्टिकोण आपके दल के नेता ने कह दिया है...

श्री केशरीमल : मजदूरों का नुकसान हो रहा है.... (शोरगुल.... कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष : तीन तीन माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं.... (शोरगुल).... आपके दल का दृष्टिकोण प्रस्तुत हो गया है। जब कभी इस प्रस्ताव पर डिसकसन हो तो आप कहें ..

श्री केशरीमल : गवर्नमेंट तो बोल नहीं रही है। मजदूरों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट के बोलने की स्टेज आती नहीं है .. (शोरगुल)

श्री केशरीमल : गवर्नमेंट अपना बयान दे.... कारखाने बंद हो ही रहे हैं... (शोरगुल) यह गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। यह सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करे।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, आप आदेश फर्मा दें ताकि मंत्री महोदय अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उत्तर मैंने पूछा है। गवर्नमेंट की ओर से उत्तर आ जाए तो मैं निर्णय कर दूंगा.... (शोरगुल) इसके पहले कोई उत्तर देना, व्यवस्था देना, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अहमियत का प्रश्न है।

(शोरगुल)

Page No 51

(51)

श्री अध्यक्ष : Don't create confusion.

आप माननीय सदस्य, प्रोसीजर को जानते हैं। इस पर बोलने का यह तरीका नहीं है। काल अटेन्शन पर डिसकसन के लिए चेम्बर में निर्णय होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए आप आदेश फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस वक्त कोई व्यवस्था नहीं दे सकता जब तक कि मेरे पास गवर्नमेंट की ओर से उत्तर न आ जाए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गंभीर प्रश्न है।.... (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैंने ना नहीं कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप व्यवस्था दे दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि यह प्रश्न सत्र के प्रारम्भ होने के दूसरे दिन को किसी रूप में आ गया था। उस समय सदन की भावना यह थी कि यह इन्टर-स्टेट मामला भी है और केन्द्र और राज्य का मामला भी है, और राज्य के सारे उद्योग ठप्प हो रहे हैं और आपने कहा था कि जानकारी ली जा रही है तो....

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष, यह सब बोल रहे हैं उसी प्रश्न पर और हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो....

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो आपसे निवेदन है कि जानकारी ली जा रही है तो जानकारी लेकर आप कृपा करें एक दो रोज में सदन में डिसकशन हो जाय और सबको पता लग जाय कि बिजली की स्थिति क्या है, इसमें केन्द्र का क्या सम्बन्ध है और हरियाणा और पंजाब का क्या संबंध है, यह व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : लिखा हुआ है मैं स्वयं इसको समझता हूं। श्री दीपंकर।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

ग्राम मंगलपुरा के ग्रामीणों की पुलिस द्वारा पिटाई के संबंध में

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत मैं तथा माननीय सदस्य श्री हाण्डा, लाडनूं के पुलिस थाने के सिपाहियों और डीडवाने के सी० ओ० द्वारा ग्राम मंगलवाड़ा के ग्राम चौक में तथा लोगों के घरों में घुसकर ग्रामीणों गई पिटाई तथा घिसाई के बारे में उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय; ग्राम मंगलपुरा, तहसील लाडनूं के श्री बलदेवराम पुत्र श्री मनरूपराम माली ने आबादी भूमि तथा गैर मुमकिन भूमि खसरा नं० 1688 जो राव तालाब के पूर्व दिशा में है—के ऊपर कुछ वर्षों से शनैः शनैः अनधिकृत कब्जा कर लिया और पक्की दीवार बनाई तथा दीवार के उत्तरी किनारे पर एक कमरा भी निमित किया एवं बाकी उत्तरी-पश्चिमी भाग में तार व कांटों की बाड़ बना दी। तारीख 31-1-75 को पटवारी लाडनूं ने मौके पर पहुंच कर श्री बलदेवराम को अतिक्रमण न

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

करने के आदेश दिये और तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट की जिस पर तहसीलदार लाडनूं ने नोटिस जारी किया। इतना सब होने पर भी श्री बलदेवराम ने दिवाल बना ली।

बलदेवराम द्वारा किये गये अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक रास्ते अवरूद्ध हो गये जिस पर गांव के लोगों ने दिनांक 12-2-75 की रात में इकट्ठे होकर श्री बलदेवराम द्वारा इस भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटा दिया और उस पर निर्मित कमरे व दीवार को भी तोड़ दिया।

इस सम्बन्ध में बलदेव राम के लड़के श्री रामसिंह की रिपोर्ट पर मुकद्दमा नं० 14 दिनांक 13-2-75 धारा 147,447,341, 435,379 आई० पी० सी० थाना लाडनूं में दर्ज हुआ। पंचायत द्वारा (जिसमें ग्राम मंगलपुरा भी आता है) ने व अन्य गांव वालों ने यह कार्यवाही पंचायत के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक मार्गों की रुकावट एवं अतिक्रमण को हटाने के लिए करना बताया और पंचायत के प्रस्तावों का रेकार्ड इस सम्बन्ध में पेश किया जिसका समर्थन पंचायत द्वारा सर्व-सम्मति से करना पाया गया।

दिनांक 14-2-75 को श्री नरपतसिंह पुत्र बलदेवराम की रिपोर्ट पर कि गांव के पांचाराम, चांदूराम, नाथू व मोहन वगैरह ने उसके पिता बलदेवराम व उनके हाली बुद्धाराम को घेर रखा है व जान खतरे में है। थाना पुलिस लाडनूं के इन्चार्ज हैड कान्स्टेबल श्री मोहनसिंह ने मौके पर पहुंच कर उक्त चारों व्यक्तियों को धारा 151 सी०आर०पी०सी० में गिरफ्तार किया जो शान्ति-व्यवस्था कायम रखने एवं काबिल दस्तन्दाजी जुर्म के रोकने हेतु की। इस मामले का इस्तगासा धारा 107/117 सी०आर०पी०सी० में एस०डी०एम० डीडवाना की अदालत में जेर तजवीज है।

उक्त गिरफ्तारियों से रुष्ट होकर गांव के लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जिसमें एक कान्स्टेबल का हाथ टूट गया एवं दो हैड कान्स्टेबल व पांच कान्स्टेबलान के चोटें आई। इस झगड़े में कुछ गांव के व्यक्तियों के भी चोटें आई।

इस सम्बन्ध में श्री मोहनसिंह हैड कान्स्टेबल इन्चार्ज थाना लाडनूं की रिपोर्ट पर मुकद्दमा संख्या 15 दिनांक 14-2-75 धारा 147/148/149/307/395/353/332 आई०पी०सी० थाना लाडनूं में 27 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया जिसमें पुलिस की मिसलें जलाने, वर्दी फाड़ने व मारपीट करने आदि के आरोप हैं। इस मुकद्दमें में सी०ओ० डीडवाना श्री रतनलाल ने कुल 18 गांव वालों को दिनांक 15-2-75 को गिरफ्तार किया जो जमानत पर रिहा हैं। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा कुछ घरों में पूछताछ हेतु जाना औरतों से पूछताछ करना एवं बच्चों एवं औरतों को पीटने के आरोप लगाये हैं।

सर्वश्री पांचाराम, विजयसिंह एवं श्रीमती सुन्दरी की ओर से उनको मारपीट करने आदि के आरोप पर आधारित इस्तगासे अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डीडवाना में प्रस्तुत किये गये हैं जो जेर तजवीज अदालत हैं। गांव मंगलपुरा के जिन व्यक्तियों के चोटें आना चोट प्रपत्रों से ज्ञात हुआ है। उनके नाम सर्व श्री (1) पांचीराम पुत्र नाम नागाराम माली साकिन मंगलपुरा

(श्री गुलाबसिंह)

(2) विजयसिंह पुत्र पांचीराम मंगलपुरा (3) चान्दमल पुत्र हुक्माराम माली मंगलपुरा (4) मोहनाराम पुत्र कुम्भाराम मंगलपुरा (5) नानूराम पुत्र मंगलाराम मंगलपुरा।

जसूराम माली की मृत्यु पुलिस की पिटाई के फलस्वरूप नहीं हुई बल्कि उसकी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण दिनांक 19-2-75 को हुई है। उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट बाबत मारपीट के पेश नहीं हुई और न उसका पोस्टमार्टम कराया गया। जसूराम की मृत्यु में कोई संदेहात्मक बात दृष्टिगत नहीं हुई। रमणी नाम की किसी महिला की पिटाई नहीं की गई। भंवरी पत्नि रमणा बलाई से यह बात मालूम हुई कि पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति उसके घर में मुल्जिमान की तलाश में गया जिस समय यह महिला प्रसव पीड़ा में थी और उसके थोड़ी देर बाद बच्चा पैदा हुआ। भंवरी से पुलिस द्वारा मुल्जिमान के बाबत पूछताछ अवश्य की गई किन्तु उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

पुलिस ने बलदेवराम के प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि काबिल दस्तन्दाजी जुर्म की रिपोर्ट पेश होने पर मुकद्दमें दर्ज कर तफतीश की है।

पुलिस अत्याचारों से ग्राम मंगलपुरा खाली होने की बात ठीक नहीं है। गिरफ्तारी के भय से भयभीत होकर कई लोग अपने घरों से फरार हो गये। लाडनूं तहसील में आतंक फैलाने की बात भी ठीक नहीं है।

स्थानीय पुलिस के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त होने पर उनसे निष्पक्ष तफतीश की आशा नहीं है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस घटना से सम्बन्धित मुकद्दमें अपराध अनुसंधान शाखा को तफतीश के लिए सुपुर्द कर दिये गये हैं। श्री रतनलाल तत्कालीन सर्कल आफिसर का तबादला कर दिया गया है और पुलिस के व्यवहार के विषय में डी०आई०जी० रेंज जोधपुर को जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत से तथ्यों को, जो कि रेकार्ड के ऊपर मौजूद हैं गलत रूप से प्रस्तुत किया है। पंचायत का फैसला और यह पंचायत का रजिस्टर बाकायदा मेरे पास मौजूद है......

श्री मीठालाल मीणा : ओरीजिनल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ओरीजिनल क्योंकि 4-2-75 को बाकायदा फैसला हुआ है। वह प्रार्थना पत्र भी मेरे पास है....

श्री मीठालाल मीणा : दीपंकरजी ने लाकर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह प्रार्थना-पत्र भी मेरे पास मौजूद है जो ग्राम पंचायत को 16-1-75 को दिया है.........जिसमें 65 ग्राम निवासियों के दस्तखत हैं, वह एक खस्ता हाल के अन्दर है, यह प्रार्थना पत्र सदन देख सकता है। माननीय मंत्री का कहना यह है... ...

एक माननीय सदस्य : विरोधाभास है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 12 तारीख को गांव वालों ने खुद जबरदस्ती उस नाजायज कब्जे को तोड़ दिया, जो इस बात से

Page No 54

(54)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गलत साबित हो जाता है कि बाकायदा पंचायत के आदेश के बाद गये हैं, तहसीलदार के आदेश के बाद गये हैं। तहसीलदार का आदेश, आप चाहें तो मैं सदन में बता दूं। ग्राम के लोगों ने बाकायदा फर्द बनाई है, क्या सामान उठाया है, इसकी लिस्ट बनाई है, कौन कौन का कब्जा हटाया गया-यह सारी फर्द वगैरह मौजूद है। इसलिए कोई कब्जा जबर्दस्ती के साथ, धमकीबाजी से हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह मुकम्मिल लिस्ट है। छकड़े वाले को पैसा दिया गया है, 12-2-75 को जो सामान हटाया गया है वह बाकायदा हटाया गया है। उस पूरे के पूरे प्रतिक्रमण को हटाये जाने का आदेश है पंचायत का, उसके पहले तहसीलदार का बाकायदा आदेश मौजूद है। ग्राम पंचायत ने कहा है, जो कब्जा हटाया है इसका 4-2-75 का यह आदेश है, ग्राम पंचायत ने तहसीलदार को लिखा है, यह धरती ग्राम पंचायत के अधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इसलिये यह कहना

(म.प. 1-02 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि लोगों ने अपनी तरह से धांधा-धांधी करके कब्जा हटा दिया है और पुलिस में यह मुकदमा हो गया है, यह कागजात मुकम्मिल साबित दर्ज करते हैं कि यह बिल्कुल झूठ है। छकड़े वाले की रसीद मौजूद है, जो सामान हटाया गया है, उसके लिए उसको पेमेन्ट किया गया है। इसके विपरीत में, यह बता देना चाहता हूं, जिस तरह माननीय मंत्री महोदय, पुलिस की सुरक्षा कर रहे हैं, वह किसी प्रकार से नहीं कर पायेंगे मेरे पास एक हलफनामा सरपंच साहब का मौजूद है, और उसका बयान मौजूद है। बाकायदा एस. एच. ओ. द्वारा सरपंच को लिखा गया है, 14-2-75 को, आपके खिलाफ जेर दफा 147, 148, 149, 353, 355, 373, 341 आई. पी. सी. केस बलदेवराम ने दर्ज किया है। यह 26-2-75 को लिखते हैं, फिर खुद थानेदार साहब उस सरपंच से, इन सारी कार्यवाहियों के बावजूद यह लिखवाते हैं, बाध्य करके लिखवाते हैं, गैर मुमकिन भूमि, खसरा नम्बर 1688 के सम्बन्ध में......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई आदेश लिखित में नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो भूमिका आप बना रहे हैं इसके बारे में और माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसके अन्दर अन्तर लगता नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं, जिस तरह डिस्प्यूट को बताया गया है, जो डिस्प्यूट में बोन है, कन्टेन्शन है, जो सरकार की तरफ से बतलाई गई है, और वही आप बतला रहे हैं। बाकी जो फेक्ट्स हैं उनके बारे में कहना चाहें तो कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सबसे बड़ा फर्क यह है, माननीय मंत्री कह रहे हैं, 12

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

तारीख को घटना हुई, गांव वाले इकट्ठे हो कर गये और बलदेवराम को कब्जे से हटा दिया गया—यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं यह एस्टेब्लिश किया है, यह प्रान रिकार्ड है। दूसरे थानेदार फतेहसिंह सरपंच को जबर्दस्ती ले गया, सरपंच के साथ मार पिटाई की, सरपंच से अण्डर कोअर्शन, अण्डर प्रेशर, अन्डर एक्स-टेन्शन, अण्डर इन्टिमिडेशन यह लिखवाया, कोई आदेश पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। इतना बड़ा आफेन्स करने के बाद कोई कारण नहीं था कि थानेदार को तुरन्त सस्पेन्ड नहीं किया जाता। वह सरपंच, जिसका मुकम्मिल रिकार्ड है, एप्लीकेशन है, पंचायत का डिसीजन है, इसके बावजूद यह लिख देगा ? फिर सरपंच का एफेडेविट मौजूद है; जिसमें कहा है कि थानेदार ने अण्डर कोअर्शन, थानेदार ने अन्डर प्रेशर, थानेदार ने अण्डर डेंगर लिखवाया है कि उसकी पंचायत से आदेश जारी नहीं हुए हैं। उसके अलावा यह फैक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता, गांव वालों ने अपने तरीके से वह कब्जा हटाया। पुलिस ने बलदेवराम की मदद किस तरह की, वह स्पष्ट है। जिस तरह रमणी का प्रश्न है, महिला का प्रश्न है, जिसके बच्चा हुआ, माननीय मंत्री को कहते हुए सदन में झिझक होनी चाहिए कि एक आदमी खाकी वर्दी को पहिने महिला के घर में घुसा और उसको डराया धमकाया। वह खाकी वर्दी का आदमी कहां से पैदा हो गया; जब दूसरे घरों में सिपाही घुसे हैं, कांस्टेबल जा रहे हैं और 25 आदमियों को पीटा जाता आप खुद स्वीकार करते हैं, पांच कॉन्स्टेबल का शामिल होना आप स्वीकार करते हैं, तो कोई दूसरा आदमी खाकी वर्दी पहिन कर रमणी नाम की महिला के घर में गया और उसके एबोर्शन हो गया। मेरे पास में एक्स-रे रिपोर्ट है, जिसमें बताया है पांचीराम वगैरह के बोन फ्रेक्चर हुए हैं, सदन देखना चाहे तो वह बोन फ्रेक्चर की रिपोर्ट देख सकता है। और जितने केसेज दर्ज किये गये हैं वह सारे के सारे केसेज फाल्स एन्टर हैं। यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है, यह वास्त-विकता है कि 12 तारीख को कब्जा हटाते हैं, 13 तारीख को पुलिस वहां पहुंच जाती है और निर्ममता से पिटाई करती है। ऐसी कौनसी स्मार्ट पुलिस राजस्थान की हो गई कि एक पर्चा दर्ज हुआ और व्यक्ति विशेष ने पर्चा दर्ज किया और पुलिस का पूरा का पूरा कन्साइनमेंट मंगलपुरा गांव में पहुंच जाय। ऐसा क्या तूफान गांव में खड़ा हो गया था। जो आप तूफान कहते हैं, वह तूफान खड़ा नहीं होना और न किसी प्रकार का एनार्की होना पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं है कि आज तक गांव वाले गांव में वापिस नहीं पहुंचे हैं। कम से कम ऐसे पचास आदमी हैं, जिनके ग्रीविअस इन्जरी है। अनेक आदमियों के बोन फ्रेक्चर हुआ है। अनेक औरतें हैं, जिनमें रमणी का नाम विशेष रूप से है, जिसके अबोर्शन हुआ है। 19 तारीख को आपने सत्तर वर्ष के व्यक्ति से हार्ट फेल्योर से मृत्यु होना बताया है। पुलिस का एक तरह से रेजीमेन्ट हो जाय, पुलिस का अत्याचार इस तरह हो जाय कि लाउड स्पीकर लगा कर पिटाई करती हैं, वहां जिसकी आप हार्ट फेल्योर से मृत्यु होना बताते हैं, उसका पोस्ट मार्टम कराने कौन जाता ? कौन उसकी बात सुनता। 13 तारीख से दस दिन तक उस गांव में पुलिस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ताण्डव नृत्य करती रही, भयंकर अनार्की के नृत्य करती रही। ऐसे वक्त, माननीय मंत्री कहें कि उसका पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया। जबकि वह स्वयं स्वीकार करते हैं, टेरेराइज्ड लोग गांव में वापस नहीं पहुंचे हैं। ऐसे वक्त में पुलिस में रिपोर्ट कौन देने वाला है, कौन डाक्टर था जो रिपोर्ट देने वाला होता। मैं निवेदन करूंगा, सदन के अन्दर पुलिस के द्वारा किये हुए कुकृत्य, भयंकर अत्याचार के काण्ड आये है, लेकिन यह बहुत रोमांचकारी काण्ड है, जिसमें पुलिस ने पूरे के पूरे गांव को टेरेराइज कर दिया है, गांव को वैकेट करा दिया है। आज मेरा चैलेंज माननीय मंत्री स्वीकार करें, तो इस सदन के तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाय, जिसको आप मंगलपुरा गांव में ले जायें और मंगलपुरा गांव में आज भी पुलिस द्वारा किये हुए भयानक अत्याचार के चिन्ह होंगे, उनसे वह सारी बातों की जानकारी करें।

आप उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं पधारिये और मंगलपुरा गांव में इन्क्वायरी करिये। इस प्रकार की पुलिस एट्रोसिटीज हो जायं और उसके बाद आप एस. एच. ओ. का तबादला कर देवें। इस प्रकार आप जनता को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इस प्रकार आप डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार के अधिकारियों को प्रोटेक्शन देकर आप एन्टी फासिस्ट लड़ाई लड़ना चाहते हैं? आप फासिस्ट लोगों को जरूर प्रवोकेशन दे रहे हैं, हर तरह से प्रवोक हों और जन असंतोष को जाग्रत करें। इसके बाद चाहें नोखा का प्रश्न है, चाहे उदयपुर का प्रश्न, चाहे दूसरे प्रश्न हों, हर प्रश्न के ऊपर एक काम्प्लीसेन्सी राजस्थान सरकार में चलती चली आ रही है। मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन का समय जब मंत्री महोदय ने लिया था, तो मैं आशा करके चलता था, मंत्री महोदय सदन में घोषणा करें, सी. ओ. को सस्पेन्ड कर दिया गया है, थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया गया है, मानसिंह को सस्पेन्ड कर दिया गया है, यह सारे के सारे झूठे केसेज बनाये गये, उन केसेज को विथड्रा कर लिया गया है। और इसकी जुडिसियल इन्क्वायरी करायेंगे। आपने डी. आई. जी. को इन्क्वायरी के लिए अपाइन्ट किया तो डी. आई. जी. क्या निहाल कर देगा। क्या वह डी. आई. जी. अपने सबोर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपके पास इन्टेलीजेंस की रिपोर्ट आ गई है, वह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से तथ्यों को प्रस्तुत करती है, सारे तथ्य रिकार्ड से प्रस्तुत हो रहे है इसके बावजूद भी आपके सी. ओ. और थानेदार और एस. एच. ओ. के खिलाफ काग्नीजेंस न लें, उनको सस्पेंड न करें। उनको सस्पेन्ड करने में क्या दिक्कत हो सकती है। तुरन्त उनको सस्पेन्ड किया जाए और सारे कांड की जांच सदन के तीन माननीय सदस्यों द्वारा, जो आसन की ओर से डिक्लेयर करें, मौके पर जाकर कर लें और बाकी एन्क्वायरी आप कराना चाहें तो जुडीशियल एन्क्वायरी करायें ताकि पुलिस की एट्रासिटीज पर रोक लग सके।

श्री दीपंकर : जो कुछ भी घटना मंगलपुरा गांव में घटी, उस सिलसिले में मंत्री महोदय ने जो समय मांगा था तो मैंने जरूर आशा रखी थी कि शायद वह बाद में वस्तु स्थिति का अन्वेषण करवाएगी और किसी तथ्य पर पहुंचेगी। मैं निहायत अदब के साथ कहता हूं और मुझे अफसोस हो

(श्री दाधंकर)

रहा है कि सबसे पहले सरकारी स्टेटमेंट में यह न मानना कि जो वहां पर एन्क्रोचमेंट हटाया गया है, वह गांव वालों ने हटाया है। वह तो था ही परन्तु सरपंच मौजूद था या नहीं, रेकार्ड बता सकता है। पंचायत का सैक्रेटरी मौजूद था या नहीं, पंचायत की बैठक की कार्यवाही में लिखा गया है या नहीं। अगर वह बात नहीं बता सकते तो तीन दिन का समय लेकर केवल यह कहना कि कब्जा नहीं है, वह तो हरऐक आदमी देख सकता है कि गांव वालों ने हटा दिया मंगलपुरा गांव से 22।। बीघा जमीन बलदेवराम माली के कब्जे में रहती आई है। हमने देखा है। तहसील, म्यूनिसिपैल्टी और पंचायत बता रहा है लेकिन एक्शन न होने पर वह आदमी बढ़ता चला गया, यह कांड इसलिए हुआ है कि वहां पर लाडनूं ठिकाने का 60 वर्ष पहले का इमारती पट्टा था बैठने की देवारी थी, वह आबादी की थी। उस जगह पर पंचायत को अधिकार था तालाब से पानी लाने के लिए। रास्ता रुक गया इसलिए पंचायत ने कहा तहसील-दार बुलाओ। उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी कार्यवाही कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से करें। फिर 12 तारीख को पंचायत ने कब्जा हटाया। उसके बाद पुलिस ने साथ मिलकर कार्यवाही नहीं की। तो पुलिस को देखना चाहिए था कि केस रजिस्टर करने से पहले उनके पास में तथ्य क्या है। यह कह दिया गया कि बलदेवराम को मार दिया गया, उनके रिश्तेदारों को नुकसान पहुँचा दिया गया, उनकी तमाम प्रापर्टी को नुकसान पहुंचा दिया गया, उसका सबूत तो वे पेश करें। आप पुलिस थाने में कह दें कि फलां आदमी मेरी चीज ले गया तो पुलिस सबूत तो लेगी? पुलिस में न केस रजिस्टर हुआ है। महज मोहनसिंह नाम का मुन्शी है। 500 रुपये में मामला तय हुआ। उसने कहा कि डीडवाना सी० ओ० से बात करता हूं। सी० ओ० शाम को आ गये और पहुंचते ही एक लड़के को जो पत्थरों की गाड़ी भर कर जा रहा था क्योंकि पत्थर की खान पास में है, बलदेवराम के लड़के ने कहा कि यह भी है, इसको पकड़ो। पुलिस-वालों ने उसको मारना शुरू किया। गांव वाले आ गये। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आपको गिरफ्तार करना है तो ले जाओ, मारने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपकी तरफ से कहना कि वर्दी फाड़ दी गई, फाईलें जलाई गईं। वहां कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं दीखा जिसकी वर्दी फाड़ दी गई हो। यह बना-वटी मामला है। आज ट्रेजरी बेंचिज से मुझे निवेदन करते हुए महान शर्म अनुभव हो रही है कि मैं उस पार्टी की ट्रेजरी बेंचिज की ओर से बोल रहा हूं, जिस पार्टी की सरकार है, जो हमारी पार्टी की सरकार है, वह ऐसे पुलिस अधिकारियों को प्रोटेक्शन देना चाहती है जो भ्रष्ट हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सी० ओ० आए उसने 151 के तहत 4 आदमियों को गिरफ्तार किया और रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनकी हड्डी थाने में तोड़ी गई, उनकी भयंकर रूप से पिटाई की गई है मोहन सिंह के मारफत और कहा यह गया कि पुलिस के साथ मारपीट हो गई। रिजर्व पुलिस लाइन्स से फोर्स आ गई 40 सिपाही आए। उनको अनाप शनाप छूट दे दी गई, जिस तरह से बंगला देश में हुआ था, पाकिस्तान पुलिस को पूरी

(श्री दीपंकर)

छूट थी मारो लूटो चाहे इज्जत लूटो चाहे जिसको पीटो। उसी तरह से उस पुलिस को छूट दी गई, वह मंगलपुरा गांव में हर एक घर में घुसे और मनमाने काम किए। शर्म की बात है। यहां के सी०आई०डी० के डी०आई०जी० पधारे थे मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। सरपंच पेश हुआ। सरपंच को बार बार कहा कि गांव की पुलिस को बचाओ, थानेदार को बचाओ और मुझे भी कहा गया कि इनको बचाओ नहीं तो इसके बच्चे मर जायेंगे। हमने कहा कि उधर प्रजातन्त्र मर जाएगा। 19 तारीख को जोधपुर से सी० आई०डी० अधिकारी आया जांच के लिए और 25 तारीख की शाम को रवाना हो गया। फाइलें उसके पास थीं तो 26 तारीख को एफ० आई० आर० नं० 14 का हवाला देकर किसी तरीके से सरपंच के घर पुलिस वाले लेकर पहुंचे। सरपंच ने हलफनामा दिया है। यह सही है कि मेरे सामने एक आदमी से कहा गया कि आप सच बतायें कि डर के मारे हलफनामा दिया है या पुलिस पर एक्शन लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से पूछते हो तो हमको डराकर लिखवाया गया है। अगर पुलिस को बचाना है तो मुझ से मत पूछो। जहां पर बड़े बड़े पुलिस आफीसर्स पहुंचे, ऐसा वातावरण हो वहां के लिए सदन में यह बताया कि वहां पुलिस की पिटाई हुई, यह शर्म की बात है। कौन पुलिस की पिटाई कर सकता है। आज भी गांव खाली नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अभी मन्त्री महोदय मेरे साथ चलें और गांव में देखें, वहां पुरुष, औरतें और बच्चे उस गांव में मौजूद हैं। इस तरह की हालात पर इस तरह के वक्तव्य सदन में दिए जायं महज पुलिस को बचाने के लिए, यह ठीक नहीं है। एक तरफ हमारी पार्टी कहती है कि स्वतन्त्र रूप से विचार सदस्य रखें, डेमोक्रेसी को बचायेंगे। डेमोक्रेसी को खतरा है। दूसरी ओर नौकरशाही, लाल-फीताशाही, पुलिस के थानेदार, आफीसर्स और मुन्शी मुल्ले लोगों की पिटाई करते हैं, लोगों की इज्जत लूटते हैं। 19 तारीख को वह आदमी मरा है, उस दिन भी पुलिस मौजूद थी। आज भी पुलिस उस गांव में मौजूद है उस आदमी के कहने से मौजूद है। लोगों ने कहा हमारी जान और माल को खतरा है, पुलिस से निवेदन किया कि इन आदमियों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को मारा, मेडीकल एग्जेमिनेशन करवाया। उनको पुलिस ने कह दिया कि चले जावो नहीं तो सब को ठीक कर दूंगा। ऐसी हालत में कोई आदमी डाक्टर को बुलाने जा सकता है? कोई आदमी मंगलपुरा की अस्पताल में जा सकता है? यह बिल्कुल सत्य है मैं हलफ उठा कर कहता हूं कि मेरी बात सत्य है। इसके लिए जुडीशियल एन्क्वायरी बिठाई जाए। अगर मेरी बात असत्य हो तो मुझे सदन से निष्कासित किया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी मुकर्रर की जाए। अगर माननीय सदस्यों की कमेटी मुकर्रर नहीं कर सकते तो आप निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते। आप पुलिस अधिकारी को भेज कर दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए तरह तरह के कार्य कराते रहेंगे, डाक्टरों की रिपोर्ट को झूठा बतायेंगे, पंचायत का रेकार्ड आप झूठा बतायेंगे, आप कहेंगे कि पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई। पुलिस वालों का माथा खराब था कि पुलिस वाले उनको छोड़ दें,

(श्री दीपंकर)

क्या बात आप करते हैं ? मैं अधिक समय न लेकर अफसोस के साथ मन्त्री महोदय की राय से अपनी असहमति जाहिर करता हूं और साथ साथ ट्रेजरी बेंचिज पर चार्ज लगाता हूं कि इस पुलिस को बचाने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार जो यह कार्यवाही कर रही है वह शर्मनाक है और राजस्थान में अगर इस तरीके से हुआ तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। औरत जिसको बच्चा हुआ है उससे बात हुई है। सी०आई०डी० गई उससे पूछा पुलिस वालों ने कहां कहां पर क्या किया ? सासू ने कहा कि हमारी पिटाई की गई। फिर मुझसे सी० आई० डी० अधिकारी ने कहा कि बात तो सही है, पुलिस ने गड़बड़ तो की है। लोगों की हड्डियां टूट गई। थानेदार पिस्तोल दिखा कर सरपंच का अपमान करे, एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका तो आपने वक्तव्य में कुछ नहीं कहा और पुलिस के मुन्शी मुल्ले सारे मिलकर गांव वालों के साथ अत्याचार करें और उन पर आप एक्शन लेने को तैयार नहीं हैं या तो घोषणा करें कि आपकी ताकत नहीं है कि जिस अधिकारी ने जुर्म किया है उसको सस्पेन्ड करे। और यह सत्य है उपाध्यक्ष महोदय कि ट्रेजरी बेन्चेज पुलिस वालों को बचाने के लिए बिल्कुल असत्य बोल रही है। और मन्त्री महोदय जो रिकार्ड की बात करते हैं उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी एक कापी मेरे पास भी है। यह तो रिकार्ड तैयार कराया जाता है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने वहां पर बुरी तरह से अत्याचार किया है, गांव वालों पर जुर्म किये हैं। मैंने जब मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही की जावेगी। इसलिये आपने यह किया है लेकिन इसमें बिल्कुल मनगढ़न्त और फर्जी रिपोर्ट दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय पुलिस वालों से आप कहीं की भी इन्क्वायरी करालें चाहे वह चूरू की बात हो, चाहे अलवर का मामला हो चाहे लाडनूं के मंगलपुरा ग्राम की बात हो पुलिस वाले तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सारा केस ही बदल देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय वहां पर लोगों को थानेदार ने हैड कान्सटेबल ने आकर कहा कि आपको डी० आई० जी० साहब ने बुलाया है। जब वहां पर मैं गया तो वहां पर एस० पी० ने और डी० आई० जी० ने कहा कि हमने तो आपको नहीं बुलाया है। वहां पर जो हमारे रिश्तेदार है उनको बदमाश साबित करना चाहते हैं। वहां पर सारा मामला पोलिटिकली मोटिवेटेड बनाया गया है। आपने जो इन्क्वायरी कराई है यह सभी फर्जी की गई है। और इसके लिये मेरा चार्ज है पुलिस थानेदार पर, मेरा चार्ज है वहां के मुंशी मुल्लाओं पर कि यह सारी की सारी इन्क्वायरी झूठी है और वे लोग दोषी हैं...

एक माननीय सदस्य : मेरा चार्ज है मुख्य मन्त्री पर...

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पुलिस वालों को बचाने के लिये तथ्यों को छुपाया है उन्हें तोड़ मरोड़ कर पुलिस वालों को बचाया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार पुलिस वालों को किस तरह से बचाती है। उपाध्यक्ष महोदय पुलिस को इसलिये बचाती है कि राज्य सरकार को भय है कि कहीं पर अगर हमने पुलिस वालों के खिलाफ में एक्शन लिया तो यह पुलिस

(श्री दीपंकर)

वाले हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारा राज्य किस प्रकार चलेगा। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय को निवेदन है कि आप इन पुलिस वालों का भय छोड़ दीजिये और इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार एक ज्युडिशियल कमेटी बैठाये जो इसकी न्याय पूर्ण जांच करे या इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बैठाये जो कि इस सारे कांड की जांच करे। ताकि जो दोषी व्यक्ति हों उन्हें दण्ड दिया जा सके। नहीं तो इस तरह से जो राज्य सरकार इन्क्वायरी कराती है वह असत्य, गलत और फर्जी रिपोर्ट पुलिस की सांठ गांठ से बनाई जाती है इसलिये इस रिपोर्ट को मैं सही नहीं मानता हूं मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र इसके लिये ज्युडिशियल इन्क्वायरी मन्त्री महोदय बैठाने के आदेश सदन में दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, प्लीज। मेरा निवेदन यह है कि मौजूदा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत, 131 के अन्तर्गत कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस तरह से वाद-विवाद नहीं हो सकता है। और न ही पहले सदन में कभी भी इस प्रकार का वाद-विवाद करने का प्रिसीडेन्ट ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिसीडेन्ट तो है पहले बहुत बार हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, प्लीज। मैंने माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त समय दे दिया था अब अगर कोई माननीय सदस्य को इस विषय में कुछ कहना है तो अलग से प्रश्न के रूप में रखें। माननीय सदस्य सिर्फ प्रश्न पूछें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि मन्त्री महोदय कृपया बतावें कि यह जो इल-लीगल कन्स्ट्रक्शन जो कि बलदेवा राम द्वारा बनाया गया था उसको हटाने का अधिकार किसको था। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह अधिकार तहसीलदार के क्षेत्र में आते थे या पंचायत के क्षेत्र में आते थे। इसके अलावा तहसीलदार ने जो निर्णय दिया वह किस डोक्यूमेंट के आधार पर दिया। उन डोक्यूमेंट के ऊपर क्या पंचायत का क्षेत्र बनता था। उस पर कार्यवाही करने का अधिकार पंचायत को था या नहीं तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि उसमें मुलजिमान कितने थे और कितने गिरफ्तार हो चुके थे और कितने अब गिरफ्तार होने बाकी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस मामले में पुलिस के पास जो रिपोर्ट दर्ज करायी कि मकान के अन्दर घुसकर इस तरह की कार्यवाही की। क्या जो लोग वहां कार्यवाही करने गये थे उनके पास तहसीलदार को 4-2-75 को लिखा था जिसमें इस प्रकार का उल्लेख था कि इस प्रकार का कन्स्ट्रक्शन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बन्द कर दिया जाय या रोका जाय। और क्या इस प्रकार पंचायत ऐसा कार्य कर सकती है क्या ऐसा नियमों में है कि वह हटाया जाये। इसके अलावा अगर पंचायत ने आफिशियली कार्यवाही अपने क्षेत्र में की है तो क्या उनके नोटिस में यह बात नहीं थी। इसके अलावा इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को गिरफ्तार करना बाकी था। क्या पंचायत के इस प्रकार के एक्शन पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के पावर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दीपंकर जी ने जो सदन में स्थिति का वर्णन किया है वह बिलकुल सही किया है। यह गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास पड़ता है। मैं मन्त्री महोदय से दो एक सवाल करूंगा और उसका स्पष्टीकरण सदन में चाहूंगा। पहला यह है कि मुकदमा नम्बर 14 जो कि तारीख 13-2- को दायर हुआ है उसमें आपने जो तथ्य सदन में बताये हैं उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने मुलजिम पहले थे उपाध्यक्ष महोदय इस मामले में मुलजिमानों के नामों के बारे में शक है कहीं पर पुलिस मामले में हेरा फेरी नहीं करे। इसमें मुलजिम बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मुकदमें में जो एस०पी० की रिपोर्ट है वह रिपोर्ट मंगा कर देखी जाय। उसने क्या सिफारिश की है। उपाध्यक्ष महोदय यह कोई लाडनूं का ही मामला नहीं है यह तो आप चाहे चूरू की घटना को ले लें, चाहे कोई नोखा की घटना हो तो ले लें पुलिस वालों की हरकत ही ऐसी है। यह एक तरह से डाकू की तरह होते हैं। इनका जनता के साथ व्यवहार बहुत ही क्रूर होता है वह जुल्म करते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि पुलिस की इस प्रकार की गतिविधियों के लिये, उनके खिलाफ कार्यवाही करे और अगर नहीं की गई तो यह पुलिस की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूनमचन्द बिश्नोई

श्री पूनम चन्द बिश्नोई (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह तथ्य सही है कि पुलिस वालों के साथ लोगों की थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गयी थी और बाद में पुलिस वालों ने जाकर इस तरह से लोगों के घरों में घुस कर बुरी तरह से पीटा तो यह एक शर्मनाक बात है इसके संबंध में एक्शन लेना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि पंचायत ने आदेश दिया था कि इसको हटा दिया जावे। तो इससे गांव वालों ने जाकर उस अन-अथोराईज्ड कन्सट्रक्शन को तोड़ डाला। मेरा इसमें यह निवेदन है कि गांव वालों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिये। इसके अलावा इसमें कौन कौन लोग मुलजिम थे कौन कौन गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी सूची सदन में पढ़कर सुनायें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह राज्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय सदन में

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
बार बार यह चर्चा हो रही है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्यों ने मेरे वक्तव्य को सुना होगा तो उसमें मैंने साफ कहा था कि पंचायत के निर्णय के आधार पर गांव वालों ने कब्जा दिनांक 12-2-75 को हटाया है। लेकिन मैंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पंचायत ने इस बात की तस्दीक की है, मैंने कोई भ्रान्ति पैदा करने की कोशिश नहीं की। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आप कृपया इसको सुनने की कोशिश करें, अगर उसमें आपका उत्तर नहीं आवे तो आप दुबारा पूछ सकते हैं। यह पंचायत ने आदेश 12. 2. 75 को दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य पहले मुझको सुनने का कष्ट करें। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी शपथ पत्र का जिक्र कर रहे थे, उसी को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, शपथ पत्र में श्री रणवीर सिंह सरपंच ने लिखा है कि "मैं रणवीर सिंह शपथपूर्वक कहता हूं कि श्री बलदेवाराम माली साकिन मंगलपुरा के राव तालाब की अंगारे व सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके ग्राम रास्तों पर अवरोध खड़ा कर दिया जिस पर ग्रामवासियों की रिपोर्ट ग्राम पंचायत में हुई जिस पर मिसल प्रशासकीय संख्या में 2/1974-75 कायम हुई और पंचायत द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाकर इस अवरोध को हटाने की आज्ञा हुई तथा अवरोध 12. 2. 75 को हटाये गये।"

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अवरोध 12-2-75 को हटाये गये और आज्ञा बहुत पहले हुई। इसकी आज्ञा 4. 2. 75 को ही हो चुकी थी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पंचायत के रजिस्टर में इसका निर्णय 4. 2. 75 को लिखा गया है लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का आर्डर पंचायत ने कब दिया उसका जवाब में आपको देने को तैयार हूं। रजिस्टर में केवल निर्णय हुआ उसका उल्लेख किया गया है, एग्जीक्यूशन की डेट नहीं दी गई है। इसलिए 4. 2. 75 को केवल निर्णय की तारीख है, एग्जीक्यूशन की नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : 6. 2. 75 को तारीख करके कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की गई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो हलफनामा इस सम्बन्ध में सरपंच ने दिया है उसमें एक बात की शिकायत की गई है कि थाने के इन्चार्ज ने उनको आकर यह कहा कि आप मुझे इस बात को लिखकर दीजिये और धमकी देकर मनमानी लिखा-पढ़ी करवाली और यह भी कहा कि नहीं लिखोगे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस हलफनामें में उस सरपंच ने कहीं पर भी किसी को भी मारने की, पीटने की या गांववालों पर किसी तरह के अत्याचार करने की किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है। इसी तरह से लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पत्र राज्य सरकार को भेजा, मुझे भेजा, मुख्य मंत्री जी को भेजा, सचिव को भेजा, गृह सचिव को भेजा उसको भी आप देख लें कि उनकी शिकायत क्या है, वह पत्र क्या और आज

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उनको भी देख लें, जो तथ्य बताये गये हैं और सरकार ने जो बात कही है, उसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है। हमने यह स्वीकार किया है कि वहां पर झगड़ा हुआ था। हो सकता है कि मोहनसिंह किसी वजह से या प्रभाव में आकर वहां पर कार्यवाही करने के लिए चला गया, इसको स्वीकार किया। मोहनसिंह हैड कान्सटेबल श्री बलदेवराम के लड़के नरपतराम की रिपोर्ट पर गांव में गया और मारपीट की गई और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया इसको भी स्वीकार किया।

श्री गुमानमल लोढा : और जस्सूराम मर गया यह भी लिखा है या नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह पुलिस की पिटाई से नहीं मरा, हार्टफेल होने से मरा है। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आप पहले सुन लीजिये जो मैं कह रहा हूं फिर कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। दूसरा, मैंने इस तथ्य को भी, जैसा कि माननीय सदस्य ने रखा, स्वीकार किया कि हैडकांस्टेबल वहां पर गये और उनमें और गांववालों में कहा सुनी हुई और झगड़ा हुआ जिसमें दोनों के ही लगी। इसमें 27 व्यक्तियों के खिलाफ केसेज रजिस्टर हुए और 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। 9 व्यक्ति चले गये थे।

श्री दीपंकर : उनकी आयु भी बता दीजिये, उनमें 12-13 और 9-9 साल के बच्चे भी थे या नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : और उनके नाम भी बताने की कृपा करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसलिए जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है उसमें कोई फर्क नहीं है और कहीं कुछ छिपाने की या भ्रम में डालने की कोई कोशिश नहीं की गई है। अब रहा सवाल पुलिस को बचाने का, जो ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने पत्र में दो बातों की मांग की थी, एक तो यह कि मुकदमे गांव वालों के खिलाफ रजिस्टर किये जायं और इन्वेस्टीगेशन वहां की स्थानीय पुलिस से नहीं, यह केस सी. आई. डी. को ट्रान्सफर कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्वेस्टीगेशन के लिये सी. आई. डी. को दे रहा हूं, इसकी जांच लोकल पुलिस नहीं कर रही है। माननीय सदस्य ने अपने पत्र में दो बातों की मांग की है, एक बात तो गांव वालों के खिलाफ जो मुकदमें हैं उनकी जांच लोकल पुलिस नहीं करके सी. आई. डी. द्वारा कराई जाय। माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार यह मामला सी. आई. डी. को ट्रान्सफर कर दिया गया है और लोकल पुलिस इसका इन्वेस्टीगेशन नहीं करेगी। दूसरी बात उन्होंने अपने पत्र में यह लिखी है कि श्री रणवीरसिंह, सरपंच ने जो थानेदार के खिलाफ शिकायत की है डराने, धमकाने की उसकी भी जांच की जानी चाहिए, इसकी भी जांच कराने के लिए आदेश दे दिये गये हैं। यह मालूम करने के लिये कि वास्तव में उसको डराया-धमकाया है या नहीं यह जांच होने पर पता लग जायेगा। अब मैं नहीं समझ पाया कि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

किस प्रकार से पुलिस को बचाना चाहते हैं या किसी को छुड़ाना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने सी. ओ. श्री रतनलाल के बारे में अपने पत्र में कुछ नहीं लिखा है फिर भी उसको तत्काल वहां से हटाने के आदेश दे दिये गये हैं। उस सी. ओ. रतनलाल को हटाने के तत्काल आदेश दे दिये और वक्त आज तक वहां मौजूद नहीं है। किसी को बचाने का कोई सवाल नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पुलिस ने एफ. आई. आर. दी है उसको पढ़ दीजिये। उन्होंने उसमें कहा है हम को पीटा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दोनों ही पढ़ कर सुना दूंगा। जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं उनको ध्यान से देखें तो कोई बात ही नहीं रहती है। मैं अपील करना चाहूंगा कि निश्चितरूप से यदि सरकार के अधिकारियों ने गलती की है तो उनके विरुद्ध में एक्शन लेने के लिये तैयार हूं। मोहनसिंह हैडकान्स्टेबिल या सबइन्स्पेक्टर ने कोई गलती की है तो उसके लिये डी. आई. जी. पी. जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और जो विषय में सही जांच करके बतायेंगे और किसी प्रकार से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकिचायेंगे नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थानेदार को क्यों नहीं हटाया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : थानेदार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। मारपीट में उसका हाथ नहीं था। केवल एक शिकायत है कि मुझको डराकर इस तरह की बात लिखाने के लिये कहा। उसका इस मुकदमे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्क्वायरी खत्म कराने के लिये क्या उसका उस पर कोई असर नहीं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पहले तो जो उसके लड़के ने कहा उसको पढ़ देता हूं।

कई माननीय सदस्य : पुलिस की एफ. आई. आर. पढ़ दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह है उसकी एफ. आई. आर.।

मुझे मोहनसिंह ...... (विराम)

एक माननीय सदस्य : चश्मा ले लीजिये नहीं पढ़ा जाता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कार्बन कापी है इसलिये थोड़ी दिक्कत है।

श्री दीपंकर : यह स्टेशनरी भी इसी वाली से मंगवाई गयी थी इसलिये यह पढ़ी नहीं जा रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कार्बन की कास्ट कापी होने से पढ़ने में दिक्कत हो रही है शिवचरणजी साहब इसको पढ़ देते हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई भी मंत्री पढ़ सकता है। जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है कि माननीय मन्त्रीजी का पुलिस इस प्रकार की कापी दे तो माननीय सदस्य और जनता का क्या हाल होगा ?

श्री दीपंकर : यह कापी नहीं है। माननीय मन्त्रीजी को मुगालते में डाल दिया गया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पुलिस, मन्त्रीजी को गुमराह कर रही है। साफ कापी नहीं है, यह खेद की बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गुमराह नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस के वफादार मन्त्री हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं पढ़ रहा हूं। आप सुन लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष जी की अनुमति से अधिकार वापिस ले लीजिये, फिर पढ़िये।

श्री गुलाबसिंह : मैंने दूसरी कापी प्राप्त कर ली है।

"मुझे मोहनसिंह इन्चार्ज थाना लाडनूं को श्री नरपत सिंह पुत्र बलदेवाराम माली निवासी मंगलपुरा ने आज 4·45 पी० एम० पर सूचना दी थी कि हमारे खेत से पश्चिम में बाड़ी है जिसकी दीवार तोड़ दी मकान गिरा दिया तथा सामान उठा कर पांचीराम वगैरह ले गये हैं इस बाबत मुकदमा दर्ज कराने के कारण उन लोगों ने हम से सख्त रंजिश कर ली है व मेरे पिता बलदेवराम व बुद्धाराम हाली को पांचीराम चन्द्रमोहन वगैरह ने घेर रखा है जिसका जान खतरे में है इसलिए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व उनकी जान की रक्षा पाने का प्रबन्ध करने के लिये मैं एच० सी० मोहनसिंह मय एच० सी० किशोरसिंह कान्सटेबल शकूर मोहम्मद रूहक अली, रिछपालसिंह बनेसिंह, जेतसिंह सुखीराम के ग्राम मंगलपुरा में बलदेवाराम के कुए के पास वाला जमीन पर पहुंचा वहां लोग तोड़फोड़ कर रहे थे बलदेवाराम को मारने का प्रयास कर रहे थे तथा बुद्धाराम को मारपीट कर चुके थे स्थिति वास्तव में गम्भीर थी व फौरन शांति भंग होने का अंदेशा था इसलिए वहां उपस्थित हमलावरों में से पांचीराम नागराम रमाचन्द्र मोहनराम को अन्य धारा हस्ब धारा 151 सी. आर. पी. सी. में गिरफ्तार किये गये जिनका शकूर हाजी व रिछपाल सिंह के साथ थाना भेज दिया गया तथा मैं शान्ति भंग न हो ऐसी व्यवस्था बनाने लगा इस बीच में पांचीराम वगैरा की गिरफ्तारी से रुष्ट होकर पांचीराम के लड़के बेजू व पूनमचन्द अन्य लोगों को लेकर गांव की तरफ गया व लाठियां जेलिया लेकर के हिगराम वगैरह के साथ करीब 40-50 आदमी बलदेवाराम के खेत के पास जहां मैं मुलाजमानों के साथ वघाराम को जिसके चोटें लगाई थी, का अस्पताल पहुंचाने के लिए लिखा पढ़ी कर रहा था मार ला मार लो का हल्ला करते हुए आये और आते ही मैंने उनको हल्ला न करने के लिये कहा इतने में ही हीरालाल ने लाठी को मेरे सिर में मारी जिससे मेरे सिर से खून बहने लग गया पास खड़े मुलाजीमानों ने मुझे बचाने का प्रयास किया तो मुलजीमान माणक पुत्र सुखाराम, मोहन पुत्र डावाराम, बीजाराम पुत्र पांचा राम, मोहन पुत्र चेना, भंवरलाल

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पुत्र बना राम, मांगीलाल पुत्र चेनाराम, नरपत पुत्र किसना, मदन पुत्र हीरालाल माली, मालू पुत्र अगरू, गणेश पुत्र चौथ, लिछमण पुत्र भीया, चनणीया पुत्र धना, चुंगीलाल पुत्र कुम्भाराम, सागर पुत्र जवार मल, तुलछीराम पुत्र जालू, शुभकरण पुत्र जवारमल, निम्बाराम पुत्र कुम्भाराम, धन्ना राम पुत्र डावा राम, मालीयान नन्दा पुत्र पदमा व ग्रासू पुत्र मालूमा राण्यण व ओम प्रकाश पुत्र गुलाबचन्द मामी ने हिराराम के साथ मिल कर सब पर हमला बोल दिया जिस पर मुलजिमान जान बचाकर भागे''''

श्री उपाध्यक्ष : मुलाजमान ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एफ. आई. आर. से पढ़ कर सुना रहा हूं ।

''''इन मुलजिमानों के अलावा और भी व्यक्ति थे जिनका मैं नाम नहीं जानता वे भी लाठियों से व पत्थरों से हमला किया था लेकिन मुलजिमान के भागने पर मुलजिमान ने उनका जान से मारने के लिये पीछा किया मेरे पीछे व किशोरसिंह के पीछे श्याम कन्डक्टर विजयसिंह व भंवरू भागे बालाजी के मन्दिर का तरफ भागा वहां पर सामने से मांगीराम बलाई कुछ आदमियों के साथ आ रहा था उसने मुझे बचाया लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम बनेसिंह व किशोरसिंह को बचाओ, उन्हें जान से मार रहे हैं। बनेसिंह जमीन पर पड़ा हुआ था तब मांगीलाल व उसके साथ वाले भाग कर किशोरसिंह व बनेसिंह के पास गये और उनको छुड़ाया फिर मुलजिमान हम सब का छोड़ कर गांव की तरफ चले गये किशोरसिंह के पास एक बस्ता था'''' ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो सैकिंड एफ. आई. आर. है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सैकिण्ड के लिए ही माननीय सदस्य ने पूछा था । एक पैराग्राफ और है, पढ़ देता हूं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप तो राज्यपाल महोदय की तरह पढ़ रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो इसका जैसा है पढ़ रहा हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका पढ़ा हुआ नहीं मानेंगे ।

श्री गुलाबसिंह : मैं इससे इनकार नहीं करता ।

श्री दीपंकर : आपके नीचे महकमा है''''

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस उम्र में आप भी उसी हद तक पहुंच जायेंगे । हैड कान्स्टेबल को ही बुला लाते ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका एडहोक अपोइन्टमेंट है या परमानेन्ट ?

श्री गुमानमल लोढ़ा: आपका परफॉरमेंस देखी जा रही है ।

अब टाईपिंग में कोई नीचे का पेज आ जाय तो परफॉरमेन्स का पता नहीं लगता है ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप आगे सुन लीजिये ''''''

(पुनः शोरगुल)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

अब आप सुनना नहीं चाहें तो दूसरी बात है।

(व्यवधान)

जिसमें मुकदमा नं० 8/75 धारा 353, 333 आई० पी० सी० की मिसल थी व अन्य 107 सी० आर० पी० सी० की जांच के कागजात वगैरा थे जो भी छीन लिये गये........

एक माननीय सदस्य : इसको पढ़ा हुआ हो मान लिया जाय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ....आप सुनिये तो सही........कागजात पूनमचन्द बीजू व हीराराम वगैरा ने छीने जो उनके पास ही हैं। बनेसिंह की घड़ी वहीं गिर पड़ी। मैं एल० सी० मुलजिमान के साथ मंगलपुरा से अस्पताल पहुंचा जहां मैंने मेरा मुलाजमान जैतसिंह व बनेसिंह रिछपाल सिंह शहक अली सुखीराम शकूर मोहम्मद का चोटों का डाक्टरी मुआयना करवाया आई और एस हमरा लड़ा। किशोरसिंह को अपनी चोटों का मुआयना करवाने छोड़ा गया कानि० बनेसिंह व जैतसिंह के काफी चोटें होने से तथा जैतसिंह का सिर फट जाने से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया मुलाजमान हम लोगों को जान से मारने की गर्ज से तथा हमारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की गर्ज से हमला किया तथा चोटें पहुंचाई। अतः मुलजिमान ने जुर्म अन्तर्गत धारा 353, 332, 307, 395, 147, 148, 149 ताजेरात हिन्द का किया है। अतः मुकदमा नं० 15/75 उपरोक्त धाराओं में दर्ज किया गया। एस० आर० पेश होने से एस० आर० जारी की जायेगी। सी० ओ० साहब डीडवाना आ गये अतः तफतीश उन्होंने अपने जुम्मे लेकर शुरू की। घटनास्थल पर बलदेव राम नरपत सिंह, घासी बलाई उपस्थित थे जिन्होंने वाका देखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No further questions. I will not allow any more questions.

आर्डर प्लीज।

एफ० आई० आर० पढ़ना न पढ़ना यह मन्त्री जी पर निर्भर करता है। उनके डिस्क्रीशन पर है कि वे पढ़े या नहीं पढ़े। उनके विवेक पर है अतः नहीं पढ़ना चाहते हैं तो...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने इन्कार किया है क्या?

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे एक मित्र का हवाला दिया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष : वह आपको सुना दिया है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र मन्त्री महोदय को लिखा था उनकी यह आज्ञा रही और पुलिस अधिकारियों की भी आज्ञा रही कि आप मौके पर जावो और हालात क्या रहे हैं, उसे देखो। मैंने उन हालात को सदन में रखा है, लिखित में भी दिया है और बताया भी है इसलिए मेरे

(श्री दीपंकर)

पहले के पत्र में जो बातें हैं वह स्पष्ट है दूसरे जब सरपंच ने शिकायत की है कि मुझ पर दबाव डालकर लिखवाया है और थानेदार के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जिनको छिपाया जा रहा है और आपने इन्क्वायरी के लिए जोधपुर के डी० आई० जी० को मुकर्रर किया है। एफ० आई० आर० नम्बर 13, एफ० आई० आर० नम्बर 14, एफ० आई० आर० नम्बर 15, एफ० आई० आर० नम्बर 16 ये जो चार एफ० आई० आर० दर्ज हुये हैं, क्या इसको जोधपुर के डी० आई० जी० को दे रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सारे केस को देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके साथ साथ पूछ लेता हूं साथ ही उत्तर दे दें। 12 तारीख को एफ० आई० आर० नम्बर 1 दर्ज हुई और 12 तारीख को पाछीराम को दिया गया सुपुर्दनामा है। सारा सम्बन्ध बलदेवाराम का बतलाया गया है वह पाछीराम को दिया गया और बाकायदा सरपंच के हस्ताक्षर हैं और पाछीराम की थाने में हड्डियां टूटी है नम्बर 1 नम्बर दो पंचायत रजिस्टर में 4 तारीख का निर्णय और 6 तारीख का बाकायदा फैसला है·······

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप कह चुके हैं। मैंने सुना है रिपीट न करें। दुबारा स्वीकृति नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : एक प्रश्न क्लियर कीजियेगा। बाकायदा छकड़े वाले को 130 रुपया अदा करके····

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा प्रश्न कीजिये। यह तो आप कह चुके हैं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब उपाध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को यह हंगामा कैसे हो गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक माननीय हाण्डा साहब ने पूछा 12 तारीख को हंगामा कैसे हो गया ? यह एक्जीक्यूटिव का आडंर है 12 तारीख को हुआ है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने इसे स्वीकार किया है 12-2-75 को इम्पलीमेंट हुई है। ग्राम पंचायत ने स्वीकार किया है। दूसरे दिन हंगामा होने का प्रश्न नहीं उठता है। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने····

(माननीय योगेन्द्र नाथ हाण्डा के व्यवधान करने पर अश्रव्य....)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ····एक्सप्लेन दिस····

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तीन बातों की जानकारी चाही है— डी. आई. जी. किन बातों की जांच करेंगे। डी. आई. जी. जो मोहनसिंह है उसने किसके साथ मार पीट की, किसके साथ मिस बिहेवियर किया नं० 2 थानेदार को पत्र लिखवाया और नं० 3 जो एलीगेशन लगा रहे हैं गांव में घरों में घुस कर पिटाई की—इन तीन बातों की जांच डी. आइ. जी. करेंगे। एफ. आई. आर. नं० 13. एफ. आई. आर. नं० 14 और एफ. आई. आर. नं० 15 इन घटनाओं से सम्बन्धित हैं, एफ. आइ. आर. नं० 16 इससे सम्बन्धित नहीं है। जहां तक मेरे पास इनफॉरमेशन है इन तीन मुकदमों में जो पुलिस पर चार्ज है इसलिये इनकी जांच

Page No 69

(69)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सी. आई. डी. विभाग करेगी। इसके साथ साथ जो आफिसर इन्चार्ज थे उनको हटा दिया है और कुल मिलाकर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं डी. आइ. जी. जोधपुर रेन्ज की ज्यों ही रिपोर्ट जिस अधिकारी के खिलाफ आयेगी उसमें सरकार कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य) ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई....(अश्रव्य).... एक आदमी का मकान पुलिस तुड़वा दें.... पुलिस अधिकारियों ने ज्यादती की है.... (अश्रव्य).... सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो न्याय व्यवस्था खराब हो जायेगी....

(शोर गुल अश्रव्य)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :
श्री दीपंकर :
(एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज....

श्री दीपंकर : व्यक्ति ने कब्जा कर लिया....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हवामहल की बात कर रहे हैं, हवा महल के सदस्य की तरह....

श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री गिरधारीलाल भार्गव :
श्री दीपंकर :
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :
(एक साथ बोलने से अश्रव्य) ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष जी........

श्री गुमानमल लोढ़ा : आन ए पाइन्ट आफ इनफरमेशन सर। आप मांग प्रारम्भ करें उससे पहले........

श्री उपाध्यक्ष : पहले मांग प्रस्तुत होने दें उसके बाद।

श्री गुमानमल लोढा : मैं केवल यह चाहता था कि माननीय मंत्री महोदय ने चूरू काण्ड की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये कहा था और हमने लिखित में निवेदन किया था। कल सारा चूरू जिला बन्द रहा। न तो वहां हूजा साहब पहुंचे और न रिपोर्ट हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं हूजा साहब की रिपोर्ट के लिये लिखित में दिया है। हूजा साहब की रिपोर्ट में जो बयान है उससे साबित है, क्या आप वह संकेत दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यहां तो सी. ओ. वगैरह का ट्रान्सफर कर दिया गया है वहां पर सी. ओ., डी. एस. पी. अभी तक वहां पर है इसलिये मेरा निवेदन है कि हूजा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मंत्री महोदय को कहा जाय— हूजा साहब वापिस गये नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो माननीय सदस्य....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह एफ. आइ. आर. रिपोर्ट के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्लोज कर चुका हूं। आपके लिये तो इन्कार नहीं था लेकिन अब क्लोज कर चुका हूं। अभी जोधपुर से

(श्री उपाध्यक्ष)

आने वाले माननीय सदस्य ने चूरू काण्ड के सम्बन्ध में रखा है मैंने अभी कार्यालय से पूछा है तो आपका प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष के सामने विचाराधीन है। तो या तो माननीय अध्यक्ष ही या मैं आज समय मिल सका तो उनसे बात करके क्या स्थिति है क्या नहीं है उसके बारे में जानकारी दे दी जायेगी या फिर आप माननीय अध्यक्ष से चेम्बर में मिल लें वह उनके सामने विचाराधीन है।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी भरतपुर में जनवरी में 5 डकैतियां हुई हैं जिसमें एक आदमी मारा गया है और 36 लोग घायल हुए हैं, माता बहिनों की इज्जत लूटी गई है, इसके बारे में, मैंने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया है और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको जीरो आवर बनाना चाहते है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जीरो, जीरो, जीरो आवर में परिवर्तित कर लीजिए। पुलिस अत्याचार का अन्त है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

अनुदान की मांगों पर विचार

मांग संख्या 36, 38 व 39

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,72,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,31,34,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,47,20,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 36, 38 व 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर):

श्री मनोहरलाल (कामां) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) :

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

1. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति के लिये जयपुर जिले की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर यूरिया खाद व उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री मीठालाल मीणा)

3. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा छोटे काश्तकारों को कृषि उत्पादन के लिये आसान ब्याज पर समुचित कर्जों की व्यवस्था न कराने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज के भाव उनकी लागत को देखकर तय नहीं किये जाने से कृषकों को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

5. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील (जयपुर) की उबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु बुलडोजरों की व्यवस्था करने में विभाग की व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा, चाकसू व लालसोट तहसीलों (जयपुर) में ए. आर. सी. की स्कीम शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के लिये पर्याप्त खाद बीज की उचित समय पर व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

9. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में डेरी विकास प्रोग्राम चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम द्वारा स्टेण्डर्ड दूध के पैसे लेने के बाद भी घटिया स्तर का दूध देने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

11. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट व चाकसू तहसील (जयपुर) में स्वस्थ सांडों की व्यवस्था नहीं होने से पशुधन को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (चाकसू व लालसोट कस्बों के पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की उचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-

(श्री मीठालाल)

फिरते पशु चिकित्सालय चालू कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू व लालसोट तहसीलों (जयपुर) के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-चाकसू तहसीलों (जयपुर) में डेरीफार्म स्थापित कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेरी फार्म विकास योजना में अनुसूचित जाति व जन जाति के बेरोजगारों की भर्ती करने के बारे में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट (जयपुर) में डेरी स्कीम का डिपो खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में डेरी योजनाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

19. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि उत्पादन को प्राथमिकता न दिये जाने व रासायनिक खाद का लेवी से सम्बन्ध जोड़ने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण कृषकों को जिला स्तर पर सीमेन्ट, लोहा व अन्य कृषि के काम में आने वाले साधनों का कोटा निर्धारित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन कार्यक्रम में किताबी व व्यावहारिक ज्ञान द्वारा कोई ठोस कार्यक्रम बनाने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि ऋण समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर एवं मूलधन से अधिक ब्याज की राशि वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के भूमिहीन किसानों को पशु दिलाने में हुई अनियमितताओं एवं पशु खरीदने के पश्चात् भी समय पर ऋण नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री शंकरसिंह रावत)

कम कर दिया जाय (ग्रामों में पशु चिकित्सा समय पर नहीं होने से जानवरों की मृत्यु हो जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

25. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि की वांछित प्रगति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बीज वितरण सही ढंग से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि उन्नति की दशा पूर्णरूपेण सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पशुओं की नस्ल सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में डेअरी फार्म अधिक से अधिक खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में डेअरी फार्म खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं):

31. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों को सहकारी संस्था बनाकर उपज बढ़ाने में कृषि विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर बीज व खाद न देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चोखला भेड़ की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौरी गायों की रक्षार्थ योजना बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 314 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं में चिलिंग प्लान्ट लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में आवश्यक स्थानों पर भी चिलिंग प्लान्ट लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

Page No 74

(७४)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) :

37. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुधरे कृषि औजारों को लोकप्रिय बनाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति देने हेतु चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अभियांत्रिक मण्डल द्वारा व्यय की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में उपनिदेशकों की गलत नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विदेशी पशु प्रक्षेत्र, बस्सी में प्रशासकीय शिथिलता के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :

42. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि का समुचित विकास नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) :

43. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि विकास के कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़ जिले में कृषि विभाग की कमियों पर चर्चा के लिये)।

45 मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में पशु विकास की योजनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में गहन पशु विकास की धीमी व अवैज्ञानिक प्रणाली अपनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी विकास की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

48. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में कृषि की उन्नति हेतु प्रदर्शन व अन्वेषण क्षेत्र कायम करने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

49. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत बीकानेर या लूणकरणसर में कृषि विज्ञान केन्द्र जिसमें कृषि हेतु शिक्षा देने, प्रदर्शन व अन्वेषण हेतु व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर प्रथम चरण की आर. डी. 400 से 565 तक मुख्य नहर के समानान्तर पशु व भेड़ पालकों की योजनाबद्ध तरीके से बस्तियां बसाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

51. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा समय समय पर खाद्य तथा बीज उपलब्ध नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग में गलत पदोन्नतियों के कारण फैले असन्तोष की चर्चा के लिये) ।

53. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग द्वारा संचालित भेड़ प्रजनन केन्द्र, फतेहपुर में आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री झाबरमल सुन्डा (फतेहपुर) :

54. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषकों को समय पर उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये) ।

55. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 505 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फतेहपुर जिला सीकर को डी. पी. ए. पी. में शामिल कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

56. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 505 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में फतेहपुर तहसील के ग्यायासर व खुड़ी आदर्श गांवों को कृषि विकास योजनाओं में शामिल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

57. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर शेखावाटी स्थित भेड़ पालन केन्द्र में प्रशासकीय शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

58. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 710 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शेखावटी आदर्श ऊन उत्पादक समिति को सहायता न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) :

59. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में

Page No 76

(76)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

कृषि उत्पादन को अधिकाधिक एगमार्किग करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फर्टीलाइजर के विक्रय का कमीशन कम निर्धारित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फर्टीलाइजर के मंहगे होने के बावजूद नगरों में उपलब्ध कम्पोज्ड मैन्योर के उत्पादन के सम्बन्ध में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज, कोटा) :

62. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केलवाड़ा, कवाई, छींपाबड़ौद व छबड़ा जिला कोटा में मंडिया स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में किसानों को प्राप्त नहीं होने वाली सुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में अधिक पशु चिकित्सालय खोलने व अधिक सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में डेअरी योजना को विशाल स्तर पर लागू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

66. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाभप्रद कृषि योजनायें बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचित क्षेत्र में ही कृषि को जीवन निर्वाह का आधार बनाया जाय, पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग में अनार्थिक व्यय को बन्द करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर)।

69. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जिला गंगानगर में गेहूं के अधिक उपज देने वाली राजस्थान में तैयार किए गए गेहूं के बीज दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जिला गंगानगर में लम्बे रेशे की कपास के (पर शंकर) हाईब्रीड बीज का उत्पादन शुरू कराये जाने पर चर्चा के लिये]।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

71. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भागीरथ एण्ड कम्पनी मंडी जैतसर जिला गंगानगर द्वारा पी० के० खाद को जिसकी कीमत 28/- रुपये थी एन० पी० के सील लगाकर 67/- रुपये में बेचता रहा जिसकी 25 बोरी दिनांक 19-3-1974 को जिला कृषि अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गयी। मगर उसके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, पर चर्चा के लिये।

72. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पौध सेक्शन कार्य गंगानगर में न चलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में कई कृषि विस्तार योजना शुरू कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में कपास की खरीद के कार्य को सी. सी. आई. द्वारा हाथ में लेना ताकि किसानों को उसकी उपज की सही कीमत मिल सके।

75. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि सम्बन्धी प्रचार करना व प्रशिक्षण देने आदि पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में कृषकों को कृषि-यंत्रों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत करने हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसानों को गन्ने की कीमत जो फैक्ट्री रेट पर दी जाती है उसी के आधार पर कीमत दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में अधिक उपज देने वाली लम्बे रेशे की कपास के बीज दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर कृषि उपज मण्डी समिति के चुनाव में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी समिति गंगानगर का चुनाव समय पर न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

81. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ए० आर० सी० की स्कीमों की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये)।

Page No 78

(७८)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

82. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के खोले जाने में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ड्राउट प्रोन क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर जिले की सोइल सर्वे टेस्ट करने की दृष्टि से उपेक्षा बरतने पर वहां सोइल सर्वे आर्गेनाईजेशन के अन्तर्गत कोई सोइल सर्वे आफिस असिस्टेंट सर्वे आफिसर रीसर्च असिसटेंट एवं फील्ड असिसटेंट की नियुक्ति न कर कार्यक्रम में ढिलाई बरतने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में पशु चिकित्सालय के भवन के निर्माण की स्वीकृति में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले में रोशनी, सफाई एवं पानी की माकूल व्यवस्था न होने के विषय पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन के विकास में राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में थारपारकर ब्रीड को प्रोत्साहन न देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती बाड़मेर जिले के विकास के लिये पशुपालन एवं भेड़ के विकास फॉडर बैंकों की स्थापना एवं चारे की पैदावार की स्थापना एवं चारे के पैदावार बढ़ाने के लिये जो प्रयास राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं वे संतोषप्रद नहीं हैं, अतः जिले की जनता में तीव्र असंतोष है इस पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में डेअरी विकास के लिये उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में चिलिंग प्लान्ट की स्थापना में ढिलाई एवं उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में डेअरी विकास की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

92. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में खाद व बीज समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में गन्ने की फसल में लगी बीमारी को रोकने के लिये समय पर दवाइयां छिड़कने की व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

94. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में कृषि उपज मंडियों के कार्यों को धीमी गति से चलाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

95. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशवराय पाटन में कापरेन कलवाना में कृषि उपज मंडियां स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवराय पाटन तहसील में केवल मात्र एक ही पशु चिकित्सालय होने से समय पर पशुओं को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

97. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुओं की स्थिति में सुधार किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

98. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में डेअरी फार्म की स्थापना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

99. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के डेअरी फार्मों में उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोपीलाल (छीपाबड़ौद):

100. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर खाद न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

101. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा में डेअरी उद्योग की स्थापना हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन):

102. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन शहर की मंडी को कृषि उपज मंडी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

103. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 309 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सन् 1973-74 व 1974-75 में कृषि विभाग द्वारा डी. ए. पी. खाद व यूरिया की बिक्री में हुई अनियमितता व घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

श्री लूनाराम (डूंगरगढ़):

104. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बीज खरीद में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

105. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के लिये व बीकानेर जिले के लिये अलग अलग जिला कृषि अधिकारी की नियुक्ति न होने से जो अव्यवस्था है उस पर चर्चा के लिये) ।

106. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय पर शंकर बीज उपलब्ध न कराने से हुई किसानों को क्षति पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूखाग्रस्त क्षेत्र में कराये जाने वाले कृषि कार्यों की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

108. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिये इनाम वितरण व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालय स्थापित करने की वर्तमान दोष पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

110. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांड खरीदने व उनके भरण-पोषण की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये) ।

111. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ में चिलिंग प्लांट की स्थापना करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री करनसिंह (डीग) :

112. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को खाद्य, बीज व सिंचाई सुविधा दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त होने तथा नस्ल सुधार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

114. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेरी योजना का विस्तार करने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

115. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय पर खाद्य बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पलसाना में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 313 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में डेयरी योजना प्रारंभ करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) :

118. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति की असंतोषजनक प्रगति पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों पर डेयरियों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

121. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवाना पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों को बीज व खाद उधार दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को बीज व खाद उधार और खेती बोने के समय के पूर्व दिये जाने व सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को सरकार द्वारा बोवाई, कटाई व खुदाई के समय मशीनों के दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवाना पंचायत समिति के किसानों को भेड़ पालन शिक्षा और मेरीनो भेड़े दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवाना पंचायत समिति के किसानों को भैंसों के दिये जाने की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी से उत्पादन हुए माल को भारत से बाहर नहीं भेजे जाने हेतु चर्चा के लिये)।

(82)

(श्री केशरीमल)

127. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी में ऐसे माल को तैयार करना जो भारतीय जनता के उपयोग में आ सके, इस हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

128. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज उत्पादन व ग्रेडिंग व्यवस्था जिला स्तर पर होनी चाहिये, पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक कुक्कुट पालन केन्द्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से दाना उत्पादन हेतु खाद्य पदार्थ दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक के भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में जब तक चिलिंग प्लान्ट तैयार न हो दूध खरीद चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री चेताराम (टोडाभीम):

133. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के कृषि का विकासोन्मुख बनाने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर व भरतपुर जिले में पशु चिकित्सालय में अधिक सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 89, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में डेरी योजना स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हम्मेदीलाल (हिंडौन) :

136. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को बीज व खाद्य समय पर उपलब्ध कराने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

137. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि का सुधार करने व अच्छे औजार उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु-पालन को प्रोत्सा-

(श्री गोपाल जोशी)

ऋण देने हेतु शहरी क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं को सुरक्षित व सही ढंग से पालने की उचित शिक्षा न देने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में डेयरी से उत्पादन से दूध आदि की बढ़ोतरी हो इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

141. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उर्वरक खाद्य एवं पेस्टीसाईट्स की कीमत अत्यधिक बढ़ा देने एवं कम करने हेतु कोई उपाय न किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज के मूल्य लागत से कम रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेक्टर एवं दूसरे कृषि औजारों की बढ़ती हुई भारी कीमतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रोप इन्स्योरेन्स के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा के प्रस्तावित डेयरी की अव्यवस्थित कार्य प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

147. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति के लिये एक विशिष्ट कृषि योजना को स्वीकृत कर चालू करने हेतु चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में पशुपालन के विकास हेतु जालोर में की विलेज सेन्टर खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :

149. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा उन्नत बीज वितरण किये जाने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली) :

150. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्य को अधिक वैज्ञानिक ढंग से सम्पन्न करने एवं पंचायत क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों व साधनों हेतु केन्द्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाली क्षेत्र के ग्राम बड़ा (आदिवासी) में पशु चिकित्सालय न होने से प्रति वर्ष लाखों रुपयों की हानि पर चर्चा के लिये] ।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) :

152. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती की पैदावार को बढ़ाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद व बीज के नाम की फर्जी वसूली निकालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

154. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त साधन रहते हुए भी कृषकों को पूरी सुविधा न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

155 मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग की अकर्मण्यता से बढ़ते हुए जन-आक्रोश पर चर्चा के लिये) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

156. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में स्थापित सरकारी कृषि फार्मों में समस्त साधन होने पर भी उचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

157. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं का लाल बहादुर शास्त्री किस्म उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

158. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं, चना, सरसों, चावल के उन्नत बीजों के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिये) ।

159. मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग जिला गंगानगर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा खाद्य के वितरण में हुये गबन घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कम कर दिया जाय (राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पशुपालन के विकास पर चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में गाय की राठी नस्ल के प्रसार पर चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुपालन के औद्योगीकरण पर चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में डेयरी प्लांट लगाने पर चर्चा के लिए)।

165. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्व बैंक की मदद से भीलवाड़ा, नागौर वगैरह में लगाई जा रही डेयरियों पर चर्चा के लिए)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

166. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर के प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष ज्ञान उपलब्ध कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए)।

167. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा कृषि आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर में कृषि विद्यालय स्थापित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार डेयरी विकास योजनाओं पर समुचित ध्यान देने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :

170. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील में कृषि पैदावार को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

171. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में कृषि औजार अथवा कृषि विकास हेतु लिए गये ऋण से हुए भ्रष्टाचार की चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों हेतु लिए गये ऋण की वसूली में बर्ती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

173. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री भंवरलाल)

कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील में कृषि के विकास हेतु कुओं के निर्माण में बैंकों द्वारा मिलने वाले ऋण दिलाने में विभाग द्वारा मदद न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र में नस्ल सुधार की ओर सरकार के असहयोग पर चर्चा के लिए)।

175. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील के पशु पालकों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

176. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील में डेयरी के अभाव से जन साधारण के सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

177. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि विभाग के प्रयासों की विफलता पर चर्चा के लिए)।

178. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पशु-पालन संघ की मांगों के प्रति सरकारी अवहेलना के बारे में चर्चा के लिए)।

179. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में पशु-पालन विभाग की धीमी गतिविधियों पर चर्चा के लिए)।

180. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर डेयरी विकास कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

181. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(पाली जिले में डेयरी के विकास के प्रति उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिए)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

182. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(किसानों को फसलों का ऋण, फसलों का बीमा तथा उन्नत बीज व्यवस्था कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए)।

183. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास के लिए उपयुक्त साधन नहीं दिलाने के बारे में चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशु-पालन के उपयुक्त क्षेत्रों की अवहेलना किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोपालसिंह)

185. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी विकास के प्रति सरकारी उपेक्षा वृति के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली) :

186. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली के लिये ए० आर० सी० स्कीम स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश में चल पशु चिकित्सालय की संख्या बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़, अजमेर) :

188. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन विकास पर उचित ध्यान नहीं दिये जाने से पशुपालन की हानि पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद की कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा सब्सीडाइज करने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठोड़ (मांडल) :

190. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय कृषि साधनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सस्ते उर्वरक उपलब्ध करने हेतु चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर पशु पालन प्रसार अधिकारी लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने पर अधिक ध्यान देने हेतु चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा में डेयरी योजना को लागू करने में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

Page No 88

(88)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

197. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की खाद, बीज, क्रूड आयल एवं कीटनाशक औषधियों के वितरण में असफलता पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय राजस्थान से बाहर चरने जाने वाले पशुओं की दुरावस्था पर चर्चा के लिए)।

199. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत पशु पालकों को पशु पालन के ज्ञान वर्धन हेतु विदेशों में भेजे जाने हेतु चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत पशुपालक एवं उन्नत कृषकों को बाहर विदेशों से आयातित अच्छी किस्म की गायें सब्सीडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

201. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 698 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसान उर्वरक सहकारी संस्थाओं का प्रवर्तन करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर खाद, बीज व मार्ग दर्शन देने में कृषि-विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी तथा अखाद्य उत्पादन की वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा के लिये।

204. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों को कृषि के लिए भूमि विकास हेतु ऋण सुविधा सरल बनाए जाने पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज क्रय हेतु ऋण देने के बारे में चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के प्रशासनिक व्यय में कमी कराने हेतु चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े किसानों से लेवी वसूल करने में विभाग की ढिलाई के बारे में चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में पशुओं की सुरक्षा एवं उनके विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नाथूराम)

कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में डेअरी विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई-(सांचोर) :

210. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में रबी फसलों में भयंकर बीमारी का प्रकोप एवं उनके इलाज कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अन्वेषण क्षेत्र में कृषि विभाग की उपलब्धियों के बारे में चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में मोबाइल यूनिट की जीप खराब होने एवं पशु चैक पोइंट एवं सांचोर पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत हेतु प्रावधान कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पशु पालन क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग द्वारा पशु पालन क्षेत्र में जिला जालोर की उपेक्षा किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में कांकरेज नस्ल का कांकरेज राजकीय कैटल ब्रीडिंग फार्म शीघ्र खुलवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा आइडियल डेअरी के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में श्वेत क्रांति के बारे में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां, जोधपुर)

219. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को उन्नत किस्म का खाद व बीज न मिलने पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 90

(90)

(श्री रणजीतसिंह)

कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुधन के विकास हेतु विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में दूध की समस्या के समाधान हेतु डेअरी विकास कार्य को बढ़ावा देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

222. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के विकास हेतु किसानों को ऋण व आधुनिक उपकरण उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन के विचार हेतु विभाग द्वारा अपनाई गई दूषित प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुग्ध योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह यादव (नदबई)

225. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की कृषि की समस्याओं का विभाग द्वारा समाधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)।

226. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में काश्तकारों को खेती के समय पर अच्छा बीज व खाद व अन्य खेती के औजार समय पर नहीं दिये गये है, दिलवाने पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छतरगढ़ तहसील नम्बर 1 व 2 व पूगल के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आवंटित सिंचित भूमि के कृषकों को समय पर खाद, बीज दिलाने एवं ऊंट, बैल व ट्रैक्टर खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (नोखा तहसील के ग्रामों में मादा ऊंटनियों की बहुत बड़ी तादाद है लेकिन उनके गर्भाधान के लिए अच्छी नस्ल के नर ऊंटों की सप्लाई करने के लिये चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील के समस्त गांवों में मादा भैंसियों की तादाद बहुत है और इन मादा भैंसियों के गर्भाधान के लिए किसी भी प्रकार की नर भैंसें नहीं है अतः नस्ल सुधार के लिये भैंसे वितरण करने की चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

230. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के कस्बा नोखा के पशु औषधालय में दवाइयों, स्टाफ की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है इस चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुओं की हालत बहुत खराब है और विभाग के अधिकारी इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर तहसील के ग्राम पलाना में पशु चिकित्सालय की स्थापना के लिये चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील मुख्यालय में एक चिकित्सालय स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए)।

234. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील के समस्त गांवों में दूध की बहुतायत है पशु पालकों को दूध की जितना कीमत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती अतः इस तहसील के समस्त गांव से देहली के लिए दूध के प्रत्येक गांवों में केन्द्र खोलकर दूध उठाना चाहिए इस पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम मुरपुरा, पांचू, कूदसू, कुचौर अगुणी, बादनू, बुनिया, बेरासर, जसरासर, पिथरासर, जांगलू, जंगला, जयसिंह दसरमगरा, रासीसर, देसलसर में गठित डेयरी को-आपरेटिव सोसाइटीज को ऋण मंजूर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

236. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को बैल व ऊंट के लिए ऋण दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

237 मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन को दिए जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय कृषि विभाग द्वारा मिट्टी व पानी की जांच (टेस्ट) ढंग से नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये]।

239. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 92

(92)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कम कर दिया जाय (सूरजमुखी के विस्तार व प्रदर्शन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवयुवक कृषि समाज को सहायता दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विस्तार और कृषकों के उचित प्रशिक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि संयन्त्रों के निर्माण एवम् सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरसों व तारामीरा के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

245. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धित कार्यक्रम के और अधिक विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिलहन की विकास योजनाएं व सुधरे बीजों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास की योजनाएं बनाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संकर बीज की किस्म और विकास करने व उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मत्स्य पालन के उचित विकास के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए)।

251. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी पशुओं के संकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौरी नस्ल की ओर विशेष ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के पशु मेले में उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 93

(93)

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

254. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों में दवाओं व स्टाफ के अभाव पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ पालकों को दवाइयां उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 710 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत नागौर जिले के पशुओं के विभाग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 710 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भेड़ पालकों को चरागाह के लिये भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 710 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ पालकों को ऋण सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में डेअरियों का उचित विकास नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी):

261. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में किसानों को खाद समय पर न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा):

262. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में कृषि की दुर्दशा एवं समय पर बीज, खाद आदि नहीं देने से किसानों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पशुपालन की व्यवस्था सुधारने व अच्छी नस्ल के सांड उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)

श्री चतुरभुज (टोडा रायसिंह):

264. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में टोडारायसिंह क्षेत्र में किसानों को समय पर खाद व बीज दिलाने में विभाग की अकुशलता पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

Page No 94

(९५)

(श्री चतुरभुज)

कर दिया जाय (भूमि एवं जल-वायु के आधार पर पशुपालन हेतु व्यवस्था कराने में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध योजनाओं द्वारा समय पर दूध की खरीद नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां) :

267. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों में काम आने वाली चीजें खाद, किटाणुनाशक दवाइयां इत्यादि की कीमत में भारी वृद्धि हो जाने के कारण विभाग द्वारा इन्हें सब्सीडाईज्ड रेट पर दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

268 मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र में पंचायत समितियों से सांड हटाये जाने व कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)

269. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां शहर में डेअरी योजना कायम किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

270. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 705 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन द्वारा सप्लाई किये गये यूनीवर्सल 65 ट्रैक्टरों के टायर और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध न कराये जा सकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

271. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालबहादुर गेहूं के बीज के सम्बन्ध में गलत तथ्य जनता के सामने रख कर कृषि अनुसंधान विशेषज्ञ द्वारा किसानों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में बेकन फैक्टरी की शोचनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

273. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लूनी नदी पर बाड़मेर जिले में कृषि विभाग द्वारा ठोकरें (स्पर्श) न बनाने से उपजाऊ जमीन कटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये]।

274. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरी क्षेत्र के बाहर भूमि विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र विस्तृत करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) में विस्तृत "सार क्षेत्र" का सुधार नहीं किये जाने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये]।

(श्रीमती मदनकौर)

276. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के पशु-पालकों की गिरती हुई आर्थिक हालत पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 38. मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [तिलवाड़ा पशु मेला (जिला बाड़मेर) के स्थल का विकास न करने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये]।

278. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में कांकरेज और थरपारकर नस्ल के पशु प्रजनन मार्ग की स्थापना नहीं करने से इस नस्ल के ह्रास होने पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमंद)

279. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालकों के उत्पादन की खरीद हेतु बाजार उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराडा)

280. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा गांव झाडोल में पशु औषधालय खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा)

281. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा पशु चिकित्सालय के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खमनोर में पशु चिकित्सालय की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड (परबतसर)

283. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर पशु मेला के विकास हेतु विभाग द्वारा प्रचार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर कस्बे में डेयरी की स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर)

285. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु डिस्पेन्सरी कठूमर जिला अलवर को पशु चिकित्सालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर)

286. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी विकास मरुस्थली

(श्री भोपालसिंह)

व अर्ध-सूखा इलाकों के लिये अपरिहार्य और मात्र आर्थिक विकास की दशा में कदम है इस ओर तेजी से बढ़ने की जरूरत पर बल देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द सोगाणी (अजमेर पूर्व):

287. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी डेअरी में चल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (निवाई)

288. मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना के बूथों पर डेअरी उत्पादन से अलावा सामान बेचने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के दूध से सर्व की जाने वाली काफी की घटिया किस्म व पैसे अधिक चार्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 36, 38 व 39 पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में भी मैंने जो बीजों का गबन और घोटाला राज्य सरकार ने किया था उस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया था लेकिन खेद का विषय है कि उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई। मैं निवेदन करूंगा कि खेती के अनुसंधान के नाम पर राजस्थान में बहुत बड़ा फ्राड हो रहा है। लालबहादुर शास्त्री के नाम का गेहूं विकसित किया गया और यह सर्वविदित है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके गेहूं विशेषज्ञ डाक्टर एस० एन० गांधी हैं और वह आज भी बैठे हुए हैं और सरकार की ओर से परवाह नहीं की जा रही है। और सुधार के नाम पर 1969-70 में सारा गेहूं उत्पादन किया गया। पैथोलोजी में उसकी जांच नहीं की गयी और उसी व्यक्ति ने जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं उसने प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाई। यह गेहूं आंध्र में गया वहां इसको रिजेक्ट कर दिया। पंजाब विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट कर दिया और हुआ यह कि लालबहादुर नाम का गेहूं नीलगिरी में पैदा होने लगा। नीलगिरी से तार आया कि यहां बहुत सारा गेहूं पैदा हो गया है इसे आकर ले जाओ। वहां पर राज्य सरकार गई और एक दाना भी नहीं मिला। एक श्रीमान गांधी जी यहां आये थे तो उन्होंने कहा कि गेहूं को खरगोश खा गये और एक दाना और एक डंठल भी नहीं मिला। दुर्गापुरा फार्म में उसके लिए अलग से स्टोर बनाया गया, लेबर अलग से रखी गई और दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र में लाल बहादुर शास्त्री बीज नम्बर 4, 5 और 6 का उत्पादन किया गया। 18 क्विन्टल के हिसाब से उत्पादन किया गया। सबसे कम उत्पादन और सबसे महंगा गेहूं यह बेचा गया और यहां गेहूं पैदा हुआ था तो 40 क्विन्टल ही क्यों वितरित किया गया और गांधी जी ने यही काम नहीं किया इन्होंने अपना अपाइन्टमेंट रोम में कृषि विशेषज्ञ के नाम से कराया। जब चर्चा हुई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को वह विदेश में भी जाना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति कि जिनके बारे में समय समय पर कहा गया, अखबारों के मार्फत कहा गया और जिसने राजस्थान की नाक हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कटाई उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को आज भी कृषि मन्त्री क्यों अपने गले से लगाये हुए हैं ? क्यों नहीं उनको सस्पेण्ड करने की कार्यवाही की जाती है ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि अनुसन्धान के नाम पर राजस्थान में बहुत बड़ा फ्राड हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही कृषि अनुसन्धान का जो काम यहां पर होता है उसका लाभ गरीब किसानों को नहीं होता। अनुसन्धान का लाभ धनी व्यक्तियों को होगा। अच्छे गेहूं उगाने का लाभ होगा तो धनी व्यक्तियों को होगा जो कि बड़े बड़े फर्म वाले हैं, मजदूरों से काम कराते हैं। लेकिन गरीब किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार दुर्गापुरा में एक कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुला हुआ है। वहां के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह केन्द्र जयपुर में खुला हुआ है। किस प्रकार से गेहूं के मौसम में खराबी के कारण फसल खराब हो रही है और फसलों को बचाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिए इस सन्दर्भ में दुर्गापुरा फार्म का भली प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। भली प्रकार से कृषि का ज्ञान किसानों को कराया जाना चाहिए वह नहीं कराया जाता है। अगर अनुसन्धान का लाभ होगा तो राजस्थान के बड़े बड़े आप सरीखे और बड़े बड़े मन्त्री जिनके कि बहुत बड़े बड़े फार्म हैं उनको लाभ होगा, गरीबों को नहीं होगा।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि में यदि ऋण का वितरण होगा तो किसी गरीब को नहीं होगा, बड़े बड़े किसानों को इसका लाभ होगा। जिनको चाहेंगे मन्त्री जी उनको पैसा मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। और यह राजनीतिक भ्रष्टाचार के आधार पर राजस्थान के किसानों को खरीदना चाहते हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में एक साल में 1।। करोड़ रुपया वितरित किया गया तो क्या गंगानगर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर जो कि खेती के लिए विख्यात हैं इन इलाकों में आपका दौरा भी कम होता है और केवल भीलवाड़ा में ही आप दौरा ज्यादा करेंगे। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर रिफार्म्स कारपोरेशन की स्कीम चलती है तो भीलवाड़ा में, मार्जिनल डवलपमेंट स्कीम वहां चलती है और वहीं पर खेती अनुसन्धान का काम और नये डिमान्सट्रेशन भी वहीं पर कराये जाते हैं और उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि का कार्य वहीं करता है। यह गांधी जी जिनको आप सस्पेण्ड नहीं करना चाहते हैं और जिन्होंने हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राजस्थान का नाम नीचे कराया है वह वहां खड़े रहते हैं। आखिरकार यह राजनैतिक पक्षपात कब तक चलेगा ? यदि यह चलेगा तो मैं कहता हूं कि दौरे भी आपके ही क्षेत्र में ज्यादा होंगे और आपके क्षेत्र के ही लोगों को सब प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी। राजनैतिक पक्षपात अधिक चलने वाला नहीं है और इसके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दुष्परिणाम निश्चितरूप से राजस्थान में होने लगे हैं। आखिर विस्फोट होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस राजनैतिक पक्षपात को बढ़ावा मत दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा उद्यान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने रामनिवास बाग की बात कही है। वहां के उद्यान की हालत यह है कि सूखी हुई घास पड़ी है। फूल जिस प्रकार से उगने चाहिये नहीं उग रहे हैं। इसकी जमीन एक ओर विद्युत विभाग ने और दूसरी ओर वाटर वर्क्स ने दबा ली है। अब समझ में नहीं आता कि रामनिवास उद्यान के अलावा जयपुर शहर के लिए कौनसा उद्यान होगा। वहां अच्छा चिड़ियाघर हो, अच्छा म्युजियम हो; अच्छा बगीचा हो और सारी व्यवस्थायें ठीक हों मैं समझता हूं उस ओर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। उस ओर भी आपको तवज्जोह देनी चाहिये, और धीरे धीरे उद्यान पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं उसको आपको रोकना चाहिए। यहां पर आपने अपने ट्रैक्टर खरीदने के लिए या जिस समय आपके ट्रैक्टर आये थे आपने ट्रैक्टर बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रलोभन दिए। जो विदेशी ट्रैक्टरों को बेचने के लिए भली प्रकार का प्रचार किया और आपने कहा कि इसके पार्ट्स, ट्यूब टायर सब कुछ मौजूद होंगे लेकिन राजस्थान के भोले भाले किसानों ने अपने आर्थिक जीवन को बचाने के लिए अपने जेवर बेच कर, अपने मकानों को बेच कर लोगों से कर्जा लेकर आपके यहां से विदेशी ट्रैक्टर खरीद लिए। आज वे खड़े हुए हैं। उनके लिए पार्ट्स नहीं हैं, उनके लिए यहां तक ट्यूब और टायर्स तक नहीं हैं। यहां पर विदेशी कम्पनियां हैं जो ट्यूब टायर बना सकती हैं लेकिन राज्य सरकार आज इतनी कमजोर अपने आप में महसूस करती है कि ट्यूब टायर तक नहीं देती। आपने रशियन ट्रैक्टर और विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर बेच दिए। यह राजस्थान की गरीब जनता के साथ आपने अपने ट्रैक्टरों को निकालने के लिए एक प्रकार से धोखा किया है।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां पर डेयरी के नाम पर बहुत कुछ कहा गया है। डेयरी के नाम पर विश्व बैंक का सब प्रकार का हवाला दिया है लेकिन दूध एकत्र करने का काम सहकारी समितियां करेंगी। सहकारी समितियां दूध एकत्रित करेंगी राजस्थान में और सरकारी समितियों के बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन राजस्थान के लिए अव्यवहारिक है। राजस्थान में इस प्रकार की सहकारी समितियां, दूध उत्पादक समितियों को बढ़ावा राज्य सरकार नहीं देती है और यहां पर भी कांग्रेस के लोगों का हव्वा है। इन सहकारी समितियों को भी जो कुछ पैसा मिलता है उसको भी कांग्रेस के लोग ही बांट गए। यदि आप विश्व बैंक के पैसे को भी इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग हजम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता अधिक दिनों तक इसे सहन नहीं करेगी। इसी प्रकार से सरकारी स्तर पर आप दूध पालक समितियां बनाना चाहते हैं, उनके नाम पर आप रेगिस्तानी इलाके में सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं लेकिन वह भी आपका काम पूरा होने वाला

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं है। डेयरी विकास के नाम पर काफी बातें यहां पर कही गई हैं, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी, डेयरी विकास के नाम पर पिछले कई सालों में, मैं सुन रहा हूं लेकिन आपने इस अर्से में कितनी सहकारी समितियां बनाईं, गांव वालों की कितनी दूध एकत्रित करने की सहकारी समितियां बनाईं। फिर सम्पूर्ण लेखा जोखा लें तो सम्पूर्ण राजस्थान में दस बारह समितियां बनी हैं। सहकारी समितियों के नाम पर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की आपकी असफलता है, आप कहेंगे कि सहकारी समितियों के नाम पर दूध इकट्ठा होगा, समितियां दूध का काम चलायेंगी, समितियां दूध बेचेंगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि दूध का आखिर स्टेंडर्ड क्या है, यह भी आपने तय नहीं किया। आपकी जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम के अन्दर जो दूध आता है, जो गरीब जनता को दूध दिया जाता है वह दूध किस प्रकार का है यह तो आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि यह कितना निकम्मा दूध है। केवल चाय के बनाने में काम आ सकता है बाकी किसी काम में नहीं आता। इसी प्रकार से आप बराबर दूसरों को मुनाफाखोर कहते जायं, दूसरों को आप चोर कहते जायं लेकिन आप स्वयं अपने यहां के दूध का भाव बढ़ाते जायं, घी का भाव बढ़ाते जायं और दूध का स्टेंडर्ड घटता जाय। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में आप सहकारी समितियों के मार्फत जिनके द्वारा दूध इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके मार्फत बेचना चाहते हैं उन समितियों का गठन आपने कितनों का किया है यह बतायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन वर्ष में कोई सहकारी समिति नहीं बनी है। रेगिस्तानी इलाके में आप इस प्रकार से काम करना चाहते हैं। आपने अपने इस पोथे में कहा है कि हम रेगिस्तानी इलाके में पशुधन को बढ़ायेंगे, हम उनकी प्रजनन शक्ति को बढ़ायेंगे, उनका गर्भाधान भली प्रकार से हो सकेगा, इन सारी बातों का जिक्र किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपका राजस्थान का जो एनीमल हस्बेंड्री विभाग है वह गांवों में आपके अधिकारी रेगिस्तानी इलाके में कहां पर जायेंगे, वह एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाते। दूध मिलेगा नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में गायें मर रही हैं। हजारों की संख्या में गायें मर रही हैं। आपने कभी दो शब्द गायों के बारे में कहे हैं? मैं समझता हूं कि राजस्थान की लाखों गायें, उनकी प्रजनन शक्ति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, दूध के बारे में आपने आज तक एक शब्द नहीं कहा है। आप कहते हैं कि सरकार योजना बनावेगी, आपके सैक्रेटेरियेट में एक स्पेशल एग्रीकल्चर सैल बना हुआ है वहां पर योजनायें बना-बना कर इकट्ठा कर रखी हैं। वह पांडेजी कहां हैं जो वर्ल्ड बैंक से सारी सब प्रकार की बातचीत करके आए थे उन सब बातों के आधार पर सब प्रकार का वर्ल्ड बैंक से योगदान लिया था। अब वह पांडेजी जयपुर से दिल्ली चले गए हैं, अब यह योजनायें आखिर कौन चलायेगा और इस प्रकार से यहां पर जो योजनायें कभी बनीं थीं, बरकत महबूब र टाइन में बनी थीं, माननीय कृषि मन्त्री जी आपके वक्त में यह डेयरी की योजनायें किसी प्रकार से चलने वाली नहीं है। आपने यहां पर यह कहा है कि रेगिस्तान में घास उगाने का काम, ट्यूबवैल लगाने का

(100)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

काम, पानी पिलाने का काम, पशुधन को सुधारने का काम, प्रजनन का काम यह सारी योजनायें बनाई हैं। यह योजना बनाली और दरअसल जो योजनायें बनाई उनमें कई किलो कागज रद्दी में जरूर सेक्रेटेरियेट में पड़ा होगा लेकिन उन योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। आप भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो पिछले मंत्री दोहराते रहे हैं और आप भी उनको यहां पर दोहरा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की सहकारी समितियां राजस्थान में इस प्रकार से उपयोगी हो नहीं सकेगी। मैं आप से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि राजस्थान की नित्य प्रति पचास हजार गायें प्रति वर्ष दिल्ली को जाती हैं तो क्यों जाती हैं? आप कहेंगे कि वह निर्बल गायें हैं। निर्बल गायें, बूढ़ी गायों का क्या उपयोग। यदि वे मर जाती हैं और लोग उनका मांस खाते हैं तो इसमें कौनसा दुरुपयोग हो गया यह आप कह सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुर्बलता के आधार पर तो आप कह देंगे पर दूसरी गायें हृष्ट-पुष्ट गायों को जो राजस्थान के निवासी बेचते हैं और वह रख नहीं सकते तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उनके पास इन गायों को रखने के लिए साधन नहीं हैं, उनके पास चारा नहीं है, तो दोनों में कौनसी बात असत्य है। वह बूढ़ी गायें तो मर जायं लेकिन यह जवान गायों को लोग बेचते हैं तो आखिर क्यों बेचते हैं कभी आपने इस ओर चिंतन किया है। मैं समझता हूं कि आपने कोई चिंतन नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बेकार से बेकार गायें हैं कम से कम पांच लीटर दूध वे भी देती हैं। पांच लीटर दूध जो है वह देती हैं और मजबूरी में पांच लीटर दूध देने वाली गायें वह भी बूचड़खाने में जा रही हैं। लोग बेच रहे हैं। आखिर उनके लिए आपकी कोई योजना नहीं, प्रजनन शक्ति उनकी कैसे बढ़े इसकी कोई योजना नहीं। इसलिए मुझे यह निवेदन करना है कि यह आपकी थोथी घोषणायें हैं। इन थोथी घोषणाओं के आधार पर, इन नारों के आधार पर मुल्क नहीं चलने वाला है, देश नहीं चलने वाला है। ठोस योजनाओं के आधार पर ही प्रान्त चलेगा, देश चलेगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ऑपरेशन फ्लड के नाम पर जो प्रोग्राम बनाया। वह आपरेशन फ्लड बनाया तो उसमें गायों का भरण-पोषण किस प्रकार से होगा, गऊ वंश का किस प्रकार से ठीक उपयोग होगा या गायों का विकास किस प्रकार से होगा यह कुछ मालूम नहीं होता गोपाष्टमी की छुट्टी करके माननीय मंत्री जी आप और आपके दूसरे अन्य मंत्री जी विभिन्न प्रकार के भाषण देने को चले जाते हैं लेकिन उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। आज दिल्ली में, बम्बई में गायें जा रही हैं, बराबर जा रही हैं, बूचड़खानों में जा रही हैं, उनके लिए आपने कोई कार्यक्रम बनाया? राजस्थान का गऊ वंश इस प्रकार से समाप्त होता चला जाय उसको रोकने के लिए आपने किसी प्रकार का कार्यक्रम बनाया? नहीं बनाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेयरी के नाम पर वर्ल्ड बैंक के नाम पर जो नारा दिया है, जो हमें सदन में कहा गया वह एक भयंकर भुलावा है। भयंकर भुलावा है कि राजस्थान में दूध की नदियां बहायेंगे। माननीय मंत्री जी दूध की नदियां तो क्या आप राजस्थान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। आप

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राजस्थान में दूध की नदियां तो क्या राजस्थान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा दें, पानी की ही नदियां बहा दें तो मैं आपकी वाहवाही कर दूंगा लेकिन यह आप से नहीं हो सकता। आप वर्ल्ड बैंक के नाम पर दूध की नदियां बहाना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेयरी के नाम पर सरकार धोखा देने जा रही है यह मेरी चेतावनी है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

वर्ल्ड बैंक का नाम जोड़कर राजस्थान के गरीब किसानों को, राजस्थान के गऊपालकों को आप धोखा देना चाहते हैं। यह भयंकर धोखा होगा यह आपको चेतावनी देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपको व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए और योजना विशेष कर गऊ पालकों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए बना कर उनको अधिक सुविधा दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे राजस्थान के बोर्डर के इलाकों को जो विश्व बैंक के अधीन रखना चाहते हैं यह एक फ्रॉड है, इससे सरकार की बड़ी बदनामी होगी, अच्छाई नहीं होने वाली है। आखिर में डेयरी के नाम पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत लोग अपनी गायें रखते हैं, पांच लीटर ही दूध चाहे देन वाली गायें हों उनको रखते हैं और उनका दूध पीते हैं। पौष्टिक आहार उनको मिलता है दूध के रूप में और उसकी छाछ बनाते हैं और घी बनाते हैं। छाछ को बनाने के आधार पर अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। यहां पर जैसा मैंने निवेदन किया कि पांच लीटर दूध जो मिलता है उससे घी और छाछ बना कर उसके आधार पर अपना काम चलाते हैं, उनसे आप दूध किस भाव से खरीदना चाहते हैं, यह आपने घोषणा नहीं करी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनिट में समाप्त करता हूं। यदि आप उनसे दूध इस प्रकार से लेना चाहते हैं तो किस भाव से लेंगे यह बताया नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि गऊ पालक जिनका पौष्टिक आहार दूध है, जो निर्बल है, जो छाछ और घी बना कर अपना काम चलाते हैं उनको आप किस प्रोग्राम के आधार पर चलाना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं कह कर आप उनको कब्जे में करना चाहते हैं। क्या कीमत देंगे यह निर्णय किया नहीं। क्या पौष्टिक आहार उनको और मिलेगा यह निर्णय किया नहीं। बाकी आपके डिपार्टमेंट की हालत तो यह है कि बीकानेर में एक चपरासी, काम करने वाला क्लर्क, पशुपालन विभाग के कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है। अपाइन्टमेंट क्लर्क के लिए किया गया और उसका चपरासी बना दिया गया। टंकण लिपि पास, अपाइन्टमेंट क्लर्क का, उस पद पर काम किया और उसके बाद उस क्लर्क को आपने चपरासी बना दिया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि क्लर्क चपरासी बना दिया गया इस गोपालन विभाग में, ऐसे अन्याय को आप दूर करें। इसी प्रकार के आपके यहां पर गांधी काम कर रहे हैं जिन्होंने राजस्थान की प्रतिष्ठा को गिराया है, मैं आशा करता हूं कि आप उनको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निलम्बित करेंगे और इसकी जांच करेंगे। आपको X X X कर देने से आप इसको खटाई में न डालें। ऐसे अधिकारी को अधिक समय तक अपने पद पर न रहने दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सीमित समय में राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में जो दुग्ध योजना प्रारम्भ की गई है, उसके बारे में कहूंगा। राज्य सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक पाइलट स्कीम 1964 में प्रारम्भ की। इसका उद्देश्य यह था कि आसपास से दुग्ध एकत्रित करके शहर में वितरित किया जाय और गांवों का पाइलट स्कीम से सीधा सम्पर्क हो जाये और बिचौलियों को समाप्त किया जावे। इस उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई और प्रारम्भ करने के बाद 64 से लेकर आज तक जिस उद्देश्य से यह प्रारम्भ की गई वह उद्देश्य समाप्त हो गया है। ये कहते हैं कि उदयपुर में दुग्ध पाइलट स्कीम है और इसके माध्यम से जनता को दूध वितरित किया है। उदयपुर की जनता को दूध के नाम पर इस योजना से कितनी राहत मिली है, उसके लिए तो आपको ये आंकड़े ही पर्याप्त हैं। उदयपुर के प्रत्येक वार्ड में पहले दो-तीन बाड़े थे, उनको हटा दिया गया और वे सब पाइलट स्कीम के स्टोरेज में हैं। अब केवल पाइलट स्कीम दूध दे रही है और वह दो लाख की नगरी को केवल 1200 लीटर दूध प्रति दिन दे रही है। राज्य सरकार का इसके ऊपर लगभग 35 लाख रुपया व्यय हो गया है और यह दुग्ध वितरण अनेक अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। दूध देना तो दूर रहा, यह स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 70 मील की परिधि को छोड़ कर यह स्कीम इससे भी दूर जाकर दूध लेती है और प्रारम्भ में यह 62 पैसे में दूध खरीदती थी और 120 पैसे में बेचती थी, जिसमें भी यह योजना घाटे में जा रही है। और अब दूध का भाव दो रुपया प्रति किलो कर दिया गया है उसके बाद भी यह योजना घाटे में चल रही है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य यह होता है कि प्रारम्भ में 15 लाख 44 हजार रुपया इसको अनुदान दिया गया और उसके बाद यहां पर यंत्र लगाये गये। ये यंत्र आज भी बेकार पड़े हैं। जिस उद्देश्य से इस योजना को कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया था, वह यह था कि स्नातकोत्तर छात्रों को इसके माध्यम से शिक्षण दिया जायेगा। वह काम भी नहीं हो रहा है। इस योजना के अन्दर क्या हो रहा है, इसके बारे में, मैं पहले भी बहुत कह चुका हूं। करीब 125 कर्मचारी इसमें नियुक्त किये हुए हैं और डेयरी के नाम पर जो कर्मचारी नियुक्त हैं, डेयरी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वे वहां पर नहीं हैं उनको किसी दूसरे धन्धे पर लगा रखा है। डेयरी फिर कैसे मुनाफे में चलेगी। 6 लाख लीटर दूध प्राप्त कर उसमें से एक लाख लीटर दूध खट्टा बता दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है। इस प्रकार की अनेक अव्यवस्थाएं यहां पर हो रही हैं। जो शुद्ध घी और मक्खन बेचता है, वह पकड़ा गया। उसके बाद इस विभाग ने

X X X ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और वापिस उसको उसी स्थान पर बिठा दिया। समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार क्या करनाती चाह है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 35 लाख रुपया व्यय कर देने के बाद अधिक से अधिक जो दूध प्राप्त किया है तो वह 67-68 में 3 हजार 57 लीटर प्रतिदिन प्राप्त किया है। मेरा विचार है कि इन सारी परिस्थितियों में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह मिल्क पाइलेट स्कीम चलाने का कोई अर्थ नहीं है। न तो इससे शिक्षा ही दी जा रही है, न जनता को लाभ मिल रहा है। इसको सही ढंग से चलाया जाये तो उदयपुर के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा अन्यथा इसको खोलना न खोलना बेकार है। यहां, जयपुर में और दूसरी जगह आपने जो डेयरियां चालू रखी है, उनमें भी गबन हैं। आये दिन समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते हैं। काफी अव्यवस्था है। एम. एल. ए. क्वार्टर के पास आपका जो बूथ है वहां पर महीने भर तक बोतलें पड़ी रहती हैं। वहां पर बेचने वाला सवेरे 5 बजे या 6 बजे आता है और शाम को 4 या 5 बजे। उसके आने के पहले ही आपका विभाग बोतलें रख जाता है और उसके रख रखाव की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कभी कभी तो इन बोतलों को कुत्ते चाटते रहते हैं। मैंने विभाग को लिखा है। मैंने स्वयं ने फोन किया है। यह परिस्थिति विद्यमान है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि उदयपुर की स्कीम को राज्य सरकार अपने हाथ में ले और डेयरी के रूप में चलावे जैसा कि अन्य स्थानों पर सरकार चला रही है। इस विश्व विद्यालय के माध्यम से यह पाईलट स्कीम चलाना व्यर्थ है। राज्य सरकार की तरफ से चलाया जावे तो लाभ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूध वितरण के बारे में मुझे दो बातें निवेदन करना है। आज हर वर्ग चाहे मजदूर हो, व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग संगठित है, उसकी यूनियन है.......

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : गणपूरक घन्टी।

(गण पूरक घन्टी : कोरम होने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष : Continue please.

श्री मीठालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हर वर्ग संगठित है। उसकी यूनियन है लेकिन एक किसान वर्ग ही ऐसा है जिसकी न कोई यूनियन है और न कोई ऐसा संगठन जिसके जरिए वह अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। माननीय सदस्य जो यहां विराजमान है अधिकांश किसान से वोट लेकर यहां आये हैं। परन्तु यहां पर किसान का कोई मामला आता है, किसान की किसी समस्या के बारे में बात आती है तो उस समय इस सदन का कोरम नहीं रहता है। आज सरकार किसानों के ऊपर जिस तरह से हाथ डाल रही है उसी तरह यह सरकार अन्य वर्गों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकती है। क्योंकि सरकार को यह भय है कि इसका विरोध होगा, ये वर्ग संगठित हैं, उनकी यूनियन है। परन्तु सरकार जितना भी

(श्री मीठालाल मीणा)

हाथ किसानों पर डालना चाहती है, डालती जा रही है। क्योंकि सरकार को यह भय नहीं है इसका विरोध होगा, और न वे माननीय सदस्यों का घेराव करेंगे और न वे कोई आन्दोलन करेंगे। लेकिन किसानों के मामले में जिनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं चिन्तित है, यह मैं मानता हूं कि सरकार ने कई उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर काम किया है, बिजली में और सिंचाई साधनों में वह बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा सकी है जितना कि आवश्यक है। जितना टैक्स-भार बढ़ाया जाता है उतना सरकार नहीं कर पा रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

आज किसानों की आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, सीमेंट हो कुओं के बनाने के लिए, या जो कोई भी चीजें हों, चाहे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की बातें ले लें या किसानों की खेती के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं प्रतिदिन काम आने वाली या खेती का उत्पादन बढ़ाने वाली, वे सारी महंगी हैं और सरकार दिनों-दिन उन पर टैक्स बढ़ाकर उनको महंगाई की ओर ले जा रही है। गेहूं की लेवी का रेट 105 रुपया रखा जाता है, लेकिन आज से 10 साल से उत्पादन का जो रेट है वह 10 रुपये के करीब बढ़ा है उसको आप नहीं मानते हैं लेकिन लेवी की रेट 105 को मानते हैं। जब कि खाद और बीज जो वह चाहता है वह पहले से महंगा है और समय पर उपलब्ध नहीं होता है।

बीज के मामले में माननीय मंत्री जी के विभाग की ओर से यह निकला है यह जो खाद और बीज के लिये जो रिपोर्ट दी है प्रगति-विवरण, उसमें गेहूं और चावल के बारे में बतलाया है कि जितनी किसान को आवश्यकता है बीज की गेहूं और चावल की उसका 10 प्रतिशत ही हम पूरा कर सकेंगे। जितनी बीज की मांग है उसका केवल 10 प्रतिशत....

श्री शिवचरण माथुर : यह हाई-यील्डिंग वेराइटी का है।

श्री मीठालाल मीणा : जिससे ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा उसकी मांग का 10 प्रतिशत ही बढ़ा सकेंगे।

चाहे खाद का मामला हो या बीज का मामला हो गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिये कि आज खाद और बीज इतना महंगा पड़ जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि आज किसान का खेती का धंधा इस तरह का हो गया है कि अधिकांश किसान नुकसान में जाते हैं। अगर आंकड़े जोड़कर देखा जाय तो खेती का धन्धा नुकसान का धन्धा हो गया है। हो सकता है कि आपके बड़े-बड़े फार्म मुनाफे में हों.....

श्री शिवचरण माथुर : मेरा कोई फार्म नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : आपका नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े आदमियों का खेती का धन्धा केवल मुनाफे ही मुनाफे का है। उन में मुनाफा ही देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश किसानों का खेती का धन्धा नुकसान का धंधा है, मुनाफे का धंधा नहीं है।

इसके अतिरिक्त भू-संरक्षण का कार्य भूमि-सुधार का कार्य चल रहा है। कई कई जगहों पर बड़ी ऊबड़-खाबड़ जमीन

(श्री मीठालाल मीणा)

है वहां पर लेवलिंग करके किसानों को दी जायगी। वे अपने खर्च से ठीक करा सकते हैं उसके लिए उन्हें लोन दिया जायगा और बुल डोजर्स की व्यवस्था की जायगी लेकिन वह काम सही रूप से नहीं हो रहा है। अगर यह काम हो जाय तो अकेले जयपुर जिले को ही ले लें आज लालसोट तहसील में ही हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है, लालसोट, दौसा और कई एक तहसीलों में जिनमें नदी नाले भी हैं और पानी है, भू-जल मण्डल की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इन हिस्सों में पानी ऊपर है तो वहां की जमीन को जो बेकार पड़ी हुई है बुल डोजर्स से लेवलिंग कर दिया जाय तो चाहे आप उसे एलाट कर सकते हैं, सरकार की तरफ से बेच सकते हैं, चाहे गरीबों में बांट सकते हैं, जैसी चाहे आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इससे जयपुर जिले में ही लाखों एकड़ जमीन आपको मिल सकती है जहां पर बुलडोजर्स से उसका लेवलिंग करके आप स्वयं खर्चा न करें और एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को सौंप दें तो यह मुनाफे का धन्धा पड़ेगा, नुकसान का धन्धा नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मंत्रीजी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि लेवलिंग करके लाखों एकड़ जमीन निकालें और उसका बेचान करके, या खर्चा ही किसानों से ले लें तो यह मुनाफे का धन्धा चलेगा और नुकसान में नहीं चलेगा।

इस प्रकार भू-संरक्षण के मामले में आपने 40 हजार एकड़ जमीन सुधारने का लक्ष्य गत साल रखा था और इस साल 60 हजार का रखा है। इन दो सालों का ब्यौरा तो आपने दे दिया है, लेकिन गत साल में 74–75 में जो आपने 40 हजार का लक्ष्य रखा था उसके बारे में आपने यह नहीं बताया कि प्राप्ति कितनी हुई है। यह लक्ष्य आंकड़ों में ही हैं या प्राप्ति इतनी हुई है वह मेहरबानी करके बतायें। गत साल में क्या प्राप्ति है? आगे के बारे में केवल आंकड़ों पर ही चला जाय या कुछ होता भी है।

गांवों में किसान कुएं बनाते हैं। माननीय मंत्रीजी आपके पास सप्लाई विभाग भी है। वहां पर सीमेंट की कितनी किल्लत है। उसके बारे में समय-समय पर हम निवेदन करते आ रहे हैं। अब चाहते हैं कि कुछ हो जाय। सीमेंट के बारे में यह कहते है कि जयपुर जिले में जिलाधिकारियों ने मना कर दिया है कि हर परमिट पर 50 कट्टे, हर राशन कार्ड पर 20 कट्टे देने में वे असमर्थ हैं। लेकिन किसान अगर एक कुआं बनाता है तो उसको 300-400 कट्टे की जरूरत पड़ता हैं। उसको 20 कट्टों से कुछ नहीं हो सकता है। आप व्यवस्था कर रहे है लेकिन वह व्यवस्था पर्याप्त रूप में नहीं है जिससे किसान आसानी से कुएं बना सकें और इंजिन फिट कर सकें। बिजली की सुविधा को बढ़ायें और दूसरे सीमेंट के मामले में दिक्कत है तो ज्यादे से ज्यादा सीमेंट देने की मेहरबानी करें जिससे किसान अपने कुएं बना सकें। जयपुर जिले में जमीन रेतीली जमीन है और एक किसान कुआं खोदता है लेकिन उसको समय पर सीमेंट न मिले तो जमीन कुए में नीचे गिर जायगी, और उससे किसान को नुकसान होगा। इसलिए किसानों के लिए ज्यादे से ज्यादा सीमेंट देने की व्यवस्था करेंगे।

दूसरा, आपने जयपुर, गंगानगर और कोटा इन तीन जिलों के लिए रखा था कि

(श्री मीठालाल मीणा)

यहां पर दालों की फसलों को बढ़ाने के लिए योजना लागू करने का रखा है, और उसमें आपने अपना लक्ष्य भी रखा है। इन तीन जिलों में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ नई व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जयपुर जिले में कानसी जगहों पर दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए आपकी योजना है, और जयपुर जिले में कौन-कौन सी जगहों पर दालों की फसलें बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किया है, और कहां कहां पर उसका बीज-वितरित किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के सिल-सिले में डेयरी फार्म के बारे में निवेदन करना यह है, कि डेयरी फार्म के लिए आप राजस्थान के पांच पूर्वी जिलों में पांच बड़ी बड़ी योजनाएं साढ़े चार करोड़ की लागत से जो चालू करना चाहते हैं, उसके बारे में निश्चित लक्ष्य क्या होंगे, कहां कहां पर डेयरी फार्म के डिपो खोलना है, और कब से यह योजनाएं चालू कर रहे हैं यह मेहरबानी करके बतायें। जब आपको विश्व-बैंक से लोन स्वीकृत हो गया है तो इसके बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

दूसरा पशुओं के बारे में सरकार खुद यह मानती है कि हमारे पास 520 पशुचिकित्सालय होने चाहिए जिनमें से इस समय 350 उपलब्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यह मानती है कि पशु-चिकित्सालय का कमी है, वैसे तो आदमियों के लिए भी चिकित्सालय बहुत कम हैं, लेकिन जो बोल नहीं सकते हैं उन पशुओं के लिए 550 चिकित्सालय की आवश्यकता है वहां पर हमारे यहां अभी 350 ही हैं, और वह भी ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में है। तो यह पर्याप्त रूप में नहीं है। इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि जैसे मनुष्यों के लिए चलते-फिरते औषधालय होते हैं वैसे ही इन पशुओं के लिए क्यों न रखें ?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें है रिपोर्ट में 44।

श्री मीठालाल मीणा : जयपुर जिले में कितने है ? वे आंकड़ों में ही है या कुछ काम भी करते हैं। जयपुर जिले की किन किन तहसीलों में कहां कहां पर काम किया है ? सवाई माधोपुर जिले में कहां कहां पर काम किया है। आंकड़ों में हो सकता है लेकिन प्रेक्टिकल रूप में कहां कहां पर गये हैं और जाकर कार्यवाही की है ? न तो चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध होती हैं और न इन्जेक्शन्स ही उपलब्ध होते हैं। दवाइयों की चलते-फिरते पशु-चिकित्सालय में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चरागाहों के विकास के बारे में यह निवेदन है कि जो चीज इस बार में राजस्थान सरकार ने की है कि चरागाहों पर जो अनधिकृत कब्जे हो रहे थे उनको हटाया जा रहा है वह तो ठीक है, और भविष्य में चरागाहों का विकास हो और इसके कारण पशु-धन को बचाया जा सकता है और पशु धन और कृषि का दोनों का ऐसा मेल-जोल है और एक दूसरे से बहुत ज्याद सम्बन्धित है। अगर पशु-धन सबल रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो कृषि में काफी सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृषि में जो भारी

(श्री मीठालाल मीणा)

चीजें काम में आती है. खाद और बीज की जरूरत होती है तो उनका प्रबन्ध करें।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं लेवी के मामले में कि जो किसान पर गत साल अकाल था तो 15 दिन में लेवी का सेटल कर सकते हैं को इस साल भी भविष्य के बारे में कि अकाल क्षेत्रों में जो खेती है उनसे लेवी ली जायगी या नहीं ली जायगी । इसके बारे में माननीय मंत्रीजी घोषणा करें क्योंकि किसान की स्थिति दयनीय है, गत साल शीत लहर से उसकी फसल को नुकसान हुआ, इस साल अकाल हुआ । इस बार अच्छी फसल हो रही है या हो जाय तो लेवी उन जिलों में से ली जायगी या नहीं ली जायगी जो जिले अकालग्रस्त घोषित हैं और जिनमें अकाल के काम अभी तक चल रहे है। (समय समाप्ति सूचक घन्टी) मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि अकालग्रस्त क्षेत्र जो हैं उनमें से लेवी ली जायगी या नहीं क्योंकि गत साल शीत लहर से उनको नुकसान हुआ, इस बार अकाल से नुकसान हुआ । इस बार फसल अच्छी हुई है, तो इस साल लेवी ऐसे क्षेत्रों में ली नहीं जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय जहां तक कृषि का संबन्ध है मैं किसान होने के नाते दिनों-दिन यह महसूस करता हूं कि बहुत सी कृषि योजनायें किताबों में रह जाती हैं और जो योजना बनाई जाती है, क्योंकि किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अन्तर है इसलिए कृषि योजनायें किताबी ज्ञान से बनाई जायं और व्यवहारिक ज्ञान से वह नहीं बनाई जाय तो आप कृषि उत्पादन अधिक नहीं कर सकेंगे। अभी हाल ही में बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कृषि उत्पादन देखा कि एक तरफ जन संख्या बढ़ती है और दूसरी तरफ अनाज की समस्या बढ़ती है और जो सरकार रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकती, मैं ऐसा मानता हूं कि वह सफल सरकार नहीं कही जा सकती। इन बातों को देखते हुए हमारी प्रधान मन्त्री कृषि और पशुपालन अधिकारियों से मिलने खुद पधारी और उन्होंने बताया कि इन दोनों विभागों को कैसे सफल बनाया जाय। यह किताबी ज्ञान रखा रह जायगा अगर कृषि उत्पादन को आगे नहीं बढायेंगे । यह कृषि उत्पादन की बड़ी भारी समस्या सरकार के सामने है । आज सरकार कृषि उत्पादन के लिए पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था नहीं कर सकती और जुताई के साधन, रासायनिक खाद के साधन नहीं जुटा सकती है, तो मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन नहीं बढ सकता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, किसान किसी प्रकार हड़ताल नहीं कर सकते हैं। यह बात सही है। आपने अभी कर लगाया, लेकिन किसानों ने यह नहीं कहा कि हमारे ऊपर किस प्रकार यह कर लगाया गया है। वह किसान हड़ताल करें, प्रदर्शन करें तो क्या वह कुएं को नहीं चलाये, या अपने जानवरों को नहीं खोले। आज दूसरे कर्मचारी हड़ताल कर सकते है,

Page No 108

(108)

(श्री शंकरसिंह रावत)

वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप कर्मचारियों के वेतन बढ़ाते जायं, लेकिन अगर कृषि उत्पादन नहीं हुआ तो वेतन बढ़ाना कोई तथ्य नहीं रखेगा। आप वेतन वृद्धि करके पैसा कितना ही बढ़ायें, लेकिन अगर बाजार में अनाज नहीं मिलता है तो उस पैसे से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार विकास योजनाओं के लिए बजट में अधिक पैसा रखे। आपने बजट में शिक्षा के लिए काफी बजट रखा है, शिक्षा के लिए कितना ही बजट आप बढ़ा दें, लेकिन आज जो शिक्षा दे रहे हैं, उससे केवल बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार के सामने ज्यादा से ज्यादा समस्यायें पैदा हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए बजट में कृषि के लिए अधिक प्रावधान करके कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो कृषि उत्पादन बढ़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन से खाद का सम्बन्ध है। कृषि मन्त्री जी ने लेवी का सम्बन्ध खाद से आंका है। आपने कहा कि जो किसान लेवी देगा उसको हम खाद देंगे। मेरा विचार इससे भिन्न है, आप लेवी नहीं लेकर किसानों में काम्पटीशन की भावना पैदा करें, जो किसान गांव में जितना सिंचित रकबा है, उसकी पिलाई करके उन्नत बीज लाकर ज्यादा उत्पादन करेगा उसको विद्युत देंगे और रासायनिक खाद देंगे। यह काम्पटीशन की भावना कृषि के क्षेत्र में होनी चाहिए। आपने काम्पटीशन की भावना परिवार नियोजन के क्षेत्र में कर ली उससे अधिक फायदा नहीं होगा। अगर कृषि उत्पादन में काम्पटीशन करें और किसान को समझायें कि जो किसान सिंचित रकबे में ज्यादा उन्नत बीज डाल कर अधिक उत्पादन करेगा उसको विद्युत और खाद की सुविधा देंगे। तो किसान भी यह सोचेगा कि दूसरी फसल में विद्युत कुएं में लगा कर ज्यादा पिलाई कर सकूंगा और खाद से अधिक उत्पादन करूंगा। तो आपको खाद का सम्बन्ध लेवी से नहीं आंकना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

पानी की समस्या है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आजादी के सत्ताईस साल के बाद भी जितने तालाब हैं, उनकी नहरें कच्ची हैं। अकाल सहायता कार्यों के लिए कहा जाता है कि पक्के काम नहीं करने चाहिए। आज सिंचाई के तालाब जिन नहरों से जुड़े हैं वह कच्ची हैं, उनसे रास्ते में पिलाई की जाती है तो जिस किसान में ताकत है या जो आफिसर से मिल जाय, उसके खेत में सिंचाई हो जाती है और दूसरे किसानों के खेत में पिलाई नहीं होती है। मेरे क्षेत्र में एक नियारा तालाब है, उससे काफी पिलाई हो सकती है और काफी कृषि उत्पादन हो सकता है। लेकिन टेल पर उसी किसान के खेत में पिलाई होती है जो अधिकारी से मिल जाता है। इस प्रकार गरीब किसान मर जाता है और उसके यहां उत्पादन में कमी होती है। ऐसी सूरत में इस पर ध्यान देना चाहिए और कृषि के लिए आज किसी भी हालत में पक्की नहर होनी चाहिए। जिस नहर से किसान दो पानी दे सकते हैं, कुछ लोग चार पानी जितना नुकसान कर देते हैं, रास्ते में नहर में वह तोड़फोड़ कर देते हैं और ताकतवर

(श्री शंकरसिंह रावत)

किसान पानी ले जाते हैं। पुलिस में जो केस दर्ज हुए हैं, उनको आप देखें। रबी की फसल में तालाबों के कई झगड़े नहरों के सम्बन्ध में आये हैं। यह नहरें पक्की बनायें-इसके लिए प्रयास नहीं किया है। इसके अलावा आपने जो नव कूप बनाये हैं वह किसानों को दिये नहीं हैं। कुओं के निर्माण के लिए कृषि ऋण दिया जाता है, लेकिन वह भी मिलता नहीं है। इस स्कीम के अन्तर्गत अजमेर के अन्दर साल भर में किसानों ने कुएं तैयार कर लिये लेकिन उनको लोन मिला नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं कि बड़े आदमियों को लाभ मिलता था वह गरीब काश्तकारों के पास चला जाय, लेकिन गरीब काश्तकारों के पास वह जाता नहीं—यह हमारी भावना है। आज हर इन्सान देखता है कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कहीं से मिल जाय। मैं समझता हूं कि चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, दो नम्बर का धन्धा करने वाले ऋण के पैसे को काम में लेते हैं लेकिन गरीब किसान के घर में जब तक अनाज नहीं आये, वह बड़ी कठिनाई में रहता है। दो दिन पहले जब छींटे पड़ रहे थे, तब शहर में घबराहट नहीं आयी लेकिन किसान में घबराहट थी, यह छोटे मोटे मोटे छींटे आते तो उससे फसल को नुकसान हो सकता था। इससे किसान को रात भर नींद नहीं आई। इसलिए आपकी व्यवहारिक स्कीम होनी चाहिये और जिससे अधिक उत्पादन हो ऐसी स्कीमों की ओर ध्यान देना चाहिये।

आज बिजली कुओं पर नहीं मिल पाती है। आज दो तरह के किसान हैं, कुछ तो ऐसे किसान हैं जिनके यहां ज्यादा मेहनत करने पर भी उपज कम होती है. उनको मेहनत का लाभ बहुत कम मिलता है। कुछ हैं जिनके यहां कम साधनों से ज्यादा उपज होती है। कुएं बड़े लाभदायक हैं आज किसान के लिए। मेरा निवेदन है कि आज गांवों में जो कुएं हैं वहां विद्युत पहुंच जाय तो कम पैसे में ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। अगर वह बैल से सिंचाई करें तो एक बैल की जोड़ी दो हजार में आती है, इसके अलावा दूसरे साधन लेते हैं, चरस वगैरह, वह भी महंगे हैं। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की योजना हो किसानों को बिजली देने के लिए। आज बिजली विभाग ऐसा हो गया है, जो रेवेन्यू विभाग से भी बढ़ कर है। आपको मालूम है और अखबारों में भी देखते हैं, ऐसे लोग इस विभाग में आ गये हैं जिनका काला मुंह करके गधे पर बैठा कर जलूस निकालने लगे हैं। आज किसान इस विभाग से ऊब चुका है। आप इतिहास में देखें तो हमारा ऐसा किसान है, जिसकी जब मृत्यु होती है तो वह बोहरों का कर्ज बताकर मरता है। सेठ कभी हल चलाता नहीं, कभी खेती का धन्धा करता नहीं वह अपनी जो पूंजी है उसका बंटवारा कर सकता है, लेकिन गरीब किसान आज भी कर्ज का बंटवारा करके मरता है। जिस देश का किसान अच्छा होगा, वहां की सरकार भी अच्छी हो सकती है, वहां के सेठ भी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, कृषि मंत्री महोदय को चाहिए कि किसानों को अच्छा बीज दें, अच्छा खाद दें।

बीज के सम्बन्ध में निवेदन है कि जो रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर हैं, मैं निवेदन करूं सिर्फ पैसा कमाने के लिए रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर बनाये जाते हैं। वह जो बीज पैदा

(श्री शंकरसिंह रावत)

करते हैं उसमें दूसरा बीज मिक्स कर दिया जाता है। एक तो बीज किसानों को समय पर मिलता नहीं, दूसरे उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तबीजी का फार्म है, वह किसानों का फार्म है। वहां काफी बीज पैदा किया जाता है। वह कहते हैं कि यह पैसा कमाने के लिए नहीं है, हम तो उन्नत बीज पैदा करते है। किसानों को ही आप अच्छा बीज पैदा करने के लिए कह दें। आज से बीस साल पहले ऐसा किसान था जिसमें कम्पिटीशन नहीं, लेकिन अच्छा बीज रखता था, भुट्टे का अलग, बाजरे का अलग, उन्नत बीज स्वयं रखते थे। आज किसान सरकार पर निर्भर कर दिया गया है। वह सोचता है, सरकार बीज दे देती है इसलिए मैं तो अनाज खाने के लिए रखूं। इसलिए आपको यह भावना पैदा करनी पड़ेगी कि वह स्वयं उन्नत बीज रखे और उसमें कम्पिटीशन की भावना होनी चाहिए। आज बीज के लिए पंचायत द्वारा पैसा दिया जाता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें भौगोलिक दृष्टि से विचार नहीं होता है। ज्वार के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है लेकिन साठी ज्वार है, उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और पानी वक्त पर दिया जाता है। लेकिन ऐसा बीज उपलब्ध नहीं होता है इसलिए कृषि उत्पादन में पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

कृषि उत्पादन के साथ साथ मेरा निवेदन है कि जो कृषि ऋण दिया जाता है, उसमें पंचायत समितियों की रेट्स हैं, उससे मूलधन जो है, उससे अधिक ब्याज की राशि वसूल करते है, जो कानून के खिलाफ है। मूलधन है एक हजार लेकिन ब्याज बारह सौ हो जाता है। ऐसा क्यों हो? इसलिए आपको कृषि ऋण के सम्बन्ध में सोचना चाहिए कि जो मूलधन है उससे अधिक ब्याज नहीं लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि खाद के संबंध में आपका 105 का भाव है। इसको आप कम कीजिये और सब्सीडी या अनुदान इस तरह का दें ताकि किसानों का हौसला आगे बढ़े।

इसके अलावा पशु पालन के सम्बन्ध में निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, आज पशुधन के विकास के लिए वेलफेअर स्कीम के अन्तर्गत अजमेर जिले में छोटे किसानों को भैंस और गाय दे रहे हैं। वहां ऐसी पथरीली जमीन है, जहां घास का प्रबन्ध नहीं है। ठीक है सौ रुपये की आमदनी का जरिया हो जाय और वह पशु पालन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि हरियाणा की भैंस दी जा रही है वह यहां कुछ नहीं कर सकती उसके लिए यहां का पानी माकूल नहीं। मैं 12 साल तक प्रधान रहा, हम बीकानेर से मेढे लाये जो बहुत फूले फले। इसलिये लोकल भैंस ही आप किसान को दीजिये। हरियाणा की भैंस हरियाणा की भूमि में ही पल सकती हैं। हरियाणा से भैंस लाने में बीच के जो एजेन्ट्स हैं उन्हें भले ही कुछ फायदा हो सकता है, बाकी किसान को तो नुकसान ही है। जितना चारा हम हरियाणा की भैंस को खिलाते हैं, वह लोकल भैंस को खिलायें तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)। आपके अधिकारी तो यह भी नहीं बता सकते कि कितनी जमीन में कितना बीज बोना चाहिये। मैंने एक ग्राम सेवक से पूछा कि जी० के० के एक

(श्री शंकरसिंह रावत)

बीघे में कितना बीज डालना चाहिये तो उसने उत्तर दिया कि तीस सेर। इसी प्रकार एक पशु प्रसारण अधिकारी से पूछा कि घोड़ी के कितने थन होते हैं तो वह बता नहीं सका। मेरे विचार से मंत्रीजी भी यह नहीं बता पायेंगे कि घोड़ी के कितने थन होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह एक जवाब दे देंगे आपको।

श्री शंकर सिंह रावत : इसका जवाब जरूर दिलावें।

इसी तरह डेयरी के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि डेयरी वाले दूध में पाउडर मिलाते हैं। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। हमारे पुराने आदमी तो दूध को बेचना पाप समझते थे, और फिर दूध में मिलावट की जाये, वह तो बिलकुल ही ठीक नहीं। दूध में पाउडर मिलाने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। कई दफा हमारे यहां गवर्नमेंट होस्टल में दूध आता है वह फट जाता है। जब तक दूध में हम शुद्धता नहीं लायेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

आज दो बार वर्षा हो गई, इससे स्थिति कुछ सुधर गई। अगर यह वर्षा नहीं होती तो बहुत परेशानी हो जाती। तो मेरा निवेदन करना है कि दूसरे बजट का कम करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल।

श्री जयकिशनलाल तोषावड़ा (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के संबंध में जो मांग हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान हमारे देश की धरोहर है, और यह स्पष्ट है कि गांवों में 80 प्रतिशत जनता आज कृषि पर ही निर्भर करती है। यदि आज कृषि का व्यवसाय कम कर दिया जाये तो आप और हम जिस परिस्थिति में हैं वह नहीं रह सकती। क्योंकि किसान वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसके कृषि उत्पादन करने से ही देश का काम चल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक किसान को उन्नतशील नहीं बनायेंगे तब तक हमारे देश की परिस्थिति कमजोर रहेगी। और यह किसान वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसने अभी तक कोई संघ नहीं बनाया। क्योंकि अगर किसान संघ बनाता है तो हर व्यक्ति उसके संघ को छिन्न विछिन्न करने पर उतारू हो जाता है। अपनी मेहनत से वह अनाज पैदा करता है और उसी अनाज को खाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां पर भी आप, जिस प्रकार की भी योजना बनायें और कार्यक्रम बनायें, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जो भी रीति-नीति बनायें, उसमें किसान वर्ग को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। अगर किसान वर्ग को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो इस देश का कल्याण नहीं कर सकेंगे। किसान वर्ग के साथ इस देश का खेतीहर मजदूर भी जुड़ा हुआ है। हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 26 जनवरी को गरीब लोगों को आवासीय भूखण्ड देने की घोषणा की और हमें खुशी है कि इस दिशा में राजस्थान ने पहल की है, उसके लिये तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ

(श्री जय किशनलाल तोसावड़ा)

एक योजना बनाकर आप किसान वर्ग को सुविधाएं दें तो हमारी कृषि का पूर्ण रूप से उत्पादन हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गांव के रहने वाले हैं और हम भी बहुत से गांवों में रहने वाले हैं। किस तरह से किसान खेतों में अपना जीवन व्यापन करता है, हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब कभी भी सरकार कोई रीति और नीति बनाये तो किसान को कृषि सम्बन्धी जो भी उपकरण हैं, वह समय पर उपलब्ध कराने की नीति बनायें। अगर यह सब समय पर उपलब्ध हो जाये तो किसान परेशान न हो। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आज हम बैठे हैं वह किसी चुनाव के माध्यम से बैठे हैं, या संसद में आज एम. पीज. बैठे हैं वह भी किसी चुनाव के माध्यम से वहां बैठे हैं। यह भी किसान की देन है क्योंकि व्यापारी वर्ग तो हमको नहीं चाहता, वह हमारी पार्टी से खुश नहीं। केवल मजदूर और किसान ही हैं जो हमारी सरकार का समर्थन करते है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हम किसान की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं देंगे तब तक किसान वर्ग का फायदा नहीं हो सकता। और साथ साथ हमारे देश का धन भी कम हो जायेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो चीजें खेती के लिये आवश्यक हैं, जैसे बीज फर्टिलाइजर और डीजल, जिनके अभाव में आज किसान परेशान हो रहा है, उनके बारे में सरकार को चाहिये कि किसान को वह सब आसानी से उपलब्ध कराये, ताकि जिस प्रकार की कृषि में उन्नति हो रही है उससे चार गुना अधिक उन्नति हो सकती है। आज किसान के सामने क्या समस्या है? आपने बीज के लिये कारपोरेशन बना दिया। किसी पंचायत समिति के माध्यम से सही वितरण किया जाये तो किसी प्रकार से लाभदायक हो सकता है। आज डीजल उनको समय पर नहीं मिलता, इससे उनकी खेती सूख जाती है। अगर आठ दस दिन निकल जायें तो खेती किसी काम की नहीं रहती। समय पर पानी बहुत आवश्यक है और समय पर पानी नहीं मिला तो फसल की पैदावार कैसे होगी? इसी प्रकार से खाद की स्थिति है। यदि खाद भी समय पर नहीं डाला गया तो फसल किसी काम की नहीं रहेगी। अगर दो चार दिन भी बीच में पड़ गये तो सारी फसल बेकार जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खेती के सम्बन्ध में जो यह सारी की सारी चीजें किसान वर्ग के काम में आने वाली हैं, उनका सही समय पर वितरण कर दिया जाये तो किसान वर्ग का भी लाभ हो सकता है और हमारा भी लाभ हो सकता है।

साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आज प्रत्येक दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती महंगाई में हमें किसान को काम आने वाली चीजों का मूल्य भी निर्धारित करना पड़ेगा। अगर इनका मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे तो किसान का उत्थान नहीं हो सकता। एक तरफ तो हम किसान से लेवी लेते हैं और लेवी लेते समय हम लोग उन किसानों को समझाते है कि लेवी देनी चाहिये और किसान, जो एक भोला वर्ग है, वह हमारे कहने में आ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन ब दिन महंगाई

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

बढ़ती जा रही है कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि लेवी के भाव जो निर्धारित करे उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हमने सुना कि जब हमारे देश के मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग लेवी के भाव के बारे में हुई तो उसमें हमने ऐसा सुना है कि भाव 105 रुपये प्रति क्विन्टल तय किया गया है। मेरा निवेदन आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह है कि जैसा कि हमने लेवी के भावों के बारे में सुना है उसके अन्दर किसी न किसी प्रकार की हेरी फेरी करना आवश्यक है। अगर आप लेवी के भाव में हेरा फेरी नहीं करते हैं तो आपको चाहिये कि आप किसानों को खाद, बीज अच्छे किस्म के तथा डीजल वगैरह की पूरी सहूलियतें देने की कृपा करें। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो काश्तकार को काफी नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज आप का काश्तकार जब अपने कुए पर इन्जिन लगाता है और वह इन्जिन अगर एक घण्टे तक चलता है तो 52 रुपये का डीजल खर्च होता है। उसमें दो या ढाई बीघा जमीन की पिलाई होती है। उसमें पांच मन अनाज पैदा होता है उससे ज्यादा पैदा नहीं होता। और, उपाध्यक्ष महोदय, कीमतें आज डीजल की, अच्छे बीजों की, अच्छी खाद की दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार को, इन चीजों के मूल्य निर्धारित कराकर आप उन निर्धारित मूल्यों पर खाद, बीज और डीजल दिलाने की व्यवस्था करावें।

एक माननीय सदस्य : ढाई बीघा में पांच मन अनाज कहां से होता है? इसमें ढाई बीघा पिलाई भी कहां हो सकती है?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : कच्चा बीघा जो पहले होता था वह पक्का एक बीघा हो जाता है। तो मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि काश्तकारों को अच्छी किस्म की खाद, अच्छी किस्म के बीज और डीजल निर्धारित मूल्यों पर दी जावे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रामीण काश्तकार की हालत खराब हो जायगी। अगर आप निर्धारित मूल्यों पर यह चीजें काश्तकार को उपलब्ध करा देते हैं तो काश्तकार को कभी भी लेवी देने में एतराज नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां आज जो किसान हैं वह अशिक्षित है और पुराने जमाने के तौर तरीके अभी भी काम ले रहा है। वहां पर वही पुराना ढर्रा चल रहा है। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि पंचायत समिति स्तर पर या तहसील लेवल पर किसानों को प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाय जिससे कि उनको आज के युग में किस तरह से अपनी उपज बढ़ा सकें, वह ज्ञान पैदा हो सके। इसके लिए आप चाहें तो तीन महीने या छः महीने या एक साल की ट्रेनिंग काश्तकार को देने की व्यवस्था करें। इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये सर्वेक्षण भी करा लिया जाय। और उसी आधार पर पंचायत स्तर पर या तहसील लेवल पर आप एक समिति बना दीजिये जिसमें उस क्षेत्र का विकास अधिकारी हो उस क्षेत्र का एम० एल० ए० हो और प्रधान पंचायत समिति तथा वहीं के 4–5 काश्तकार हों जो उसके लिये कार्य

Page No 114

(114)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

करें। यह समिति फिर बाद में समय समय पर किसानों को प्रशिक्षित करे। इसमें अलग अलग जगहों के लिये अलग अलग स्थान प्रशिक्षण के होने चाहिये। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को आज विदेशों में किस तरह से प्रोडक्शन बढता है किस तरह से साइन्टीफिक खेती होती है उसका प्रशिक्षण भी दिलाया जाना चाहिये। जिससे वह जाकर वहां के आधुनिक कृषि के तौर तरीके सीख सके नहीं तो आज भी हमारे देश वही प्राचीन तौर तरीके खेती में चल रहे हैं। आप उन्हें ट्रेनिंग विदेशों में दिलावेंगे तो वह लोग खेती में उन्नति कर सकेंगे।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि एक तरफ तो चीजों की कीमतें बढ़ रही है, आज किसान को समय पर निर्धारित मूल्य पर न खाद मिलती है, न बीज मिलते हैं और न डीजल मिलता है जिससे कि काश्तकार की कमर टूट गई है, दूसरी तरफ वह प्रशिक्षित भी नहीं है। अभी अभी जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकरसिंह जी रावत ने कहा कि आजकल के अधिकारियों को घोड़ी के स्तन कितने होते हैं यह भी पता नहीं है। यह बात वास्तव में सही है कि आज के अधिकारियों को घोड़ी के स्तन का पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप जानते हैं?

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : हां मैं जानता हूं कि घोड़ी के कितने स्तन होते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आजकल के आई.ए.एस. ऑफिसर के लड़के वगैरह जो ए० ई० और वगैरह हो जाते हैं उन्हें प्रेक्टिकल अनुभव तो होता नहीं है यह लोग परीक्षा पास करके आ जाते हैं उन्हें अगर पूछ लिया जाय कि जीरे का पेड़ कितने फीट लम्बा होता है वह नहीं बता सकते हैं। मैं आपको मेरे जमाने की बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग महाराजा कालेज में पढ़ते थे तो उस वक्त बड़े आफिसरों के लड़के लेक्चरार बन कर आ जाते थे। हमारे इकोनोमिक्स के लेक्चरार थे उन्हें कई बातों का पता नहीं था जब हम कोई प्रश्न पूछते तो वह नहीं बता सकते थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कम से कम गुरू की बदनामी तो मत करो।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं बदनामी नहीं कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको वास्तविक ज्ञान प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होता। वह तो रटरटाकर पास होकर आ जाते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि इसके लिए किसानों को और जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर हैं उनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। यह जितने भी आई. ई. ओ. वगैरह हैं...

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह आई. ई. ओ. नहीं है ए. ई. ओ. की डिग्री मिलती है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : डिग्री से क्या होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है

श्री परसराम मदेरणा : डिग्री तो विश्वविद्यालय से मिलती है।

(व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज । ग्रॉर्डर प्लीज ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको प्रेक्टिकल अनुभव होना चाहिये । नहीं तो आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो खेती होती है उसमें अधिकतर काश्तकार वही लाव और चमड़े की चड़स से खेती में पानी देते हैं । उनको मशीनरी का ज्ञान नहीं है । और जो आज नये कृषि अधिकारी आते हैं वह बड़े बड़े आफिसरों के बच्चे आते हैं जिनको कुछ भी अनुभव नहीं होता, और बगैर अनुभव वह सही प्रकार से खेती के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि ट्रैक्टर्स से खेती की जाय । यह तो ठीक है कि ट्रैक्टर्स से खेती करने पर फायदा हो सकता है लेकिन ट्रैक्टर्स से खेती करना आता नहीं दूसरे अभी एग्रोइण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन ने 1500 या दो हजार ट्रैक्टर्स बेचे हैं काश्तकारों को उसमें जिन्होंने यह शर्त भी लगा दी कि पार्ट्स वही उपलब्ध करा देंगे । लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज ट्रैक्टर्स पार्ट्स काश्तकारों को उपलब्ध नहीं होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह चाहें तो इसके बारे में सर्वेक्षण भी करा लें । कहीं भी कोई भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है । पार्ट्स तो दूर रहे ट्रैक्टर्स के ट्यूब और टायर भी नहीं मिल पाते हैं और जब बेचारे काश्तकार ट्यूब टायर वगैरह लेने जाते हैं तो उन्हें डांट फटकार कर निकाल दिया जाता है । अभी एक टूटू का किसान मुझे मिला था वह कह रहा था कि एक ट्रैक्टर यूनिवर्सल रोमेनियम 65 हार्स पावर का उन्हें मिला है । इसके पुर्जे आज कहीं भी नहीं मिल रहे हैं । अब बेचारा काश्तकार कहां से यह अमेरिकी, और इग्लैंड और फ्रांस के बने हुए ट्रैक्टरों की मशीनें, उनके पुर्जे वगैरह मंगायेगा ? यहां तो कोई पार्ट एवेलेबल नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकार को इन सभी चीजों को आप सस्ते दामों में और समय पर मुहैया करावें । अगर आप काश्तकार की मदद नहीं करेंगे तो हमें काफी तकलीफ हो जायगी । उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार की वजह से हमें अनाज मिलता है हमारी भूख और प्यास मिटती, है हमें कपड़े मिलते हैं । इसलिये मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको उनके काम में आने वाली हर चीज निर्धारित मूल्य पर मुहैया करानी चाहिये । चाहे उनके लिये आपको कितना ही खर्चा क्यों नहीं करना पड़े । इसके लिये आपको चाहिये कि दूसरी योजनाओं को काट दीजिये । आज बेकार परिवार नियोजन पर इतने रुपये खर्च कर रहे हैं उन्हें काट दीजिये और वह पैसा काश्तकार के काम में लीजिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : परिवार नियोजन की योजनायें काट देंगे तो आबादी बढ़ जायगी । खाने को कहां से देंगे ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : आप नहीं जानते हैं कि खेती क्या होती है आप तो व्यापारियों की बात करो तो मेरा निवेदन यह है कि, उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार हमको खाने को अनाज देता है पहनने को कपड़े देता है सारी हमारी सुख-सुविधायें उपलब्ध कराता है ।

Page No 116

(116)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

हमें वह राज भी देते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि चाहे कोई विशेष रूप से स्पेशल योजना बनानी पड़े, किसानों को जितना ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके पहुंचाये तो इससे बहुत लाभ हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूंगा।

अब मैं पशु पालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज हम हमारे राज्य में पशुओं की स्थिति देखें तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय और शोचनीय है। पशुओं का और कृषि का बहुत ज्यादा घनिष्ट सम्बन्ध है। अब तो कई स्थानों पर मशीनों से काम लिया जा रहा है जिससे पशुओं का ज्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन जो गरीब किसान हैं, वह मशीनों के उपयोग करने के लिये ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता या उसके पास और साधन नहीं हैं वे लोग पशुओं का ही ज्यादा उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों का तो सारा का सारा जीवन-यापन का आधार ही पशुओं पर निर्भर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक पशुपालन की ओर विशेष रूप से हम ध्यान नहीं देंगे तब तक खेती में निश्चित रूप से कमजोरियां आती रहेंगी।

पशुपालन के लिये विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि आज हमको चरागाह की बड़ी आवश्यकता है, पशुओं को चराने के लिये अच्छे साधनों का भारी अभाव है और इसकी वजह से खेती में भी कई प्रकार की कमी नजर आती है। तो मेरा निवेदन है कि पशुओं के लिए चरागाह की स्थिति को बहुत ज्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

साथ ही साथ प्रजनन की भी योजना पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके जरियेबहुत अच्छे और हृष्ट-पुष्ट बन सकते हैं इसलिए प्रजनन की योजनाएं बनाकर पूर्णरूप से उसका लाभ पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर का इलाका जो हर साल अकाल की चपेट में आता रहता है, किन्तु वहां पर पशु धन बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध है हमको इस पशुधन की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करनी चाहिए और इसका अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। अकाल की परिस्थितियों को दूर करने के लिये यदि वहां पर विशेष रूप से योजनाएं बनाई जा सकें तो उचित होगा। और हजारों की संख्या में वहां से लोग पशुओं को लेकर प्रस्थान करते हैं, कभी मध्यप्रदेश, कभी उत्तरप्रदेश और कभी हमारे पूर्वी इलाके की तरफ आते हैं, उनके साथ साथ में कई प्रकार के झगड़े होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से पशुपालन के लिये योजना बनावें और पशुओं की जितनी रक्षा की जा सके यदि करें तो बहुत ज्यादा लाभ हमको मिल सकता है। इसके अलावा और भी कई लाभ हो सकते है, जैसे गायें है उनके बैल होते हैं, वे खेती में हल जोतने के लिये और कई काम में आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट और बोलूंगा।

तो मेरा निवेदन है कि जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों की तरफ भेड़ें भी बहुत होती हैं, उनको उन को अगर सही ढंग से बढ़ाने की कोशिश करें

(श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा)

और काम में लिया जा सके तो हमारे देश में तो काम आती ही है, हम इसका निर्यात विदेशों में कर सकते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि विशेष प्रकार की नस्लें पैदा करने की योजना बनानी चाहिए। उनमें नस्लों का सुधार करना चाहिए और उनके लिये चरागाहों की समुचित व्यवस्था करें और गडरियों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति करेंगे तो पशुधन से हमको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। क्योंकि मनुष्य की तो मरने के बाद कोई चीज काम नहीं आती है परन्तु पशुओं की खाल, ऊन और हड्डिया आदि सभी चीजें काम आती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इनकी स्थिति को सुधारा जाय।

तीसरी चीज मैं, उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी के सम्बन्ध में कहता हूं। इसका सम्बन्ध भी पशुधन से घनिष्ट है। जहां पर अधिक संख्या में पशु हैं वहां पर दूध, घी, मक्खन और क्रीम वगैरह अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। इस लिए ऐसे इलाकों का जहां पशुओं की मात्रा अधिक है उनका सर्वेक्षण कराकर चाहे इसके लिये समितियां बनानी पड़े, उन स्थानों पर डेयरी प्लान्ट खोल दिये जायं तो वहां के किसानों को और जो मवेशी-पालक हैं उनको और वहां की जनता को रोजगार का एक साधन मिल जायगा और दूध का मक्खन, क्रीम और घी वगैरह का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है।

हमारे फागी और चाकसू की तरफ भी पशुधन बहुत ज्यादा संख्या में है, उनकी दूध की मात्रा भी बहुत अच्छी है। सारे राजस्थान में यहां पर दूध बहुत अच्छा होता है उसका घी भी अधिक निकलता है, अच्छी क्वालिटी का भी होता है और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद की तरफ जाता है, वहां के लोग कहते हैं कि काटेड़ा का घी आना चाहिए, वे इस इलाके को काटेड़ा कहते है। वे इधर के घी को बहुत अधिक पसन्द करते हैं इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फागी और चाकसू में दो डेयरी प्लान्ट लगायें जायं तो मैं मन्त्री महोदय का बहुत आभारी होऊंगा जिससे वहां के किसानों को और गरीब वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग संख्या 38 और 36 क्या इन दोनों को साथ साथ ही लिया जा रहा है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां साथ-साथ ही।

श्री उपाध्यक्ष : आज की कुल मांगें एक साथ ही ली जा रही हैं।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि का सवाल है, राजस्थान में, मैं यह मानकर चलता हूं कि बहुत अधिक इस तरह की स्थितियां हैं कि अगर हम अपने तमाम साधनों का अच्छी तरह से उपयोग करें तो हम अपने यहां की आबादी के अच्छी तरह से खाने के लिये ध्यान दे सकते हैं और कुछ बचा भी सकते हैं। हमारे अकेले गंगानगर जिले में ही अगर कोआपरेशन हो और उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया जाय तो जिस तरह से नये बजट में योजनाएं रखी गई हैं और राजस्थान कैनाल और दूसरे एरियाज के लिये कि भूमि को हम समतल करके उसको उपजाऊ बनायेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि कृषि उपज में बढ़ोत्तरी होगी और हमको निराश नहीं होना पड़ेगा।

(श्री दीपंकर)

अब सवाल यह आता है कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती रहें और जो लोग दूर-दूर गांवों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कम से कम वस्तुओं का उपयोग अपने शरीर के लिये करते हैं और जो पड़े हैं जंगल में उनको हम क्या सहायता पहुंचा सकते हैं, उसके लिये मेरा निवेदन है कि जो योजनाएं सरकार की हैं उन योजनाओं को हम कागजों में, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और राजस्थान की राजधानी में, पत्रों में चर्चा करके उन तक सुविधायें पहुंचा दें ताकि वे भी अपने साधनों में वृद्धि कर सकें। उसी तरह से कई प्रकार की कल्याण-कारी योजनाएं भी बनायी जानी चाहिए। अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने कई स्थानों पर कुए खोदें हैं, उनका 6-6 महीने, 12-12 महीने हो गये उनको अभी तक बिजली नहीं दी गई हैं तो उनका बिजली के बिना क्या उपयोग हो सकता है, बिजली देने से ही खेती की उपज बढ़ायी जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सही मायने में जांच कर नहीं रनी, कोई भी विभाग ऐसे ही योजना बनाकर भेज देता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि विभागों में एक प्रकार का तालमेल होना चाहिए। यह प्रयत्न किये जाने चाहिए कि कृषि की उपज ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। इस तालमेल की वजह से लोगों को तकलीफें होती हैं कि उनको समय पर कोई बीज नहीं मिलती। लोग उपज को बढ़ाने के लिये तैयार बैठे हैं इसलिये जरूरी है कि जितने बेरे खोद चुके हैं, हर तहसील में, जैसे मेरी कान्स्टीट्यू-एन्सी में इस समय 6 मशीनें काम कर रही है, परन्तु 6,7 महीने हो गये उन बेरों में बिजली नहीं मिली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उपज बढ़ाने की नियत से, हम अच्छे तरीके से खाद और बीज तथा अन्य साधनों का उपयोग तो करना चाहते हैं परन्तु बिजली नहीं मिलने से हतोत्साहित होना पड़ता है इसलिए कुएं बेकार पड़े रह जाते हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से कि कृषि के नाम पर कोई योजना विभाग ने बना दी और जब भूतल विभाग को भूतल का पानी बाहर निकालने का काम मिला है तो बिजली भी उनको समय पर मिलनी चाहिए। कई हमारे ऐसे तालाब हैं जिनके लिये लोग संकोच में बैठे हुए हैं कि किस तरह से उनसे पानी लेवें। लेकिन उनका कोई मालिक नहीं बनता है इसलिये ऐसे तालाबों के लिये कृषि विभाग को स्पष्ट निर्देश देना चाहिये। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और छोटे 2 काश्तकारों को उपज के साधन भी मुहैय्या कर सकेंगे। चाहे यह काम पंचायत समितियों के मार्फत हो या और किसी एजेन्सी के मार्फत यह कार्य किया जा सकता है। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को विशेष कर छोटे काश्तकारों को फायदा होगा।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बीज के नाम पर पंचायत समि-तियां से पूछते हैं कि कहो भाई, आपको मिला तो वे कहते हैं कि नहीं मिला। केवल कुछ लोगों को राजी करने के लिए दे दिया, और बाकी का कह दिया कि मार्केट से लाओ और सोसाइटी के थ्रू किसी एजेन्सी के थ्रू पंचायत समितियों के थ्रू बांटो। जैसा चाहो वैसा कर दो। पहले काश्तकारों को कह दिया था कि तुम्हारी उपज से अच्छा बीज

(श्री दीपंकर)

रख लो। अब इस ओर कोई व्यवस्था नहीं होने से अच्छी किस्म का बीज लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। खाना पूर्ति करने के लिए सिंचाई एरिया को ज्यादा देते हैं, बन्दर बांट की तरह बीज, खाद का बंटवारा होता है, आप इस तरह से करते हैं। इसके लिए निवेदन करूंगा कि सही रूप से आपको बीज खाद का बंटवारा करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है।

काश्तकारों के कृषि में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब उनकी फसल को कीड़ा लग जाता है। कई तरह के कीड़े लग जाते हैं। श्रावण में बाजरी होती है। जब पौधा निकलता है तो किसान बड़ा प्रसन्न होता है लेकिन जब बढ़ने लगता है और उसके रूंकड़ी नाम का रोग लग जाता है वह भी उसकी जड़ के साथ पैदा हो जाता है जिससे सारा दाना और पौधा पीला पड़ जाता है। इस सम्बन्ध में अनुसंधान करके गांवों में ज्यादा-तर बाजरी होती है, इसकी रोक थाम के लिए कोई सामूहिक प्रयत्न होने चाहिये। यह सुना है कि मलेरिया हो जाता है तो छिड़काव किया जाता है लेकिन काश्तकार की खेती को कीड़ा उजाड़ दे तो उस ओर कोई प्लान नहीं दिया जाता है। इसके बारे में कोई काम नहीं हुआ है। कई बार ए. इ. ओ. से पूछते है तो कहते हैं कि रूंकड़ी दाने के साथ हो जाती है, काश्तकार दाने के साथ उसको भी बो देता है इसलिये यह हो जाता है। आप उस उपज को किसी दूसरे काम में ले लीजिये और रूंकड़ी मिला हुआ बीज न हो, शुद्ध बीज आप काश्तकारों को सप्लाई कर दीजिये जिससे कि काश्तकार को सही रूप में पैदावार मिल सके और इस बीमारी से वह अपनी फसल को बचा सके।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मुझे दो विषयों पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : समय नियमित है और सीमित ही समय है।

श्री दीपंकर : नियमित समय में ही बोलूंगा। पानी, बीज, खाद और भूमि समय पर किसान को उपलब्ध हो और उसके बारे में योजनाबद्ध कार्य होकर रिपोर्ट आये और बराबर देख-रेख हो इसकी पूर्ण चेष्टा करें यही मेरा निवेदन है।

एक गोली का रोग लग जाता है। जिस तरह से रूंकड़ी का रोग है उसी प्रकार से महा भयंकर गोली का रोग है। जो भी पौधा है, मौठ, जवार, मटर, गोभी, टमाटर इन सब में यह रोग लग जाता है। लाल दाने के रूप में सूक्ष्म रूप से यह कीड़ा लग जाता है, लाखों की तादाद में पौधे पर चढ़ जाता है। इसके बारे में आप अनुसंधान करिये। डाइ-रेक्ट जिनका गांवों में असर होता है उनको समय पर आप बचावें। इस तरह से उनको नष्ट करने के उपाय नहीं बताये हैं, लोग समझते हैं कि बड़े बड़े फार्मों में तो खाद देते हैं, बीज देते हैं उन लोगों को और संरक्षण मिलता है लेकिन हमको नहीं मिलता है गांवों में वे लोग हीनता अनुभव करते हैं। हीनता अनुभव न कर सकें इसलिये इस तरह की बिमारियों से उनकी खेती को बचाने की कृपा करेंगे यह थोड़ा सा आपसे निवेदन है।

जो कुछ भी काश्तकारों को लोन का सवाल है, उसके लिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उनको प्राप्त कराइये। वे

(श्री दीपंकर)

कहते हैं कि हम नहीं देते हैं। यदि उसको खाद लेना है, बैल लेना है, नाली बनानी है, बेरा खोदना है तो उसके लिए कोई उपाय सोचिये तो सही। खाली भूमि बंधक बैंक और कोग्रापरेटिव बैंकों पर उनको छोड़ दिया यह संभव नहीं है।

(3.18 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

यह निर्विवादित सत्य बात है कि राजस्थान में भूमि बन्धक बैंकें और कोग्रापरेटिव बैंक ने राजनैतिक बंधन के रूप में लाखों रुपया ले लिया। किसान के नाम पर ले लिया। किसी ने हवेली बना ली, किसी ने माहिरा भर दिया और वह रुपया आज वसूल नहीं हो रहा है। बहुत सों का चुनाव नहीं हो पाया है। और चुनाव हो गये हैं तो उनका डिस्ट्रिब्यूशन भी ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है, ऐसे लोगों पर निर्भर है कि वह चाहे जिस सोसाइटी को जितना चाहें उतना दें, किसी सोसाइटी को न चाहें तो न दें, किसी सोसाइटी से चाहें तो वसूल करें और किसी सोसाइटा से न चाहें तो न वसूल करें। चाहे जिस काश्तकार को कितना दें और किसी काश्तकार को न चाहें न दें। चाहे जिस काश्तकार से वसूल करें और चाहे किसी काश्तकार से वसूल न करें। अलग अलग एजेन्सीज हैं बैंक्स की। उनको बढ़ाना चाहिये। काश्तकारों के हित के लिए उनको एक्टिवाइज करना चाहिये। काश्तकार यदि उनसे पैसा लेना चाहता है तो उनको मिलना चाहिये। हमने गला फाड़ फाड़ कर कहा था कि काश्तकारों को हम गिरवी नहीं रहने देंगे दूसरों के, जो उनका शोषण करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दूसरे विषय पर ही आ रहा हूं। एक तो पूरा कर दिया।

गांवों की यह स्थिति है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है या है तो बराये नाम है। वे अपना जीवन चलाने के लिये बड़े काश्तकारों के ऊपर अपने अडाने रख लेते हैं। दास प्रथा की मुक्ति के लिये बहुत लोगों ने बहुत त्याग किये हैं। कानून भी बने हैं। यह माना है कि इन्सान इन्सान के यहां गिरवी नहीं रह सकता। लेकिन आज भी यह सत्य है कि इन्सान इन्सान के यहां गिरवी है। तीस चालीस प्रतिशत लोग साधारण लोग, गरीब लोग हरिजन काश्तकार, गरीब काश्तकार बड़े काश्तकारों के यहां पर गिरवी रह कर हर तरीके से उनके हुक्म को बजा लाते हैं वे कहते हैं रात को जाना है तो रात को जाते हैं। उनको जाना पड़ेगा। सब काम वे उनसे करवाते हैं और वे सब उनके आधार पर मुफ्त में खाते हैं। हमने कहा था कि बड़े काश्तकारों से, सेठों से उनको छुटकारा दिलायेंगे, स्वाभिमान की जिन्दगी देंगे। और आपको राज्य के खजाने से पैसा दिलवायेंगे। आप अपनी मरजी से अपने मवेशी बेच सकते हैं, आप अपनी मरजी से चाहे जो कुछ कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी हालत वहीं की वहीं है इसमें तब्दीली नहीं लाई गई। हमने जनता का कहा था उसमें झूठे पड़ रहे हैं और कभी जमाना आया तो वह यही करेगी कि झूठ बोलने वालों में से हैं तो कहीं इनकी (विरोधियों की ओर संकेत करके) तरह हालत न हो जाय तो सभापति महोदय, मैं आगाह करना चाहता हूं जो घोषित कार्यक्रम हैं, जो कांग्रेस की घोषणायें हैं, जो कांग्रेस ने

(श्री दीपंकर)

जनता को विश्वास दिया है उसकी आप पूरी व्यवस्था करें। उनकी ऐसी स्थिति है कि वे मजदूर हैं। आज बड़े बड़े भूपति 300 बीघा में काश्त करते हैं, कोई 400 मे काश्त करते हैं। कोई मजदूर उनके पास जायेगा और कहेगा बियानी क्या देंगे तो वह कहता बियानी बियानी क्या देंगे रोटी खिला देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है उनकी कोई व्यवस्था नहीं है।

गांव में रहने वाला मजदूर एक साधारण मजदूर है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। चाहे जो आदमी थप्पड़ मार देता है, चाहे जो आदमी चाहे जो कुछ कर लेता है। इसलिये यदि काश्तकार को बढ़ाना चाहते हैं तो जो श्रम करने वाले हैं उनको पूरा मेहनताना मिले, उनके श्रम का पूरा हिसाब मिले और बड़े काश्तकारों को हतोत्साहित करें और जो दूसरे लोग इनका एक्सप्लाइटेशन करने जा रहे हैं उनको नहीं करने दें तभी मजदूर आगे बढ़ सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है इस ओर विशेष ध्यान दें।

अब मुझे पशु पालन के बारे में निवेदन करना है। बहुत सी नस्लें हमारे राजस्थान में है। हमारे यहां की भेड़ें प्रसिद्ध हैं, हमारे यहां की नागौरी नस्ल प्रसिद्ध हैं नागौरी बैलों के नारे 8-8, 10-10 हजार में बिकने वाली हैं। काश्तकारों के घरों में जाकर देखें किस तरह इनका दूध पिलाकर तैयार करते हैं तब जाकर कहीं 8-10 हजार की जोड़ी बनती हैं इसलिये नागौरी नस्ल का बचाया जाय।

अभी आपका यान्त्रिकी युग आ रहा है। कई तरह के ट्रैक्टर निकल गये हैं और कई तरह के निकालने का विचार चल रहा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता इस पर आ जायेंगे तो ये नस्लें नष्ट हो जायेंगी इसलिये जरूरी हैं नागौरी नस्ल को बचाने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायं। इधर हमारी अच्छी नस्ल के बैल उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं। हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध पशु मेले परबतसर और लाडनूं में होते हैं उनमें से वहां के लोग आकर ले जाते हैं और उनको दो दो, तीन तीन साल तक काम में लेते हैं। हर आदमी ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है। तो बैलों की रक्षा कीजिये। उनके साथ साथ मादा को दूध बढ़ाने के लिये रखा जाय। जैसी स्कीम बनी थी और जिस प्रकार की योजना आई हैं हमें बड़ी खुशी थी कि दूध देने वाले जानवरों को पाला जाय लेकिन उसके भी सीमित साधन रखे गये हैं। मुझे जो प्रश्न की सूची दी गई हैं उसमें सबसे अधिक संख्या परबतसर में हैं लेकिन नागौर में चिलिंग प्लान्ट लगाया जा रहा है क्योंकि मेड़ता से चुनाव लड़ा है इसलिये मेड़ता को ही चुना गया हैं। हो सकता नागौर से चुनाव लड़ते तो नागौर में प्लान्ट लगा देते।

मैं मानता हूं सरकार की नियत बहुत कल्याणकारी है। आपकी जो नियत है वह काश्तकार को लाभ पहुंचाने वाली है इसलिये आप एक्सपर्ट बिठा कर, कुछ लोग मेहनती अवश्य हैं कुछ आफिसर भी देखे हैं जो अपने ओहदे का काम बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं लेकिन उनको शौक है वे दूध देने वाले जानवरों को भी बड़ी अच्छी तरह से पालते हैं और उनको स्वयं देखभाल करते हैं... गायें पालते हैं, भेड़ें पालते हैं......

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे पशु धन है। पर वे आदमी से ज्यादा वफादार होते हैं।

Page No 122

(122)

श्री दीपंकर : इसलिये मेरा निवेदन है इनको किसी तरह बचाया जाय और नागौर जिले के लिये, उदयपुर जिले के लिये जहां विशेषकर अकाल पड़ता रहता है यह कहा जाता है किस तरह हम भेड़ की सुरक्षा के नाम पर पैसा लगायें। हमें उस योजना के लिये बड़ा अफसोस हुआ कि योजना इतनी अच्छी थी उसमें मशीनें बन जाय, पानी के लिये व्यवस्था हो जाय, ट्यूब लाइटें लग जाय और बाहर से जो भेड़ें आती हैं उनको रोकने के लिये एयर कन्डीशन रूम बना दिये जाय तो मेरा निवेदन है इस प्रकार के खर्च से काम नहीं होगा। जो इस प्रकार की नस्लें हैं, जो हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हैं वह लाडनूं तहसील की उपज हैं। ये नस्लें अब नोखा, बीकानेर में गई, सीकर झुंझुनू में गई पथरी नाम की भेड़ है जिसका रेशा बहुत ही मुलायम है। मैं जब म्यूनिसिपल चेयरमैन था तब भी इसके लिये लिखा था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक प्रयत्न भी किया इस पेड़ को बचाने के लिए लेकिन इसमें भी एक कमी है कि उन्होंने 1000 800 की संख्या में खरीद की और वहीं रखते हैं काश्तकार को कहते हैं भेड़ की नस्ल सुधारना हो तो यहां ले आओ। कटीली झाड़ियां लगी हुई हैं, बसेज इधर से निकलती हैं तो दो चार भेड़ें तो वैसे ही मर जाती हैं इसलिये भेड़ पालक उस योजना के अन्तर्गत वहां पहुंचे यह सम्भव नहीं है। उनको आप उनके स्थान पर ही मदद दे सकेंगे तो आपकी अच्छी योजना है लेकिन जब तक भेड़ पालक तक योजना नहीं ले जायेंगे तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती है।

बीकानेर में वूलन मील लगा दी है उसके लिये भी कह देते हैं, वही धागा बनेगा, वही कपड़ा बनवा देंगे परन्तु वूलन मील को कौन देखें ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आपको 20 मिनिट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री दीपंकर : आनली वन मिनिट सर। जो आपकी योजना है इसको ठीक प्रकार क्रियान्वित नहीं करेंगे तो वह अलग बात है। वूल खरीद कर जयपुर भेजते हैं और पता नहीं यहां से कहां कहां जाती है, उसका पक्का माल कभी पंजाब से बनकर आता है, कभी हरियाणा से बनकर आता है इसलिए मैं निवेदन कर रहा था पशुओं के लिये भेड़ की रक्षा करें, नागौरी बैल की रक्षा करें और उसी प्रकार जैसा आपने बना रखा है गांवों में अच्छे भैंसे देंगे, अच्छे साण्ड देंगे। उनके लिये भी कर्जा समय पर मिलता नहीं है। पंचायत समिति में आप पैसा दे देते हैं तो वहां बटवारे में झगड़े होते हैं। यदि एक साण्ड गांव वाले खरीद कर ले आयें तो उसके चारे के लिये जगह जगह झगड़ा होता है खाने के लिये ग्वार नहीं दें, चारा नहीं दें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। पशु पालन से उनकी आमदनी होती है वह भी ठीक प्रकार नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है गांवों में साण्डों की हालत खराब है। पंचायत समिति उनको पैसा देने म बीच में लटका देती है इसलिये जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है उसको आप ठीक करने की दिशा में कदम उठायेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मैं जब भी जयपुर आता हूं तो रास्ते के अन्दर एक गांव पड़ता है जिसका नाम पलसाना है और जब भी मैं देखता हूं तो उस गांव में घुसते

(श्री दीपंकर)

ही एक बहुत बड़ी जमीन है। उस पर कटीले तार लगे हुए हैं और बिजली लगी हुई है, आफिसर्स के बंगले बने हुए हैं। हमने एक दो साल तो वहां पर अच्छी काश्त होते देखा है लेकिन एक दो साल से पता नहीं क्या हुआ सारे आफिसर्स ही सस्पेण्ड हो गए या कहीं चले गए या कहीं कोई स्केण्डल हो गया—वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जमीनें आपकी पड़ी हैं जिनके फार्म बन चुके हैं, दूसरों को काश्त आप करने देते नहीं और आपने उन जमीनों को रोक लिया और उनका दूसरा उपयोग कोई होता नहीं। तो ऐसी बहुत सी जगह पड़ी हैं तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर के विकास के लिए एग्रो-इण्डस्ट्रीज हैं यह ठीक है। यह बड़े बड़े लोगों के लिए है, बड़े फार्म वाले ट्रेक्टर आदि ले लेते है उनके लिए हैं। हालांकि इसमें बहुत स्केण्डल होता है। किसी ने ट्रेक्टर तो ले लिया लेकिन उसको पार्ट्स नहीं मिलते हैं और पार्ट्स वह बदलवाने के लिए आये तो आप कह देते हैं कि है ही नहीं और सामने ही दूसरी दुकान आपने रख छोड़ी है जिसमें आपके ही पार्ट्स हैं और इस तरह से वहां पर आदमी ठगे जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री महोदय वैसे बहुत प्रोग्रेसिव हैं। राजस्थान में माथुर साहब जैसे कृषि मंत्री होते हुए कृषि का विकास नहीं हो सके ऐसा हम नहीं मान सकते और बदमाशी करने वाले हैं उनकी बदमाशियां नहीं रुकें—मैं नहीं मानता। आपके रहते हुए राजस्थान का उद्धार हो सकता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्रीमान् गोटेवाला। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि श्री यशवंतसिंहजी नाहर कहीं चार बजे जाना चाहते हैं यदि आप कहें तो वह बोल लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे एतराज नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं श्रीमन् का ऋणी हूं कि मुझे समय दिया। आज की जो ग्रान्ट्स है और आज जिस विषय पर बजट हम तय करने जा रहे हैं राजस्थान की 60 परसेन्ट इनकम आज के विषय पर आश्रित है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इसके बाद भी जितना 1975-76 के बजट में रकम रखी गई है वह भी बहुत बड़ी रकम है। कहीं न कहीं सीधे और परोक्ष रूप से उसके साथ सिंचाई का महकमा भी जुड़ा हुआ है। एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपकी पंचवर्षीय योजना में आपने यह माना है कि 83 प्रतिशत जमीन पर खेती केवल ईश्वर के भरोसे पर होती है और 17 परसेन्ट एग्रीकल्चर सिंचित क्षेत्र के ऊपर आधारित है।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी कि समाजवादी स्वरूप का कहीं दिग्दर्शन है तो मुझे यहां लगा कि प्रोडक्शन बढ़ाने का तो इसमें कहीं नजर नहीं आया है। पशुपालन का प्रतिवेदन देखा तो 3 पेज का, एक साइक्लोस्टाइल है जिसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है कि क्या करने जा रहे हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है। दुर्भाग्य है, 3 पेज का है। कृषि का तो थोड़ा आंकड़ा दिया है—

श्री शिवचरण माथुर : 10 पेज का है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : पशु पालन का ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : पशु पालन का नहीं है। राजस्थान में पशुपालन का 3 पेज का है।

श्री शिवचरण माथुर : 3 पेज का तो सप्लीमेन्ट्री है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सप्लीमेन्टरी हमको नहीं दिया गया।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरा निवेदन यह है कि पशुपालन का लम्बा चौड़ा आंकड़ा आप हर साल देते हैं, वह नहीं है। वह प्रिन्टेड है या साइक्लोस्टाइल है लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में इस विषय पर बहस हो रही है तो कम से कम ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ जाये। इस सदन में हमारे माननीय सदस्यों को 1972-73 की आडिट रिपोर्ट तो दी गई है लेकिन उसके बाद की नहीं दी गई। 1974-75 की रिपोर्ट अभी नहीं मिल सकती यह तो माना जा सकता है लेकिन 1973-74 की रिपोर्ट तो मिल सकती थी। फिर हम यह बातचीत किसके लिए कर रहे हैं? राजस्थान में गरीबी दूर करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं? मैंने जैसा निवेदन किया है पशुपालन और कृषि पर 56 परसेन्ट राजस्थान की वार्षिक आय है और उसमें वह गरीब आ गये जिनके पास सिचाई के साधन नहीं है। 86 परसेन्ट तो आप बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जो खेती के मामले में ईश्वर पर आश्रित हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर गरीबी दूर करने के लिए क्या है। केवल अन्न का उत्पादन बढ़ाते रहें तो इससे तो राजस्थान का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की कृषि जिसकी 50 परसेन्ट से अधिक आय हैं उससे राजस्थान की गरीबी दूर होने का रास्ता नजर नहीं आता है। मुझे तो कहीं नजर नहीं आया।

सभापति महोदय, 1952-53 में ग्रीन रेवोल्यूशन याने हरित क्रांति का बहुत बड़ा तहलका मचा था और 13 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने इस पर खर्च किये और हिन्दुस्तान के केवल 7 परसेन्ट बड़े बड़े जमींदार और काश्तकारों ने इसका लाभ लिया और जो दूसरी तरह के लोग थे, जो गरीब थे, और छोटे काश्तकार थे वह वहीं के वहीं पड़े रहे। मैं आज भी यह कहने का दावा करता हूं कि आप एक भी निकाल दीजिए जहां आपने गरीब को, उस मार्जिनल फार्मर को, लघु किसान को इसके द्वारा लोन देने का प्रयत्न किया हो। आपके झालावाड़ जिले के आंकड़े हैं। मैं सीकर जिले की बात नहीं कर रहा हूं जहां जमीन के नीचे बहुत बड़ी पानी की झील पड़ी है या झुंझुनूं में कोई झील निकल आये या जयपुर के आस पास बहुत बड़े जलस्रोत पड़े हैं लेकिन मैं भीलवाड़ा जिले के लिए कहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा जला है। दूसरे आंकड़े और दे देना चाहता हूं। गत साल हमने रिपोर्ट दी। हर साल आप कुओं को गहरा करवाने के लिए ऋण देते हैं। हर साल के आंकड़ों में आता है कि जो कुए कृषि के उत्पादन के काम आ रहे हैं और

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

जिससे सिंचाई हो रही है उनके लिए ऋण देंगे। जहां नये कुए पड़े हैं, वहां अनयूज्ड कुए हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने जिला विकास समिति में भी यह प्रश्न उठाया कि कुओं को गहरा करने के लिए पैसा देने का रास्ता नहीं है गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा तबका है. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा तबका है कि जिनको शाम को खाने को अन्न नहीं है। मेरा अनुमान तो यह है कि गांवों में अगर सौ घरों की बस्ती है तो कम से कम 95 घर ऐसे होंगे कि जो केवल एक टैम खा कर गुजर करते हैं। इन गरीबों की हालत सुधारने के लिए आपकी क्या योजना है ?

आज आपने एक आंकड़ा दिया है वह सलेक्टेड प्लेसेज का, सलेक्टेड विलेजेज के श्रमिकों की आय क्या है वह बताया है। हल जोतने वाले की आय 4.50 प्रतिदिन औसतन है। श्रमिक के बारे में निवेदन करता हूं और जो आपके खेतों को खोदने वाले हैं उसकी आय आपने 3.80 रुपये बताई है। एक गांव में एक आपका दर्जी है उसकी आय 5.40 पैसे बताई है। मैं भीलवाड़े की बात करता हूं, राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है वहां पर कोई होगा, जयपुर में यह इन्कम होगी और अगर यह इन्कम भी मान लें तो वह केवल मात्र सीजनल इन्कम है; मौसमी इन्कम है। साल में तीन चार महीने जिनको यह इन्कम मिलती है उस हिसाब से डेढ रुपया दो रुपया इन्कम नहीं पड़ सकती है, वह पेट भर सकता है क्या इस महंगाई के टाईम में इतने पैसों से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में इन लोगों के लिए क्या गुंजाइश है। मेरा निवेदन है कि अगर वस्तुतः हम समझते हैं और राजस्थान से गरीबी दूर करने का दावा करते हैं तो एक बात निवेदन करना है कि आपके जो छोटे फार्मर्स हैं और जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं कृषि के, उनको सहायता देने का जो कार्यक्रम है उनको मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं गत 15 वर्ष से बराबर यह देखता चला आ रहा हूं, मैं कि भीलवाड़ा ही नहीं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और इन सब इलाकों की बात रखना चाहता हूं कि वहां पर खेती की पैदावार हुई, बीज बोया, चाहे महाजन के घर से लाकर बोया चाहे पंचायत समिति से लाया, खाद डाला, मेहनत की और अन्त में जाकर एक वर्षा के अभाव में खाली रूख खड़े रह गए और एक दाना हाथ नहीं आया। ऐसे लोगों की संख्या मेरी मान्यता है गांवों में कम से कम साठ फी सदी तो है ही। क्या मैं यह आशा करूं कि कम से कम उन ऐसे लोगों की हालत सुधारने के लिए अकाल के समय में उनके लिए कम से कम बीमा योजना लागू करने की योजना रखते हैं। बीमा योजना, कम से कम इस बात की बीमा योजना हो उस कुटुम्ब के श्रमिक के लिए उस कुटुम्ब के लिए कि उस फसल के मुकाबले में उसने जमीन को तोड़ा है, उसको बीज और खाद का और सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध हो गया तो इतना पैसा तो अगर आप कम से कम देंगे तो यह ठीक होगा। यह जमीन का बंटवारा, अलाटमेंट बिना सिंचाई के साधन के, बिना खाद और बीज के तो वह चलेगा नहीं इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जो कम्प्रीहैंसिव योजना हो या खेती को बढ़ाने के काम आएं उससे राजस्थान का भविष्य बन सकता है, पैदावार बढ़ सकती है लेकिन राजस्थान की गरीबी

Page No 126

(126)

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

दूर नहीं हो सकती। आप अलाटमेंट करते जायं, आप घण्टी बजाना चाहते हैं, मैं दो मिनिट में ही समाप्त करता हूं, एक ही बात कहकर समाप्त करता हूं, मेरा निवेदन है कि अगर आप यह नहीं करते हैं, क्रोप इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो जो आपके श्रमिक हैं उन कृषक श्रमिकों को आप जमीन का अलाटमेंट करना बन्द कर दीजिए। जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो जहां और साधन नहीं हो उनके लिए न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेजेज जो साल भर या चार महीने का दे दें, छः महीने का दे सकें जिससे वह दो टम रोटी खा सके, वह कपड़ा पहन सके, बच्चों को पढ़ाने की बात तो दूर है लेकिन अगर वह रोटी भी खा सके तो मेरा ख्याल है कि उसका भला हो सकता है। बजट से कहीं कृषि उत्पादन तो बढ़ जाय, मुझे कृषि के 72–73 के आंकड़े देखने को मिले, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें 839 लाख रुपया दिया है केवल सात लाख 40 हजार टन आप गेहूं ज्यादा पैदा करें। हमने वह आंकड़े बनायें लेकिन वह यह आपकी रिपोर्ट बता रही है, यह कहां तक सही है यह तो आपका आप ही जानो लेकिन एक बात बताई कि आपका औसत 71–72 के मुकाबले में 16 लाख टन गेहूं का उत्पादन जो था 23 लाख टन 72–73 में 24 लाख टन आता है, 24 लाख टन के मुकाबले में 17 लाख टन आया। इसका कारण यह था कि किसी भी विभाग का कृषि विभाग से कोई समन्वय नहीं है। आप इतने बिजली के कनेक्शन देना चाहें वह कनेक्शन मिलते कब हैं, गेहूं अक्टूबर में मिल गया लेकिन मिलता कब है? सितम्बर में बीज खाद मिलना चाहिए और नवम्बर में गेहूं मिल जाना चाहिए लेकिन उनको मार्च के महीने में दिया गया है, यह आपकी रिपोर्ट है 72-73 की। मुझे सौभाग्य से आज यह कहने का अवसर मिला है और मैं कहता हूं कि अब की बार बड़ी बम्पर क्रोप होने वाली है। सम्भावना है, शायद हो। उस बम्पर क्रोप को करने में आपने बहुत बड़ा ध्यान दिया होगा, डिपार्टमेंटों का समन्वय आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया होगा। मैं एक चीज मेरी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि भीलवाड़ा और गुलाबपुरा के बीच में पशुओं की कोई डिस्पेंसरी नहीं है। निवेदन करना है कि रायला में डिस्पेंसरी कायम करें। लोग कहते हैं कि आप अपने यहां ले गए, लोग ऐसा कहते हैं कि मांडलगढ़ में ले गए लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आप यहां डिस्पेंसरी कायम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कृषि और पशुपालन के कटौती प्रस्ताव दिए हैं और मैं सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मैं कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं हूं जैसा कागी से आने वाले माननीय सदस्य वहां टोका टाकी कर रहे थे, सौभाग्य से कृषि मंत्रीजी भी कृषि पंडित नहीं हैं, इसलिए जो दो तीन बातें हैं उन बातों के बारे में ही मैं निवेदन करना चाहता हूं बाकी कृषि पंडितों पर छोड़ देता हूं।....

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : दो अनाड़ियों के बीच की बात है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह तो नहीं कह सकता जो बड़े जोश के साथ सारी चीजों को बोलना चाहते हैं। एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर लगभग आठ करोड़ एकड़ भूमि है और इस आठ करोड़ एकड़ भूमि में से छः करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिस भूमि पर कृषि की जा सकती है और उस छः करोड़ एकड़ भूमि में तीन करोड़ पर खेती होती है और तीन करोड़ में से लगभग साठ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के साधन है। तो मैं निवेदन करूं कि जैसा अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाहर साहब फरमा रहे थे किस प्रकार इन सारे कार्यक्रमों को पूरा करें यह इरीगेशन सुविधा दे करके, लैंड लेवलिंग करके यह सारी व्यवस्था करें। मुझे जयपुर जिले के बारे में जानकारी है कि साबी नदी पर बांध बनाकर पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की योजना थी। हरियाणा वाले तीन बका लिख चुके हैं कि आप यह कर दीजिए वरना इसको आगे ले जाकर वह करेंगे। आज हरियाणा गुड़गांवा से ले जाकर झुंझुनूं की सीमा तक पानी डाल कर अपने यहां सिंचाई का साधन कायम कर सकते हैं लेकिन हम अपने यहां पर वह नहीं कर सकते। हमारे यहां पर लाखों एकड़ जमीन उपलब्ध है उस जमीन को समतल करके, सिंचाई के साधन उपलब्ध करा कर हम कृषि उपज बढ़ा सकते हैं। वैसे भी अभी मैं सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ रहा था पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि सूरतगढ़ कृषि फार्म को भारत सरकार राज्य सरकार को सौंपना चाहती है। जहां तक मेरी जानकारी है तीस हजार एकड़ का कृषि फार्म, जहां कि बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन, जहां का हर किसान लखपति है और माननीय सदस्य सूरतगढ़ से आने वाले जानते हैं कि वहां का हर किसान उस पानी से पैसा पैदा करता है और पानी में ही बहाता है और आज यह फार्म घाटे में जा रहा है। भारत सरकार से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर आग्रह करें कि राज्य सरकार·····

श्री शिवचरण माथुर : घाटे में नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शायद आप चार करोड़ रुपये के ब्याज को नहीं जोड़ रहे हैं जो 11 लाख·······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक लाख पेड़ काट कर आमदनी में जोड़ लिया वह नहीं कहते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह राजस्थान के लिए दूसरी तरह से विकास का नहीं विनाश की बात होगी। पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। यह तो फिर मैं निवेदन करूं कि मैं इस कृषि के बारे में जानता नहीं हूं। मैं इस बारे में निवेदन करता हूं कि कानोता के ऊपर बांध बना करके किसानों को जो पानी देने की बात थी, लैंड लेवलिंग करके सिंचाई की सुविधा देने की बात थी, खाद और बीज वगैरा यह समय पर देने की बात है, वह बातें जब तक नहीं होंगी, मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो कृषि के बारे में गरीबी समाप्त करने के बारे में लक्ष्य रखना चाहते हैं वह लक्ष्य नहीं रह पायेगा। मुझे इस संदर्भ में, पशुपालन के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है जैसे बस्सी, मगर, बीरा इनमें कृषि केन्द्र चल रहे हैं, इनके नीचे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हजारों बीघा जमीन है; बस्सी का फार्म मैंने देखा है, वहां के अधिकारियों से भी मैंने बात की है, आपके फार्म पर ट्रैक्टर मौजूद है, सारे साधन वहां पर उपलब्ध हैं, बड़े बड़े आफिसर हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, और भी लोग हैं, इसके बावजूद स्थिति यह चल रही है कि ये केन्द्र आपके घाटे में चल रहे हैं। मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह स्थितियां चल रही हैं। मेरे को दुर्भाग्य से वह रिपोर्ट नहीं मिली है, जो ओरिजनल है। इससे यह नहीं देख सका हूं। परन्तु उसके आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन फार्मों पर लाखों रुपये व्यय किये गये हैं, करते हैं, हजारों बीघा जमीन है, विशेषज्ञ हैं। फिर इस सब के बावजूद आप इनके बारे में क्या कर रहे हैं? सारा सदन यह जानने को उत्सुक है। वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है और इस ओर कृषि के बारे में, हम क्या करने जा रहे हैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास हजारों बीघा जमीन है। लाखों बीघा रेवाइन्स की जमीन है। चम्बल के रेवाइन्स हैं। मैं समझता हूं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना निश्चित तौर पर जानता हूं, कि मध्यप्रदेश ने रेवाइन्स की जमीन के बारे में काफी प्रगति का काम किया है। रेवाइन्स की जमीन काफी उपजाऊ होती है। वहां पर पानी मिलेगा। सारी व्यवस्था है। आप कृषि क्षेत्र की उन्नति करने के बारे में सोच रहे हैं। आप 70-71 से अधिक लक्ष्य इस वर्ष के लिए रख रहे हैं। आप किस आधार पर यह काम करेंगे? यह कहा जा रहा है इस वर्ष कृषि की बम्पर क्राप हो रही है। लेकिन यह क्राप ईश्वर भरोसे हो रही है। अगर भगवान् रुठ जावे तो उसके लिए आपके पास कोई इलाज नहीं है। भाग्य पर आज आप डिपेन्ड कर रहे हैं। तो यह सारी बातें आपकी वाजिब नहीं हैं। गुड़गांवां का बांध, कानोता बांध और बांदीकुई के जिस बांध का शिलान्यास सन् 70 में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किया था और जिससे बीस हजार एकड़ की सिंचाई होने वाली थी, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कार्य हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से आप काम करेंगे। बिजली की बात है, राजस्थान के 6 जिलों के अन्दर, जहां कि जमीन में पानी है, इन 6 जिलों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे? यह सत्य है कि इन जिलों का किसान आपको रेवेन्यू ज्यादा देता है। हम यह नहीं चाहते हैं कि दूसरे जिलों के विकास को रोक दिया जाये। परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां की जमीन में पानी है, यहां की जमीन उपजाऊ है, तो इस शक्ति का उपयोग आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य प्राप्त करने का आपका संकल्प है, वह पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप इन कार्यों को प्राथमिकता दें।

एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में सुझाव लिए हैं। आज ट्रैक्टर के स्पेअर पार्ट अवेलेबल नहीं है। मैं गुजरात गया था। मैंने वहां पर देखा है कि वहां पर दो सौ, तीन सौ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रुपये में लकड़ी के इम्पलीमेंट तैयार है और ये उपकरण सफल हुए हैं। हमारे इस कारपोरेशन में लाखों रुपये के इम्पलीमेन्टस बना कर रख रखे हैं और जो ट्रैक्टर लेने आता है उसको इन उपकरणों को खरीदना कम्पलसरी कर दिया है। आज इन ट्रैक्टरों पर ब्लेक चलता है। करीब करीब यह दस हजार तक पहुंच गया है। इन ट्रैक्टरों के साथ ये उपकरण खरीदना कम्पलसरी कर दिये हैं इसलिए किसान इनको लेकर आता है और मजबूरी में किसान ये उपकरण खरीद रहा है वरना इसको कोई भी नहीं खरीदना चाहता है। एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन का निर्माण केवल मात्र यह नहीं है कि ट्रैक्टरों की ऐजेन्सी लेकर उनको बेचे। इसके निर्माण का एक मूल उद्देश्य तो यह है कि वह कृषि सम्बन्धी सारे उपकरण बनावे और उनको सस्ती से सस्ती दर पर किसानों को उपलब्ध करावे ताकि आर्डिनरी किसान भी ऐसे उपकरणों को खरीदकर अपनी खेती की जमीन को डवलप कर सके और इन उपकरणों को काम में लेकर खेत की पैदावार को बढ़ा सके। मैं विनम्रता पूर्वक आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका कारपोरेशन विफल रहा है। लाखों रुपयों के उपकरण आज पड़े हैं। इनको अगर कम्पलसरी न करें तो आपके इन उपकरणों को कोई नहीं खरीदेगा। मेहरबानी करके आप इसको देखें और इसकी इस ढंग से व्यवस्था करें और एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन की स्थापना का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करें। इसका उद्देश्य केवल मात्र यह नहीं है कि मोटे मोटे आफिसरों को बिठा दें और तनख्वाह देते रहें और कई वर्षों तक ये अधिकारी वहां पर जम कर बैठे रहें तो जो आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति न हो पाएगी। इसलिए इस ओर आप कदम उठावें।

सीमेन्ट के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं शहर से संबंधित हूं। इस सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी कि जयपुर के प्रत्येक व्यक्ति को 20 बोरी सीमेन्ट राशन कार्ड पर दिया जाएगा। मैंने इस सम्बन्ध में जयपुर शहर के सभी डीलर्स से पूछा परन्तु किसी ने भी इस बारे में मुझे उचित उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, अभी तक सीमेन्ट अवेलेबल नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे जो भी कोई घोषणा इस सदन में करें, चाहे घोषणा में कितनी ही कन्जूसी करें, घोषणा करने के बाद मेहरबानी कर के उसको इम्पलीमेन्ट कराने का भी प्रयास करें। डीलर्स से पूछा उन्होंने जो बताया वह यह है 65% through B. D. O. s in villages, 8% through Industries Department to Small Scale industries units, 13½% through D. S. O. in Jaipur City by permits 13½%, available to public for free sale. इस हिसाब से आप कितनी बोरी बता रहे हैं, जयपुर को राशनकार्ड पर एक बोरी भी नहीं दी गई है और अब जयपुर में इस प्रकार की स्थिति पैदा होने वाली है जो कि सरकार को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए था। जिस दिन घोषणा की उसी दिन बीस बोरी राशन कार्ड पर देना शुरू कर दिया जाना चाहिए था...

श्री शिवचरण माथुर : यह नहीं कहा था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपने कहा था कि हम राशन कार्ड पर बीस बोरी सीमेन्ट देंगे। बीस बोरी सीमेन्ट प्रति राशन कार्ड पर देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री शिवचरण माथुर : राशन कार्ड पर एन्टरी करने की बात थी। राशन कार्ड पर दी जायेगी यह नहीं कहा था। परमिट तो होगा ही और उसकी एन्टरी राशन कार्ड पर होगी और अधिक से अधिक बीस बोरी दी जायेगी। कल को किसी को जरूरत न हो, तो उसे लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो आज नई बात आप कह रहे हैं। आपने इस सदन में यह कहा था और घोषणा की थी। चाहे आप बीस न दो, दस दें, पांच दें, देना तो एक बार शुरू कर दें। परन्तु इस घोषणा के बाद सरकार की ओर से आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं यह कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। आप जो भी घोषणा करें उस पर अमल करावें। चाहे वह बीस बोरी सीमेन्ट राशन कार्ड पर देने की हो चाहे दस बोरी की हो...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अम्बर सिनेमा को देने के बाद बचेगी तो राशन कार्ड पर दी जाएगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बीस बोरी सीमेन्ट राशन कार्ड से देने का आपने कहा था। बीस को छोड़ दो-चार सीमेन्ट बोरी भी नहीं मिली है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह विषय अप्रासंगिक है। चूंकि आप बोल चुके हैं, इसलिए जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने लम्बी बात न कह कर सिर्फ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराया था कि जो भी आप घोषणा करें वह तत्काल कार्यान्वित होना चाहिए। यह न हो कि आपकी यह घोषणा शंकर रूपी ब्यूरोक्रेसी जटा में लिपटी रह जाये। आप की घोषणा की आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए तो वह घोषणा वाजिब होगी। मेरा मकसद तो सिर्फ यही था कि आपकी आवाज जनता तक जाये। सभापति महोदय, मुझे यही निवेदन करना था। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं सभापति महोदय-राजस्थान के अन्दर, विशेषकर कृषि क्षेत्र के अन्दर हमारे राजस्थान में विकास की काफी सम्भावनाएं हैं। हमारे पास धरती उपलब्ध है। परन्तु इस धरती से पैदावार करने के लिए हमें भागीरथी प्रयत्न करना होगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर है, उसकी जिम्मेदारी आपको तय करना होगी। परन्तु आज तो वह खेती के बारे में किसान को सलाह देने की स्थिति में भी नहीं है। कम से कम आपको उससे रिपोर्ट मंगानी चाहिए कि कितने खेतों को उसने सुधरवाया है। किन किन किसानों को उसने जानकारी दी है। मेरा जैसा अनाड़ी जमीन खरीद ले जो कि जमीन के बारे में कुछ नहीं जानता, हालांकि थोड़ी बहुत जमीन मैंने भी ली है, तो उसका क्या होगा? मेरा निवेदन करना यह है कि आज आपके जिला कृषि अधिकारी से किसान को बराबर सलाह नहीं मिल रहा है....

श्री केशरीमल : वह खेत पर क्यों जायेगा उसके जूते पर डेढ़ रुपये की क्रीम की पालिस हो रही है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह ठीक है। परन्तु मैंने विदेशों के बारे में सुना है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह हमारी सरकार का समाजवादी दृष्टिकोण है ?....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने यह देखा है कि अच्छे अच्छे आदमी खेती करते हैं। उनके कपड़े काम करते समय मैले भी होते हैं। किन्तु काम करने के बाद वे ऐसे अच्छे कपड़े पहन कर आ जाते हैं जैसे माननीय सदस्य जो ब्यावर से इस सदन में आये हैं, वे भी पहन कर नहीं आते है। मेरा माननीय कृषि मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना है कि आपकी तारीफ बहुत की जाती है, यह कहा जाता है कि आपका नजरिया समाजवादी है, आप समाजवाद के लिये कमीटेड हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर आफिसर है, मेहरबानी कर के उन पर जिम्मेदारी डालें इस काम की, इतनी जमीन को उनको देखना होगा, यह यह काम उसको करना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में आज जो मांग चल रही है उस पर मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। मैं संक्षेप में ही दो-तीन बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज कृषि की बात हम करते हैं। यह भी हम जानते हैं कि कृषि प्रधान हमारा देश है। सारा का सारा आधार कृषि का है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक कृषि की इस प्रकार की योजना हो जिसको हम प्लानिंग कह सकते हैं ऐसा कोई भी प्लानिंग किसी प्रकार का नहीं हुआ है। आज राजस्थान ही क्या, हिन्दुस्तान ही क्या, सारा विश्व इस बात से चिन्तित है कि बहरहाल हमारे उत्पादन को, पैदावार को बढ़ायें। मैं, माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहूंगा माननीय मन्त्रीजी को कि सन् 1952-53 में जो गेहूं की पैदावार हुई वह 29 लाख टन और 73-74 में 67.17 लाख टन। इसके साथ साथ 52-53 में जो एरिया गेहूं का था वह 71.74 लाख हैक्टर्स और 73-74 में 137.17 लाख हैक्टर्स। तो एरिया को आधार लिया जाय तो जस्ट दी डबल पड़ता है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा बहुत पाइन्टेड रूप में कि क्या यील्ड पर एकड़ निकली ? इस प्रगति रिपोर्ट को आप देख जाइये तो अनुसन्धान की बात भी इसमें है, लेकिन कहीं पर इसके अन्दर यील्ड पर एकड़ कितनी बढ़ी इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है। यह बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है। हम गेहूं की कितनी यील्ड पर एकड़ के हिसाब से कर पाये, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकलचर जिसको टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, और राजस्थान में दी भी जा रही है, लेकिन कोई कोआर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं है। कोआर्डिनेशन इस प्रकार से होना चाहिए, सिंचन इरिगेशन से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, पावर से कोआर्डिनेटेड एप्रोच होना चाहिए, कोआर्डिनेटेड प्लानिंग होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि,

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हैपहैजर्ड वे में चल रहा है। काफी जमीन है। लेकिन आज अधिकतर जमीन इस प्रकार की बंजड़ है या असिंचित है। सिंचित जमीन कम है। हम किस प्रकार से हमारी भूमि जो लाखों एकड़ों में पड़ी हुई है जिससे हम सक्षम बन सकते हैं, और खेती की समस्या को सुलझा सकते हैं या आत्म निर्भर बन सकते हैं, उसको ऐसा कौन सा जरिया है जिसकी वजह से हम उस पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं? मैं समझता हूं कि कई स्रोत हैं। छोटे-छोटे तालाबों और बान्धों को बना कर अगर हम कोशिश करें और सिंचाई की ओर ज्यादा ध्यान दें और कोआर्डिनेटेड एफर्ट्स की ओर ज्यादा ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश जो आज चौथा है हिन्दुस्तान के अन्दर वह मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा के बाद आ सकता है। तो इस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इसको ठीक तरह से देखें, और इस प्रकार का एप्रोच अपना बनायें जिससे हमारा लक्ष्य ही पूरा न हो बल्कि आगामी आने वाले वर्षों के अन्दर हम इसको किस प्रकार से मीट आउट कर सकते हैं आज की दशा में इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर प्रगति रिपोर्ट के अन्दर कहीं पर अनुसन्धान का भी जिक्र है, कृषि का भी जिक्र है, लेकिन यह आश्चर्य होता है कि उदयपुर में कृषि अनुसन्धान का काम चलता है, भरतपुर में चलता है, कोटा के अन्दर है, लेकिन कहीं पर भी इन सब बातों का बराबर चेक नहीं है। आज किसानों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। किसान आज भी 27 साल की आजादी के बाद भी अधूरा है, अशिक्षित है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वह पुरानी परम्परा में पड़ी हुई है। कोशिश करते हैं सीखने की, लेकिन उसके पास टेक्निकल नो-हाऊ नहीं है, और हमारे जो अधिकारी हैं वह इस ओर अपना ध्यान नहीं देते हैं। पंचायत समिति की मीटिंग हो, जिला परिषद् की मीटिंग हो तो वह एक शो-बॉय, के रूप में बैठता है मैं यही कहना चाहूंगा, किसान की वास्तविक कठिनाई क्या है, उसका किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी के आधार पर मीटिंग में आते हैं। कोई किसानों की उन्नति की बात नहीं रखते हैं, उसकी तकलीफों का अनुभव नहीं करते हैं, और उनको देखते नहीं हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मशीनरी गियर-अप होनी चाहिए। जो मशीनरी ढीली पड़ गई है उसको एक्टीवाइज करना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो जिलाधीश हैं, कलेक्टर हैं जिसके अन्तर्गत यह सारा काम चलता है वह एक ऐसा आफिसर है जिसके पास समय की कमी है, वक्त की कमी है। उसके पास लॉ एण्ड आर्डर और दुनिया भर की जिम्मेदारी है जो इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाता है। मैं समझता हूं कि कोई न कोई आपको ऐसी मशीनरी निकालनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए जिस तरह से कि बी. डी. ओ. आदि हैं. जिनकी जिम्मेदारी यह हो। वह एक प्लान्ड वे में आगे आनी चाहिए 5 साल या 10 साल के अन्दर। एक एप्रोच ऐसा बनना चाहिए कि हमारा आगे क्या लक्ष्य है और किस प्रकार से उस लक्ष्य को पूरा कर

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सकते हैं, किन स्थितियों में करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से साधन अपनाये जायं, कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं ? उसके बाद क्या अंकुश होने चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो ?

माननीय सभापति महोदय, आज की परिस्थितियों के अन्दर लेवी का भाव 105 रुपया रखा गया है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। खाद महंगा और बीज की बात करते हैं तो बीज बहुत मंहगा। खाद और बीज का तो मैं निवेदन करूं, माननीय सभापतिजी, कि बीज का लास्ट ईयर भाव था 150 रुपये और इस वर्ष 225 रुपया। बीज महंगा मिलता है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर किसान आज परेशानियों में पड़ रहा है। और जो दूसरी उसके कठिनाई सामने आती है वह यह है कि लेवी के सम्बन्ध में गत वर्ष का अनुभव है और माननीय मंत्री महोदय के सामने भी मामले आये होंगे कि जो लेवी की वसूली हुई है वह इस प्रकार से हुई है कि जिसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत से लोगों से समय पर लेवी की वसूली नहीं की गई और बाद में की तो उनको खरीदकर लाना पड़ा। एक ऐसी फिजां, एक ऐसा वातावरण डाल दिया गया राजस्थान के अन्दर कि जिससे किसान के मन में भय पैदा हुआ। माननीय सभापतिजी, सबसे बड़ा मुद्दा आज सामने आता है वह यह देखना पड़ेगा कि किसान के मन में भय नहीं होना चाहिए। उसका भय से रहित होना आवश्यक है। उसके मन में भय पैदा हो गया है कि क्या जरूरत है गेहूं की पैदावार ही करें। व्हाई शुड ही नॉट गो टू कैश क्रॉप ? गेहूं का खेती पर पाबन्दी लगाते हैं, सख्ती होती है, उसकी कठिनाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको यह सोचने को मजबूर किया जाता है कि वह कैश क्राप पर आ जाय। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बड़ी नम्रता से मंत्री महोदय से कि इस प्रकार के उनके मन के भय को दूर करना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिला है हमारे कमाण्ड एरिया के लिए चम्बल प्रोजेक्ट और गंगानगर का इलाका है उसमें लिए वह ठीक है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है उनको रिवाइज करना चाहिए उस भूमिका में, उस पृष्ठभूमि में कि यहां का जो किसान है वह अनपढ़ है कि अगर वह टर्म्स आफ एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सकेगा तो उससे ज्यादा रेन्ट और इन्ट्रेस्ट लेंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान का हित होने के बजाय किसान का अहित होगा। किसान का किस में हित है उसका प्रेक्टिकल एप्रोच होना चाहिए। उस प्रेक्टिकल ऐप्रोच को मद्देनजर रखते हुए अगर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे तो वह किसान के हित में होगा और किसान के फायदे में होगा।

माननीय सभापतिजी, अभी बीज की बात चल रही थी। सूरतगढ़ में भी गया हूं। वहां इन्फीरियर क्वालिटी का बीज है। अव्वल तो महंगा है और इतनी इन्फीरियर क्वालिटी का है, मैंने सूरतगढ़ में देखा है वह इतना खराब बीज था कि शायद कोई भी व्यक्ति

(श्री ओंकारलाल चौहान)
उसको लेना पसन्द नहीं करेगा। सूरतगढ़ फार्म की स्थिति बताना चाहता हूं कि वह बहुत बड़ा फार्म है। केन्द्रीय फार्म है। काफी भूमि वहां पर वैसी ही पड़ी हुई है जिस पर खेती ही होती है और न किसी पैदावार का सवाल है। मैं समझता हूं कि राजस्थान नहर की भूमि, घग्घर का पानी, बान्ध से पानी देते हैं, ऐसी भूमि में अधिक अन्न पैदा नहीं कर सके, मैं समझता हूं कि यह एक अचम्भे की बात है, आश्चर्य की बात है, और चिन्ता का विषय है। क्यों न उसको राजस्थान में ही काम में लिया जाय? क्या वजह है? ठीक है कि वह भारत सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार को भारत सरकार से कहना चाहिए कि अगर वह घाटे में चलता है और उस पर कोई लाभ नहीं है और यह निश्चित बात है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, उसकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे और शुरू से आखिर तक देखेंगे तो घाटा ही घाटा नजर आयेगा। घाटे की स्थिति में हम चलें? कितना अच्छा फार्म, वह घाटे में चले, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और इस बात को देखें कि किस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं जिससे कि हम "अधिक अन्न उपजाओ" की स्कीम को वहां पर लागू कर सकें ...

माननीय सभापति जी, मैं कोपरेटिव शुगर मिल, जो पाटन में है, की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। गन्ने की पैदावार बढ़ी है, यह ठीक है। यह भी खुशी की बात है उसकी स्थिति सक्षम बनी है। आज भी, मैं समझता हूं, कोई ढाई करोड़ का कर्ज बकाया है। काम ठीक होने पर इसमें अधिक गति लाई जाय, तेजी लायी जाय और इस प्रकार की कोई और फेक्ट्री एस्टेब्लिश हो उसके पास ही। मैं उधर से गुजरता हूं, लोगों से बात करता हूं तो मुझे जानकारी मिलती है कि गन्ना इतना आता है कि पूरी तरह से क्रश नहीं कर सकती है वह फैक्ट्री। इसलिए कोई न कोई आल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा जिससे स्थिति को ठीक कर सके। गन्ना पैदा करने वालों को ऊंची रेट दे सकें और गन्ने का उपयोग हो सके और कोपरेटिव शुगर मिल है, इसकी माली हालत ठीक हो सके (समय-समाप्ति सूचक घंटा) दो मिनिट।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा, झालावाड़ एक अच्छा इलाका है, काफी अच्छी योजनायें वहां चल रही हैं, वहां नदी नाले काफी हैं, 27-28 नदी नाले हैं, उनको बांधा जाना चाहिए और उनके पानी उपयोग किया जाना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं: कोटा के लिए आपने डेअरी का प्रोविजन नहीं रखा है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देंगे। कोटा दूसरा कानपुर हिन्दुस्तान का बना है। इस कारण इसकी अहमियत को ध्यान में रख कर इस बारे में विचार कर एक डेअरी के विकास के लिए उचित व्यवस्था करेंगे, वहां पर पशु काफी हैं, जमीन काफी है, इन बातों को देखते हुए विचार करेंगे, तो मैं समझता हूं, जो चीज बनती है, वह कहां फिट होती है, इस दृष्टि से वहां डेअरी के विकास और डेअरी की अच्छी सम्भावनायें हैं।

अन्त में मैं निवेदन यह करूंगा, सभापति महोदय, हमारी जो चीज चल रही है, जो चीज हम रखना चाहते हैं, अधिक से अधिक माथुर साहब को, मैं समझता हूं काफी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

काम्प्लीमेंट दिये है, मैं भी देना चाहूंगा, लेकिन आप किस प्रकार ब्यरोक्रेटिव मशीनरी से निकल कर प्रेक्टिकल एप्रोच करें, उससे असल मुद्दा यह है कि हम उत्पादन कैसे बढ़ायें, हम ज्यादा अन्न कैसे पैदा करें-यह दफ्तर में बैठने से होगा नहीं। एग्रीकल्चर आफिसर आफिस में बैठ कर आंकड़े तैयार करें, इट-इज जगलरी आफ स्टेटिस्टिक्स, इधर और उधर कर सकते हैं। आंकड़ों से काम नहीं चलता इसलिए खेतों पर जाना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए और खरीफ और रबी के सोइंग के पहले एग्रीकल्चर स्टाफ को पंचायत समिति के मार्फत किसानों का सम्मेलन बुलाना चाहिए, किसानों की गोष्ठी करनी चाहिए, और किसानों की गोष्ठी करके उनको यह समझाना चाहिए, हम किस प्रकार पैदावार बढ़ायें, दे मुड आलसो डिजाइन द मैथड आफ कल्टीवेशन। इस प्रकार की योजना करनी चाहिए और उसकी उपलब्धि किस प्रकार ओरियेन्ट हम करें। मैं निवेदन करूं, ओरियेन्टेड तरीके से, वे आफ प्रोडक्शन के साथ, विकास करना चाहिए ताकि हमें अधिक सफलता मिल सके। माननीय सभापति इतना कहते हुए मैं मांगों को सपोर्ट करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मेरा नम्बर है।

श्री सभापति : इनके बाद।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा ...

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : पहले मुझे बोलने दीजिये। उनको ...

श्री सभापति : यह आसन का काम है। इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके अनुसार उनको मौका दिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमारे देश में हरित क्रांति आयी, बहुत ज्यादा हरित क्रांति का नारा दिया गया इस सदन में और सदन के बाहर कांग्रेस के बड़े बड़े सम्मेलनों में और लोक सभाओं और विधान सभाओं में ..

श्री ओंकारलाल चौहान : लोक सभाओं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : सरकार और सरकारी पक्ष ने (व्यवधान) मैंने करेक्ट, कर लिया लोक सभा।

सरकार और सरकारी पक्ष ने लैंड टू दी टिलर का नारा दिया। हमारे देश और खास तौर पर प्रदेश में 80 पर्सेन्ट किसान हैं। और देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वह समाजवादी सरकार है, समाजवाद का नारा देने वाली है, यह सरकार किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार होने का दावा करे। फिर भी बड़े दुःख की बात है, यह समाजवादी सरकार अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के आधार पर, उसके अनाज से जहां की जनता को पालती है, जब कि यहां 80 पर्सेन्ट जनसंख्या यहां का किसान है, सभापति महोदय, जो मेहनती हैं दिन और रात, सर्दी, गर्मी और बरसात में बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी लोग मेहनत करने को तैयार हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हम पूंजीवादी देश के भरोसे पर अपने आपको आश्रित करते हैं, इससे बढ़ कर इस सरकार

(श्री मूलचन्द सामरिया)

की असफलता की कोई दूसरी बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। आज किसानों की हालत देखने से, सभापति महोदय, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज का किसान; जो कि हमारे प्रदेश का और हिन्दुस्तान का मालिक है, जो कि तादाद में सबसे ज्यादा है, आज उस कृषक के बारे में जब मांग प्रस्तुत होती है, तो उसकी गरीबी, उसका पिछड़ापन अशिक्षा और इस सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति का ही यह परिणाम है कि हमारी विधान सभा में भी आज किसानों के हिमायती बहुत कम लोग हैं और जो कुछ भी किसान के पक्ष में फर्माते हैं, उस पक्ष से, वह सिर्फ इसलिए कि किसानों की जनसंख्या अधिक है। अन्यथा दिल से किसानों को जागृत करके, उनको शिक्षित बना कर, उनकी आर्थिक स्थिति को सम्पन्न करने के लिए कोई व्यक्ति या सरकार कम से कम तैयार नहीं है। इसका राजनैतिक कारण है। सभापति महोदय, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और वर्तमान मुख्य मन्त्री ने भी एक बार यह नारा दिया था कि जो जमीन जोतेगा, जिसके हाथ में हल होगा, जमीन उसी की होगी, दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं। लेकिन उस नारे के बाद आज क्या यह सरकार इसका जबाब दे सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, अगर उसके पास जमीन है, तो क्या वह काश्तकार है? कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो व्यापार करता है और जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन अगर है, और वह दूसरे लोगों से काश्त कराता है तो क्या वह आपके काश्तकार की परिभाषा में आता है?

इसी तरह से बहुत बड़े उद्योगपतियों के पास लाखों एकड़ जमीन खातेदारी में है, वह भी क्या काश्तकार है? जननेता बन कर, बड़े बड़े मिनिस्टर, एम. एल. ए., एम. पी. जमीन की खातेदारी के आधार पर लाखों एकड़ जमीन हड़प करके बैठे हैं, क्या सभी काश्तकारों की तारीफ में आते हैं? मैं निवेदन करूंगा, जब आपने तय किया है, खेत, जो जमीन जोतेगा, उसकी होगी– तो यह आपकी करनी और कथनी में अन्तर है। उसी का फल है, जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, जो लोग सर्विस में हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, मिनिस्टर, एम. एल. ए. और एम. पी. हैं, वह अपने काले धन को, काली कमाई को छिपाने के लिए खेती कराते हैं, खेत में इस काले धन को दबाते हैं, जो और सोर्स से पैदा करते हैं, इसलिए जमीन अपने नाम ले कर छोड़ रखी है। खेती वही लोग करते हैं जो वास्तव में मजदूर हैं या खेती करने वाले लोग हैं, जो खेतिहर मजदूर और भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आकर बैठे हैं। लेकिन जिन्हें शौक है जमीन रखने का, जमीन लेने का, जमीन उनके हाथ में है। क्या आपने जो नारा दिया था किसानों के लिए दिया था, उसको पूरा करेंगे ताकि देश में उत्पादन अधिक हो, और देश इस मामले में स्वावलम्बी बन सके? अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े आदमियों, अधिकारियों को अपनी पार्टी के हित में, चन्दे के प्रलोभन से जमीन पर कब्जा रखना चाहती है और जमीन की खातेदारी उनके नाम पर रखना चाहती है। अन्यथा कोई कारण नहीं है, एक व्यक्ति आफिस में बैठा है, और उसके नाम पर दो सौ, चार सौ बीघा जमीन हो। वह

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जमीन की परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मुख्य स्रोत आय का वह नहीं है। मैं निवेदन करूं, जिस व्यक्ति के पास अलावा खेती के दूसरा कोई धन्धा हो, उस व्यक्ति के लिए यह चोइस पर छोड़ सकते हैं कि वह खेती रखना चाहता है या दूसरा धन्धा रखना चाहता है। इस प्रकार से यह सरकार करे तो, मैं समझता हूं, इसकी नीयत साफ है, अन्यथा नीयत में यह फितूर है। क्या वजह है, हजारों की तादाद में लैंडलैस एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दूसरी तरफ हजारों लाखों एकड़ जमीन दबा कर बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके लिए लग्जरी है, उन्हें जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज किसान की जो दुर्दशा है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार कभी भी यह दावे के साथ अगर कह दे कि किसान को खाद की जिस समय आवश्यकता होती है, क्या सरकार खाद उचित समय पर मुहैय्या कराती है, बीज की आवश्यकता जब होती है तो क्या सरकार बीज उचित समय पर और उचित मूल्य पर मुहैय्या कराती है? कीट नाशक दवाइयों आदि के बारे में कभी भी सामग्री उचित मूल्य और ठीक समय पर मुहैय्या नहीं कराती बल्कि बहुत से किसानों के साथ धोखा होता है. मार्का कुछ और होता है और बीज उस क्वालिटी का नहीं निकलता है। आज सरकार उद्योगों पर नियन्त्रण नहीं रख सकती है, और जब सरकार तय नहीं कर सकती कि फलां व्यक्ति फलां चीज का उत्पादन करने पर उत्पादित माल का इतना हिस्सा देगा तो किसान की अशिक्षा ~~का लाभ उठा कर पैदा किया हुआ~~ गेहूं लेवी में 105 रुपया लेने में दुःसाहस क्यों करते हैं? क्योंकि काश्तकार संगठित नहीं है। इस तरफ सरकार ने किसान को पाबन्द किया है कि गेहूं बोयेंगे तो 105 रुपये प्रति-क्विंटल लेवी के रूप में देना पड़ेगा। अगर कैश क्राप्स बोयेंगे तो सीधा कर देना पड़ेगा। एक तरह से सरकार ने किसान का शोषण करने का तरीका अपनाया हुआ है, जबकि दूसरे लोगों को इस तरह से पाबन्द नहीं किया है, उद्योगपतियों के साथ ऐसा नहीं है, व्यापारियों के साथ ऐसा नहीं है। सरकार उनकी अशिक्षा और असंगठित होने की मजबूरी का फायदा उठाती है।

एक तरफ तो सरकार जो कुछ विकास के काम करती है वे इम्बेलेन्सड तरीके से करती है। खास तौर से अगर पूर्वी राजस्थान और जयपुर डिवीजन के लिए यह सरकार पर्याप्त पानी या पर्याप्त बिजली दे दे तो अमरीका का गेहूं हमको नहीं चाहिए, हम अपने यहां ही गेहूं इतना पैदा कर सकते हैं कि और भी जिलों को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार जहां उत्पादन शीघ्र हो सकता है, अधिक उत्पादन हो सकता है, उनके रिटर्न्स बहुत जल्दी मिल सकते हैं उन क्षेत्रों को नेग्लेक्ट करती है और वह भी महज इसलिए कि उन क्षेत्रों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वे इफेक्टिव तरीके से उस क्षेत्र की पैरवी नहीं कर सकते। इसलिए सरकार मन-माने तरीके से ऐसे क्षेत्रों की उपेक्षा करती है जिससे हो सकता है कि कुछ समय के बाद हमारा राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाए, आर्थिक संकट पैदा हो जाए जिसका सामना सरकार नहीं कर सकेगी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मेरी पार्टी के 35 मिनट हैं।

Page No 138

(138)

श्री सभापति : आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसके अलावा कुछ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव भी दिये थे और विधान सभा चलने के दो दिन बाद मैंने भी दिया था। उस समय मुख्यमन्त्री ने बिल्कुल अपने × × × बिजली के बारे में टेक्निकल बात की कि जहां कम बिजली होगी वहां दी जाएगी। सदन के फ्लोर पर गलत बयानी दी थी। अपनी × × × बड़प्पन दिखाने के लिये सारे देश में ढिंढोरा पीट रखा है कि राजस्थान में सरप्लस बिजली है। वास्तव में राजस्थान में अगर सरप्लस बिजली है तो इन्जीनियर्स से कहलवा सकते थे क्योंकि यह टेक्निकल मामला है लेकिन जब किसान का पम्पिंग सेट नहीं चल सकता है, डोमेस्टिक बिजली सही तरह से नहीं मिल पाती, कारखाने बन्द होते रहे हैं तो क्या ओवर-फ्लड किया गया है बिजली को? ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा नहीं मानता। मुख्य मन्त्री ने जो कहा था वह बिल्कुल गलत है, गलत बयानी की और इस तरह अपनी कमजोरी के कारण केन्द्र के सामने राजस्थान की वकालत नहीं कर सकते क्योंकि उनको राजस्थान की जनता के लिए चिंता नहीं है, वह बड़े नेताओं को विश्वास में रखने के लिए × × × ज्यादा हैं। इस कारण से न केवल बिजली की बल्कि इससे पहले शोध कारखाने लगाने की बात आई तो हमारी सरकार पूरी पैरवी नहीं कर सकी, वह मथुरा में लगाया गया, तांबे वाली योजना कलकत्ता चली गई। आए दिन जो इन्टर-स्टेट मामले होते हैं चाहे बांधों के मामले में चाहे बिजली के मामले में यह सरकार चारों खाने चित्त आती है क्योंकि उसका जनता में कान्फीडेन्स नहीं, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी बल्कि × × × में लगाती है और ऐसा वातावरण बनाती है कि वे नेता नराज न हो जायं चाहे जनता के हितों को कितना ही सेक्रीफाइस करना पड़े। आज जब किसान को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है तो पम्पिंग सेट चलाने के लिए बिजली नहीं। इस तरह से यह सरकार जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती है जिसका नतीजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा।

किसान को खेती के लिए जो ऋण दिया जाता है उसकी भी मिसाल मैं दे सकता हूं। × × ×

श्री मुन्शीलाल महावर : यह सही नहीं है।

श्री सांवरमल मोर : गलत आरोप है।

(शोरगुल – अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आर्डर प्लीज। अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाना है तो एक माननीय सदस्य उठायें। इस तरह से सदन में जो चाहे खड़े हो जाते हैं, इससे व्यवस्था नहीं चल सकती।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने इस प्रकार जो व्यक्तिगत आरोप लगाया है, क्या उन्होंने नियमानुसार इसका पहले नोटिस दिया है? अगर नहीं दिया है तो जो आरोप माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय पर लगाया है, उसको एक्सपंज किया जाए।

श्री मूलचन्द सामरिया : दे रखा है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं समझता हूं कि पहले भी माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि जब कभी भी किसी माननीय सदस्य या मन्त्री महोदय के विरुद्ध व्यक्तिगत बात कहनी हो तो आसन से पहले परमिशन लेना चाहिये और इस समय मेरी जानकारी के अन्दर आसन की ओर से कोई परमिशन सीक नहीं की गई है। आपके पास अगर है तो उससे मुझे ताल्लुक नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने लिखकर भेज दिया है।

श्री सभापति : आपने लिखकर दिया, वह परमिशन नहीं है। जब परमिशन आपको मिल जायगी तब वह परमिशन मानी जाती है। इसलिए जो कुछ माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय के बारे में कहा, वह एक्सपंज किया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मन्त्री स्वयं ताली बजा रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का चैक दिया गया और उस चैक का भुगतान नहीं होने की वजह से आज भी यह केस पुलिस में चल रहा है। लेकिन, सभापति महोदय, उसको आज भी दबाया जा रहा है। XXX

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैंने नोटिस तो दे दिया था लेकिन चूंकि आज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती इसलिये टेक्निकल बात है अतः मैं राज्य मन्त्री के बारे में ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य वही बात कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द : सभापति महोदय, डाईरेक्ट नहीं कह कर राउन्ड अबाउट बात तो मैं कहूंगा ही। आज बेचारा किसान, सभापति महोदय, जिसके साथ यह चार सौ बीसी हुई, रो रहा है। XXX

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या है आपका पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन में किसी माननीय सदस्य या किसी मन्त्री के खिलाफ में अगर कोई सदस्य बोलता है तो पहले उसे आसन को लिखित में सूचना देना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आज्ञा लेना जरूरी है। ऐसा कहा गया है मैं समझता हूं कि आसन को लिखित सूचना देना ही पर्याप्त है।

श्री सभापति : आसन ने जो व्यवस्था दी है उसकी जानकारी करना जरूरी है उसके लिए चेम्बर में जाकर पहले जानकारी प्राप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो, सभापति महोदय····

श्री सभापति : आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है। श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, मुझे बीच बीच में इन्ट्रप्ट किया गया

XXX वाक्यांश माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाला गया।

Page No 140

(१४०)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है इसलिए मुझे थोड़ा समय दिया जाय। ताकि मैं कन्क्लूड कर लूं। अब मैं नियमों के अन्तर्गत जल्दी समाप्त कर देता हूं।

श्री सभापति : मैंने कहा था कि आपका समय समाप्त हो गया है। आप बोलेंगे तो आपके साथ वालों को कम समय मिलेगा। . . .

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय कन्क्लूड कर रहा हूं।

अब थोड़ा मैं भेड़ व ऊन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा वह तो मेरी जाति के लोगों का मुख्य काम है। सभापति महोदय, अभी भेड़ व ऊन विभाग के अन्दर स्टॉक असिस्टेन्ट की भर्ती की गयी थी। सभापति महोदय, उन स्टॉक मेन और स्टॉक असिस्टेन्टों की जो नियुक्ति हुई है वह अपने आप में मिसाल है। उसके लिये, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन पोस्ट्स के लिये न तो बजट में स्वीकृति थी न ही उनकी नियुक्ति के लिये एप्लीकेशन्स ही मांगी गयीं और न ही कोई एडवरटाइजमेंन्ट ही उन पोस्ट्स के लिये गजट में किया गया या और किसी अखबार वगैरह में निकला। सभापति महोदय, मेरी समझ में एक बात नहीं आया कि बिना गजट में या पत्रिका में एडवरटाइजमेन्ट उन पोस्ट्स के हुए किस तरह से वह लोग किस दूरदर्शिता के कारण, किस अलौकिक विद्या के कारण एप्लीकेशन्स लेकर न डाईरेक्टरेट में गये बल्कि लोग जोधपुर और भरतपुर से सीधे कृषि विभाग में न जाकर सचिवालय में सीधे पहुंच गये। सभापति महोदय, उनके पास ऐसी कौनसी विद्या थी जिसके कारण वह लोग सचिवालय में एप्लीकेशन्स देने पहुंच गये और उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। जब इसके अन्दर ऐसी प्रक्रिया है कि उसके लिये ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसमें भी राज्य सरकार गारन्टी नहीं देती है कि उन्हें नौकरी मिल ही जायेगी। जब इसके बारे में पूछा गया तो यह कहा गया कि एमरजेन्सी के कारण लेना पड़ा और उसके लिये एडवरटाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो, सभापति महोदय, इस तरह के कार्य आज मन्त्री महोदय कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आज सदन में चेतावनी दे देना चाहता हूं चूंकि चाहे आज आपका विधान सभा में भारी बहुमत होने के कारण आप चाहे इन भ्रष्टाचार के कारनामों को दबा लेंगे लेकिन मैं आपको निश्चित तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता इनको माफ नहीं करेगी और एक दिन इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही भ्रष्ट मन्त्रियों के कारण जयप्रकाशजी जैसे नेता को सड़कों पर आन्दोलन करने की आवश्यकता हुई। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार करने वालों को राज्य मन्त्री बना दिया जाता है जिनके खिलाफ में रिकार्ड है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी ही मन्त्री बनने के लिये आप बड़ी क्वालिफिकेशन मानते हैं। तो आप इनको राज्य मंत्री ही क्यों बनाते हैं आप को चाहिये कि आप इनको राज्य मन्त्री नहीं बना कर फुल फ्लेज्ड केबीनेट स्तर का मन्त्री ही बनाइये। क्योंकि इनसे ज्यादा भ्रष्ट मन्त्री आपको नहीं मिलेगा। आपको इनको केबीनेट स्तर देना चाहिये।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर प्लीज । समाप्त करिये । श्रीमती निर्मला कुमारी ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इस वर्ष के बजट में हमारे राज्य में बजट का 12 प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित सेवाओं के लिये व्यय किया जायेगा । सभापति महोदय, कृषि जो है वह हमारे प्रान्त की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार है। सभापति महोदय, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि खाद्यान्न के अभाव के कारण हमारे यहां का सारा अर्थतन्त्र विकृत हो गया है । अभी हाल ही में विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि हर राष्ट्र को चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो उसे अपनी खाद्य समस्याओं का स्वयं ही निराकरण करना होगा । सभापति महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज के भाव बड़े महंगे हैं । और किसी भी गरीब राष्ट्र के लिये अनाज खरीदना महंगा पड़ेगा । कई धनी राष्ट्र अनाज गरीब राष्ट्रों को देने को तैयार नहीं होंगे । ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो प्रयत्न आज हम कृषि के लिये कर रहे हैं उन प्रयत्नों को हमें दुगनी गति से कर देना चाहिये । निःसन्देह हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे यहां चारों तरफ कृषि का विकास नहीं किया जा सकता । परन्तु, मान्यवर, राजस्थान का जो दक्षिणी-पूर्वी भाग है जिसको कि प्रकृति का वरदान मिला हुआ है । उस भू भाग में हम कृषि का विस्तार कर सकते हैं । लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या हमने इसके लिये कुछ भी किया ? क्या हमने कभी वहां के सरफेस-वाटर का उपयोग लिया ? क्या हमने वहां के लोगों को विद्युत दी है ? अगर इन बातों का उत्तर हम चाहेंगे तो हमें नकारात्मक उत्तर मिलेगा । ऐसी स्थिति में हमारे यहां की अनाज की समस्या कैसे सुलझ सकती है ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती थी वह प्रश्न, मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे यहां पर कृषि में बहुत अधिक अनुसन्धान हुए हैं और इन अनुसन्धानों के कार्य पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं । पर, सभापति, महोदय यह जो लाखों रुपये खर्च हुए है उसका फायदा हमारे यहां काश्तकारों को हुआ है । आज हमारे यहां पर जो हरित क्रान्ति की बात करते हैं उसमें बड़े काश्तकारों को ही उसका लाभ मिला है । लेकिन, मान्यवर, हमारे प्रान्त में 62 प्रतिशत ऐसे कृषक हैं जो कि सीमान्त कृषक या लघु कृषक की श्रेणी में आते है । उन्हें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिला ऐसी स्थिति में यह कहूंगी कि हमारे यहां पर हरित क्रान्ति थी वह अमीर लोगों के लिये है और आज हमारे यहां गरीब काश्तकार अभी भी गरीबी के कीचड़ में पड़ा हुआ है । वह गरीबी के कीचड़ में से निकलने की कोशिश करता है पर निकलने की कोशिश में ही वापिस कीचड़ में ही गिर जाता है वह निकल नहीं पाता । सभापति महोदय, आज दलील तो यह दी जाती है कि हमारे यहां का काश्तकार पुराने ढंग के औजार काम में लेता है और वह अशिक्षित है इसलिये ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर कृषि का पूरा विकास नहीं हो पाता है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि क्या हमारे कृषि विभाग ने अभी तक हमारे

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

काश्तकारों के पास पहुंचने की कोशिश की? आज आपका जो कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर है क्या यह हमारे काश्तकार के पास कभी पहुंचा है? आज आप कल्पना कीजिये कि पन्तनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कृषि विश्वविद्यालय है उसमें लाखों रुपये खर्च किये जाते है उसका फायदा वहां के लोगों को मिला है लेकिन हमारे यहां पर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने हमारे यहां पर वल्लभ नगर में कोई काश्तकार को फायदा नहीं पहुंचाया है जब कि वहां पर भी लाखों रुपये खर्च राज्य सरकार कर रही है। सभापति महोदय, इसके अलावा हमने हमारे कृषि विकास के कार्यक्रम सारे के सारे ग्राम सेवकों को सौंप दिये हैं। ग्राम सेवकों ने कृषि विकास कार्यक्रमों को छोड़ दिया है और वह अब खुद व्यवसायिक नेता बन गये हैं। आज ग्राम सेवक गांव में काश्तकार को कृषि विकास कार्यक्रम नहीं समझा कर राजनैतिक दाव पेच समझाता है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहूंगी की जिस प्रकार राज्य सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारियों को अपने नीचे लिया है उसी तरह राज्य सरकार को चाहिये कि इन ग्राम सेवकों की सेवाओं को पंचायत समिति में से समाप्त कर दी जावे और उन्हें कृषि विभाग के अन्तर्गत लाया जावे। आज आपने डिमान्स्ट्रेशन फार्म्स भी खोले है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनका कोई कार्यक्रम नहीं देखा जा रहा है। सभापति महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़ गढ़ के डिमान्स्ट्रेशन फार्म के बारे में बता रही हूं कि आज वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। मैं आपको अपनी लेटेस्ट नोलेज के हिसाब से कह रही हूं। मैं खुद वहां पर गयी थी, वहां पर मैंने किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता नहीं देखा है। वहां पर कोई अनुसन्धानात्मक कार्य नहीं होता है। जो पहले काम होता था उसकी और गेहूं की खेती वह आज भी हो रही है। और इसकी पैदावार भी बाद मे पंचायत समिति के बजट में जोड़ दी जाती है। तो फिर यह डिमान्स्ट्रेशन फार्म आपने क्यों खोले यह मेरी समझ मे नहीं आता है। अतएव मैं इन परिस्थितयों में नहीं समझती कि यह डिमान्स्ट्रेशन फार्म राजस्थान में दूसरी जगह भी कोई प्रभावशाली कार्य करते हों। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन्हें सक्रिय बनाया जाना चाहिये। इसके अलावा आज नेशनल सीड कोरपोरेशन जो सीड देता है, वह सीड भी अच्छे नहीं देता है उसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स के साथ खराब क्वालिटी के सीड्स भी मिले हुए होते हैं और इन सीड्स के पैसे भी ज्यादा लिये जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिये हमें एक डिपार्टमेन्ट बनाना होगा जो कि यह पब्लिसिटी करे कि कौनसा बीज उत्तम है और कौनसा बीज खराब है। कौनसा बीज उत्तम है वही बीज किसान को देना चाहिये। हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं उनका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान से ही विभूषित है, उनको इस सम्बन्ध में कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने भी यही बात कही थी और मैं भी यही कहना चाहती हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहती हूं कि गन्नों पर ऐन्ड्रील का छिड़काव किया जाता है और उसका प्रभाव उसके ऊपर 6 महीने तक रहता है परन्तु मैं आपको चित्तौड़ की बात बता रही हूं वहां

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

पर कृषि अधिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं है। नवम्बर में गन्नों पर ऐन्ड्रीन छिड़की गई दिसम्बर में गन्ने मिल में पहुंचा दिये, अब आप सोचिये कि उसका पोइजन मिल तक पहुंच गया और शक्कर से किन-किन लोगों तक पहुंचेगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहती हूं और वह यह है कि फसली कार्यक्रम को हम प्रोत्साहन तो देना चाहते हैं परन्तु इसको प्रोत्साहन देते कहां हैं। उदाहरण के तौर पर उदयपुर जिले में इस साल बहुत अधिक गन्ना बोया गया है, इतना अधिक कि शायद जब से राजस्थान बना है इतना अधिक गन्ना नहीं बोया गया। परन्तु आज स्थिति यह है कि उस गन्ने को लेने वाला कोई नहीं है। वहां पर लोगों ने कितने महीनों तक कड़ी मेहनत की, रात रात भर ठण्ड में खड़े रहकर पानी दिया, कड़ाके की धूप में उनकी देखभाल की और कितनी बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ी, इस आशा के साथ कि उनको अधिक पैसा मिलेगा और उनकी हालत सुधरेगी। परन्तु इसका कोई खरीददार नहीं, एक मात्र खरीददार मेवाड़ शुगर मिल है जो पुरानी मशीनों के जरिये अपना काम चला रहा है और उसकी इतनी केपेसिटी नहीं है कि वह इतना गन्ना उठा सके। इसलिए आज हालत यह है कि किसानों का गन्ना सूख रहा है और खेत में खड़ा हुआ है, मान्यवर, उन किसानों की करुण दास्तान कह रहा है। किसानों ने इस उद्देश्य से अधिक गन्ना बोया था कि वे अपने बीबी-बच्चों के कपड़े बनवा सकेंगे, अपने मकानों की मरम्मत करा सकेंगे और कई काम कर सकेंगे परन्तु आज उनके गन्ने को लेने वाला ही कोई नहीं है। मान्यवर, मैं पूछना चाहती हूं, मन्त्री महोदय से कि आप क्यों दे रहे हैं आज इस तरह से पूंजी-पतियों को प्रोत्साहन। उन गरीब किसानों के आधार पर, उन असंगठित किसानों के मूल्य पर आप उन पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि गन्ने का डिपो है वहां के दस मील के रेडियस में कोई गन्ना क्रश नहीं करेगा। अब आप ही सोचिये कि किसान बेचारा कहां तक परेशान होगा। इसके लिये मैं निवेदन करूंगी कि इस पाबन्दी को हटाने के लिये मन्त्री महोदय आज ही घोषणा करें। गन्ने से और भी कई प्रकार की चीजें बनती हैं, उससे गुड़ बनता है, खण्डसारी है और भी अन्य प्रकार की चीजें बनती हैं। आपके इस आदेश से एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। इस पाबन्दी के हट जाने से लोगों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को और गरीब किसानों को उनके गन्ने की कीमत का उचित मूल्य भी मिल सकेगा। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि एक कृषि बीमा के बारे में, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा था देश के 6 राज्यों में जिस प्रकार से कृषि बीमा की योजना है, गुजरात, मध्य-प्रदेश, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, आदि उसी प्रकार से हमारे राजस्थान में भी फसलों के आकस्मिक भय से मुक्ति दिलाने के लिये और किसानों के लाभ के लिये राज्य सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। खासकर गन्ना और मूंगफली आदि जहां अधिक होती है वहां पर इन सुविधाओं का उपयोग किया जाकर लाभ उठाया जा सकता है। क्योंकि मान्यवर, आज किसान आदमों को क्या मिलता है..........

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : आज जो पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे कि उनको बीज, खाद के दुगने पैसे देने पड़ते हैं परन्तु वे किसान आज 105 रु० दे रहे हैं लेवी के, मैंने कई किसानों से बात की है, वे लेवी सहर्ष देने को भी तैयार हैं और मैं यह कहना चाहती हूं कि लेवी की रेट बहुत कम भी है, वास्तविक उत्पादन मूल्य से भी कम है, लेवी की रेट बढ़ानी चाहिए मगर वह नहीं बढ़ायी जाती तो कम से कम निर्धारित स्थान पर यातायात का जो खर्चा आता है वह तो किसान को मिलना चाहिए, यह उसी हिसाब से उसे पैसा दे दीजिये। ऐसी हालत में उसकी माली हालत नहीं सुधर सकती। 6 हजार तक इन्कम टैक्स पर जिसके पास 10 बीघा जमीन है, 200 की कीमत पर गेहूं बिकते है और 105 आप ले रहे हैं। आखिर इतना बड़ा टैक्स गरीब व्यक्ति कैसे दे पायेंगे ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस रेट में परिवर्तन कराने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखे। मान्यवर, पशुओं के सम्बन्ध में भी, पशु और कृषि का कृषि की अर्थ-व्यवस्था से बहुत अधिक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का महत्व पशुओं के दृष्टिकोण से और अन्य स्थानों पर पशुओं द्वारा कृषि की जाती है इसलिए इनका बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार से पशु पालन के साथ साथ कृषि का विकास जुड़ा हुआ है। इसके लिये हमको कहना चाहिए कि हरित क्रान्ति के साथ-साथ श्वेत क्रान्ति, उसके लिये भी कदम उठाये जाने चाहिए। हमारे यहां पर परम्परागत पशु हैं, इन पर अधिक ध्यान दिया जाय तो सभव है हमारे यहां भी डेन्मार्क की तरह उन्नति का मार्ग खुल सकता है। परन्तु राजस्थान के दूसरे भाग हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की वहां के गांवों की समस्या जनसंख्या की तरह ही वहां की, पशुओं की समस्याएं हैं। रुग्ण पशुओं के लिए भी हजारों बीघा भूमि आज चरागाहों के लिए छोड़ रखी है, मैं अपने ही गांव का उदाहरण दूं, हमारे गांव में करीब 500 जानवर होंगे और वहां पर डेढ़ सौ दो सौ बीघा जमीन चरागाह के लिए छूटी हुई है, परन्तु मैं कह सकती हूं कि वहां पर एक क्विन्टल भी दूध मुश्किल से होता है। इस प्रकार की स्थिति है, इसको सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसलिए पशु विकास और डेयरी विकास के लिए हमको खास तौर से चार बातों का ध्यान रखना है और फिर हम उसका मूल्यांकन करें कि उन चार बातों का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं रखा गया है जैसे उचित रूप से किसानों को ऋण की सुविधाएं मिलनी चाहिए, पशुओं के लिए नस्लें, चरागाह की सुविधा होनी चाहिए तथा रुग्ण पशुओं के लिए उनके रोग निवारण की व्यवस्था। अच्छी नस्लों के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज जो हमारी नागोरी गायें और कई किस्म के अच्छे पशु हैं उनकी नस्लें नष्ट होती जा रही हैं। किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था बहुत मुश्किल चीज है,

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

ऋण प्राप्त करने के लिए उनको हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उनको ऋण नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से हमारे जो चरागाह हैं वे परम्परागत हैं और उनमें ऐसा चारा पैदा होता है कि जानवरों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसलिए नये चारे का बीज किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जाना चाहिए। इस के साथ ही साथ पशुओं में रोगों की रोकथाम के लिये, जब तक रोकथाम नहीं होगी तब तक भ्रमणशील चिकित्सा की इकाइयों को अधिक क्रियाशील नहीं किया जाता, उसके बजट को बढ़ाना होगा क्योंकि मान्यवर, किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने पशुओं को अस्पतालों तक ले जा सके इसलिए चल चिकित्सा की इकाई को अधिक क्रियाशील बनाना होगा। मान्यवर, मैं बिलकुल संक्षिप्त में बोलना चाहती हूं, आपका मतलब भी समझ रही हूं। मैं यह कहना चाह रही हूं, मान्यवर, कि आज हमारे ऊन उत्पादकों की दशा बड़ी सोचनीय है। 40 प्रतिशत देशी ऊन पैदा होती है, वह कच्चे माल के रूप में बाहर चली जाती है। ऊन के विकास के लिए और ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कुटीर उद्योग धन्धे खोल सकते हैं। यदि इसका विकास करें और कुटीर उद्योग लगायें तो हम कई ऊन उत्पादकों को, किसानों को इस ओर लगा सकते हैं लेकिन, मान्यवर, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

कुक्कुट व्यवसाय भी आज महंगा होने से लोगों ने इसको छोड़ दिया है। दाना महंगा हो गया है।

(व्यवधान)

आपको यदि बोलना है तो बोल लीजिये लेकिन इस तरह से बीच में डिस्टर्ब न कीजिये।

मत्स्य पालन को बढ़ाया जा सकता है। इस समय 30 लाख की राज्य को आय होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में यह युद्ध ठीक नजर नहीं आता।

श्रीमती नागेन्द्रबाला : यह आपकी अपनी परिभाषा है, यह सहयोग की बात है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं चाहती थी कि पंचायत समितियों के क्षेत्र में यह कहना बहुत बड़े तालाब पड़े हुए हैं, उनको आप फिश सीड सब्सिडी के रूप में दीजिये। इससे दो लाभ होंगे। एक तो पंचायत समितियों की इनकम बढ़ेगी और दूसरा लोगों को प्रोटीन मिलेगा। उदयपुर का मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी वहां केवल एक ही व्यक्ति को मत्स्य पालन का ठेका देते हैं। एक को क्यों देते हैं? इस प्रकार के जो लघु उद्योग हैं जिनको अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को दे सकते हैं उनकी सोसाइटीज बना कर, आप क्यों नहीं उनको इस ओर प्रोत्साहित करते हैं सब्सिडी देकर। अधिक न कह कर मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूं कि पशुपालन की ओर ध्यान कम गया है। यदि विकास के द्वार खोलने हैं तो हमें कृषि और पशुपालन का विकास करना होगा।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री सभापति : इनके बाद आपको चान्स दिया जायगा। इससे पहले आप खड़े नहीं हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो आपकी न्याय प्रणाली की ओर आशायें लगाये बैठा था। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के तो बोल गये। लेकिन हमको समय नहीं दिया गया

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इसके बाद में आपको समय मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : औरों को भी सुनना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑर्डर आफ प्रायोरिटी है उसके अनुसार दीजियेगा।

श्री सभापति : विचार किया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्षजी से मैं चेम्बर में....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वहां गया हुआ था। कहा गया कि पांच बजे से पहले मिल जायगा।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह। आपको समय पहले मिलना चाहिये। हम इस इम्प्रेशन में रहे कि आप तैयारी में लगे हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप समय देंगे तो कब तक तलवार पर धार लगाते रहेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन के संबंध में, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत राजस्थान की जनता यह साधन मुहैय्या करती है और हमारी इनकम में 45 परसेन्ट और 13 परसेन्ट के अनुपात से सहयोग देती है।

अभी माननीय सदस्यों ने पशुपालन और कृषि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। माननीय सभापतिजी, मैं बीकानेर जिले की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अभी डेयरी विकास का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर जो डेयरी भवन का निर्माण किया जा रहा है, उसमें गतिरोध आ गया है। ठेकेदार और सरकार के बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया है। इसको तत्काल से तत्काल सुलझाने की आवश्यकता है। वरना डेयरी विकास संघ का जो निर्माण किया गया है वह सुचारू रूप से चल नहीं सकेगा। बड़े बड़े अधिकारी को भेज कर इस गतिरोध को जल्दी से जल्दी दूर किया जाय।

(श्री भीमसेन)

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चिलिंग प्लांट जो लगाया जायगा वह दस हजार का ही लगाया जायगा, जब कि वहां पर एक लाख से भी अधिक लीटर दूध प्रतिदिन उपलब्ध हो सकता है। इसलिये यह बिलकुल अनइकोनोमिकल होगा इसलिये इसकी क्षमता को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

इसी तरह से सघन विकास योजना है। इस योजना का जो लक्ष्य है उसका एक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। कैटल मोबाइल होती है। इसकी असफलता का कारण यह है कि जो भी अधिकारी इसके लिए नियुक्त किये गये हैं वे अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। जिस कार्य के लिए जो भी अधिकारी लगाया जाय यह देखना चाहिये कि उसमें उसके प्रति कितनी निष्ठा है। यह देखने की बड़ी आवश्यकता है।

जैसा मैंने निवेदन किया कि डेयरी का विकास किया जा रहा है, डेयरी भवन का निर्माण किया जा रहा है, उसमें रुकावट आई है, उसको दूर करने के लिए अधिकारी स्तर पर क्या किया जा रहा है ? मैं समझता हूं कि उसको अधिकारी स्तर पर दूर नहीं किया जा रहा है। राजकीय सेक्टर में (क्षेत्र में) जो भी काम होते हैं उनके घाटे में जाने का एक ही मुख्य कारण होता है कि अधिकारी समय पर कदम नहीं उठाते।

इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि सघन पशु नस्ल सुधार का कार्यक्रम लिया जा रहा है। भेड़ प्रजनन का कार्य लिया जा रहा है। किन्तु ऐसे क्षेत्र में लिया जा रहा है कि जहां पर सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। नस्ल सुधार वहां ला सकते हैं कि जहां पर सिचाई के पर्याप्त साधन हैं। फोडर अच्छा मिल सके। चम्बल क्षेत्र, राजस्थान नहर क्षेत्र, अन्य जगह जहां पर सिचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहां पर इसको लेवें ताकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको प्राप्त करने में सुविधा होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान नहर के बायें तरफ सघन पशु नस्ल सुधार और भेड़ नस्ल सुधार योजना को हाथ में लें, क्योंकि आपको वहां पर सिचाई के पूरे साधन उपलब्ध हैं। इससे आप लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी सुझाया है कि खेती के साथ साथ पशु पालन का कार्य भी लिया जाना चाहिये जिससे कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं समझता हूं कि इस ओर अधिकारियों और सरकार को ध्यान देना चाहिये।

राजस्थान नहर क्षेत्र में इस वर्ष सघन कृषि कार्य हाथ में लिये गये हैं उसके बारे में अधिकारियों और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। वह कार्यक्रम समय पर, उस क्षेत्र में लिये जा रहे हैं उसके लिए मैं कहूंगा कि वास्तव में यह आदर्श योजना है, और उसको सही रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार के पशुपालन के कार्यक्रम को भी क्रियान्वित करें तो लक्ष्य जो निर्धारित किये गये हैं उनको प्राप्त कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं सरकार का पिछले कई वर्षों से उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि राजस्थान केनाल के बायें किनारे पर जमीन उपलब्ध है वहां पर परिवारों को आबाद किया जाना चाहिये जिससे उस क्षेत्र का कृषि का विकास होगा और पशुपालन में भी विकास होगा। राज-

(148)

(श्री भीमसेन)

स्थान नहर का, पोंग डेम का पानी भी हमारे यहां उपलब्ध है। उस पानी का उपयोग अस्थाई तौर पर इस राजस्थान नहर के पेरेलल दो-तीन वर्षों के लिए हो सके तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह जिला अकाल से पीड़ित रहता है। इस बात की आवश्यकता है कि हमारे देश में रिर्सोसेज उपलब्ध हैं और नहर के किनारों का उपयोग करें तो मैं समझता हूं पशुपालक जो अकाल के दौरान परेशान रहते हैं, उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं और हिन्दुस्तान की आदर्श कालोनी वहां बस सकती है और कम से कम लागत में दूध की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं इस योजना को लागू करने के बारे में जल्दी से जल्दी विचार किया जाना चाहिये।

आज बीकानेर जिले में 70 हजार गांव हैं, मैं समझता हूं उस इलाके में राजस्थान नहर के बायें किनारे पर जो लाखों एकड़ जमीन उपलब्ध है, बीकानेर जिले के 20-30 हजार लोगों को आबाद कर सकती है। 10 बीघा, 20 बीघा जितने पशु हैं निजी चारागाह कायम कर सकते हैं। राज्य सरकार को फव्वारे से जो सिंचाई की आवश्यकता है वह देने की आवश्यकता है और कोई इमदाद की आवश्यकता नहीं है। पानी उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है उसको उपयोग में लेने की जरूरत है।

सभापति महोदय अभी माननीय सदस्यों ने जैसा ध्यान आकर्षित किया कि जो लोग पशु पालने में रुचि रखते हैं, जो लोग खेती करने में रुचि रखते हैं उनके परिवार के बच्चों को कृषि कालेज में, वेटरनरी कालेज में एडमिशन में, मैं चाहता हूं 80 प्रतिशत 85 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखनी चाहिये। अगर इस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे परिवार के बच्चों के लिए 80 प्रतिशत सीट रिजर्व रखेंगे तो निश्चय है आप अपना कदम सही दिशा में उठा सकेंगे।

इसी तरह हमारे यहां अभी डेयरी मार्केटिंग का काम चल रहा है। जो उसमें दूध उपलब्ध होता है उसमें साढ़े आठ प्रतिशत का स्टैण्डर्ड है लेकिन राठी गायें साढ़े आठ प्रतिशत नहीं दे सकती है, तो मैं समझता हूं जिस मात्रा में वहां की गायों का दूध उपलब्ध होता है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं समझता हूं इस प्रकार राज्य सरकार पशुपालकों को राहत देगी।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान वूल के शीयरिंग के लिए, वूल के ग्रेडिंग के लिये, वूल की मार्केटिंग के लिए एक वूल बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता है। आज भेड़ पालक बिचौलियों से परेशान है बिचौलियों द्वारा उसका शोषण बहुत होता है तो राज्य सरकार ऊन शीयरिंग के लिये, ऊन ग्रेडिंग के लिये और वूल मार्केटिंग के लिये एक बोर्ड का निर्माण कर सके तो मैं समझता हूं जो भेड़ पालक हैं उनको शोषण से मुक्ति दे सकेंगे। इसी प्रकार सीकर, झुंझनूं जिले में जो भेड़ पालक हैं जब खेती का अवसर होता है तो सब भेड़ें हमारे यहां आ जाती हैं और जिस इलाके की भेड़ें चरने जाती हैं वहां राजस्थान नहर का पानी आ रहा है दो साल बाद उनके चरने के लिये कोई स्थान नहीं होगा। सभापति महोदय, मुझे दुःख है जब मैंने इसके लिये लिखा तो भेड़ पालन विभाग से उत्तर मिला इसकी कोई समस्या ही नहीं है, मेरा निवेदन है इस

(श्री भीमसेन)

समस्या के समाधान के लिये सरकार को अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार हमारे बीकानेर जिले में जैसे जैसे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो रहे हैं— लिफ्ट सिंचाई के तो उसमें एक जिला कृषि अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये। इसके साथ साथ दूध का कलेक्शन करते हैं उसमें रेगिस्तानी इलाके में ग्रेवल रोड़ नहीं बनायेंगे तो डेयरी प्रोग्राम में बहुत परेशानी होगी और आपको सफलता नहीं मिल सकती है। मैं समझता हूं जो रेगिस्तानी रूट है वहां से दूध अच्छी तरह नहीं ले सकेंगे इसलिये सड़कों के निर्माण का प्रावधान करना चाहिये।

मैं इन्हीं शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये पुनः डेयरी के लिये रेगिस्तानी इलाके में ऊंट गाड़ों की जो लोन की व्यवस्था है वह करनी चाहिये। राजस्थान सरकार को ऊंट गाड़े और डेयरी के लिये जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी है, उसमें परिवर्तन करके उनको ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए तो मैं समझता हूं ग्रामीण जनता के लिये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): आज कृषि, पशु पालन और डेयरी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने चार करोड़ 38 लाख 32 हजार, पांच करोड़ 31 लाख 91 हजार तथा डेयरी के लिये एक करोड़ 35 लाख 50 हजार की मांग की है। कुल बजट का 10 प्रतिशत इस वर्ष इन तीनों कार्यों के लिये चाहते हैं। वैसे तो ये तीनों कार्य एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं और बजट में हमने 57 प्रतिशत धनराशि रखी है। उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट इन तीनों कार्यों पर है लेकिन मैं समझने में असमर्थ हूं कि वन विभाग इस क्षेत्र से अलग क्यों है। आज दुनियां में ऐसा कोई देश नहीं है कि फॉरेस्ट को कृषि से अलग करके रखा जाता हो और उसका किसी प्रकार से भी कृषि से अलग सम्बन्ध हो। वर्षा का सम्बन्ध हो तो वन विभाग का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभापति महोदय, आज की विश्व की स्थिति में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और जो सारे विश्व की खाद्य स्थिति होती जा रही है और जो यू० एन० ओ० की लेटेस्ट रिपोर्ट है और जिस प्रकार किसिंजर ड्रामा करके गए और वर्ल्ड फूड कान्फ्रेन्स में जो ड्रामा किया और जिस प्रकार के टुकड़े पिछड़े हुये देशों के सामने फेंके उसको देखते हुए आज आत्म-निर्भरता की, स्वदेशी कृषि का बहुत बड़ा महत्व है और एक राष्ट्रीय प्रश्न है तथा राष्ट्र के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है।

सारे हालातों को देखते हुये जिस प्रकार हमारा राजस्थान राज्य है, मैं न बीकानेर की बात करना चाहता हूं, न मैं गंगानगर की बात करना चाहता हूं मैं सारे राजस्थान की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं— राजस्थान एक एक्स्ट्रीय स्थितियों का प्रान्त है चाहे सिंचाई के क्षेत्र में ले लीजिये और चाहे उद्योग के क्षेत्र में ले लीजिये। राजस्थान के 8 जिले जो पूर्णतया रेगिस्तानी हैं और राज्य के 1.67 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है जो कि सारे

(150)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांण्डा)

राजस्थान का 51 प्रतिशत क्षेत्र होता है और जिसमें राज्य की 47 प्रतिशत कृषि होती है और इस कृषि के सूख जाने की क्रिया वर्ष दर वर्ष अकाल के कारण चलती रहती है।

आज हम राजस्थान में इस बात का गौरव करते हैं कि तीन लाख एकड़ में ड्राइव कल्टीवेशन की है लेकिन वह कल्टी-वेशन कोई साईन्टिफिक आधार पर हुई हो और कोई प्रगति हुई हो, वह बात नहीं है। लेकिन सारे राजस्थान के अन्दर जहां हम आज सिंचित क्षेत्र काफी बढ़ा कर पाये हैं और आज हम राजस्थान के अन्दर नहरों से सिंचित क्षेत्र को 8 लाख 19 हजार हेक्टर से भी ज्यादा ले गये हैं वहां कुओं का सिंचित क्षेत्र 13.14 लाख हेक्टर ही है। याने 40 और 60 का कुल का अनुमान बनता है। इस सारे सिंचित क्षेत्र के अन्दर भी और यह देखें कि पर हैक्टर कृषि में कितनी प्रगति की है तो निश्चितरूप से वह आंकड़ा बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है और उसके लिए राज्य की ओर से सिर्फ एक ही दलील चली आती है। पर हैक्टर कृषि का आंकड़ा पिछले वर्ष से जो इरेटिक है चाहे ज्वार का हो, चाहे बाजरे का हो या फूड ग्रेन का हो या नान-फूड ग्रेन का हो—अगर 1969-70 के आंकड़े देखें तो ज्वार का 351 का 349 आ गया। गेहूं को ले लें तो 1014 का 1070 है और बीच के अन्दर ज्यादा भी हुआ है। किसी भी फिगर को लें इरेटिक है।

सभापति महोदय, इस बात के लिये मैं अवश्य राज्य सरकार की आलोचना करूंगा कि सारे राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए अगर पर-हेक्टर प्रॉडक्शन का आंकड़ा इरेटिक रहे तो उसके लिये राजस्थान की स्थितियां तो चिन्तनीय हैं ही लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है अगर उनके अन्दर पर-हैक्टर प्रॉडक्शन का फूड ग्रेन का और नान-फूड ग्रेन का आंकड़ा इरेटिक रहता है तो इसके लिये किस की जिम्मेदारी है ? चाहे तो वह नहर से सिंचित क्षेत्र हो या राज्य के 6 लाख इलेक्ट्रिफाइड ट्यूबवेल्स से सिंचित क्षेत्र हो— इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए राज्य सरकार को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि आखिर 1½ लाख ऐसे कुएं जो कि इलेक्ट्रिक से रन करते हैं हमारे बेकार क्यों पड़े हुए हैं ? इसके लिए राज्य की व्यवस्था मुकम्मिल रूप से जिम्मेदार होगी और फिर सभापति महोदय, यदि आप राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चरल लेबर की मजदूरी देखें तो पिछले दस सालों के अन्दर उसमें कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है। जिस अनुपात से हमारा प्राइज इन्डेक्स बढ़ा है, कन्ज्यूमर्स प्राइज इन्डेक्स बढ़ा है, अगर उस अनुपात से देखें तो आज भी हमारे हलवाई, गुडाई करने वाले, कटाई करने वाले या निनाई करने वाले हैं उनको पैसा 2½ और 3 रुपये के बीच में है। उससे आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी कृषि की योजना कामन-मैन के ऊपर इम्पेक्ट नहीं डाल सकी। आज हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ ऐसी वैराइटीज हैं, अगर आप हाईब्रीड वैराइटीज की बात करेंगे तो राजस्थान के साइन्टिस्ट्स हिन्दुस्तान की दूसरी जगहों के साइन्टिस्टों से कम नहीं हैं। यह सही है कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जिन स्थानों पर रिसर्च वर्क्स होने चाहिए वहां नहीं होकर दूसरी जगह हो रहे हैं, जहां एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए वहां नहीं खुली और दूसरे स्थान पर खुल गई और इसी तरह से जिन स्थानों पर ट्रैक्टर सर्विस के सेन्टर होने चाहिए वहां नहीं होकर दूसरे स्थानों पर हैं। लेकिन कुछ ऐसी वैराइटीज हैं जिनके ऊपर हम गौरव कर सकते हैं। राज-911 जो कि काठे गेहूं की मैक्सीकन वैराइटी है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में अपने किस्म की एक ही वैराइटी है और बहुत कम पानी में ग्रो कर सकती हैं और अगर सारी वैराइटीज को इसी दिशा में इनर्जी को लगा सकते थे तो बहुत कुछ गेन कर सकते थे। लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद भी आज सारी की सारी हमारी डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था, किसानों को इन-पुट्स देने की व्यवस्था और किसानों की टोटल इनर्जी को यूटिलाइज करने की दिशा को मैं सराहनीय नहीं कह सकता। अगर राजस्थान की टोटल कल्चरेबल साढ़े छः करोड़ एकड़ जमीन को लें तो इसमें 3 करोड़ एकड़ ऐसी है कि जहां कृषि नहीं कर सकते और जो साढ़े तीन करोड़ एकड़ खेती की जमीन है उसमें 1 करोड़ एकड़ सामन्ती व्यवस्था की शिकार है जो आज जागीरदार खुदकाश्त के नाम पर बैठे हुए हैं-वह राजा और महाराजाओं के पास हैं, वह धनी सेठों के पास है। और जो बाकी 1 करोड़ एकड़ जमीन ले लें तो इसमें छोटी जोतें एक हैक्टर वाले आयेंगे तो 20 लाख ऐसी जोतें हैं और 1 लाख 90 हजार जोतें ऐसी हैं जो कम से कम एक और दो हैक्टर के बीच में हैं। तो कुल मिलाकर हमने मार्जिनल फार्मर को कृषि के मैदान में नहीं उतारा तो हम कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते और इसके लिए जितने भी लोन आपने डिस्ट्रिब्यूट किये हैं इस वर्ष की योजना में 40 करोड़ रुपया किसानों को कोआपरेटिव सिस्टम के आधार पर देंगे।

मैं रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट यहां सदन में प्रस्तुत करके सदन को आंकड़ों के जाल में नहीं डालना चाहता लेकिन एक बात निश्चितरूप से कहूंगा कि आप टोटल सर्वे कर लें जो आपके अनइकानामिक जोतों के किसान हैं आपके इनपुट्स के फायदे, आपके हाईब्रीड वैराइटीज बीजों के फायदे, आपकी ऋण वितरण व्यवस्था के फायदे बहुत कम हुए हैं और जो मार्जिनल फार्मर के ऊपर का बड़ा किसान है उसको 80 प्रतिशत से ज्यादा फायदा लोन का उनको दिया है। इसलिए आप सारे के सारे राजस्थान के किसानों को एनरजाइज नहीं कर सके और उन्हें उत्पादन क्षेत्र में नहीं उतार सके, पुरानी सामन्ती व्यवस्था से नहीं छुड़ा पाये और धरती से मुक्त नहीं करा पाये। यदि कृषि विभाग अपनी सारी की सारी रिपोर्ट को इस तरह से ओरियन्ट करके सदन के सामने प्रस्तुत करता तो अधिक उपयुक्त होता कि हमने एक हैक्टर से नीचे के काश्तकारों को कितना फायदा दिया है, और एक से दो हैक्टर के बीच वालों को कितना फायदा दिया है, कितना इनपुट्स दिया है, कितना नाइट्रोजन दिया है और कितना रिच पीजेन्ट्स को दिया है-यदि यह आंकड़े देते तो मैं समझता कि राज्य के कृषि मंत्री ने जो आज के बजट की मांग है वह उचित है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

सभापति महोदय, मैं कृषि के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ फार्म के ऊपर कुछ चोटें माननीय सदस्यों ने की हैं। मैं यह कहता हूं कि इस प्रकार के फार्म होने चाहिये और एक सूरतगढ़ नहीं कई ऐसे फार्मों की जरूरत है लेकिन आज हमारा 20 हजार एकड़ का सूरतगढ़ फार्म है और 15 हजार एकड़ का जेतसर फार्म है और इनके बारे में आलोचना करने का समय इसीलिए मिला कि यह फार्म रिटायर्ड फौज के जनरल्स और भूपतियों से मैनेज करवाये। यह फार्म हमारे समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों के हाथों से मेनेज नहीं करवाये। कभी जनरल महादेवसिंह जी कभी गोविन्दसिंह जी और कभी हरेन्द्रसिंह जी जो बहुत बड़े भूपति हैं उनसे इनका मैनेजमेंट करवाया और अगर इन फार्मों का मैनेजमेंट दूसरों के हाथ में होता तो एक रिमार्केबिल प्रगति कर सकता था। आज हम उनको सवाया पानी देते हैं, 4 करोड़ रुपये की रिकवरी का ड्यू है लेकिन यह देश-द्रोहियों के हाथ में फार्म अब तक गये हैं जहां कि इकरामरजा जो कि बहुत बड़ा स्मगलर जिसको डी. आई. आर. में बन्द रहा और आज एक लाख पेड़ की बेल्ट सूरतगढ फार्म के मैनेजर ने काट दी जो जोधपुर के एरिड जोन और सेंट्रल एरिड जोन के अन्दर अपने रिसर्च होने के बाद बढ़ता हुआ बीकानेर से उत्तर खण्ड तक बढ़ता हुआ रेगिस्तान को रोकने के लिये एक लाख पेड़ों की जो बेल्ट बनाई थी वह सारी की सारी एक लाख पेड़ों की बेल्ट काट ली गई। मैंने माननीय सिचाई मंत्रीजी को एक पत्र भी लिखा, दूसरा पत्र लिखा, उनसे मैं स्वयं मिला और मैंने कहा कि आप सवाया पानी देते हैं आर्डीनरी कल्टीवेटर से कम से कम आप अपना पानी रोक सकते हैं, आज इतना बड़ा एण्टी नेशनल वर्क हो गया। इस डैजर्ट को रोकने के लिए जो बेल्ट बनाई थी वह सारी की सारी काटी जा रही है, आप इसके बारे में भारत सरकार से कहिए, आप कम से कम पानी रोक दीजिए लेकिन क्या हुआ उस पर?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब मैं सभापति महोदय, पशुपालन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। आज इस बात की चर्चा जब से सदन आरम्भ हुआ है वर्ल्ड बैंक की ही चर्चा लगातार चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनेक सदस्यों ने इसको दोहराया है। जहां तक देश के पशु धन का सवाल है मेंडें हमारे यहां हैं और 18 लाख लेक्टेशन काऊज की बात है। यह बात दूसरी है कि पर कैपिटा लेक्टेशन काऊज अकाल की स्थिति में पूरा नहीं हो सके लेकिन सभापति महोदय, आज हम एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लिफ्ट इर्रीगेशन के मार्फत राजस्थान को हरा भरा बनाने की कल्पना करते हैं और इस सम्बन्ध में नागौर तक लिफ्ट इर्रीगेशन लाना चाहते हैं जिसमें 850 रुपया पर एकड़ सिचाई की रेट आएगी लेकिन अगर यही राजस्थान कैनाल का वाटर पोटेंशल के आधार पर इस वास्ट एरिड जोन एरिया में, डेजर्ट एरिया के अन्दर कोलोनाईजेशन के मार्फत साइंटिफिक प्रोसेज के मुताबिक करें, कोई राजा टोडरमल का हुक्का पकड़े रहना छोड़ कर साइन्टिफिक तरीके से करें, आज उसी हुक्के के पैटर्न को पकड़े रहें वही रेवेन्यू का सिस्टम पकड़े रहें तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

है। लेकिन मोडर्न कोलोनाईजेशन प्रोसेज की स्टडी करें तो आज गंग केनाल में क्या हालत है ? गंग कैनाल में कोई पाश्चर लैंड नहीं। आज बहुत बड़ी प्राब्लम कैटल ब्रीडिंग की प्राईवेट कैपिटल ब्रीडर्स के सामने आती है। पर कैपिटा जो कास्ट आती है वह बहुत हैवी आती है। कैटल ब्रीडिंग तभी इकोनोमिक हो सकता है जब मास कैटल ब्रीडिंग हो, मास पाश्चर लैंड हो और उसके साइंटिफिक डवलपमेंट का प्लान हो। आज यह शेखचिल्ली की सारी कल्पना छोड़ कर इस सारे डेजर्ट के अन्दर अगर केटल ब्रीडिंग की स्टडी करें और सावन ग्रास के बारे में स्टडी करें और स्प्रे के जरिये मास पाश्चर क्रियेट करें और इसके अन्दर कोई केटल ब्रीडिंग का कंसोलिडेटेड प्रोग्राम बनायें तो मैं यह निश्चितरूप से कह सकता हूं कि आज कोई दस लाख लेक्टेशन का चीलिंग प्लांट हो चाहे एक लाख के डेयरी फार्म की प्लान हो, इससे बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है और व्हाइट रिवोलूशन की जो आप बात करते हैं और जो डेनमार्क को राजस्थान का डेनमार्क कहते हैं, आप वाकई में राजस्थान को डेनमार्क बना सकते हैं और डेनमार्क तो अब कोई चीज नहीं रह गया। जी. डी. आर. में पर कैपिटा लेक्टेशन या पर कैपिटा केटल ब्रीडिंग या पर कैपिटा एग्रेरियन के अन्दर आज सारे वर्ल्ड का रिकार्ड तोड़ दिया गया है। डेनमार्क का स्टैंडर्ड आज कुछ नहीं रह गया है इनके मुकाबले में। और इस वास्ट डेजर्ट के अन्दर अगर औटोमेटिक लेक्टेटिंग मशीन्स के जरिये से इसे करते हैं तो मैंने इन्टरनेशनल वर्ल्ड फेयर में देखा था सन् 1973 में, भारत सरकार के ऐनीमल हस्बेन्ड्री के स्पेशलिस्ट गए हुए थे वहां पर तो मैंने देखा था कि बहुत चीप कोस्ट में अनेक वास्ट डेजरस्टेशन हो सकते हैं। औटोमेटिक लेक्टेटिंग मशीन्स के जरिये से इनको किया जा सकता है, लेक्टेटिंग बसेज चलाई जा सकती हैं जो सीधी की सीधी जा सकती हैं। आप अगर सारा का सारा साइंटिफिक डवलपमेंट करें तो सब कुछ हो सकता है लेकिन मुझे खेद हुआ कि एक ओर तो जहां आपका डेजर्ट अनुसंधान का

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपनी पार्टी का सारा समय ले चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं केवल दो मिनिट और लूंगा। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपकी जो फोडर की पोजीशन है। एक ओर आज देश की आवश्यकता है कि यह फोडर बैंक क्रियेट करें लेकिन चारे के सम्बन्ध में आपकी प्रोग्रेस डिसगस्टिंग है कि आप केवल सौ एकड़ के चारा फार्म केवल आठ क्रियेट करना चाहते हैं सारे राजस्थान के अन्दर। दस एकड़ के 13 फार्म क्रियेट करना चाहते हैं और हाथी ग्रास जिसको एलीफेंट ग्रास भी कहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए 12 लाख 51 हजार एकड़ के अन्दर फार्म क्रियेट करना चाहते हैं। यह बीघा फिगर दिया या क्या दिया है, यह एलीफेंट ग्रास जो कि आऊट डेटेड हो चुकी है, रिजेक्टेड हो चुकी है, जिस घास को गाय को खिला दीजिए और 15 दिन के अन्दर उसकी हालत यह हो जाएगी कि गाय की पूंछ पकड़ कर खड़ा कीजिए। कोई पोटेंशियलिटि नहीं उसमें। सावन घास के मुकाबले में इतने वास्ट

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

एरिया में इस एलीफेंट ग्रास को पैदा करना चाहते हैं।

अब मैं अर्ज करना चाहता हूं आपको ऊंट के संबंध में। सन् 52 के अंदर आपने बीकानेर के अंदर केवल एक कैमल डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया लेकिन एक दिन जब राजस्थान नहर का इतिहास लिखा जाएगा तो जो के. एल. राव कहते हैं कि यहां पर गधे का स्मारक बनाया जाय लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर ऊंटों का स्मारक बनाया जाय। राजस्थान कैनाल ऊंटों का ग्रेव यार्ड है। अगर किसी को गौरव हासिल है राजस्थान कैनाल के निर्माण का तो राजस्थान के स्काउण्ट ऊंट का गौरव है। जहां बड़े 2 बुलडोजर फेल हो गए, जहां बड़े 2 ड्रेगर फेल हो गए, जहां सारी मशीनरी फेल हो गई वहां राजस्थान के इस जानवर ऊंट ने उसे सारा ढोया है। यह ऊंट जो रोटी नहीं मांगता और सारा का सारा किसान का काम करता है और इससे बड़ा बिगेस्ट एनीमल विश्व में नहीं हो सकता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मैं ऊंट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में आप कुछ करिए। भेड़ों के सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने कुछ न कुछ कहा है लेकिन ऊंट की ब्रीड इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करता हूं।

अन्त में, मैं इतना ही और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज के मोडर्न टाइम के अन्दर प्रोटीन की डिमाण्ड चाहे वह कैटल के सम्बन्ध में हो चाहे मनुष्यों के सम्बन्ध में हो, आज सोशलिस्टिक कंट्रीज और चाहे केपीटल कण्ट्रीज हो, तीन ही चीज का कम्पीटिशन है, प्रोटीन का कम्पीटिशन है, नाइट्रोजन का कम्पीटिशन है, फूड ग्रेन्स का कम्पीटिशन है, इण्डस्ट्रीज का कम्पीटिशन है और स्टील का कम्पीटिशन है। आज प्रोटीन बहुत बड़ा स्थान रखता है और प्रोटीन प्रॉडक्शन के सम्बन्ध में अगर आपके सब से पोटेंशियल अगर कोई है तो फिश जिसके लिए केवल तीस लाख रुपये की आपकी फिश की इन्कम है। सेकंवरन ने कल्पना की राजस्थान केनाल की और भाखड़ा के अन्दर साइट फिश टैंक बनाने की बात की वहां अब आप वह सारी की सारी बातें भूल चुके हैं और शुरू के आंकड़े क्षत-विक्षत हो चुके हैं। फिश मैच्योरिंग फूड है और धरार के एण्ड पर 38 हजार एकड़ जमीन लोगों की डूब में आ गई, जिसके बदले में एक एकड़ जमीन उनको दी नहीं, कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर भी मौजूद हैं लेकिन उनकी जो फिश है और जिस पर आज कई लोगों से आपने धोखे से तीन लाख रुपये देकर ले लिया और पांच लाख रुपये में मच्छी बेच कर आपने अपनी आमदनी 25-26 लाख कर ली

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

यह चाईनीज क्रेप नाम की मछली केवल तीन लाख में ले ली।

सभापति महोदय, एक मिनिट और। मैं आप से कहता हूं कि आपने नया वीड्स का डीसल्टिंग करने के लिए आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, यह फिश की जिसको आपने चम्बल रीवर के अन्दर ले जाकर

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

एक्सपेरीमेंट किया लेकिन प्रॉपर न्यूट्रेशन के लिए जो फिश का शोर्डिलिंग होना चाहिए वह नहीं किया।

अन्त में सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि आपके एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन का और इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन का कोई तालमेल नहीं है और सोशलिस्टिक इकोनोमी का सबसे बड़ा बेस यह होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के अन्दर कम्पलीट हारमोनी हो। अगर आपने सघन गन्ना करवा लिया और चालीस हजार एकड़ में गन्ना बीजवा दिया तो गन्ने की कीमत 12 रुपया क्विन्टल। कोई इंसेंटिव नहीं। जब गन्ना ज्यादा हो गया तो गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं, आपका कोई प्रोडक्शन टार्जेट नहीं।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

इन प्रोडक्शन का कहीं पर मेचिंग नहीं होने से इसकी कोई यूटिलिटि नहीं। और अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो आपने सबसे अजीब एक्सपेरीमेंट किया जिसके लिए आप छाती फुला कर कहते हैं कि हमने कामन डीफ्यूजिंग प्लांट लगा लिया जहां पर बीट रूट से और शुगरकेन से शक्कर निकालते है। यह बीट रूट तो हजारों क्या लाखों क्विन्टल वेस्ट हो जाता है। बीट रूट फरमेंट हो जाता है। आपने तीन करोड़ रुपये का भारत सरकार से कर्जा ले लिया उसके जबरदस्त इन्टरेस्ट का लोड बढ़ रहा है और गन्ने की वेराइटी डिटियोरेट हो गई और जो कुछ मिला कर एक शुगर मिल गंगानगर शुगर मिल आपकी प्रोफिट में चलती थी उसका भी भट्टा बिठा दिया और बाकी दो मिलें आपकी प्राइवेट सेक्टर में चल रही है। चाहिये तो यह था कि गन्ने के प्रोडक्शन के साथ साथ गन्ने की मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता। आपके हाथ के अन्दर सारी काटन जीनिंग एण्ड प्रेशर्स का राष्ट्रीयकरण किया जाता। इनको पब्लिक सेक्टर के अन्दर लाया जाता और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन और उसकी प्राइसेज को बराबर रखा जाता।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको कोआर्डिनेट किया जाए ताकि आपकी इकोनोमी बेलेन्सड और साइन्टिफिक हो सके।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, मैं अपने सीमित समय में चंद दो चार बातें ही यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था-हरियाणा और पंजाब ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना का एप्रोच और ड्राफ्ट पेश कर दिया है। मान्यवर वहां पर युनिवर्सिटी फंक्शन कर ही रही है लेकिन उनके एक्सपेन्शन के लिए और एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम करने के लिए प्लानिंग कमीशन को रिक्वेस्ट किया है और प्लानिंग कमीशन से इसकी जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी और वह एक्सपर्ट कमेटी अब अपनी रिपोर्ट को फाइनल स्टेज दे रही है। मान्यवर, राजस्थान में भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा इस साल अप्रेल से शुरु

(श्री केदारनाथ)

होने जा रहा है परन्तु हमारी राजस्थान सरकार ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया और न कभी इसके लिए केन्द्रीय सरकार को एप्रोच ही किया है। जहां राजस्थान केनाल है, भाखरा है और एशिया का सबसे बड़ा कमान्ड एरिया है। वहां पर खेती बाड़ी के विकास की बात पर, खेती बाड़ी की कोई युनिवर्सिटी न हो, ताज्जुब की बात है। उदयपुर युनिवर्सिटी का जो बेसिक कन्सेप्ट था, वह दूसरा है। फन्डामेंटल रिसर्च, उदयपुर विश्वविद्यालय के रिसर्च, इन्वेस्टीगेशन राजस्थान केनाल, गंग केनाल की खेती बाड़ी के लिए नहीं हो सकते। इसलिए मेरा निवेदन शुरू से रहा है कि राजस्थान केनाल गंग केनाल में एक खेती बाड़ी की युनिवर्सिटी हो जिससे कि आम काश्तकार उसका फायदा उठा सके। इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो लेने के बाद जो एक दो फसलें आने वाली हैं, वे एक टाइम रिकार्ड आएंगी। अच्छी फसलें होने वाली हैं। परन्तु आपका जो ऐप्रोच होना चाहिए, जो नई स्ट्रेजी होनी चाहिए, जो एक प्लानिंग आपको देनी चाहिए, वह आप इस पोर्टफोलियो को नहीं दे पाये हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब भी समय मत खोइए। सेन्ट्रल को एप्रोच कीजिए। राजस्थान कैनाल गंग केनाल, भाखरा कैनाल कहीं पर देखिए, युनिवर्सिटी के नाम पर कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। विद्यार्थियों की भी कोई दो राय नहीं हो सकती है। बीकानेर के बारे में दो राय हो सकती है। श्रीमाली कमेटी आपने बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आपके पास आ गयी है। मगर राजस्थान केनाल के कमाण्ड एरिया में खेती बाड़ी के लिए एक यूनिवर्सिटी हो और राजस्थान में इसके बारे में दो राय नहीं है। स्टूडेन्ट्स में इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। किसानों में इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। पोलिटिशयन में इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। इसलिए हरियाणा, पंजाब जब रिसर्च सेन्टर के नाम पर इसका इस्तेमाल कर रहे है तो राजस्थान को भी इसका फायदा उठाना चाहिये। रिसर्च सेन्टर के नाम पर राजस्थान को भी बेनीफिट लेना चाहिए। सूरतगढ़ और जेतसर फार्म हैं। इनको डबल करने का कोई पैटर्न नहीं हैं? ये बहुत बड़े फार्म है। ये कब किसानों को अपना एक्सपीरियंस देंगे, इन दोनों फार्मों का फायदा कब किसान उठायेंगे, यह हमें मालूम नहीं है। इसलिए राजस्थान केनाल क्षेत्र में एक युनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे पास में पंजाब का हिस्सा है। मान्यवर, लुधियाना यूनिवर्सिटी में आप पधारे होंगे, हमारे कृषि मंत्री तो जरूर ही पधारे होंगे, वहां का पैटर्न किस ढंग से है कि उसका लिंक कृषकों के साथ है। जो रिसर्च वहां पर होता है, उसको वे किसानों को काम्युनिकेट करते हैं। वे किसानों की क्लासेज होल्ड करते हैं, ओ मन्थली रिफ्रेशर्स कोर्स किसानों का होता है, जो टेक्नोलोजी उन्होंने इवोल्व की है, रिसर्च से जो फैसले उन्होंने लिए हैं, उन फैसलों को वे काम्युनिकेट करते हैं। हमारे यहां पर यह लिंक नहीं है। हमारे यहां पर यह एक्सपीरियंस फार्म नहीं है। गंग केनाल भाखरा के स्पेअर में जो हमारे फार्म हैं उनका मेनेजमेंट एक आम काश्तकार के फार्म मेनेजमेंट से भी खराब है। वहां का प्रोडक्शन, वहां का ईल्ड आम काश्तकारों

(श्री केदारनाथ)

के काम आवे, अपन फायदा उठावें, इसके लिए आपने एक कमेटी भी नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट आपके पास होगी। तो यह एक्सपेरिमेन्टल फार्म कब काश्तकारों के हाथ में आयेगा।

मान्यवर, खेती बाड़ी के विकास की बात जब हम करते हैं तो वह प्राईसेज की बात के बिना पूरी नहीं हो सकती है। इसके बारे में हम अब फैसले ले रहे हैं। मार्केट में सरसों का अराइवल हो गया है। और उसका भाव है 100/- रुपया क्विन्टल। काटन का आपने वया किया है। इसमें भी प्रतिदिन 30/40 रुपये का फ्लेक्चुएशन चल रहा है। देशी कपास और अमेरिकन कपास में 40 रुपये क्विन्टल का फ्लेक्चुएशन चल रहा है। आपका काटन कारपोरेशन अब मार्केट में आया है जबकि गरीब काश्तकार, मारजीनल काश्तकार और जो स्माल काश्तकार हैं उनको इस कारपोरेशन के अब मार्केट में आने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इन काश्तकारों की होल्डिंग केपेसिटी नहीं है। जैसे ही माल पैदा होता है उनकी अन्य चीजों की मांग बढ़ जाती है और वे पैदा हुए माल को बेच चुके होते हैं। तब व्हीट आने वाला है। व्हीट का मार्केट भाव डेढ़ महीने पहिले दो सौ रुपये का था। आज हमारे यहां पर 170 रुपये प्रति क्विन्टल का चल रहा है। 15/20 दिनों बाद यह 145/150 के आसपास हो जायेगा और जब अराइवल आ जाएगी वह करीब 135/140 के आसपास चलेगा। तो इस मार्जिन का फायदा कौन उठा रहा है। मेरा निवेदन यह है मान्यवर, कि प्राइसेज का पेटर्न, कन्ट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है। आखिर आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की कान्फ्रेन्स भी होती है, आप भी उसमें पार्टीसिपेट करते है तो इसकी प्राइसेज की आपको कन्ट्रोल करना चाहिए ताकि आम किसान को, मार्जीनल किसान को फायदा हो। वे अपनी प्रोड्यूज को होर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको कर्जा देना है और दूसरी फेसिलिटिज देना है, इसलिए वे अपनी प्रोड्यूज लेकर मार्केट में आ जाते है। इसके सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं है। परन्तु आप व्हीट की प्राइसेज को स्टेबिलाइज नहीं कर पाये हैं। मान्यवर तीस परसेन्ट प्रोड्यूज का तो किसान ही इस्तेमाल करता है और बाकी 70 परसेन्ट प्रोड्यूज वह मार्केट में बेचता है। तो आप उनको पूरी कीमत दीजिये। काश्तकार अपनी प्रोड्यूज का पूरा फायदा नहीं उठा पाता है और दूसरी ओर जो चीजें वह लेता है उनकी प्राइसेज उसके उत्पादन के मुकाबले ज्यादा होती है। इस तरह उसकी इकोनोमी जम नहीं पाती। मैं अभी पढ़ रहा था कितनी फैसिलिटिज आपने किसानों को प्रोवाइड की है। जो लास्ट इयर लोन दिया है, वह मार्जिनल किसानों और स्माल किसानों को कम मिला है। इसके लिए आप एक फिक्स्ड मशीनरी इवोल्व करें ताकि उनको इस फैसिलिटिज का फायदा ज्यादा मिल पावे। मान्यवर, इसमें कोई शंका नहीं है कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो रहा है। गंग कैनाल में खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और उनका यह औसत 6 से 7 परसेन्ट है। दूसरे कमाण्ड एरिया में यह औसत 15 से 30 प्रतिशत तक है। मान्यवर, इसके वेजेज निश्चित होने चाहिए, न्यूनतम वेजेज सरकार द्वारा निर्धारित होने चाहिये, इसके अन्दर कोई दो राय नहीं हो

Page No 158

(158)

(श्री केदारनाथ)

सकती है। परन्तु एक तरफ वेजेज खेतिहर मजदूर के कम होते जा रहे हैं दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही है, और प्रोडक्शन, ईल्ड बढ़ रहा है। खेती में जो काम करते हैं, उसमें प्रति व्यक्ति आमदनी, रिअल वेजेज कम होते जा रहे हैं। मिनिमम वेजेज कम दे रहे है। गंग कैनाल, भाखरा केनाल में आमदनी ज्यादा है तो वहां की मजदूरी भी ज्यादा होनी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। नरोरा कैम्प में, रावतभाटा कैम्प में इन खेतिहर मजदूरों को आर्गेनाइज्ड करने के लिए आपने कुछ बातें कहीं है, कुछ फैसले लिये हैं परन्तु कानून के रूप में व्यवहार के रूप में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह मालूम होना चाहिए। रिअल वेजेज के प्रति उसकी सुरक्षा हो। उस की आमदनी बढ़े। उसकी इकोनोमिक कंन्डीशन बेटर हो। इस बारे में आप निर्णय लें ताकि खेतिहर मजदूर, स्माल फार्मर, मार्जिनल किसान को फायदा मिले।

मान्यवर, आपने देखा होगा पंजाब ने एक काटन वेल्ट, व्हीट बेल्ट बनाया है। इसी तरह से आप गंग कैनाल कमाण्ड एरिया को डवलप कर सकते हैं। लाइनिंग के लिए आपको पैसा मिलेगा। इसके लिए आप बैंक से कर्जा दिलावें तो और अधिक इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो पायेगा। सब्जी के लिए अच्छा मैदान है। वहां पर इसकी व्यवस्था कीजिये बैंक से पैसा दिलाने की। इस वक्त नहीं कह सकता आपने क्या किया है परन्तु दूसरे बैंक्स ने पंजाब ने कोआपरेटिव बैंक से लाइनिंग के लिए पैसा दिलाया है और एरिया को डवलप किया है। मेरे खयाल से आप भी इस तरह गंग कैनाल के कमाण्ड एरिया को डवलप कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन तीन चार महीनों में सूरतगढ़ के पास हजारों परिवार राठी नस्ल की गायों को लेकर गंग कैनाल की मंडियों के पास आ जाते हैं। वे लगातार यहां पर तीन महीने रहते हैं। इन गायों के इलाज के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी देखभाल के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इन तीन महीनों में आप इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करें। तीन महीने बाद वे वापिस चले जाते है। ये जो माईग्रेंट परिवार तीन महीने के लिए आते हैं, इस सीजन के अन्दर तो वे वहां पर रह सकें, उनके इलाज की व्यवस्था, फ्री बिल्डिंग की व्यवस्था आप करें तो मुझे विश्वास है तो आप इस दिशा में कुछ काम कर पाओगे।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर): माननीय सभापतिजी, पशु-पालन और कृषि की मांग पर मेरे कटौती-प्रस्ताव है। आपको याद होगा कि कुछ माह पूर्व उत्पादन के सिलसिले में देश की प्रधानमंत्री महोदया ने सारे प्रान्तों का दौरा किया था, और एक रास्ता आपको और हमको दिखाया था कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाय जिससे कि देश में आज जो उत्पादन की बहुत बड़ी समस्या है उस पर आप और हम सब काबू पा सकें। काफी समालोचनाएं भी हुई और काफी सुझाव भी आये। मेरा यह मानना है कि आप सबको, तथा अधिकारियों को ही नहीं, हम सबको देश की प्रधान मंत्री आकर कहे तो इससे बड़ा आकर कौन कहेगा? इसलिये लम्बे भाषण के रूप में न जाकर

(श्री सांवरमल मोर)

मैं कहना चाहता हूं कि सारे जिलों की मीटिंगे हुई और हर जिले के जिलाधीश ने उनकी अध्यक्षता की। इनमें काफी बातें हुई और सब की एक राय थी कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाय। माननीय सभापति जी, मैं भी उस मीटिंग में था और उनकी बातों को ध्यान से सुना। मैंने सुनकर कहा उनको कि आपने जो कहा कि देश में उत्पादन बढ़ना चाहिए और गेहूं वग़ैरह की फसलें हैं उन्हें ज्यादा मात्रा में पैदा करना चाहिए इसमें हम सारे के सारे 100 प्रतिशत सहमत हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी जो आपने हमें बुलाया है तो आप भी कम से कम इस बात के लिए वचन-बद्ध हैं क्योंकि आप समय पर खाद और समय पर बीज और समय पर बिजली दे सकेंगे क्या? उन्होंने हमारे सामने बिजली के इन्जिनीयर से बात की, विकास अधिकारी से भी बात की, लेकिन मेरी मान्यता है, सभापति जी, कि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह बिजली की है। खाद लड़-झगड़ कर मिल जाता है, बीज मिल जाता है, लेकिन बिजली नहीं मिलती है। अगर इस मामले पर पूरी गम्भीरता से नहीं सोचेंगे, इस मामले को पूरी गम्भीरता के साथ नहीं लिया जायगा तो जिस उत्पादन की कल्पना आप और हम सब करते हैं उस उत्पादन के लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे....

(5.52 बजे)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पीठासीन)

मेरा सुझाव यह है कि जहां पर बिजली की डिफिकल्टी आती हो तो उसको युद्ध-स्तर पर लिया जाय, और इस तरह से लिया जाय कि अगर आज बिजली के अभाव में किसान की फसल नष्ट होती है तो उसका ही बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है उसका व्यक्तिगत नुकसान न मानकर उसको राष्ट्र का नुकसान अगर हम मान लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी भी रूप में वह राष्ट्र का नुकसान तो है ही।

आपने देखा होगा, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप स्वयं भी देहात से आते है, पंचायत समितियों ने जहां जहां कृषि फार्म खोले वह सारे के सारे असफल हुए हैं। माननीय मन्त्रीजी अपने जवाब में इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की किस पंचायत समिति में किस फार्म से कितनी आय हुई? एक बात तो आप स्वयं स्पष्टरूप से मानते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में जो अधिकारी रखते है, विकास अधिकारी भी है, ग्राम सेवक भी हैं, ए० ई० ओ० भी है, वहां के सारे फार्म नुकशान की स्थिति में हैं और कोई फार्म बन्द है तो आखिर उसका जवाब कौन देगा? आज हम आपके अधिकारियों की बात क्यों सुनेंगे। फार्म नुकशान में चला और उसको बन्द कर दिया तो आखिर आपकी बातों को मानने को कौन तैयार है? हमारी एक बात आप मानें कि टाइम पर खाद दे दें। किसान बीज पैदा करना भी सीख गया है, खाद के लिए उसमें अक्ल आ गई हैं, लेकिन बिजली पर उसका बस नहीं चलता है। बिजली ही वह स्वयं पैदा नहीं कर सकता है। अगर स्वयं पैदा करने लगे तो क्या बात नहीं हो सकती है। मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि काफी महंगा पैसा आता है। उधार आप लेते है, दूसरे देशों से भी लेते हैं। पलसाना का फार्म एकाध साल चले कि नहीं चले और

(श्री सांवरमल मोर)

चार साल से बिल्कुल ही बन्द पड़े हैं। अगर खेती के टाइम पर, बरसात के टाइम पर इन फार्म्स की नीलाम की बोली लगाई जाकर काश्तकारों को दे दें तो खर्चा निकलेगा। आपने चौकीदार रख छोड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी और कहां है? यह ठीक है कि मैं भी कुछ कह दूंगा और आप भी कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। मैंने पिछले मर्तबा भी कहा था कि पलसाना का कृषि फार्म बहुत अर्से से बन्द पड़ा है। इसी तरह से जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां पर पंचायत समितियों के बड़े बड़े फार्म्स है, वह सब चौपट पड़े हैं। नीम का थाना में कृषि फार्म है, खंडेला में कृषि फार्म है, और कई जगहों पर कृषि फार्मस हैं जो बन्द पड़े हैं, आखिर इस स्थिति को चैक कौन करेगा? आप को कोई सहयोग की जरूरत होती है तो हम देते हैं। बिजली की रेट को आपने बढ़ा दिया, तो मेरे खयाल में किसी भी काश्तकार ने या किसी भी एम० एल० ए० ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन आप कृपा करके समय पर बिजली दे तो दीजिये। पहले यह सुनने में आया था कि स्पेशल प्रोग्राम के तहत जो भी पैसा देगा उसे तुरन्त बिजली दी जाएगी। कई किसानों ने एडवांस में पैसे जमा करवाये लेकिन उन्हें अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला। उन लोगों ने किसी तरह उधार लेकर भी आपके पास पैसे जमा करवाये लेकिन फिर भी उन्हें बिजली नहीं मिली। अगर आप एडवांस स्कीम के तहत काश्तकार को बिजली दे देते हैं तो आप कोई अहसान नहीं कर रहे है, आप केवल देश के प्रति बहुत बड़ा वायदा निभा रहे हैं।

पिछले अकाल में हमारे जिले में काफी कुए बनवाए गये। माननीय सभापति जी, अगर मंत्रीजी कम से कम इस बात की भी घोषणा कर दें कि जितने कुएं इस जिले में बने हुए हैं उन सबको इस साल में बिजली मिल जायेगी तो मैं समझता हूं कि किसान वर्ग के प्रति बहुत बड़ा न्याय होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि निश्चितरूप से इसके बारे में क्रियात्मक कदम उठायेंगे।

पशुपालन के बारे में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में गांवों का विकास दो ही तरीकों से हो सकता है। एक इलाका तो ऐसा है जहां खेती के माध्यम से उत्पादन हो सकता है और कुछ इलाका ऐसा है जहां पशुपालन को पूरी तरह से मान्यता देनी पड़ेगी। हमारे जिले में भी एक इलाका ऐसा है, जहां खेती के माध्यम को महत्व दिया जाना चाहिए और दूसरा इलाका ऐसा है, जैसे फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ का इलाका, जहां पशुपालन को काफी महत्व देना पड़ेगा। वैसे में राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा भेड़ पालन और प्रजनन का सेन्टर फतेहपुर में कायम किया और करीब एक करोड़ रुपया उस पर खर्च भी किया। लोगों में आशा हुई कि उस केन्द्र के जरिये उनके पशुओं की नस्ल सुधर जायेगी। इस काम को कैसे चलाया जा सकता है, इसके लिये आपको देहात के लोगों को समझाना पड़ेगा कि दूसरे देशों से आयी हुई भेड़ें हैं, किस तरह से उनको सम्हालना है। आपका यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से उन लोगों को पूरी तरह से समझाया जा सकता है। इस तरह का प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ायेंगे तो मेरा निश्चित मानना है कि क्रांतिकारी परिवर्तन इससे होगा। जो

(श्री सांवरमल मोर)

भेड़ों के प्रजनन काम है, वह बहुत बड़ा काम है । उससे बहुत बड़ा लाभ भी वहां के लोगों को मिलेगा ।

अब मैं थोड़ी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जैसे ऊंट की ऊंट के लिए, ऊंट गाड़ियों के लिए, भेड़ के लिए किसान को ऋण नहीं दिया जा रहा है। अगर आप उनको ऋण दे देते हैं, सुविधा से दे देते हैं तो इससे लाभ ही होने वाला है, नुकसान तो होने वाला है नहीं ।

गाय के बारे में आपसे निवेदन करूं माननीय मन्त्री जी, आपने देखा होगा कि अकाल के समय बछड़े की कीमत तो फिर भी मिल जाती है लेकिन जहां बछड़ी का सवाल आता है, आठ आना, बारह आना में आपकी पंचायत नीलाम करती है। इसलिये भी मान लीजिये, बछड़ियां इस तरह समाप्त होती जायं, कसाई खाने में जायं तो एक दिन इसकी नस्ल का पूर्ण ह्रास होने वाला है । अतः आप जो बछड़ी आठ आना, बारह आने में बिकती है, उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं—इसके बारे में आपको गम्भीरता से और सक्रियता से सोचना पड़ेगा और उन्हें बचाना पड़ेगा । इन्हीं सुझावों के साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ मैंने कहा है, उसको आप गम्भीरता से लेंगे । बिजली ज्यादा से ज्यादा दिला सकें, अच्छी मात्रा में दिला सकें, ज्यादा से ज्यादा ऋण उनको दिला सकें तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी और क्रांतिकारी कदम होगा ।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं, एक कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, एक फर्टीलाइजर कमीशन के सम्बन्ध में है, एक टाउन कम्पोस्ट के सम्बन्ध में हैं ।

पिछले पांच वर्ष के कृषि उत्पादन का विचार करें, खाद्यान्न के आंकड़ों को देखें तो उससे मालूम होता है कि बहुत उतार चढ़ाव इसमें रहा है । 1970-71 में 88-89 लाख टन अनाज पैदा हुआ । फिर एक दम उसमें गिरावट आई । 1971-72 में 63 लाख टन ही अनाज का उत्पादन हुआ, एक ड्राप आफ 25 लाख टन । फिर गिरावट आती है, 1972-73 में 51 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ, फिर 12 लाख टन का ड्राप आ गया । बरसात अच्छी आयी, इसलिए उत्पादन कुछ बढ़ा । 1973-74 में पिछले साल का फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आंकड़ा था वह नहीं रहा, वह 67 लाख टन रह गया । और इस साल 58 लाख टन अनाज उत्पादन का अनुमान है। 1972-73 के मुकाबले में रबी और खरीफ का मिलाकर 9 लाख टन का ड्राप है । इस प्रकार पांच साल का एवरेज लें तो 88 लाख टन, 63 लाख टन, 51 लाख टन, 67 लाख टन और 58 लाख टन तो प्लस माइनस में 25 पर्सेन्ट का फ्लक्चुएशन है। आल इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन का फ्लक्चुएशन 10 पर्सेन्ट है, 100 अगर अनाज उत्पादन मानते हैं तो 100,90,110 का फ्लक्चुएशन आता है । हमारे प्रदेश में प्लस माइनस में 25 पर्सेन्ट का फ्लक्चुएशन है, और आल इन्डिया के आंकड़े देखें तो यह फ्लक्चुएशन 10 पर्सेन्ट का है । इसका कारण है, बरसात में कमी वेशी-1 इसके

(श्री अमृतलाल गहलोत)

लिए हमें बहुत बड़े प्रयत्न करने होंगे। एक तो हमें सिंचाई साधनों को प्रतिष्ठित करना होगा। यह दुर्भाग्य की बात है, आल इण्डिया एवरेज सिंचाई का 20 पर्सेन्ट हैं, जबकि हमारे प्रदेश में 15 पर्सेन्ट आता हैं। इस सम्बन्ध में, मैं दो एक सुझाव दूंगा। एक तो दो सौ बारह करोड़ का वर्ल्ड बैंक से लोन प्राप्त किया है, जिसकी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आप लाइनिंग करेंगे डिस्ट्रिब्यूटरीज का और कैनाल ब्रांचेज का। भूमि तो हमारे यहां पर्याप्त है, लेकिन पानी की कमी है। पानी के लिए आप बहुत जोर लगायेंगे तो माही से ले आयेंगे, नर्मदा से ले आयेंगे, उत्तर प्रदेश से ले आयेंगे, जमीन से निकालेंगे, फिर भी हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा भू-भाग ऐसा होगा जहां पानी नहीं होगा। बरसात है, वह प्रकृति के अनुसार होती हैं, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें कुछ लेटेस्ट जो इर्रिगेशन के तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी से हमें प्रोटो टाइम इर्रिगेशन के मेथड को छोड़कर रिसर्च के मैथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक चीज हैं, पिछले साल में आपके स्पेशल सेक्रेटरी मि: पांडे से मिला था। उन्होंने कहा कि स्प्रिंकल इर्रिगेशन का तरीका इजरायल के एक व्यक्ति ने बतलाया था। उनका विचार था कि कन्वेन्शनल टाइप हैं इर्रिगशन का, उससे कार्य नहीं होगा। स्पेशल टाइम की इर्रिगेशन के तहत प्रोजेक्ट बनेंगे, पायलट स्कीम में किया जायगा तो उसका रिजल्ट उत्पादन में देख पायेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस योजना को आप कम्प्लीट शेप दीजिये और जो इजरायल के व्यक्ति ने यह स्प्रिंकल इर्रिगेशन का तरीका बताया, उसका क्या प्लान हैं, क्या इक्विपमेंट हैं और क्या तरीका हैं, उसको मालूम करके इसकी स्थापना करिये।

इसी प्रकार का स्प्रिंकल इर्रिगेशन के अलावा ड्रिप इर्रिगेशन का एक्सपेरीमेंट इजरायल ने किया हैं। इसके बारे में अनुसन्धान हो रहा है। इसके बारे में कहा है बड़े भू-भाग में इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके बारे में आप कार्यवाही कीजिये।

इस वर्ष मंत्री महोदय, आपके कमिश्नर, डाइरेक्टर और उनके साथी इस बात के लिए बधाई के पात्र है कि पानी की कमी और फर्टीलाइजर की कमी या अनिश्चित सप्लाई होने के बावजूद 42 लाख टन अन्न उत्पादन का लक्ष्य रबी के खाद्यान्न उत्पादन में प्राप्त किया, यह बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह एफर्ट्स को इन्टेन्सिफाई कर सकेंगे तो अगली रबी की फसल में 50 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

फर्टीलाइजर के सम्बन्ध में मैं, संकेत कर देता हूं, फर्टीलाइजर की कीमत दुगुनी से ज्यादा हो गई है, 31 मई, 1974 को एक हजार रुपये टन कीमत यूरिया की थी, वह बढ़ कर दो हजार रुपये टन हो गई है। इसके साथ बैंक रेट पहले 7 पर्सेन्ट थी, वह बढ़ कर 9 पर्सेन्ट हो गई है। बैंक जो एडवान्स देती हैं, फर्टीलाइजर पर उस पर ब्याज 15 पर्सेन्ट हो गया है। इस प्रकार ब्याज सवाया हो गया है। फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ कर दुगुनी हो गई है, बैंक रेट और ब्याज की दर बढ़ गई है तो कोई ईमानदार स्टाकिस्ट होगा, वह फर्टीलाइजर का स्टोक नहीं करेगा। मैं मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन हूं। जोधपुर गया तो मेरे से मैनेजर ने कहा कि बीस हजार रुपया था, उसका 10 टन

(श्री अमृतलाल गहलोत)

यूरिया उठाया है। मैंने कहा, किस लिए उठाया है। उसने कहा कि पांच महीने पड़ा रहेगा मैंने कहा, सोसाइटी के पास पैसा था यह इसमें लगा दिया तो क्या सोसाइटी को दिवालिया करना है। मैं कहता हूं कि फर्टीलाइजर की कीमत दुगुनी हो गई है, जो बैंक रेट पर ब्याज देते हैं, एडवान्सेज पर देते हैं—इसके मायने हैं इतना इन्ट्रेस्ट देकर कोई ईमानदार स्टाकिस्ट हैं, जो ईमानदारी के साथ काम करता है, वह फर्टीलाइजर को स्टाक नहीं करेगा। और यही स्थिति रही तो मुझे खतरा है, ईमानदार स्टाकिस्ट फर्टीलाइजर उठायेगा नहीं, स्टाक नहीं करेगा और इस फेल्योर से जो असामाजिक तत्व हैं वर्ग फर्टीलाइजर स्टाक करके ब्लेक करेंगे। यह मैं निवेदन करता हूं।

दूसरी चीज मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, एक चीज को नेगलेक्ट किया गया है और जिसकी बहुत बड़ी डिमाण्ड हो चुकी है और वह है टाउन कम्पोस्ट। इस समय नाइट्रोजन फर्टीलाइजर की कीमत कम नहीं है, वह भी बहुत मंहगा है क्योंकि वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने की वजह से यह और महंगा हो सकता है। लेनिन के शब्दों में "Grain is the currency of all the currencies". मैं कहता हूं माडर्न एज में Petroleum is the currency of all the currencies. पेट्रोलियम 31 दिसम्बर, 1973 की रात को 3 डालर 58 सेन्ट प्रति बैरल था और 1 जनवरी, 1974 को हो गया 8 डालर 8 सेंट प्रति बैरल और अब है साढ़े दस डालर प्रति बैरल। चौगुनी कीमत पर आज हम लेते हैं, चौगुनी कीमत जो शुरू में थी उससे हो गई है. One litre of petrol means one K. G. of Nitrogen and one K. G. of Nitrogen means 10 K.Gs. of grains.

आप देख लीजिये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत वर्ल्ड में बढ़ती जायगी, तो सारी चीजों का प्राइस लेवल भी बढ़ता जायगा। इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन प्राप्त है, उसके अनुसार सऊदी अरब के पास है, वर्ल्ड का इस वक्त एस्टीमेटेड वन लाख मिलियन टन पेट्रोलियम रिजर्व है, उसमें से 20 हजार मिलियन टन सऊदी अरब के पास है। और उसको साल भर में 200 अरब डालर की विदेशी मुद्रा मिलती है। इस तरह सारी दुनियां की पूंजी इस मुस्लिम कन्ट्री में खिची जा रही है क्योंकि उसके पास पेट्रोलियम है। इस प्रकार जैसे जैसे पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ेगी, फर्टीलाइजर के भाव भी बढ़ेंगे, और पेस्टीसाइड, इन्सेक्टीसाइड के भाव भी बढ़ेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। पेट्रोलियम हमारी जमीन में है नहीं। हमारा कन्जम्पशन एनुअली है 22 मिलियन टन, हम पैदा कर रहे हैं 7 मिलियन टन और 15 मिलियन टन हम इम्पोर्ट करते है, जिसकी लागत 1300 करोड़ रुपये है। इसलिये हमें अपने इंडिजिनिस सोर्सेज का अनुसंधान करना पड़ेगा, खाद के निजी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। वह है टाउन कम्पोस्ट और सीवेज कम्पोस्ट। मैंने अनुमान लगाया तो राजस्थान के अन्दर टाउन कम्पोस्ट प्रोडक्शन किया जाय तो पांच लाख टन हो सकता है और मेरे शहर में पचास हजार टन हो सकता है। पिछले साल मैंने टाउन प्लानिंग सेक्रेटरी, तेज कुमार से बात की थी, मेकेनिकल कम्पोस्ट मैकिंग प्लान्ट के

(श्री अमृतलाल गहलोत)

बारे में, जो सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट ने बनाया है और जिसके लिए दस दस हजार रुपये जोधपुर और जयपुर नगर परिषद् ने पे करे। वह प्लांट लगायें और मैकेनिकल कम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्लान्ट लगाया जाय तो थोड़ी जमीन में बहुत जल्दी अच्छी तादाद में कम्पोस्ट मिल सकेगा और मेरी एरिया के सूखे इलाके में एक गांव है जहां 800) 1000) प्रति ट्रक भेड़ बकरी की मींगनी की खाद बिकती है। उनको आरगेनिक मैन्यूर चाहिए। तो उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए इधर शहर में गंदगी फैल रही है और टाउन कम्पोस्ट वेस्ट हो रहा है। एक तरफ तो इम्पोर्ट पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है और दूसरी तरफ पड़े हुए कम्पोस्ट को यूज न करें यह ठीक नहीं है। आगामी वर्ष टाउन कम्पोस्ट के लिए एक अलग सी स्कीम बनायें वह कमी लूजिंग वेंचर नहीं होगा, प्राफिटबुल वेंचर होगा। इससे 5-10 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है। कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है केवल मिकेनीकल कम्पोस्ट की।

स्यूएज के बारे मुझे कहना है कि जोधपुर स्टेट के जमाने में गिनी और नेपियर ग्रास स्युएज कार्य पैदा करते थे। एक अंग्रेज गार्डन में एक्सपर्ट थे। आपने मिल्क प्लान्ट में जनता के 2 करोड़ रुपया लगा चुके हैं उनकी कैपसिटी वन लैक लीटर पर डे है। हम चाहते हैं कि उसका प्रोक्यूरमेंट बढ़े। हमारे यहां स्यूएज फार्म है जो करीब 100 एकड़ में है उसमें ग्रास पैदा किया जाए। अच्छा कैटिल सप्लाई किया जाय तो इस फार्म के आस पास 40000-50,000 लिटर पर डे दूध का उत्पादन कर सकते हैं, शहर की गंदगी दूर होगी, उत्पादन बढ़ेगा और साथ साथ हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय मैंने कृषि, पशुपालन और डेयरी तीनों विषयों पर आपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं पहले कृषि पर अपने विचार रखूंगा। कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़े.......

श्री राम गोपाल : माननीय सदस्य से पहले मेरा नाम था। मैंने आप का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सभापति : इसके बाद आप।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमें बाहर के देशों से अनाज मंगाना पड़े यह हमारे देश के लिये शोभा की चीज नहीं। हमने हरित क्रांति का नारा उठाया, हमने बार बार घोषणा की, कि हमारा देश कृषि में आत्मनिर्भर होगा परन्तु हमारे देश में कृषि विशेष तौर पर मानसून पर निर्भर है, मानसून जब अच्छी हो जाती हैं तो अच्छी फसल हो जाती है और मानसून जब अच्छी नहीं होती है तो हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं होती इसलिए जो देश सिर्फ मानसून पर ही निर्भर रहे, वह देश ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। हम सिर्फ फर्टीलाइजर्स पर डिपेन्ड कर रहे हैं। हमारे मित्र टाऊन कम्पोस्ट के बारे में कह रहे थे, अभी गोबर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गैस के प्लांट के बारे में सरकार कुछ योजना बना रही है। राज्य सरकार भी गोबर गैस प्लांट की योजना बनाकर इसका विस्तार करेगी और राज्य व देश की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जायेगी।

अब मेरे जिले से संबंधित कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। बाड़मेर जिले में सिवाना, बालोतरा और धोरिमना पंचायत समिति, इनमें कृषि उत्पादन की काफी गुंजाइश है और जो ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम है जो कृषि विभाग ने तैयार किया है, उसमें भी इन एरियाज के लिए कार्यक्रम बनाया है। इसके लिए मुझे कहना है कि सोइल सर्वे सिस्टेमेटिक ढंग से न हो तब तक कैसे मालूम पड़ सकता है कि किस प्रकार से सोइल को उन्नत करें। इसलिए सिस्टेमेटिक सर्वे की आवश्यकता है और डी. पी. ए. पी- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस पर विशेष बल दिया है। मेरा कहना है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कोर प्रोग्राम है, उसमें हमारे जिले का डिटेल्ड सोइल सर्वे होना चाहिए और इसके लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और सोइल सर्वे संगठन स्थापित करना चाहिए जिसमें सोइल सर्वे अधिकारी, रिसर्च असिसटेन्ट एवं फील्ड असिसटेन्ट हो। यह कार्यक्रम 1974-75 में ले लेना चाहिए था परन्तु बाड़मेर जिले की अवहेलना की गई है। जैसलमेर जिले में भी इस प्रकार का संगठन बनाया गया है परन्तु बाड़मेर को इगनोर किया गया है। तो यदि डी.पी.एपी. के कार्यक्रम को बाड़मेर जिले में सफल करना चाहते हैं, तो इन पदों का सृजन होना चाहिए ताकि सोइल सर्वे का कार्य तीव्र गति से हो जाये। जिस जिले का क्षेत्रफल 27172 वर्ग किलोमीटर हो, 8 लाख की आबादी हो, जिसमें जिला कृषि कार्यालय न हो तो उससे स्पष्ट होता है कि इस जिले की अवहेलना की जा रही है। हर काम के लिये हर समय जालोर जाना पड़े तो यह उपयुक्त नहीं होगा इसलिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का कोआर्डीनेट करने के लिए, सुपरवीजन करने के लिये, जिला कृषि कार्यालय होना आवश्यक है और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सिवाना, बालोतरा और धोरिमना पंचायत समिति में कृषि पाइन्ट आफ व्यू से काफी गुंजाइश है और दूसरे क्षेत्रों में भी हाई लैंड फार्मिंग का कार्यक्रम चालू करके इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। इसलिए जिला कृषि कार्यालय बाड़मेर में खोला जाना आवश्यक है। सवाल उठता है फाइनेन्सेज का। आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई उत्पादन का कार्यक्रम है उसके अन्दर दूसरे जिले आगे बढे और हमारा जिला पीछे रहे, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जिले में कृषि उत्पादन के प्रासपेक्टस हैं। तो कृषि कार्यालय वहां खोले जाने के लिये निवेदन कर रहा हूं और मंत्री महोदय इसकी तुरन्त घोषणा करें।

अब पशु पालन के बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारा जो कैटिल है वह 1966 में कितना था और सन् 1968-69 एवं सन् 1969-70 में उसका कितना विनाश हुआ। 1966 में बाड़मेर जिले में 633992 कैटिल था, उसकी संख्या घटकर 1971 में 117625 हो गई, मतलब 515-367 केटिल कम हो गया अकालों के कारण। सभापति महोदय, अगर चार सौ रुपये फी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गाय की क्षति के हिसाब लगाया जाय तो करीब 20 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस प्रकार से अकाल में केटिल्स का नुकसान हुआ है। मैं इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है। इस संबंध में मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर ठोस कदम उठाये। इसके अलावा अकाल के समय ट्यूब वैल्स व चारागाहों के स्थान तय किये गये थे और हमारे यहां के पशुओं के फोडर बैंक्स भी करीब 24 डी०पी०ए०पी० की स्कीम्स के अन्तर्गत एस्टेब्लिश करने की योजना थी उसको पूरा किया जाना चाहिये। ऐसा करने से हमारे यहां के पशुओं को चारागाह मिलेंगे जिससे कि पशुओं की रक्षा हो सकेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर के जिले के पशुओं की हालत खराब हो जायेगी और उनका विकास नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय बाड़मेर और जैसलमेर में पशुधन बहुत ही उत्तम प्रकार का है पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार उस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा सभापति महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कि हमारे यहां पर जिला हैडक्वार्टर पर चिकित्सालय भवन भी बना हुआ है। सभापति महोदय राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर इनके लिए चिकित्सालय भवन नही बना हुआ है। मैं समझता हूं कि सभी जिला हैड क्वार्टर पर चिकित्सालय भवन बने हुए हैं। तो सभापति महोदय इस प्रकार बाड़मेर, जैसलमेर जिले को आप इस प्रकार से इगनोर कर रहे हैं। जब भी चिकित्सालय भवन की बात करते हैं, तो आप यहां पर सदन में कह देते है, कि हमारे पास वित्तीय साधन नहीं है। तो क्या यह वित्तीय प्रश्न सिर्फ बाड़मेर जिले के लिए ही पैदा होते हैं आज अभी भीलवाड़ा में आपने भेड़ों के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने के लिए प्रोविजन किया है तो उस वक्त क्या वित्तीय प्रश्न राज्य सरकार के सामने नहीं आया सिर्फ बाड़मेर जिले में जब विकास की बात करते हैं तो आप वित्तीय धन के अभाव की बात करते हैं। सभापति महोदय भेड़ों के विकास की गुन्जायश जितनी बाड़मेर और जैसलमेर जिले में है उतनी कहीं भी नहीं हो सकती। लेकिन आपने भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भीलवाड़ा में खोला है।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य को शायद गलत फहमी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैंने अभी जो आंकड़े देखे हैं प्रगति विवरण में उसके अनुसार कह रहा हूं। उसमें स्पष्ट विवरण दिया गया है। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जहां पर कि डी. पी. ए. पी के प्रोग्राम खुले हुए हैं उसकी काफी प्रोग्रेस होने की गुंजाइश है। लेकिन राज्य सरकार ने जोधपुर और नागौर जिले में भेड़ों का कार्यक्रम डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत खोले हैं। तो आप इस तरह से आज बाड़मेर और जैसलमेर जिले को इस प्रकार इगनोर कर रहे हैं पशु पालन के विकास के कार्यक्रमों में आप बाड़मेर जिले की अवहेलना कर रहे हैं यह उचित नहीं है। इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यह आप इस तरह से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

इम्बेलेन्स क्रियेट कर रहे हैं और इस प्रकार आप बाड़मेर जिले की अवहेलना कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। सभापति महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर जिले सीमान्त जिले हैं और आज भी हिन्दुस्तान के खिलाफ में पाकिस्तान संघर्षमय स्थिति बनाये हुए है इसलिए इन सीमान्त जिलों का विकास नहीं करना देश के हित में नहीं है। आज आप जो योजना बजट में पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें भी प्रति व्यक्ति बाड़मेर और जैसलमेर के प्रति व्यक्ति पर कम खर्च कर रहे हैं। यह आपके लिए उचित नहीं है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। और हमारे यहां का जो पशुधन है उसका विकास किया जाय।

अब मैं जो कुछ विचार है वह सभापति महोदय, छोटे काश्तकारों के बारे में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, राज्य सरकार को चाहिये कि छोटे पशु पालकों और छोटे काश्तकारों को लोन देवें। सभापति महोदय, आज बड़े बड़े काश्तकारों को राज्य सरकार से काफी फायदा मिल चुका है। लेकिन छोटे काश्तकारों और छोटे पशु पालकों को न तो लोन ही मिला हैं और न ही उन्हें किसी भी प्रकार का फायदा ही हुआ है। अभी हमने जो नरोरा में डिसिजन्स लिये थे कि छोटे काश्तकारों को और छोटे पशु-पालकों को कोआपरेटिव के माध्यम से ही नहीं बल्कि उनके लिए सेपेरेट व्यवस्था लोन देने की करें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। आज राज्य सरकार को चाहिये कि छोटे काश्तकारों को अच्छी खाद, अच्छी किस्म के बीज और दूसरी फैसेलिटीज दी जानी चाहिये। सभापति महोदय, हमारे यहां पर 62 प्रतिशत काश्तकार हैं, वे छोटे काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि नरोरा में जो हमने डिसीजन लिये हैं इन छोटे वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाय। ताकि इन लोगों का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी डिमांड मन्त्री महोदय को पेश करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कि हमारे बाड़मेर जिले को दूसरे जिलों के मुकाबले में विकास करने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं बीमार हूं और आप मुझे बोलने की अनुमति दे दें तो ठीक रहेगा। आपका विशाल हृदय है।

श्री रामगोपाल : सभापति महोदय, आजकल यह परम्परा हो गई है कि लोग पहले बोलने के लिए अपने को बीमार बता देते हैं।

श्री विजयसिंह : मैं सचमुच बीमार हूं या नहीं यह तो सभापति महोदय अच्छी तरह जानते हैं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : सभापति महोदय, आज सदन में कृषि, पशुपालन, और डेयरी विभाग की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कोटा जिले की ओर ले जाना चाहूंगा।

(समय लिखें)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

(श्री रामगोपाल)

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल 25 मार्च, 1974 को सदन में कृषि, पशुपालन और डेयरी की मांगों पर चर्चा हुई थी उस वक्त मैंने राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिये थे। और वह आज भी मैं इस सदन में दोहराना चाहता हूं कि जिस खेती से राजस्थान को फोरेन एक्सचेन्ज मिलता है वह खेती अफीम की हमारे कोटा जिले के अन्दर बहुतायत में होती है। राजस्थान के दूसरे किसी जिले में यह खेती नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि अफीम की खेती जब काश्तकार तैयार करता है न तो काश्तकार को बहुत ज्यादा कीमत लगानी पड़ती है। उसको जितना पानी उस खेती के लिये देना पड़ता है जितना शायद ही कोई खेती में देना पड़ता होगा, जितनी अच्छी किस्म की और ज्यादा खाद अफीम की खेती के लिये काश्तकार को देनी पड़ती है जितनी शायद ही दूसरे खेती में दी जाती होगी। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी कीमत ज्यादा इस खेती में लगती है उतनी शायद ही किसी खेती में कीमत लगती होगी। इसके अलावा जितनी मजदूरी काश्तकार को अफीम की खेती में करनी पड़ती है उतनी मजदूरी शायद ही काश्तकार को दूसरी खेती में करनी पड़ती होगी। लेकिन जब उसको अपनी खेती का मूल्य मिलता है तो वह बहुत ही कम मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में काश्तकार को इसमें घाटा रहता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अफीम की कीमत तय करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है यह एक केन्द्रीय सबजेक्ट है अतः राज्य सरकार को चाहिये कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में अपना यह सुझाव दें कि अफीम की खेती में काश्तकार को बहुत कम मूल्य मिलता है और उसको घाटा रहता है इसलिये अफीम की खेती के मूल्य बढाये जायें। जिससे कि काश्तकार को घाटा नहीं रहे। मैं मन्त्री महोदय को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अफीम की खेती में काश्तकार को कम मूल्य प्राप्त होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा, कि राज्य सरकार आज सघन कृषि और दूसरी विकास की योजनायें जो बजट में दी गयी है वे योजनायें कोटा जिले में भी लागू होनी चाहिये। यह जो वर्ल्ड बैंक और दूसरे साधनों से पैसा लेकर स्कीमस् लागू कोटा जिले में की जानी चाहिये। इसके लिये मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार इतने कृषि और विकास के कार्यक्रम कर रही है इसमें न तो सिर्फ तकनिकी ट्रेनिंग अकेली ही कुछ विकास कर सकती है इसके साथ में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इन दोनों का सामंजस्य हुए बिना विकास नहीं हो सकता है। हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्य श्री भीमसेन जी ने अपने विचार व्यक्त करते समय जो 50 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात कही थी वह रिजर्वेशन काश्तकार का होना चाहिये। इसके लिये जैसा कि आपने डाक्टरों और दूसरे लोगों को लोन देने की व्यवस्था की है उसी तरह की व्यवस्था आपको काश्तकारों को जो कि कृषि कालेज से पढ़ कर निकलें, उन्हें दी जानी चाहिये। इसके अलावा जैसा कि

(श्री रामगोपाल)

मैंने पहले सत्र में भी निवेदन किया था कि कोटा में कृषि कालेज खोली जाय क्योंकि वहां पर कृषि का ज्यादा विकास हो सकता है। वहां की कृषि कालेज से निकले हुए ग्रेजुएटों को आप अगर लोन देने की व्यवस्था करेंगे तो थोड़ा वह अपने पास से प्रापर्टी वगैरह पर पैसा लेकर, वहां के लोग खेती कर लेंगे। इसके लिये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यह मेरा सुझाव है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके यहां का प्रोडक्शन काफी बढ़ेगा।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा कोटा जिले की मन्डियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर मन्डियों में बारां मन्डी बहुत अच्छी मन्डी है उसके विकास की योजना बनायी जानी चाहिये। राजस्थान की प्रमुख मन्डियों में से हैं। केलवाड़ा, छीपाबड़ोद, छबड़ा और शिवपुरी चार ऐसे केन्द्र हैं जहां पर कोई मन्डी नहीं हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कहां बारां और कहां शिवपुरी, वहां तक अनाज और अन्य चीजें लाने के लिये काश्तकार को कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए केलवाड़ा, छीपाबड़ोद, छबड़ा, शिवपुरी, सीताबाड़ी और नाहरगढ़ में मण्डियों की मांग की गई। प्रायोरिटी के लिहाज से केलवाड़ा में मन्डी की स्थापना की जानी चाहिए जहां पर चावल अधिक होता है और इरीगेटेड एरिया भी है वहां पर सिचाई की सुविधायें भी उपलब्ध है, वहां आप मन्डी की स्थापना कीजिये। आगे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके जो फील्डमैन और ग्रामसेवक हैं मैं आपकी उन योजनाओं से सहमत नहीं हूं। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि छीपाबड़ोद में आपका एक फील्डमैन है, उसको कई बार देखा गया वह दुकान चलाता है और वह वहां बैठा रहता है जबकि उसका काम यह है कि वह किसानों के पास जाकर उनको खेती के बारे में बतायें उनको अधिक जानकारी दे, क्या प्रोग्रेस है, खेती की क्या नोलेज है यह किसान को आज तक पता नहीं है कि फील्ड मैन है भी या नहीं है। वह सब झूठी बातें लिखता है और इस प्रकार से सरकार की नीतियों का दुरुपयोग होता है। घासीलाल है उसका नाम। उसकी कई बार शिकायतें भी की परन्तु अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको रिमूव करने की कोशिश की जावे। मैं आगे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बस, एक मिनट और लेना चाहूंगा।

माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खेती से हमारे विद्युत और सिचाई का गठजोड़ बंधा हुआ है और सिचाई और बिजली विभाग में जब तक कोआपरेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन में कोई वृद्धि भी नहीं हो सकती है निश्चितरूप से इन दोनों विभागों में कॉपरेशन करना पड़ेगा वरना विद्युतीकरण और सिचाई के अभाव में किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा लेवी जो किसान लोग अदा करते हैं, उसके सेन्टर तीस-तीस और पैंतीस-पैंतीस मील की दूरी पर रखे गये हैं। इतनी दूरी पर किसान के लिये बहुत ही असंभव है। मैं मेरी कान्स-टीट्यूएन्सी की बात कहता हूं, वहां चावल

(श्री रामगोपाल)

की पैदावार बहुत अधिक होती है और वह एम. पी. के बोर्डर पर स्थित है, और लेवी का सेन्टर वहां से लगभग 35 मील की दूरी पर है, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी सुविधाओं का खयाल रखते हुए लेवी अदा करने की सेन्टर उनके नजदीक ही होना चाहिए। दूसरा अभी पशुपालन के बारे में आपने एक प्रश्न के सम्बन्ध में भी बताया था कि एक मेला विकास योजना लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में सीताबाड़ी एक स्थान है वहां भी एक बड़ा भारी मेला लगता है और वह एक धार्मिक स्थान भी है, मेले के समय लाखों की संख्या में वहां पशु इकट्ठे होते हैं, वहां एक विशाल मेला लगता है, मेरा निवेदन है कि मेला विकास योजना के अन्तर्गत भी इसका विकास किया जावे। मेरे पिछले साल के निवेदन पर अपने शाहबाद में और एक जगह और पशु चिकित्सालय खोले हैं उनके लिये मैं बहुत आभारी हूं। इस बार में केलवाड़ा और नाहरगढ़ के लिये निवेदन कर रहा हूं वहां भी पशु चिकित्सालय खोले जायें। वहां पर अकाल से पीड़ित पशु हैं वे भी काफ़ी संख्या में आते हैं परन्तु चिकित्सा की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत से मर जाते हैं। इसलिए प्रायोरिटी के लिहाज से केलवाड़ा में और सेकिण्ड प्रायोरिटी नाहरगढ़ को दीजिये। आगे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डेयरी योजना के बारे में आप सघन अभियान राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं। उसके बारे में कोटा जिला में जहां प्रोडक्टिव एरिया है और किसानों से खेती और मवेशियों का ज्यादा सम्पर्क है, उनका तालमेल खेती के साथ साथ है, और डेयरी से किसानों की जीविका का साधन उपलब्ध होता है, उनको मवेशियों से खाद भी उपलब्ध होता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है तथा किसानों के रोजगार और समृद्धि में योगदान मिलेगा इसलिए कोटा जिले में भी डेयरी योजना लागू किये जाने की कृपा करें, इन्हीं आशाओं के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे जो आशा है उसे पूरी करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मन्त्रीजी सात बजे अपना जवाब देंगे इसलिए जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें वह पाँच मिनट से अधिक समय नहीं लें और अपने समय पर स्ट्रिक्ट रहें।

श्री नन्दलाल बैरवा (अनुपस्थित)

श्री गोपीलाल (अनुपस्थित)

श्री राम प्रसाद बोहरा.

श्री राम प्रसाद बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको कृषि की उपज बढ़ाने के लिये पानी, बिजली, खाद और बीजों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मैं झालावाड़ के लिये ही निवेदन करना चाहता हूं वहां पर तहसील झालरापाटन में बिजली के प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं परन्तु बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। इतना धीरे-धीरे कि दो साल में केवल 10 गांवों को ही बिजली दी गई है और बकानी में रफ्तार और भी धीमी है वहां पर केवल 6 गांवों को बिजली दी गई है इससे तो मैं समझता हूं कि

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

किसानों को दस साल में भी बिजली पूरी तरह से नहीं मिल सकेगी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । इसी प्रकार से माइनर इर्रीगेशन की चार योजनाएं झालावाड़ जिले में चिड़ावा, बकानी, झालरापाटन और खानपुर में चल रही है उनकी भी बहुत धीमी गति है । उनके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं, कि 30 जून 75 तक 88 लाख रुपये बांटे जाने चाहिए थे । परन्तु अभी जनवरी, 75 तक केवल 17 लाख रुपये ही बांटे गये हैं । इसके अलावा जो प्रोजेक्ट आफिसर हैं वे किसानों को कई चक्कर लगवाते हैं, उनको परेशान करते हैं, कभी उनके फार्म पूरे नहीं होते हैं और जो प्रोजेक्ट के दूसरे कर्मचारी हैं, वे भी उनको चक्कर दिलाते हैं और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कभी वह जयपुर आते हैं और कभी क्रेडिट लिमिट पूरी नहीं है इस तरह की बातें कहकर उनको परेशान किया करते हैं। इसलिए एक तरफ तो हम काश्तकार को ऊपर उठाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और सरकार उनके लिए योजनाए चालू करती है परन्तु फिर भी वहां पर प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाते हैं, योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं, उनको बीज नहीं मिल पाता उसके लिये मारे मारे फिरना पड़ता है और उनको लोन भी नहीं मिल पाता । सहकारी संस्थाओं से या पंचायत से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । पुराने कर्जे या तकावी जो हैं वह चले आ रहे हैं । तहसीलों में भारी शिकायतें हैं कि किसानों ने रुपये दे दिये फिर भी उनकी कुर्कियां कराई जा रही हैं । किसान हर तरीके से परेशान हैं। एक ओर तो हम चाहते है कि किसान को हर प्रकार की सुविधाएं मिलें और दूसरी ओर उसको परेशान किया जाता है । इसी प्रकार से मैं खाद के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में जो खाद दिया था वह जिले के अधिकारियों द्वारा बांटा गया था और मैं 73-74 और 74-75 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें वहां के अधिकारियों ने लाखों रुपयों का घोटाला किया है । आपके पास भी इसकी शिकायत आई है, मेरे पास भी समाचार आये हैं, मैं इसके लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के नाम, इन ग्राम सेवा समितियों और पंचायतों की सूचना इन भ्रष्ट अधिकारियों ने आपको दी है और मैं यह कहलाने के लिए तैयार हूं, इसके लिए सबूत भी देने को तैयार हूं कि कई आदमियों ने पंचायतों ने, लिखकर दिया है कि उनको खाद नहीं दिया गया और ग्राम सेवक और कुछ अधिकारियों ने फर्जी कार्यवाही की है आप आज तक उस की जांच नहीं करा पाये । 8-11-74 को बीज विकास अधिकारी झालावाड़ ने लिखा डाइरेक्टर साहब को कि यह खाद एग्रीकल्चर आफिसर के द्वारा ब्लेक में बेचा जा रहा हैं और फर्जी कार्यवाही की जा रही है लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की । मैं माननीय मंत्री जी से मिला था परन्तु उन्होंने कहा कि जोइन्ट डाइरेक्टर को हमने लगा दिया है परन्तु अफसोस की बात है कि 8-11-74 को पत्र लिखने के बाद वो अधिकारी कहां बैठा है, उन्होंने जांच नहीं का । यह पता लगा है

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कि खाद के लिए गांव गांव में जाकर सरपंचों को प्रलोभन देकर ये झूठे आंकड़े भिजवा दिये हैं, ऐसा पता चला है। इसलिए, मैं आप द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, बीज विकास अधिकारी के द्वारा लिखने पर कि ब्लैक में बेचा जा रहा है, इतना बेचा जा चुका है, उसको आपने सस्पेन्ड तक नहीं किया है, अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस को या एन्टी-करप्शन को आपको देना चाहिये था, लेकिन नहीं दिया। यह तो आपके विभाग की हालत है। सही माने में आप किसानों को खाद दिलाना चाहते हैं तो सही माने में आपको भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिए जिसका नमूना मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए मैं बहुत नम्रता से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करें और कम से कम उस अधिकारी को सस्पेन्ड तो करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिड़ावा और अकलेरा। यहां बिजली नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी पधारे थे, कहा था कि यहां प्रोजेक्ट खोलने की कार्यवाही करेंगे। आज तक बिजली नहीं है। लोन मिलता है, इसमें भी अधिकारी कागज बनाने में परसेन्टेज लेते हैं। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। खाद के लिए मैंने निवेदन किया। यूरिया की भी यही हालत हुई है। हजारों बोरी मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले में भेज दी गई है।

झालरापाटन बहुत बड़ी मंडी है यहां पर कृषि उपज मंडी होना चाहिए। आज भी वहां पर 42 किलो का मन है जबकि दुनियां भर में 40 किलो का है। इस प्रकार से किसानों की लूट हो रही है। इसलिए कृषि उपज मंडी वहां पर बनाई जाय। कृषि उपज बढ़ाने के लिए काश्तकारों को सुविधा दी जाय सुविधा देते है तो अधिकारियों पर अंकुश रखते हुए उस सुविधा का किसानों को लाभ प्राप्त कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री विजयसिंह : रामप्रसाद जी के बाद मुझे समय देने का था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ओर्डर ऑफ मैरिट से चलूंगा। आई एम गाइडेड बाई दी लिस्ट।

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में समूचे राजस्थान को हरा भरा देखने की दृष्टि से 75-76 की मांगों पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान कहीं सूखा है और कहीं पर हरा है। सूखा इसलिए नहीं है कि वहां की जमीन खराब है किन्तु साधनों के अभाव से आज यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले मैं उस सूखे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर अधिक धोरे धरती हैं, और हमारी सरकार ने भू-संरक्षण के अन्तर्गत रेगिस्तान को रोकने और धरती को उपजाऊ बनाने के लिये काम कराने का काफी बड़ा बीड़ा उठा रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि देखा जाय तो धोरा धरती की दृष्टि से चुरू का नागौर

(श्री लूणाराम)

पहला नम्बर नहीं हैं तो दूसरा नम्बर हो सकता है। जहां पर इतने बड़े भू-भाग में भू-संरक्षण का कार्य होना चाहिये, पर चूरू और नागौर दोनों जिलों के लिये एक भू-संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर रखा है और उसका हैड क्वार्टर नागौर बना रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतने अर्से के अन्दर अगर चुरू जिले के अन्दर एक पैसा भर भी भू-संरक्षण का आपके अधिकारी ने कार्य कराया हो या प्रचार या प्रसार कराया हो तो आप जानकारी करा सकते हैं। चूरू जिले के अन्दर जो कार्य होना चाहिये था वह कार्य आज तक जिला भू–संरक्षण अधिकारी के द्वारा नहीं कराया गया है। यह निवेदन करूंगा कि चुरू जिले में भू–संरक्षण के लिये अलग से अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

सन् 73 में भी अकाल के समय भू-संरक्षण के कार्य कराये गये थे। उसको भुगतान आज तक टैक्निकल कमियों को रख कर गरीब किसानों को नहीं कराया गया है इससे किसानों में बड़ी मायूसी फैली हुई है। भू-संरक्षण का आज हमारी कृषि उपज में इतना बड़ा हिस्सा हो सकता है जिसके लिये किसान मेहनत करते रहे हैं किसी प्रकार से धरती उपजाऊ बने लेकिन उस ओर विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता है। अकाल में काम चुरू जिले में उत्पादन बढ़ोतरी वाला कार्य खोलते हैं। यह भी सोचते हैं कि काम उत्पादन देने वाला चुरू जिले में ही नहीं। यदि आपको काम कराना है तो भू-संरक्षण का इतना बड़ा कार्य हमारे जिले में है कि जिसकी कोई सानी नहीं, सड़कों और अन्य कार्यों पर जिनके पास भूमि नहीं है को ही लगाया जाना चाहिये न कि उस किसान को दूसरी जगह जाने की आवश्यकता है जिसके पास जमीन है और भू-संरक्षण का कार्य करवाया जा सकता है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि भू-संरक्षण के अन्तर्गत जिन किसानों के पास जमीन है, उनको विभाग की योजनानुसार योजना बनाकर योजनाबद्ध ढंग से स्वयं विभाग या अकाल सहायता विभाग को देकर आगामी साल में भू-संरक्षण के कार्य करवाये जायं और अपनी ओर से पूर्ण योजना बनाकर अकाल सहायता विभाग को भेजी जाय जिससे किसानों का बड़ा भारी हित हो सकेगा। और इससे किसान को अपना खेत छोड़कर और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिसके पास जमीन हो उसको सुधारने की आवश्यकता है जिससे वह उपज बड़ा सके। उनको सड़कों पर भेजें यह शोभा की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से चुरू और बीकानेर दोनों बहुत बड़े जिले हैं जो पश्चिमी भाग के बहुत बड़े भू-भाग को घेरे हुए हैं। इतना होते हुए भी इन दोनों जिलों के अन्दर पशु पालन और कृषि के लिये दोनों को मिलाकर एक एक अधिकारी की ही नियुक्ति कर रखी है। एक तरफ तो कृषि की दृष्टि से अधिक छानबीन हम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ दोनों जिलों के लिये एक एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है, यह पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे विचार करें।

दूसरे में, कृषि के अन्दर एक सबसे बड़ी समस्या दो साल से हमारे क्षेत्र में बनी हुई

(श्री लूणाराम)

है वह है चूहों की। इसकी इतनी भयंकरता है कि आज भी अकाल होते हुए भी जमीन को इस प्रकार से उथल पुथल कर रखा है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। मैंने माननीय मंत्रीजी से काफी समय पहले निवेदन किया था कि आगामी आने वाली खरीफ फसल से इनको नहीं रोका गया तो मुश्किल है, कि खेती किसान कर ले। किसान कर भी लेगा तो उगने नहीं देंगे और किसी प्रकार से उग जावेगी तो पौधों को पनपने नहीं देंगे और पनप भी जावेंगे तो अन्त तक नहीं रहने देंगे। आज भी अकाल की समस्या है। उससे भी आगे के लिये खेती के लिये यह एक बड़ी जबर्दस्त समस्या और बनी हुई है जिससे किसान परेशान हैं, चिन्तित है। चूहों पर कन्ट्रोल नहीं होगा तो बड़ा ही अहितकारी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में कृषि के लिये पानी का अभाव है। जिलाधीश ने मिनिमम प्रोग्राम की विभागीय कुण्ड बनाने के लिये कृषि उत्पादन की योजना भेजी है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी ग्रामों में पानी की कमी नहीं है। खारा हो सकता है। माननीय मंत्रीजी ने मेरे सिंचाई सम्बन्धी पत्र के जवाब में कहा था एक प्रश्न के कि काफी पानी आपके क्षेत्र में है जिसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम में लाया जा सकता है, सिंचाई के लिये नहीं। अधिक ट्यूब वेल नहीं लगा सकते। विभाग की योजना थी 25/30 ट्यूब वेल, पशु पालन क्षेत्र में लगाया जायगा। पानी जहां है वहां ट्यूब वेल नहीं लगावेंगे और वहां ड्रिंकिंग वाटर के लिये छोड़ देंगे तो यह उचित बात नहीं होगी। हमारे क्षेत्र का सारा विकास रुका हुआ है। हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम विद्युत विभाग के पास जाते हैं विद्युत की मांग के लिए तो विद्युत विभाग बिलकुल इन्कार हो जाता है कि हम कोई विद्युत लगाने की स्वीकृति नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे यहां पानी नहीं है जबकि मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे क्षेत्र में बहुत पानी है काफी बेल्टों में पानी है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा जो हमारे यहां सिंचाई के कुए हैं उनको विद्युत मिलनी चाहिये आज विभाग ने कितनी प्रगति की है, मैं ज्यादा निवेदन न कर इतना सा निवेदन करूंगा कि आज जब हम किसानों को कृषि की शिक्षा देने की कार्यवाही कर रहे हैं वहां दूसरे इस वर्ष सामुदायिक विकास विभाग ने जितने पंचायत समिति में कृषि फार्म थे जिनकी देखरेख ग्राम सेवक व कृषि प्रसार अधिकारी या अन्य कृषि विशेषज्ञ करता था.......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो टेक्निकल स्टाफ की निगरानी में होते हुये भी आज जितने कृषि फार्म थे आज उन सबके लिये यह भेजा गया कि इनका चार्ज तहसीलदारों को सौंप दिया जाय। इसका मतलब यह है कि हम फेल हो चुके है, और राजस्व विभाग को सौंप दें तो मेरा निवेदन है कि उस टेक्निकल विभाग के आदमी भी असफल हुये है, यह बहुत गंभीर बात है। यही बात निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से दफ्तरों में जिला कर्मचारी कुछ भी कर दें, कुछ भी दफ्तरों व अन्य जगहों पर पोस्टर लगा दें लेकिन जो फार्म वापिस लौटाये जा रहे हैं उसका किसानों पर बहुत बड़ा रि-एक्शन हो रहा है और बहुत धक्का हमारे प्रोग्राम पर पहुंच रहा है तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे फार्म राजस्व विभाग के

(श्री लूणाराम)

बजाय जो इस कार्य को पंचायत समितियां नहीं करवा सकता है तो कृषि विभाग को अपने अन्दर लेकर करना चाहिये और उसको सफल करके किसानों को दिखायें ताकि यह मालूम पड़े कि हम कहते हैं उसमें कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

अब मैं पशु पालन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आज पशुपालन क्षेत्र में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा पर यह बात सही है आजादी के 27 वर्ष पहले का जो समय था, जिस समय अकाल में लोग अपने अपने पशुओं के लेकर चराने बाहर चले जाते थे और जब वापिस जमाना आता था तो पशुओं को लेकर आ जाते थे। हमने 25 वर्षों में कोई प्रोग्रेस नहीं की-अकाल पड़े तोड़े, हम पशुओं को नहीं मरने देंगे इसकी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। इसका कारण यह है कि हमने कोई योजनाबद्ध ढंग से पशुओं के चारागाहों को व्यवस्था नहीं की। आज के बजट में भी चारागाहों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमने बढ़ती हुई आबादी में चारागाह को परिवर्तित कर आबादी भूमि में रख दिया है जो चारागाह पहले थे वे भी खत्म हुये है और कोई नया चारागाह नहीं बनाया है। आज पशुओं के लिये ठौर नहीं है, अकालों में उनके अस्थिपंजर ट्रकों में भर-भर कर कारखानों में पहुंच रहे हैं। आज कृत्रिम गर्भाधान बोतलों में भर भर कर जगह जगह हम भेज रहे हैं और जो कीमती बैल, बछड़े, भोटे थे वे सब खतम हो रहे है। आज दो दो हजार कीमत के पशुओं भेड़, भोटे के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है अकाल सहायता विभाग की व पंचायतों की ड्यूटी है, लेकिन यह हमारे विभाग की धरोहर है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जो भी सांड पशु हैं उनकी कम से कम बचाने की अवश्य व्यवस्था विभाग में करेंगे जिससे हमारे प्रान्त में सांड पशु बच सकें।

दूसरे हमारे पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र जिसे पशु प्रधान माना गया है-पंचायत राज व विभाग के अन्तर्गत पर आज देखा यह जाता है कि चिकित्सा की व्यवस्था हर जगह होते हुये दूसरे जिलों के अनुपात में कोई पश्चिमी क्षेत्र में पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस बहुल पशु संख्या वाले इलाके में चिकित्सा की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाय।

डेयरी में, मैं निवेदन करूंगा। आज हम सफेद क्रान्ति की बात कहते हैं लेकिन आज पशु पालकों को कोई सुविधायें नहीं है बैंकों से ऋण मिलने की

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री लूणाराम : पांच मिनिट ......

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट की जगह 15 मिनिट हो जाय तो भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी ......

श्री लूणाराम : आपकी रिक्वेस्ट का ध्यान है, अभी खत्म करता हूं आज सफेद क्रान्ति की बात कर रहे हैं उसके अन्दर अगर बैंक लम्बा चौड़ा कर्जा न दे पाये तो सरकार इतनी सी व्यवस्था कर दें कि आज

(श्री नूराराम)

जो गरीब व्यक्ति हैं, जिसके कोई खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है खाने-पीने की प्रोटीन की और प्रोटीन तो क्या उपाध्यक्ष महोदय, उसको रोटी भी नहीं मिलती है, उनको अगर एक एक बकरी का कर्जा दिलाने की भी व्यवस्था कर दें तो जो बिलकुल निर्धन लोग है उनके बाल-बच्चों के पोषण में बहुत बड़ा असरदार योग होगा और गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। इतना सा करवा दें तो बहुत अच्छी बात होगी।

भेड़ पालन में, मैं आज इतना सा ही निवेदन करूंगा कि उनके लिये ऋण नहीं एक तरफ पशु पालन कार्य में ग्राम सेवक को धुरी मान करके जो पशु पालन विभाग का आदमी है, उनके प्रमोशन न होने के कारण सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जो ग्राम सेवक के प्रमोशन के सीनियोरिटि क्रम है उसके अनुसार ग्राम सेवक को प्रमोशन दिया जाय ताकि उनका हौसला बढ़ जाय और भेड़ पालकों के साथ न्याय कर सके। जो चारागाह में पशुओं के चरने का काम है उसमें भेड़ों के लिये राज्य सरकार ने कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा है वह भी रखा जाय। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोडा भीम) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आज बजट की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यहां आज जो मांग हैं-तीनों जो मांगे, कृषि, पशु पालन और डेयरी के बारे में तो सबसे पहले मैं कृषि के बारे में कहता हूं। वैसे कृषि में हम सिंचाई के साधनों में चाहे कुएं लें नहरें लें विद्युत का विकास नहीं कर पाये हैं तब तक हम कृषि में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हम इसकी जांच करे और इसका विश्लेषण करें तो सिंचाई और विद्युत पर जो खर्चा करते हैं उसका जिक्र किये बिना कृषि की बात करते हैं तो एक तरह से वह बात अधूरी रहती है। परन्तु सिंचाई के बारे में, मैं जनरल निवेदन करूंगा किसानों की जो आज समस्या है, उन समस्याओं की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

हम देख रहे हैं भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 87 प्रतिशत जो आबादी है वह कृषि या कृषि पर आधारित चाहे मजदूरी हो या कोई छोटा उद्योग हो, निर्भर करती है। दूसरी तरफ सरकार में चाहे इसका प्रतिनिधित्व देख लें, चाहे सरकारी कर्मचारियों में देख लें इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यही कारण है किसानों की आज उपेक्षा होती है। किसानों को पग पग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यह कठिनाई उनके लिये एक तरह का रोग हो जाती है आज किसानों को पानी की समस्या है चाहे बान्ध से हो चाहे नहरों से हो जब तक सरकारी कर्मचारी को घूंस नहीं देनी पड़ती है तब तक उसको पानी नहीं मिलता है आज बिजली का कनेक्शन देने में छोटे छोटे कर्मचारी गोलमाल करते हैं और कनेक्शन मिल जाने के बाद उनको बिजली तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि किसानों से एक क्वि. या 2 क्वि. अनाज मोटर के हिसाब से नहीं ले लेते और जहां नहीं देते हैं उनकी लाइन काट दी जाती है या इस प्रकार के कार्य कर दिये जाते हैं कि जिससे उनकी

(श्री चेतराम)

मोटरें जल जाती हैं । इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विद्युत और सिंचाई का दूसरे डिपार्टमेंट से इस तरह का कोग्रार्डीनेशन करें कि किसान को जो सिंचाई के साधनों में दिक्कतें आती हैं वह दूर हों । इसके अलावा जो दूसरी चीज है चाहे वह खाद हो या बीज हो उसमें उसको बहुत कठिनाइयां है ।

मैं मण्डियों के बारे में निवेदन करूंगा कि किसान को मण्डी में आड़त देनी पड़ती है और वह 3) रुपया प्रति मन के हिसाब से देनी पड़ती है । यह आड़त किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की एवज में है । लेकिन आज हम देखते हैं कि मण्डियों में किसानों के लिए न बैठने के लिए कोई छाया है और न बैलों को बांधने के लिए जगह है। धूप में उसके बैल खड़े रहते हैं, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है—चाहे वह कृषि उपज मण्डी में गल्ला लेकर जाये या व्यापारी के पास जाये आड़त तो उनको देनी ही पड़ती है ।

राज्य सरकार उनसे उप-कर लेकर और दूसरे साधनों के द्वारा टैक्स वसूल कर रही है इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो रिकाग्नाइज्ड मण्डी हैं उनमें किसानों के बैठने के लिए छाया होनी चाहिए और बैलों को बांधने के लिए छाया होनी चाहिए और साथ ही वहां पर पानी की व्यवस्था जरूर करवाने की कोशिश करें । और यह ऐसी व्यवस्था है कि मण्डी के पास काफी धन है और किसी किसी मण्डी के पास तो कई कई लाख रुपये हैं और जो सम्पत्ति है वह किसानों की सहूलियतों के लिए है । वहां पर आप शेड्स बनायें, पानी की व्यवस्था करें और दूसरे कामों को आप बाद में प्रायोरिटी दें । इसलिए किसानों को सबसे पहले यह सुविधायें दी जायें ।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि खाद के दाम आज दुगने हो गए लेकिन राज्य सरकार लेवी के दाम नियुक्त करने जा रही है वह 105) रुपये तय करने जा रही है । मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि खाद के दाम दुगने हो गए और बिजली मिनिमम फिक्स करने से कई गुना हो गयी और सिचाई दूसरे साधन महंगे हो गए और कर लगाकर आपने किसानों को बहुत परेशान कर दिया इसलिए ऐसी स्थिति में उनकी लागत बहुत ऊपर पहुंच गयी है । मैं समझता हूं कि 27 परसेन्ट लागत प्रोडक्शन की उनकी बढ़ी है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह 115 के बजाय 130 के लगभग रखा जाये और इस के साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए जो दूसरी सुविधायें हैं वह दी जानी चाहिए ।

इसके अलावा हम पशुओं के लिए देखते हैं कि अस्पताल नहीं है । मानवों के लिए तो अस्पतालों का ध्यान दिया जाता है लेकिन पशु चिकित्सालयों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पशु चिकित्सालयों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये क्योंकि हमारा राजस्थान पशुपालक प्रान्त है और ऐसी जगह व्यवस्था नहीं होना दुर्भाग्य पूर्ण है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो चिकित्सालय हैं उनमें दवाइयों का इन्तजाम किया जावे और चलते फिरते पशु चिकित्सालय स्थापित किये जायें

(श्री चेतराम)

मैं नाडोती जो तहसील मुख्यालय है लेकिन वहां पशु चिकित्सालय का प्रबन्ध नहीं है और आस पास 20-25 मील के एरिया में कहीं नहीं हैं और भाग्य से या दुर्भाग्य से वह पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है लेकिन उसका मुख्यालय दूसरी जगह है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पशु चिकित्सालय की व्यवस्था आप अवश्य करें।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो डेरी के बारे में राज्य सरकार ने बजट में 41 करोड़ 44 लाख रुपया रखा है, वह पिछली साल भी अनाउन्स किया था और इस साल भी है लेकिन वह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि समय कम है इसलिए मैंने जो निवेदन किया है डेयरी के बारे में प्रोवीजन है सवाई माधोपुर जिले में स्पेशली रखी जाये और पशुपालन के लिए प्रायोरिटी रखी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल (अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह

श्री भोपाल सिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा डेयरी के विकास के बारे में कहना चाहता था। जैसलमेर के अन्दर चिलिंग प्लान्ट तो सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है उसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं लेकिन कुछ देरी हुई करीब 6 महीने के बाद हुआ जिसकी अकाल की स्थिति होने की वजह से गायों की स्थिति बहुत कमजोर है और उन से दूध का आउटपुट बहुत कम मात्रा में है। ऐसी स्थिति में जो दूध की खरीद की रेट तय की गई है उसका रिलेशन फेंन से तय किया गया है। 1 किलो घी पर 23 रुपया दिया जा रहा है मैं समझता हूं कि दूध के अन्दर केवल फैट ही नहीं होता बल्कि उसके अन्दर बहुत ही पौष्टिक अन्य तत्व भी होते हैं। उसके लिए कोई ख्याल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब कि गोपालकों को इन्सेन्टिव देना चाहिए और अकाल की स्थिति को पार करने के लिए उनकी स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि रेट को बढ़ाना चाहिए। वहां पर डी.पी.ए.पी. की पार्टी आई थी और उसने भी यह महसूस किया कि यह रेट कम है और उसको बढ़ाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसको कम से कम 27-28 रुपया प्रति किलो ग्राम फैट करना चाहिए। ऐसा करने से रिलीफ का काम भी आप कर देंगे वैसे यह ठीक व उपयोगी कार्य है, गायों को बचाना भी है। ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए।

इसके अलावा जो इस सम्बन्ध में प्रोक्योरमेंट एजेन्सी है उसकी स्पेयर टीम अभी तक नहीं बनी है। तीन चार महीने हो गए हैं वहां पर कोई प्रोक्योरमेंट एजेन्सी की टीम का अपाइन्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है वह जल्दी किया जाना चाहिए। इसके अलावा हरी घास की पैदाइश के सम्बन्ध में कोई तरक्की नहीं हुई है और जो कुछ भी किया गया है उसका तालमेल गोपालकों से नहीं बैठ सका है और नतीजा यह है कि न तो साइलेज बना है। और जो घास हरी नल कूपों में खड़ा है वहां तक पहुंचने वाले नहीं है, रेट भी अभी तय की है।

(श्री भोपालसिंह)

इसके अलावा एक शब्द भेड़ के बारे में कह दूं कि विभाग की ओर से पिछले दो तीन सालों में डी. पी. ए. पी. के तहत योजना बनाई है जिसमें रामगढ़ एरिया के अन्दर भूमि को रिजर्व बनाकर चरागाह को डवलप करने की बात है जहां 20 हजार भेड़ों को जो सेडीट्रेशन करने का है वह जल्दी होना चाहिए । जैसलमेर के अन्दर भेड़ों का आर्थिक विकास होने की बहुत गुंजाइश है और इतनी भूमि है और घास है और उस मात्रा में थोड़ी बहुत बरसात भी हो जाती है। अगर एक माडल ठीक हो जाये और बहुत अच्छी तरह से उपयोगी साबित हो जाये तो उसको आप कितने ही गुना में मल्टीपल करें जैसे आस्ट्रेलिया में है बहुत बड़ी मात्रा में इसका विकास किया जा सकता है। एक निवेदन यह भी है कि जो ऊन है उसको ज्यादा खरीदने की क्षमता बढानी चाहिए आपके विभाग की ओर से सब चीजों के भाव ऊंचे चले गये लेकिन भेड़ की ऊन को खरीदने वाला कोई नहीं है विभाग के पास साधनों की कमी है इसलिए लोगों के पास पिछले साल की भी ऊन पड़ी हुई है और आप उस ऊन को खरीद लें तो बहुत बड़ी राहत लोगों को मिल जायेगी और एक परचेजिंग पावर उनके हाथों में प्रदान हो जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह राठौड़

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज सदन के सम्मुख कृषि, पशुपालन और डेयरी से सम्बन्धित करीब साढ़े चौदह करोड़ रुपये की राशि की मांगें प्रस्तुत हैं। इस सम्बन्ध में चूंकि सदन के माननीय सदस्यों ने काफी संख्या में इस बारे में अपनी 2 बात कह चुके हैं और जो मेरे भी कटौती के प्रस्ताव थे वे भी करीब 2 इसमें कवर अप हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ एक दो बातें सुझाव के तौर पर माननीय मंत्रीजी के सम्मुख अवश्य रखना चाहूंगी। वैसे तो यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि हिन्दुस्तान जो एक कृषि प्रधान देश कहलाता है लेकिन कृषि प्रधान देश भी केवल इन्द्र भगवान की मेहरबानी पर, मानसून की मेहरबानी पर कृषि प्रधान देश बना हुआ है और उसमें भी राजस्थान जो क्षेत्रफल के हिसाब से हिन्दुस्तान के दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें, इस प्रदेश में भी हम बड़े जोश-खरोस से कई वर्षों से हरित क्रांति की बात भी करते हैं। श्वेत क्रांति की बात भी करते हैं। सही पूछिये तो ये कृषि प्रधान प्रदेश यदि श्वेत क्रांति और हरित क्रांति वाला देश हो जाय तो फिर इस प्रदेश के एक समृद्धिशाली प्रदेश बनने में किसी प्रकार की कसर नहीं रहेगी। लेकिन ये क्रांतियां किस पद्धति से सफल हो पायेंगी इस पर सारा निर्भर करता है। वैसे तो कृषि और पशुपालन यह दोनों मिला करके करीब 2 इस प्रदेश की पचास प्रतिशत इन्कम के आसपास इन दोनों सेक्टर से हमारे को आय है। राज्य सरकार भी इस पर बहुत कुछ कर रही है लेकिन मैं समझती हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं माननीय मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी और इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस बात की ओर कि यह

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

सारी की सारी हमारे हिन्दुस्तान में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटिज हैं वे अमेरिका से लेंड ग्राण्ट पैटर्न के आधार पर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटिज बनी हैं। सारे देश में आज 19 इस प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। उनमें से 18 कृषि विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने एक तरह के पैटर्न के हैं लेकिन उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय इन सबसे अलग हैं। कृषि विश्वविद्यालय में, मैं समझती हूं कि जो अमेरिका का लैंड ग्रान्ट पैटर्न है उसके मुताबिक अनुसंधान यानि रिसर्च और टीचींग यानि शिक्षा और विस्तार अर्थात एक्सटेंशन यह तीनों चीजें उनके साथ होनी चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार को कई बार कहा गया कि वह अपने पैटर्न को बदले। रिसर्च सेन्टर यहां जयपुर में स्थापित कर रखा है। इसमें कोई कहां और कोई कहां से फायदा नहीं है, अनुसंधान कार्य युनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि समय की जो आधुनिकतम हमारी जानकारी है उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, कृषि करने वाले लोगों के खेतों में पहुंचाई जावे शिक्षा से किस प्रकार उनको व्यावहारिक ज्ञान दिया जावे, तालमेल बैठा रहे, खेतों में जो लोग काम करते हैं, खेती करते हैं वह वहां के रिसर्च की जानकारी प्राप्त कर सकें रिसर्च भी उस आधार पर हो सके लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार जो आई. सी. आर. के मुताबिक पचास परसेंन्ट खर्चा करने जाती है, वह तो कर रही है और यदि रिसर्च के कार्य को उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सौंप दिया जाये तो उसमें पच्चीस परसेंट खर्चा कम करना पड़ेगा। राज्य सरकार को जहां पचास परसेन्ट खर्चा करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी को केवल 25 परसेंट खर्चा करना पड़ेगा और बाकी सेवन्टीफाईव परसेंट जो है वह, इन्डियन कौंसिल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट देगी। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में जानना चाहूंगी कि क्या दिक्कत है और किस वजह से यह रिसर्च सेंटर यहां पर रखा जाता है जिसकी वजह से बहुत सी चीजें जो आज जिनकी बड़ी प्राब्लम हो गई हैं वह सोल्व नहीं हो। उदाहरण के तौर पर में बतलाना चाहूंगी, एक काश्तकार होने के नाते यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिन जगहों पर रवी की फसल ली जाती है वहां पर व्हाइट ग्रब और नोमीटोड की बहुत भारी परेशानी है। व्हाईट ग्रब और नोमीटोड की वजह से हमारी बड़ी दिक्कत होती है और बाद में सारी की सारी फसल चौपट हो गई। जो लोग रबी में गेहूं ले लेते हैं वह खरीफ में बाजरा नहीं ले सकते। खरीफ में मक्का ज्वार, बाजरा और गन्ने इन सबको व्हाइट ग्रब इस तरह से लग गया कि विभाग के पास अभी तक कहने को तो है कि कई प्रकार की कृषि विभाग ने दवाएं खोजी हैं लेकिन उनका अभी तक कोई सफल जिसको कहना चाहिए, इलाज कृषि विभाग के पास नहीं है और अगर कुछ है भी तो वह इतना मंहगा है कि साधारण काश्तकार के वश की बात नहीं है। तो मैं समझती हूं कि एक तरफ तो आप उदयपुर एग्रीकल्चर यूनि-वर्सिटी को केवल अस्सी एकड़ जमीन देकर उसके ऊपर रिसर्च भी करवाना चाहते हैं और उसको प्रोफिट में भी चलाना चाहते हैं

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

श्रौर उसके ऊपर आज का जो आधुनिकतम ज्ञान है उसका प्रयोग करके सब कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है। तो इस बारे में राज्य सरकार सोचे श्रौर सोच कर जो कुछ करना हो करे मैं बहुत ही संक्षेप में यह बात भी कहना चाहूंगी राज्य सरकार को कि इस बारे में जब हमारे राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली साहब जो कृषि मंत्री थे तब उन्होंने राज्य सरकार को लिखा था कि वह रिसर्च सेन्टर यूनिवर्सिटी के साथ ही जोड़ दें। आज भी हमारे कृषि मंत्री जगजीवन राम जी ने अभी वाइस चांसलर्स की कांफ्रेंस हुई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर्स की उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि इस बारे में मेरी समझ में नहीं आता कि जब 18 यूनिवर्सिटिज एक तरीके से रिसर्च अपने साथ रखे हुए हैं तो राजस्थान क्यों नहीं कर पा रहा है। राजस्थान को क्या दिक्कत है? इस सम्बन्ध में सोचा जाना चाहिए।

एक मेरा कटौती का प्रस्ताव एनीमल हस्बेंड्री के बारे में भी है। यह बात तो सही है मंत्री महोदय कि जब अकाल पड़ता है, बहुत भारी संख्या में हमारा बहुत अच्छा पशुधन है वह हमारे प्रदेश से बाहर जाने के लिए मजबूत होता है। वहां पर कई तरह की दिक्कतें सहनी पड़ती है। खासतौर पर चराई वाली बात है, यह इस विभाग से तो सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि यह एक ऐसा सम्बन्धित मामला है जब आप को दूसरे विभागों से भी कार्यवाही करवानी चाहिये आखिर इस पशुधन को बचाने की जिम्मेदारी, इसके रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आपका भी इस सम्बन्ध में जागरूक रहना जरूरी है। जहां पर निष्क्रमण करके जितने पशु बाहर जाते हैं बहुत अधिक चराई उनसे वहां पर ली जाती है। उस सम्बन्ध में आप स्वयं देखें कि हमारे यहां अकाल की हालत है और अकाल की हालत में वाजिब रेट के ऊपर जो उनके यहां रेट प्रचलित है, उनके प्रदेश में प्रचलित है चराई की रेट ली जाय तो मैं समझती हूं कि यह भी हमारे पशु धन को बचाने का एक बहुत बड़ा उपाय होगा।

इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वैसे तो कृषि मंत्रीजी और पशु पालन मंत्रीजी हालांकि कृषि से और पशुपालन से उनकी पूर्व की कोई भूमिका या पहले का कोई लगाव नहीं रहा है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अर्से में ही यह बात सही है कि बहुत ही एंथ्युमास्टोकली कृषि विभाग को और साथ ही पशुपालन विभाग को ठीक तरीके से किस प्रकार से दोनों विभागों को गियर अप कर सकें, पशुओं का संवर्धन कर सकें, कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनके इन सब प्रयत्नों की जानकारी जो कृषि विभाग की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने स्वयं ने माना है कि 1973-74 के मुकाबले हमारी रबी और खरीफ की जो पैदावार थी उसके मुकाबले इस साल नौ लाख टन के डेफिशिट में है। तो एक साल के अन्दर हमने कितनी क्या प्रगति की वह तो इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगी और पहले भी अपनी बात कह चुकी हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी, यह डेयरी डवलपमेंट के बारे

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

में जो कुछ पांच साल में करने जा रहे हैं, यह बात सही है कि इससे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान प्रदेश को आज उससे एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। यह भी निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि यहां के काश्तकार उससे एक समृद्धि के रास्ते पर बढ़ेंगे लेकिन मुझे डर है माननीय उपाध्यक्षजी, डर इस बात का है कि हमारे डेयरी डवलपमेंट की जो योजना है कहीं हमारे इन खेतिहर मजदूरों के लिए यह एक अभिशाप तो नहीं बन जायेगी। कई गांवों में हजारों लोगों के पास, जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है क्या उनके लिए इस तरह का अभिशाप नहीं बन जायेगा। अभिशाप इसलिए कहती हूं कि आज जो लोग पशु रखते हैं और दूध नहीं बेचते हैं वे तो छाछ करते हैं और छाछ आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सोर्स आफ प्रोटीन है और मेरे गांव की ही बात मैं बताती हूं कि जिसको मैं जानती हूं कि हमारे घर में सुबह से लेकर दोपहर तक छाछ के लिए लम्बी कतार लग जाती थी जिसमें खासतौर से हरिजन और खेतिहर भूमिहीन मजदूर होते थे और वे अपने बर्तन लेकर छाछ लेने के लिए आ जाते थे। उनको पूरा खाने को नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से डाक्टर भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि छाछ के रूप में उनको एक बढ़िया किस्म का प्रोटीन मिल जाता है और जिसके भरोसे ये गरीब लोग शारीरिक काम करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जो काश्तकार लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए यह ठीक है कि यह सोर्स आफ इनकम हो जायेगा जहां उनके पहले दो सौ रुपये महीने की इनकम होती थी अब ज्यादा हो जायेगी उन्नत किस्म के ब्रीड से, शंकर प्रजनन से और वे अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ बना सकेंगे परन्तु जो गरीब लोग हैं, जिनके पास न तो जमीन है और न पशु पाल सकते हैं उनको इस दूध का जो वेस्ट (waste) प्रोडक्ट छाछ है, वह नहीं मिल पायेगी फिर उनकी तन्दुरुस्ती का क्या होगा ? मुझे इस बात का डर है, गांव की जो इकोनोमी है, जो काश्तकारों के यहां पर खेतिहर मजदूर हैं, उनको खाने को यह बढ़िया प्रोटीन नहीं मिल पायेगा। इस श्वेत क्रान्ति और हरित क्रान्ति से वे बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करना चाहती हूं इसलिए मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं डेयरी डवलपमेन्ट के लिए 45 करोड़ से अधिक का प्रोविजन आपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रखा है परन्तु इस बात के लिए आपने कोई चिन्ता नहीं की है, प्रोग्राम बनाने वालों ने भी नहीं सोचा है कि जो इस काम को करने वाले हैं, उनको कुछ सीखने के लिए विदेश में भेजा जाये जिसको मैं जरूरी समझती हूं। वास्तव में जब वे विदेशों से लौट कर आयेंगे तो कुछ नई बातें सीख कर लौटेंगे और इससे आपके प्रचार को और योजना को बल मिलेगा और सचमुच में वे लोगों को प्रेक्टिकल डिमान्स्ट्रेशन दे पाएंगे।

श्री केदारनाथ : इसमें एम. एल. ए. भी होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जिनका बेक ग्राउन्ड हो ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं जाऊं या न जाऊं मैं तो इसको जरूरी समझती हूं। इस

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

प्रकार लोगों को विदेश भेजने से दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

एक निवेदन और करना चाहती हूं। मेरा पिछला अनुभव यह रहा है उन्नत किस्म की गायें आपने बाहर से मंगाई हैं। इनका कहां 2 बंटवारा हुआ यह तो मुझे मालूम नहीं परन्तु यह जानकारी है कि अच्छी किस्म की गायें जिनकी लागत 11/2 हजार रुपये हैं मंगायी गयी हैं और ये गायें करीब 10/11 किलो दूध देती हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि इतना दूध तो हमारी राठी, थारपारकर, हरियाणा कान्क्रेज गायें दूध दे देती हैं। हमारा यह जानवर हार्डी है और सर्दी, गर्मी सब मौसम में रह सकता है। उसके लिए सर्दी गर्मी से बचाव के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु जो नस्ल आप मंगा रहे हैं उसमें 50 परसेन्ट वेस्ट होगा। वेस्ट से मेरा मतलब उस calf ...क से है जो पशु पालक के लिए लाइ... ...लटी होगी। इसकी व्यवस्था आपको ...नी चाहिए। आप चाहें तो इसको ...र भेजने की व्यवस्था करें तो अच्छा ...। यदि कोई पशु पालक इसको लेने ...लिए तैयार है तो ठीक है। प्राइवेट ... इसके लिए शायद ही तैयार हो ...कि यह बुल अच्छा ड्राफ्टकेटल नहीं है। ...कीय फार्म पर आप रख सकते हैं। जो ...ं पशु पालक हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट ...आप दे सकें तो अच्छा हो। राज्य ...ार को इस बारे में सोचना चाहिये। ... शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना ...ती हूं कि कृषि विभाग, पशु पालन ...ग और डेयरी विभाग इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर माननीय मन्त्री महोदय गौर फरमाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि, पशु पालन और डेयरी पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ चन्द बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बीकानेर जिले में करीब 8/9 कूप सरकार ने खोदे हैं परन्तु ये ट्यूब वैल्स आज तक बेकार पड़े हैं पिछले 7/8 साल से। गर्मियां शुरू होने वाली है और वहां पर पशुओं के लिए पानी नहीं है। इन ट्यूब वैल्स के जरिये राज्य सरकार अगर चाहे तो चारा और घास काफी मात्रा में उपजा सकती है परन्तु खेद का विषय है समझ में नहीं आता कि यह सरकार इन ट्यूब वैल्स को क्यों नहीं चला रही है। कृषि के लिए सोदा, पलाना बीकानेर तहसील में और नोखा तहसील में जमीन के नीचे पानी है वह भी बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि के लिए ट्यूब वैल्स खोद कर अधिक से अधिक खेती की जाये और काश्तकारों को अगर आप ट्यूब वैल्स खोद कर देंगे तो आप निश्चितरूप से कामयाब होंगे और खेती करने लिए काश्तकार को काफी साधन होंगे। मैं चाहूंगा कृषि मन्त्री जी आप जैसे समझदार और अच्छे मन्त्री के होते हुए भी अगर काश्तकारों को खेती के लिए, पशु पालन के लिए सही ढंग से और समय पर सहायता, सहयोग नहीं मिला तो दूसरा राजस्थान में काश्तकारों के लिए ऐसा मन्त्री

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

नहीं है जो समय पर और सही ढंग से काश्तकारों को सहयोग, सहायता दे सके। मैं चाहूंगा सभापति जी आपकी मार्फत राज्य सरकार को निवेदन करना है कि नोखा तहसील में जमीन के नीचे काफी पानी है, यह पानी ट्यूब वैल्स के जरिये ऊपर लाया जाये ताकि पशुओं को घास, चारा और पानी मिल सके और साथ ही साथ काश्तकारों को खेती के लिए भी सिंचाई का साधन हो सके। अगर यह पानी ऊपर लाया जाता है तो निश्चितरूप से पशु पालकों और काश्तकारों को इससे लाभ मिलेगा और वह लाभ राज्य सरकार और समाज को भी मिलेगा। राजस्थान सरकार ने वहां पर सर्वे किया है और सब से अधिक पानी नोखा तहसील के क्षेत्र में पाया गया है। पांच सात गांवों को छोड़ कर 1 और लगभग 111 गांवों में यह पानी है। मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार वहां पर ट्यूब वैल्स खोद कर घास पैदा करे तो अच्छा हो।

इसी तरह से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ऊंट गाड़ी के लिए अगर किसानों को आप लोन देने की व्यवस्था कर सकें तो इससे काश्तकारों को ज्यादा लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह ऊंट गाड़ी ऐसी चीज है जिसकी हम सराहना किये बिना नहीं रह सकते। राजस्थान नहर का अधिक से अधिक बोझा ढोने के काम का श्रेय अगर किसी को है तो ऊंट गाड़ी को है। राजस्थान का ऊंट हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी आश्चर्य की बात है। यह हमारे रेगिस्तान का जहाज है। आज इस बात को कहे बिना नहीं रह सकता। एक ऊंट गाड़ी कम से कम 50/60 मन का बोझा उठा लेती है और सड़क पर तो कम से कम 100 मन का बोझा खींच ले जाती है।

उपाध्यक्षजी, कच्चे रास्ते पर वह ऊंटगाड़ी 50 मन वजन ले जाती है, 20 सवारियां ले जाय तो काश्तकारों को उसके लिए कृषि मन्त्री जी को लाभ देना चाहिए। बैंकों से या और किसी जरिये से ऊंटगाड़ी के लिए काश्तकारों को लोन दिलायेंगे ताकि काश्तकारों को नई दिशा मिलेगी।

पशु चिकित्सालय के बारे में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नोखा और बीकानेर जिला बहुत बड़ा कृषि प्रदेश हैं और पशुपालकों का इलाका है, लेकिन आज तक वहां पर सही ढंग की औषधियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

उपाध्यक्षजी, हमारे जोधपुर और बीकानेर में छोड़ ब्रीड का ऊंट होता है और राजस्थान में अगर सबसे अच्छा जो ऊंट है वह छोड़ ब्रीड का है। वह इतना तेज दौड़ने वाला और मजबूत होता है कि हर तरह से उसको द्रुतगामी कहा जा सकता है। कहावत है कि जी जमीं में ऊंट सोना चांदी मोठ मतीरों बाजरा वा बीकानेर वास इस ऊंट को अच्छे ढंग से रखता है तो इस ओर ध्यान देंगे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपने 5 मिनिट तो ऊंट को हा दे दिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ऊंट के बारे में मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि सबसे उत्तम ऊंट राजस्थान के जिलों में ही होता है और ऊंट को पैदा करने वाला जो काश्तकार है, भेड़ पालक है, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए चाहूंगा कि ऊंट के बारे में ऐसा होना चाहिए कि लोगों को सही ढंग से मदद मिल सके। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से उम्मीद करता हूं कि आप जैसे मन्त्री के हाथ में यह विभाग होते हुए भी अगर काश्तकार को समय पर सहयोग नहीं मिला तो दूसरा और कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष जी, मैं थोड़े में ही निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आखिर में समय मिला है व समय की कमी है।

मैं कृषि विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं, पता नहीं कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी या क्या क्या पूजा की थी कि इस बार की रबी की फसल बहुत अच्छी है और किसी प्रकार की आज तक हानि नहीं हैं। बिजली मन्त्री जी भी यहां मौजूद हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि और बिजली का विशेष साथ जुड़ा हुआ है। हमारे इलाके में जब फसल पकने को होती है तो बिजली बन्द हो जाती है। कृषि विभाग और बिजली विभाग के इस प्रकार कोई काम का समन्वय न होना चाहिए। उसके बगैर राजस्थान के किसानों का हर साल बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें दोनों मन्त्री एक साथ मिलकर, काश्तकार और आपके विभाग वाले मिल बैठकर यह तय कर लें कि इस प्रकार की गलती नहीं होगी। बिजली कम है तो रात को मिले चाहे दिन को मिले उसमें कोई हानि नहीं है। ओवरसियर और इन्जीनियर से किसी भी बात पर झगड़ा होगया तो बिजली काट दी जैसा कि डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे यहां विधान सभा में कह रहे थे गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं और आपस की रंजिश से बिजली काट दी जाती है और उससे इतनी बड़ी कृषि उत्पादन की हानि होती है। रोज लोग चिल्लाते हैं, खाने को नहीं मिलता है और शहरों की हालत खराब है। यह व्यक्तिगत हानि न मानकर इसको हमें राष्ट्रीय हानि मानकर चलना चाहिए और बहुत सोच विचार कर कुछ करना चाहिए जिससे दोनों विभागों में समन्वय जमा रहे।

इसके साथ ही मैं गेहूं के बीज के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी मात्रा में मिला है और समय पर मिला है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज-सरकार किसान से लेवी 95 रु० और इस बार कर दिया 105 रु० देंगे और किसान को बीज देते 250 से 300 रुपया मैं इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों को 18 हजार क्विन्टल बीज दिया और 25 पर्सेन्ट सब्सिडी के साथ दिया। हमारे यहां जो यील्ड है वह 5½ क्विन्टिल पर एकड़ है और उनके यहां जो यील्ड है वह 9½ क्विन्टल पर एकड़ है। उनको प्रोत्साहन देना था, लेवी के एवज में कुछ देना था तो उन्होंने 25 पर्सेन्ट अनुदान बीज में दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार अपने यहां भी इस तरह की व्यवस्था

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

करें। अगली रबी के बीज की कीमत कम कर दे या अनुदान देकर उसको सब्सिडाइज किया जाय ताकि किसान दोनों तरफ लेवी सस्ती व बीज महंगा में न भरा जावे।

बाजरे के हाईब्रिड बीज के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का लक्ष्य 13 हजार क्विन्टल रखा गया है, और कृषि विभाग ने जो व्यवस्था की है कर्नाटक या तामिलनाडू से, यहां से या राष्ट्रीय बीज निगम से उससे कुल मिलाकर 16 हजार क्विन्टल हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है, परन्तु जो हाईब्रिड बाजार आप कर्नाटक और तामिलनाडू से मंगा रहे हैं वह हाईब्रिड बाजरा नं० 5 का आयेगा जबकि हाईब्रिड बाजरा नं० 2 और 1 की हमारे यहां पर ज्यादा मांग है। वह आपने बन्द कर दिया है। राष्ट्रीय बीज कार्पोरेशन के पास हाईब्रिड नं० 3 है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाईब्रिड बाजरा नं० 1 क्या आपने बिल्कुल बन्द कर दिया है, या आपके पास उसका उत्पादन नहीं हुआ है या आपने उसको फैल्योर मान लिया है, या उसमें ज्यादा बीमारियां होती हैं, या आप उसकी बिमारियों का कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं? मैं ऐसी धारणा रखता हूं कि अगर बारिश थोड़ी बहुत ठीक हो जाय तो हाईब्रिड बाजरा नं० 1 का जितना हमारी जमीन में उत्पादन होता है उतना नं० 2,3,4 और 5 का नहीं होता है। इसलिए आप इसको एक्जामिन करवा लें। हाइब्रिड बाजरा नं. 2 व 3 अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की कृपा करें। पिछली बार बाजरे का बीज जो दिया था वह जून व जुलाई में डिस्ट्रिब्यूट किया गया था। गवर्नमेंट की मीटिंग जो थी वह जून में हुई व होती है और बरसात हो गई 20 मई को ही लोगों ने 25 मई को साधारण बाजरा बो दिया। पिछले वर्षों में जो बाजरा दिया है वह 5 हजार क्विटल था और उसके बाद 8 हजार क्विटल बाजरा हाई ब्रिड का दे चुके हैं। इस साल लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम आपकी मीटिंग होकर और जितना भी किसानों को हाई ब्रिड बाजरे का बीज मिलने वाला है हर हालत में उसके पास मई के पहले-पहले पहुंच जाना चाहिए, और अगर 15 मई से पहले नहीं पहुंचता है, क्योंकि कई बार जेठ में बारिश होती है उसका मतलब है कि मई में बरसात हो जाती है और काश्तकार बीज का इन्तजाम नहीं कर पाता है और आपका बीज जो आने वाला है वह समय पर नहीं आता है तो जो फसल पिछले साल की होती है उसको ही हाई ब्रिड मानकर बो देते हैं। बड़ी मुश्किल से काश्तकार को यह बात समझाई थी कि हाई ब्रिड बाजरा बहुत अच्छा होता है अब काश्तकार इस बात को समझने लगा बीज है समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते इसके लिये कृषि विभाग और मंत्रीजी इसके जिम्मेदार हैं।

इसके साथ ही रसायनिक खाद के संबंध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं कम्पोस्ट खाद के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसको उत्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी समझकर कम्पोस्ट खाद की तरफ ध्यान दिया जाय। शुरू-शुरू में पंचायत समितियां बनी थीं तो इसकी तरफ काफी ध्यान दिया गया था और जगह जगह इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी प्रदर्शन

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किये थे और कम्पोस्ट खाद उन्होंने बनाकर बताया था, लेकिन निरन्तर उसकी तरफ ध्यान नहीं देने से वह बन्द कर दिया गया है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और इसका असर निश्चय ही उत्पादन पर पड़ा है।

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं गोबर गैस प्लांट के बारे में। पिछले साल दो तीन साल से भारत सरकार और भारत का कृषि विभाग, हमारा कृषि विभाग इस बात पर जोर देती नजर आती है, लेकिन इनका असर कोई नजर नहीं आता है। गोबर गैस प्लांट जो खाद बनाता है वह खाद कम्पोस्ट खाद की तरह ही होता है और कोई कमजोर नहीं होता है। हमारे यहां उपले बनाकर जलाते हैं जबकि उसके स्थान पर गोबर गैस प्लांट का प्रयोग किया जाय तो अधिक अच्छा हो उसकी जो मशीनरी बनाई जाय वह अच्छी हो। उससे जो उपले जलाये जाते हैं उससे ज्यादा फायदा उसमें होगा। उपले फालतू जलते हैं। खाना बनाते हैं तो बनाकर बाकी उपलों को जलता छोड़ देते हैं तो उससे काफी नुकसान होता है। इस बात को छोटे बड़े मेलों में, कहीं पर एक्जीबिशन लगाकर या मीटिंग करके उनको समझाई जाय और इसके लिए प्रशिक्षित किया जाय तब जाकर यह मामला बैठेगा। पैम्फलेट बांट दिये इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोबर गैस प्लांट पर बहुत जोर दिया जाय।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें और निवेदन करना चाहता हूं। मेरा नंबर बहुत पीछे रह गया था।

श्री मनोहरलाल : और नहीं है क्या आपके बाद ?

श्रीराम रघुनाथ चौधरी : इसके साथ जो कृषकों की दिक्कतें रहती हैं डीजल की, क्रूड की, सीमेंट की और मिट्टी के तेल की वह सारी बातें आप जानते ही हैं। मैं आपको उनकी याद दिलाने के तौर पर नाम गिना रहा हूं। मेरे से ज्यादा मंत्री महोदय जानते हैं। कुछ याद करके इन बारे में कुछ कर सकें तो बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ ही नवयुवक समाज के कृषकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पहले पंचायत समितियों में नवयुवक क्लब बने थे। उनमें एग्रीकलचर के संबध में, भेड़ पालक के संबंध में जानकारी दी जाती थी। कुछ साल तो वह बहुत अच्छे चले लेकिन न जाने क्या सोचकर, या यह सोच कर कि राजस्थान का किसान सभी कुछ समझ गया है उसको बन्द कर दिया गया है, और अब फिर शुरू करने लगे हैं यह समझ कर कि हमने बन्द किये थे तो गलती की थी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि गांवों में नवयुवक क्लब बनाये जायं, और उनमें इस तरह की शिक्षा दी जाय। और इसके साथ-साथ इस प्रशिक्षण कार्य को देने के लिए हमारे मेले होते हैं उनमें शुरू किया जाय। दुर्गापुरा में, उदयपुर युनिवर्सिटी में, जोबनेर में मेले लगते हैं। पशुपालकों के बड़े-बड़े मुख्य मेले इस राजस्थान में हैं और राजस्थान सरकार उनको करती है। उनके साथ पंचायतों के पास में भी ऐसे मेले हैं तो उनमें हर मेले में शिविर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लगना चाहिए। और उन शिविरों में लोगों को जानकारी देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिये, क्योंकि काश्तकार लोग दूरी की वजह से यहां आकर इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसमें आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अन्दर, पंजाब के अन्दर जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे मेले, जिनमें शिविर लगाये जाते हैं और साग-सब्जी-फलों के कीड़ों को मारने की दवाई आदि के बारे में प्रशिक्षण दे देते हैं। लेकिन हमारे यहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारे यहां मेले होते हैं, उनमें छोटे मोटे शिविर लगा कर लोगों को इस प्रकार की जानकारी दी जाय।

इसके साथ एक सुझाव और देना चाहता हूं। हर एक गांव में चार पांच फैमिली चुन लें, जो प्रोग्रेसिव हों। उनको यह कहें कि इस तरह की जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्राप्त करके दूसरे गांव वाले हैं उनको प्रशिक्षणता करें और उसके एवज में उन्हें कुछ सुविधा दी जाय, जो आवश्यक चीजें हैं, वह अधिक नहीं भी दे सकें, तो उन्हें प्राथमिकता के रूप में दी जायं ताकि लोगों में यह अट्रेक्शन हो कि हम भी यह जानकारी प्राप्त करके आयें। इसके साथ मेरा निवेदन है कि हम कई तरह के बीज रोज निकालते हैं, तेल के बीज निकालते हैं लेकिन उनकी जानकारी किसानों को नहीं मिलती है। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि ग्राम सेवक स्टाफ मैन दुकान लगा कर बैठ जाते हैं, एक ही अपने इलाके में वर्षों बैठे रहते हैं क्योंकि उनकी काम करने की इच्छा नहीं होती है। मुश्किल से बरसात में कुछ काम होता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं होता है। इसलिए इस सम्बन्ध में भी कुछ व्यवस्था की जाय। उन्हें कार्य दिया जाय।

थोड़ा निवेदन मुझे तेल वाले बीजों के लिए करना है। तेल के बीज में मूंगफली सरसों, सूरजमुखी, तारामीरा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आलू के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े उपलब्ध प्रति हैक्टर के। इसके अनुसार गेहूं में जो तत्व हैं, उससे अधिक तत्व आलू में है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं में होता है 5 किलो जब कि आलू में होता है 1335 किलो। प्रोटीन गेहूं में 81 और आलू में होता है 139। इसके अलावा किलोरिज गेहूं में होती हैं 2422 आर आर आलू में होती हैं 5664 मेरा निवेदन है कि हम आलू खाते नहीं हैं, हमने खाना शुरू नहीं किया, अभी उसका स्वाद नहीं बैठा है। लेकिन यह बहुत उपयोगी चीज है। हम सोचते हैं कि इसको कई चीजों के सब्सटीट्यूट के हिसाब से उपयोग किया जा सकता है। मेरा निवेदन है इसकी जानकारी करके लोगों को जानकारी दिलायें ताकि आलू ज्यादा पैदा कर सकें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट ? अध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामरघुनाथ : सूरजमुखी के लिए कहना चाहता हूं, यह तीन बार साल में उगाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन 20 पर्सेन्ट, तेल 50 पर्सेन्ट तक निकलता है। इसको पैदा करने से दूसरी फसल पर असर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नहीं पड़ने वाला है। जैसे बाजरे की फसल करते हैं तो बाजरे के बाद में दूसरी फसल नहीं कर सकते। लेकिन सूरजमुखी की फसल उस वक्त कर सकते हैं जब कोई फसल नहीं होने वाली हो। मेरा निवेदन है कि इस ओर आप गौर कीजिये। इसी प्रकार मूंगफली, तारामीरा, सरसों की ओर अधिक ध्यान।

लघु सिंचाई के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कई अधूरी योजनायें हैं जिनसे पैदावार बढ़ सकती हैं, इसलिए आप उनकी ओर ध्यान दें। इसके अलावा लघु सिंचाई की ऐसी योजनायें भी बनी हैं कि आगे कुएं हैं और पीछे योजनायें बन गई. इससे उसका फायदा नहीं हुआ और दूसरे कुओं का पानी सूख गया। मेरा निवेदन है कि पहले आप सर्वे करा लीजिये कि जो लघु सिंचाई योजनायें हैं उनसे कितनी पैदावार बढ़ेगी, कितनी जमीन की सिंचाई बढ़ेगी और वहां ऐसा एरिया तो नहीं हैं, जहां कुए हों और उन पर असर पड़ेगा। मेरे इलाके के गांव लोसड़ा व पाई में 50,60 कुए थे, वहां पर यकायक पानी सूख गया है उससे फायदा नहीं हो रहा है और आगे के कुओं का पानी सूख गया है। इसका कारण सर्वे कर पता लगाया जावे व किसानों की मदद करने का कष्ट करें।

डेगाना में, मैं कृषि मंडी के लिए निवेदन करता हूं। जिले में सबसे अधिक व्यापार करने वाली मन्डी है।

पशु पालन विभाग के लिए मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, नागौर के सम्बन्ध में बताया है कि नागौर ब्रीड अच्छी है। व सभी जानते भी हैं। हमें गर्व है कि इस मुकाबले की ब्रीड हिन्दुस्तान में नहीं है। लेकिन खेद है कि नागौर ब्रीड को अच्छा बनाने के लिए विभाग कुछ नहीं कर रहा है। नागौर में फार्म हैं जिसमें नागौरी सांड हैं, और अच्छी गायें हैं, वहां पर सांड पैदा करके दिये जाते हैं। लेकिन नागौर में उन सांडों को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि वह नस्ल खराब है। फार्म पर जो सांड उपलब्ध होते हैं उससे अच्छे तो किसानों के पास में उपलब्ध हैं। अगर आपको सांड देने हैं और उनका वितरण करके नस्ल सुधारनी हैं तो आप किसानों से खरीद लीजिये। आप इस फार्म को बन्द कर दीजिये, इस पर हजारों रुपये खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहें तो यहां से विशेषज्ञ को भेज कर दिखवा लीजिये। आपके सांड लेने को तैयार नहीं हैं। तथा वो निम्न स्तर के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रामरघुनाथ : मैं पोइन्ट सुना दूं।

इसके साथ ही पशु पालन विभाग से जो 3 पेज की रिपोर्ट मिली है, इसमें जो कृत्रिम गर्भाधान किया है, का विवरण नहीं उसमें होल्स्ट्रीन, जर्सी और रेडनं का नाम नहीं हैं। न मालूम डिपार्टमेंट ने यह सांड वापिस भेज दिये हैं, कितने सांड हैं, क्या करते हैं यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। क्या यह पता लगाया है विभाग ने कि कितने पास हुए हैं और उनमें से कितने फेल्योर हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि

(श्री रामरघुनाथ)

डिपार्टमेंट इसके मुतल्लिक सतर्क नहीं है। उनको पता तक नहीं कि कौनसी जर्सी है, कौनसी होल्स्ट्रीन है और कौनसी रेडर्न है, क्रास कराई जावे वह गाय को किसी से क्रास करा देते हैं, फिर फेल्योर होता है तो कहते हैं कि हिसाब किताब बैठा नहीं। फिर दूसरे से कराते हैं। फिर फेल्योर होता है तो तीसरे से कराते हैं। इससे लोगों की यह धारणा बनती जा रही हैं कि कृत्रिम गर्भाधान सफल नहीं होने वाला है। इस लिए आप साइंटिफिक तरीके से करें (समय समाप्ति-सूचक घंटी)

भेड़ और ऊन के मुतल्लिक यह कहना था, राजस्थान में कुल जितनी भेड़ हैं, उनमें से 13 लाख भेड़ नागौर में है। यहां पर सारे जिलों से सबसे ज्यादा भेड़ है। वहां से भेड़ बाहर चरने जाती हैं तो क्योंकि कोई चरागाह उपलब्ध नहीं है, उनके लिए चरागाह का प्रबन्ध नहीं कर सके हैं, इसलिए वह बाहर जाती हैं वहां मारपीट होती है। हम निवेदन करने आते हैं कि झगड़ा हो गया। राजस्थान के बाहर जाय, अकाल के टाइम पर तो भी चारे की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आपके फारेस्ट में चराने की व्यवस्था है, उसमें तीन चार रुपये वसूल कर लेते हैं। इसलिए आप इसकी रूपरेखा इस तरह बनायें कि भेड़ पालकों को सीधा लाभ हो मैंने मन्त्री जी से बात की थी तब आपने कहा था कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में कोई प्रबन्ध हो तो कृपा होगी।

भेड़ों पर जो ऋण देने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था अजमेर-भीलवाड़ा में चल रही है। यह अच्छी बात है। लेकिन उसमें हमारा नम्बर नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जिले में भेड़ पालक नहीं है, या उनकी आवाज नहीं है या भेड़ नहीं है। यह बुरी बात है। अगर आप भेड़ पालकों को ऋण देना चाहते हैं तो केवल दो तीन जिलों को लेकर चलना अनुचित बात है। जहां पर भेड़ ज्यादा है उसको ऋण के लिए लीजिये या फिर सभी को लीजिये। आप ऋण के मामले दो डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलते हैं, इससे संतोष होने वाला नहीं है। राज्य के अन्दर हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहां भेड़ की बहुतायत है, पाली में 7 लाख हैं, जोधपुर में छः लाख हैं और नागौर में 13 लाख भेड़ हैं। इस जिले को भुला दिया, जैसे यहां पर भेड़ नहीं, भेड़ पालक नहीं है।

मुझे कहनी तो बहुत बात थी लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल चन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है पशु डिस्पेन्सरी कठूमर जिला अलवर को पशु चिकित्सालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, काफी माननीय सदस्यों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं, जिनसे माननीय कृषि मंत्री जी पर काफी वजन पड़ा हैं। मैं अपनी तरफ से ऐसा वजन नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन एक मिनिट में यह बात कहना चाहता हूं, मैं 1957 में यहां आया, 5 साल खेरवाड़ा के निकाल दूं तो मुझे 13 साल हो गये, लेकिन एक मांग

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

मैंने रखी जिसको पिछले माननीय वित्त मंत्री मन्जूर नहीं कर पाये हैं। अब तो वर्तमान कृषि मंत्री से उम्मीद है, मेरी यह तुच्छ मांग है, इसको जरूर मान लें। पिछली साल भी मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा था। आपको पत्र भी लिखा था और माथुर साहब का जवाब मिला कि आगामी साल विचार किया जायगा। आपने विचार तो किया ही होगा, अब उस पर कार्यवाही हो जाय। मेरी छोटी सी मांग है, पशु डिस्पेन्सरी कठूमर को पशु चिकित्सालय बनाया जाना चाहिये। मेरे ख्याल में आप इसको जरूर मान लेंगे। ज्यादा न कह कर मेरा यही निवेदन करना है कि आप यह काम कर दीजिये, वैसे तो मैं सुरक्षित स्थान से चुनकर आता हूं वहां पर कुछ विशेष काम होने चाहिये—ऐसी मेरी मान्यता है लेकिन सरकार की कठिनाइयां हो सकती हैं, उसको मैं मानता हूं। पर यह बहुत बड़ी मांग नहीं है, बहुत व्यावहारिक है, किसानों के भले की है। मेरा ख्याल है कि आज ही उत्तर में यह घोषणा कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की मांग पर और साथियों ने बहुत सुझाव दिये हैं। इस पर मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कृषि विभाग रात दिन अच्छे बीज देने की घोषणा करता है, सारे दिन भर कृषि विभाग यह कहता है और ढिंढोरा पीटता है कि अच्छे बीज देंगे लेकिन आप यह जो कृषि फार्म के बीज दे रहे हैं, इस कृषि फार्म के बीज लेकर तो हम निहाल हो गये और यह हमें निहाल कर देगा। क्या यह फार्म बता सकता है कि इस बीज से कितना फायदा है या नुकसान है। कृषि विभाग के द्वारा यह योजना का परिणाम देखा जाय। यह बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है कि इस मांग पर और इस योजना पर गम्भीरता से सोचना है। मैं मोटे दिमाग वाला आदमी हूं। मेरा तो नम्र निवेदन है कि जितना बजट रखा जाता है, यह फालतू का बजट है, करोड़ों रुपये बेकार जाते हैं। इस रुपयों से नदी नालों का पानी ही रुकवा दिया जाय तो पानी की व्यवस्था हो जाय।

मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह में म्यूनिसिपेलिटी मौजूद है, क्लास की, जनसंख्या भी काफी है तहसील में लेकिन चालीस मील, साठ मील में बहुत से गांव हैं लेकिन कृषि मंडी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि तहसील हैड क्वार्टर है, थाना है, म्यूनिसिपेलिटी है; पंचायत समिति है और रेल्वे स्टेशन है, यह सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर कृषि मंडी नहीं है। आपने जितना बजट रखा है, उसमें उसके लिए पैसा नहीं रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता की यह राय है कि हमारे यहां टोडारायसिंह में कृषि मंडी लगानी चाहिए। बस इतना ही निवेदन है।

श्री विरदाराम (बालोतरा) : मेरा निवेदन है कि इस समय अनाज की फसल में कुछ कमी हुई है, कुछ हवा बांधने से और रोग पड़ने से अनाज की सारी फसल में कमी हुई है। मालूम नहीं कि सही रिपोर्ट आपके पास आई है या नहीं। जालोर में 30-40 परसेन्ट अनाज की फसल में नुकसान है। एक तो हवा, दूसरे पानी की कमी,

(श्री बिरदाराम)

बिजली का अभाव, कुओं में पानी भी कम पड़ा, इन सब के कारण फसल को नुकसान हुआ है। किसानों को सब चीज महंगी मिलती है—खाद, बीज और बिजली भी। ये चीजें इतनी महंगी खरीद कर किसान फसल बोता है और उसके बाद आप उससे लेवी लेते हैं तो काश्तकारों को महंगी पड़ती है। लेवी का दाम 150) रु० से कम न हो, नहीं तो काश्तकारों को घाटा होगा। खाद तो बहुत पड़ी है लेकिन समय पर नहीं मिलती। मशीन जमाने के लिए सीमेंट नहीं मिलती है। इसलिए काश्तकार वैसे ही लेट हो जाता है। हर चीज समय पर मिलनी चाहिए। जब बीज बोने का समय आता है तो हर व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। नहीं तो काश्तकार नुकसान में आ जाता है। समय पर न मिलने से काश्तकार को बहुत नुकसान होता है। काश्तकार के लिए बीज डालना ही मुश्किल होता है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें आपकी आ गई।

श्री बिरदाराम : हमारे जिले जालोर में अच्छी नस्ल की मवेशी भी हैं, भैंसे अच्छी होती हैं, बकरियां है। लर्डी बकरियों के लिए स्थान तो होना चाहिए। चरागाह है उन पर नाजायज कब्जा हो जाता है। तो लर्डियों के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर लाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार की कृषि नीति का सवाल है, जब भारत सरकार की ही कृषि नीति कोई नहीं है, तो राजस्थान की क्या कृषि नीति होगी? उसका मुख्य कारण यह है कि हिन्दुस्तान का काश्तकार संगठित नहीं है, विभाजित है और उनके जो नेता हैं काश्तकारों के, वे ज्यादातर बिके हुए हैं। इसलिए काश्तकार की बात तो करते हैं, वोट तो ले लेते हैं लेकिन काश्तकार के हित में क्या हो सकता है, यह नेता भी नहीं चाहते और कर भी नहीं पाते...

श्री भीमसेन : उपाध्यक्षजी, मांगें पास होने तक समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाएं ?

(स्वीकृत)

मांग के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री मनोहरलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक हिन्दुस्तान का काश्तकार संगठित नहीं होगा और संगठित होने के लिए जरूरी है कि उनका इन्टरेस्ट एकसा हो और वह नहीं हो सकता जब तक इस तरह की सरकारें हों जो हर साल अपनी कृषि नीतियां बदलें, उनके राजस्व अधिनियम बदलें, सीलिंग के झगड़े हों, कृषि पर प्रेशर बराबर बढ़ता रहे भूमिहीनों से लड़ते रहें और उसका नतीजा यह हुआ कि काश्तकार संगठित नहीं हुआ। वह हड़ताल नहीं कर सकता। केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने कही है कि आपका कृषि विभाग, राजस्व विभाग और विद्युत विभाग में कोई समन्वय नहीं है। क्या कृषि मंत्री बता सकते हैं कि 16 बीघा

(श्री मनोहरलाल)

जमीन वाला काश्तकार अपनी खेती में ट्यूबवेल, बिजली ले क्या वह 1920) रु० मिनीमम चार्जेज विद्युत मंडल को देगा उसके बाद खेत में कुछ पैदा हो सकता है? लेकिन मेरे खयाल से इस संबंध में या तो मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है और अगर है तो इस पर उन्होने विचार नहीं किया। पहले 420) रु० मिनिमम चार्जेज थे, अब 1920) रु० कर दिए गए हैं। खासतौर से मैं अलवर, भरतपुर की बात करता हूं, वहां 15 बीघा जमीन वाला काश्तकार है, वहां लोगों के पास छोटी होल्डिंग्स है। उधर राजस्थान के दूसरे हिस्से में आप 5,000) रु० मिनिमम चार्जेज कर दें तो वे बड़ी होल्डिंग्स वाले है, बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारे हिस्से का काश्तकार नहीं कर सकता।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आज से 5-6 साल पहले आपने कृषि उपज मंडी के मजदूरों की, पल्लेदारों की जो रेट थी, वह कायम की। आप मानते है कि पिछले 6 साल में महंगाई बढ़ी है लेकिन मजदूरों की मजदूरी कृषि उपज मंडियों में वही है जो 5 साल पहले थी, उनकी पीठ छिल जाए लेकिन सरकार ने अधिकार नहीं दिया उनको रेट बढ़ाने का और कानून मजदूरों को लड़ने का, मजदूरी बढ़ाने की ताकत देता, लेकिन आपकी मंडियों ने उनकी ताकत निकाल दी। पहले वे व्यापारियों से लड़कर मजदूरी बढ़ाते थे लेकिन आपने जब मजदूरों की नसबंदी कर दी है, आपने पल्लेदारो को गुलाम बना दिया हैं। पल्लेदारों का प्रतिनिधित्व किसी भी कृषि उपज मंडी में नहीं हैं। आढतियों के भी हैं, काश्तकारों के भी हैं। आढतियों के प्रतिनिधियों की क्या जरूरत है? जब एक रुपया सैकड़ा खरीदार से लेते हैं तो व्यापारी का प्रतिनिधि क्यों होता है? 5 साल पुरानी रेट पर पल्लेदारों की पीठ घिसती है, भूख मरते है, लेकिन कृषि उपज मंडियां उनकी ओर ध्यान नहीं देती हैं।

भरतपुर, अलवर व सवाई माधोपुर से राज्य सरकार यह कहती है कि अच्छी पैदावार होती है और कृषि प्रधान इलाका है। आपने पशु चिकित्सा के संबंध में जो कालेज खोल रखा है बीकानेर में, अच्छी बात है, उदयपुर में विश्वविद्यालय है, अच्छी बात है लेकिन एक भी कालेज अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के बीच में, जो आपस में मिलते हैं, नहीं है। हायर सेकेन्डरी स्कूल में कृषि विषय है लेकिन वहां कबूतर बोल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तीनों जिले जहां पर मिलते हैं वहां पर बीच में एक जगह पर आपको कृषि कालेज खोलनी चाहिए। एक बात मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे भरतपुर जिले में कुम्हेर पंचायत समिति में बहुत ही खाद के मामले में घोटाले हुए है। वहां पर कुम्हेर के विकास अधिकारी श्री शिव प्रसाद गोयल ने खाद का एक ही दिन में अनेक कर दिया और जिसकी राज्य सरकार को शिकायत भी की गयी और पेम्फलेट भी छपे लेकिन उस भ्रष्ट शिवप्रसाद गोयल के खिलाफ में न तो राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की और न ही भ्रष्टाचार विभाग ने ही कोई कार्यवाही की। उपाध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ में गम्भीर रूप से स्पष्ट आरोप है मेरे पास भी उसके सबूत मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय उस

(श्री मनोहरलाल)

विकास अधिकारी ने पांच हजार रुपया एक ही दिन में खाद के ब्लेक में कमाया था। उसने कुम्हेर पंचायत समिति की खाद को हरियाणा और पंजाब के काश्तकारों को बेच दिया ब्लेक में। विकास अधिकारी ने किस किसको वह खाद बेची उसके नाम तक लोगों ने राज्य सरकार को व भ्रष्टाचार विभाग को भेजा पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

अन्त में एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय हमारे भरतपुर जिले में पशुओं के चारे की कोई समस्या विशेष नहीं है। लेकिन इस साल उपाध्यक्ष महोदय हमारे भरतपुर जिले में वर्षा नहीं होने के कारण वहां के पशुओं के लिए पानी की बहुत भारी कमी हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा पहले हमारे यहां पर एक गुड़गावां कैनाल की स्वाकृति हुई थी। जिसके लिए राज्य सरकार ने तीन करोड़ दस लाख रुपये सैंक्शन किये थे लेकिन वह नहर पूरी नहीं हो सकी है। अगर उसको पूरी करा दी जाय तो हमारे यहां के पशुओं को और खेती के लिए पानी मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा में तो वह नहर पूरी हो गयी है लेकिन हमारे इधर पूरी नहीं हुई है। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे मवेशी प्यासे मर रहे हैं और हमारे अधिकारी बैठे बैठे देख रहे हैं।, आज कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा अगर हमारे यहां के अधिकारी इस गुड़गावां नहर को पूरी करें तो कुछ पीने का पानी पोखरों और तालाबों से मिल जाता और हमारे यहां सिंचाई के साधन भी बढ़ जाते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सिंचाई के बारे में अभी नहीं बोलें सिंचाई की मांग के दिन बोलें। आज आप कृषि की मांग पर ही सीमित रहे।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा नहर को पूरी की जाय। इसके अलावा पल्लेदारों को कृषि उपज मन्डी में प्रतिनिधित्व दिया जाय। इसके अलावा अन्त में एक बात यह कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि आपने आज आज तक सत्र के पहले और बीच में यह नहीं बताया कि किसान से लेवी कब वसूल की जायेगी और कितनी मात्रा में की जावेगी। अब सत्र समाप्त होने वाला है लेकिन आपने लेवी के बारे में कोई घोषित नीति नहीं की है। इसलिये मैं आपसे स्पष्ट रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये अपनी नीति स्पष्ट घोषित करें कि आप काश्तकार से कब लेवी लेने वाले हैं अगर आपने यह घोषणा नहीं की तो मैं आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दे देना चाहता हूं कि हम आपका घेराव करेंगे और आपसे जबरदस्ती घोषणा करवायेंगे। यह आप सोच लें हम कभी भी आज या कल में आपका घेराव करके जबरदस्ती कहलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय कृषि, पशुपालन, और

(श्री शिवचरण माथुर)

डेयरी की मांगों के सम्बन्ध में इस सदन में आज चर्चा हुई है। और करीब 29 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं बहुत ही थोड़े और स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने अपने उपयोगी सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये। मैं उन बहुमूल्य सुझावों के लिए माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर ज्यादातर अपनी क्षेत्र की समस्याओं के लिए जिक्र करना चाहता हूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान खेती में क्या विकास हुए पशु पालन में क्या विकास हुए उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें, मैं आंकड़ों के पचड़े में न पड़ कर दूसरी बातें निवेदन करना चाहूंगा। आंकड़े तो माननीय सदस्यों के पास हर विभाग की प्रगति विवरण में पहुंच गये थे और उसी के आधार पर माननीय सदस्यों ने सदन में आंकड़े प्रस्तुत किये थे। और ज्यादातर अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा भी कई माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे और उठाये थे उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर एक बात भी कही गयी है कि राजस्थान में इतने रुपये कृषि विकास कार्यक्रमों पर खर्च होने के बावजूद भी हम यहां ऐसी स्थितियां नहीं पैदा कर सके हैं कि जिससे जो यहां फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन हो रहा है ड्राट कन्डीशनस के कारण। कम से कम हमें यहां पर ऐसी स्थितियां तो पैदा करनी चाहिये कि भयंकर अकाल के समय तो हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा कि जब से हमारी राज्य सरकार ने योजनाबद्ध कार्यक्रमों को हाथ में लिया है तब से मैं यह निश्चिततौर से कह सकता हूं कि हमारे यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा है और हमारे यहां पर जो अकाल पड़ता है तो उस समय हम हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही सकते हैं। इन योजनाबद्ध कार्यक्रमों के राजस्थान में चालू होने से हमारे यहां पर कृषि का विकास हुआ, बिजली का विस्तार हुआ है और हाईईल्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स और दूसरे इनपुट्स और नयी नयी टैक्निक्स का प्रसार हमारे यहां प्रोडक्शन में हुआ है जिसके कारण हम राजस्थान में प्रोडक्शन बढाने में सफल हुए है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में जब हम हमारी राजस्थान कैनाल, चम्बल योजना, माही प्रोजेक्ट व जाखम के इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स जब पूरे कर लेंगे और जब इनसे सिंचाई होगी तो हम ऐसी स्थिति में आ जायेंगे कि आज जहां पर अकाल की चपेट में आने से कुछ भी पैदा नहीं होता है उनके लिये हम अकाल से मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान केनाल और चम्बल प्रोजेक्ट पूरे हो जायेंगे तो करीब 18 लाख हैक्टर जमीन हमारे यहां पर इर्रीगेटेड होगी। ऐसा अनुमान है उपाध्यक्ष महोदय कि एक हैक्टर में करीब 3 टन अनाज पैदा होता है तो इस प्रकार करीब 54 लाख टन अनाज हमारे यहां पर पैदा होगा। तो मैं समझता हूं कि न केवल हम हमारे राजस्थान को ही अनाज देने की स्थिति में होंगे बल्कि हम हमारे देश के दूसरे हिस्सों की जनता के लिये भी अनाज देने की स्थिति में होंगी।

(श्री शिवचरण माथुर)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय इम्बेलेन्स की बात भी कही थी। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी यह सिंचाई की योजनायें पूरी हो जायेगी तब हम ऐसी स्थिति में आ जावेंगे कि हम उस वक्त अकाल का तो मुकाबला कर ही सकेंगे पर दूसरी तरफ हम हमारे देश में पंजाब और हरियाणा के बाद में सबसे बड़े अनाज पैदा करने वाले प्रान्त होंगे। हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरे लोगों की मदद करने की स्थिति में आ जायेंगे।

यहां पर उपाध्यक्ष महोदय यह बात भी कही गई है कि एरिया अन्डर क्राप तो बढ़ा है लेकिन ईल्ड पर हैक्टर बढ़ी नहीं है। यह दोनों बातें ही सही है अपनी अपनी जगह पर। यह सही है कि हमारे यहां पर एरिया अन्डर क्राप बढ़ा है इसके अलावा हमारे यहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय हमने हमारे यहां सिंचाई के साधन बढाये हैं, नई टेक्निक्स से खेती शुरू की है, नये इन्पुट्स को काम में लिया है बिजली का विस्तार किया है। हाई ब्रीड सीड को काम में लिया गया है जिससे निश्चित तौर से हमारे यहां प्रोडक्शन बढ़ा है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि 68-69 में क्या हालत थी और बाद में हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। मेरे पास चार साल के आंकड़े हैं। मैं पहले गेहूं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

गेहूं के सम्बन्ध में सन् 1968-69 में हमारे यहां पर 1,113 किलोग्राम पर इल्ड था। वह सन् 1971-72 में बढ़ कर औसतन 1,149 किलोग्राम पर हैक्टर हो गई। इसी तरह सन् 1969-70 से लेकर 72-73 के चार साल में ईल्ड पर हैक्टर करीब 1200 किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार 1973-74 में 1223 किलोग्राम पर हैक्टर हो गया है अब माननीय सदस्य सोचे कि जो सन् 1968-69 में पर हैक्टर ईल्ड 1113 किलोग्राम थी वह बढ़ कर सन् 1973-74 में 1223 किलोग्राम पर हैक्टर गेहूं की हो गयी है।

इसी प्रकार से बार्ले में 1172 से 1221, ग्राउन्ड नट (मूंगफली) में 211 के. जी. से 602 के. जी. और मस्टर्ड में 451 से 581 के. जी. की इन्क्रीज हुई है। यह फीगर्स मैंने माननीय सदस्यों को इसलिये दी है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मन्त्री जी, कृपया आप यह स्पष्ट कर दें कि इन्क्रीज के जो ये आंकड़े आपने दिये हैं ये किसी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म के डिमोन्स्ट्रेशन के हैं या किसी कम्पीटीशन के आंकड़े हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह मैंने रेवेन्यू बोर्ड के आंकड़े आपके सामने रखे हैं जो बहुत ही एन्करेजिंग हैं, रेवेन्यू बोर्ड के जो अलग अलग एस्टीमेट्स होते हैं उसके अन्दर बताये गये हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहां एक तरफ एरिया अन्डर क्राप बहुत ज्यादा बढ़ा है वहां सिंचाई और दूसरे उन्नत साधनों की वजह से पर हैक्टर ईल्ड भी बहुत बढी है, अगर नहीं बढ़ी होती तो 29 लाख टन से 72 लाख टन पैदावार नहीं हो जाती। यह इन्क्रीज एक फिनो-

(श्री शिवचरण माथुर)

मिनल इन्क्रीज है। इसको हमको स्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालत में हम कह सकते हैं कि हमारी कृषि सम्बन्धी जो नीति है उसके आधार पर हमने देश के उत्पादन को बढ़ाने में सफल प्रयत्न किये हैं और इसके जो नतीजे सामने आये हैं, वह हम देख रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है और बहुत ही उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्यों की जो क्रिटिसिज्म है, इससे मैं समझता हूं उनको सन्तोष हो गया होगा और राजस्थान में कृषि के प्रयत्नों को सराहनीय कहा जा सकता है। अब एक बात और अनुसन्धान के बारे में निवेदन करता हूं। यह कहा गया कि अनुसन्धान जो किये जाते हैं और उनके परिणाम दरअसल किसानों तक नहीं पहुंच पाते, किसी हद तक यह स्वीकार करने लायक भी है, इसमें स्वीकार करने में हम संकोच नहीं करना चाहिए। आज तक जो भी अनुसन्धान विश्वविद्यालयों में या अनुसन्धान सेन्टरों पर किये जाते हैं, हम उनके परिणामों को, गांवों में किसानों तक पहुंचाने के लिए जो मशीनरी है उसको अभी इतनी एक्टिव नहीं कर पाये हैं परन्तु इस दिशा में अब प्रयत्न किये जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस ओर भी आशाजनक कार्य किया जायगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो भी अनुसन्धान से फाइन्डिंग्ज निकलें हमारे विश्वविद्यालय फार्म पर दरअसल उनको किसानों के फार्म तक पहुंचाना चाहिए और उनके रिसर्च किसानों के फार्म पर भी होना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो यह बात कही मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल और आर० सी० पी० एरिया में खरीफ की फसल से नई टेक्निकल की बात को, नया प्रयोग करने की बात को भी स्वीकार किया है। चम्बल और आर. सी. पी. के सिलेक्टेड एरिया में 11 पंचायत समितियों में जितने भी ग्राम सेवक हैं उनको विलेज एक्सटेन्शन वर्कर की तरह से काम में लिया जायगा और उनको एक पखवाड़े की ट्रेनिंग दी जायगी और उनको यह बताया जायगा कि उनको, खेतों पर अपने गांवों में जाकर क्या काम करना है और खासतौर से खेती के सम्बन्ध में जो टेक्निक होती है उसके सम्बन्ध में सब प्रकार के पाइन्ट्स उनको बतलाये जाते हैं और एक सब्जेक्ट मेटर स्वीकृति होता है उनके द्वारा पूरा ज्ञान कराया जाता है जिससे रिसर्च का पूरा ताल्लुक होता है। रिसर्च सेन्टर और विश्वविद्यालय का भी इससे पूरा ताल्लुक होता है और ट्रेनिंग खास तौर से इन चीजों की ही नहीं बल्कि एक पर्टीक्यूलर क्राप के लिए भी उनको दी जाती है और उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग के पीरियड में 15 दिन में यह समझाया जाता है कि उनको किस प्रकार से काम करना है, यह ट्रेनिंग दी जाती है और विलेज लेवल वर्कर फिर वहां जाकर उसी प्रकार से काम करते हैं और इस तरह से इसका इम्पलीमेन्टेशन होता है और 15 दिन बाद फिर उनको बुलाकर उनके रिजल्ट्स को स्टडी किया जाता है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल और आर. सी. पी. एरिया में जो प्रयोग हुए हैं उनमें अच्छे परिणाम हमारे सामने आये हैं और सरकार का प्रयत्न है कि इसके निरन्तर दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग किये जायं और इसको बढ़ाया जाय इस प्रकार की योजना सरकार की है।

(श्री शिवचरण माथुर)

अल्टीमेटली राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में इस प्रकार की रिसर्च की ट्रेनिंग देने की योजना है। कोर्डीनेटेड अप्रोच के लिए भी सरकार हमेशा सजग रही है। जो सुझाव इस बारे में माननीय सदस्यों ने दिये हैं वे भी बड़े व्यावहारिक सुझाव हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो विश्वविद्यालय की रिसर्च की फाउन्डिग हैं उनको जब तक किसान समझ नहीं लेंगे तब तक इनका कोई मतलब हासिल नहीं होता है। केवल हमारी प्रयोगशालाओं में रिसर्च कर ली जावे और फील्ड में इसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं होवे तो इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिसर्च की फाइन्डिग्ज को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए उसका इम्पलीमेन्टेशन करने के लिए राजस्थान सरकार सचेष्ट है और बड़े पैमाने पर इस ओर प्रयत्न भी किये जा रहे है। इस नये प्रयोग से हम आशा करते हैं कि राजस्थान दूसरे राज्यों को भी दिशा प्रदान कर सकेगा। मैं यह भी मानता हूं कि रिसर्च और एक्सटेन्शन वर्क में कोर्डीनेशन लाना चाहिए। इसी सन्दर्भ में यह बात भी कही गई कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यूनिवर्सिटी रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च से अलग रखा गया है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को भी एक ऐतिहासिक आधार है। यूनिवर्सिटी के पहले और साथ ही हमारे कृषि विभाग के फार्म थे जिन्होंने कुछ अच्छे और मौलिक किस्म के अनुसन्धान के काम किये हैं और उनका एक स्तर बन गया था और उसको अगर टाला जाता या डिस्टर्ब किया जाता तो जो एक स्टेन्डर्ड बन चुका था उसके बिगड़ने की सम्भावना थी। इसीलिए बहुत ही सम्भलकर चलने की और सोच समझ कर कदम उठाने की बात सामने आती थी। सैद्धान्तिक रूप से मैं यह भी मानता हूं कि युनिवर्सिटीज के पास ही रिसर्च होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परन्तु माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि हमारे फार्म पर जो रिसर्च हुए हैं उनका एक स्टेन्डर्ड अब तक तैयार हुआ है, उसका एक आधार बन गया है और दूसरे प्रदेशों के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक मौलिक काम हुआ है, इसलिए अगर यूनिवर्सिटीज को देना चाहें तो सैद्धान्तिक रूप से तो यह एक अस्वीकार करने वाली बात नहीं है। इसलिए यह चेन्ज ओवर हो जाय इसके बारे में राजस्थान सरकार विचार कर रही है और जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक मूल भावना है देश के स्तर पर उसको स्वीकार किया है, उसको हम भी करने की तैयारी में है। यह बात भी कई माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कि कृषि उत्पादन के बारे में एक कोर्डीनेटेड अप्रोच के अभाव के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसी सन्दर्भ में बोलते हुए कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि बिजली की दिक्कतें हैं, कृषि विभाग कहता है इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है, सिंचाई विभाग कहता हमसे नहीं, और वन विभाग कहता है कि हमारे से सम्बन्धित नहीं है। यह बात सही है कि अलग अलग डिपार्टमेन्ट अलग अलग काम करते हैं परन्तु उनमें एक समन्वय करने की व्यवस्था की जाती है और दिक्कतें आती हैं तो सम्बन्धित विभागों को रेफर भी किया जाता है, परन्तु मैं समझता हूं कि सभी विभागों को एक ही जगह पर रखना संभव नहीं हो सकता है

(श्री शिवचरण माथुर)

फिर भी जहां तक कोर्डीनेशन का सवाल है हम करने के लिये प्रयत्नशील हैं और रहते हैं, लैक आफ कोर्डीनेशन की बात नहीं है। सलेक्टेड वे में कोर्डीनेट करने की बात, मैं आपसे अर्ज करूं कि एक कोर्डीनेटेड अप्रोच का प्रयोग कमान्ड एरिया में शुरु किया गया है हमने कोआपरेटिव विभाग, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को एक ही आथोरिटी के अन्दर में रखकर उनको पावर्स देते हुए सारे काम को चलाने की कोशिश की गई है। यह एक सलेक्टेड तरीके से प्रयोग किया गया है और मैं समझता हूं कि इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो यह जो कोआर्डीनेटेड एप्रोच के अभाव की बात की गई, वह मैं समझता हूं, सही नहीं है। जहां तक हो सकता है, इस प्रकार का एप्रोच एस्टाबिलिश करने की चेष्टा की जाती है। आपने कहा कि बिजली नहीं है, अब यों तो साधनों के सीमित होने के कारण कई बातें नहीं हो सकती। आज हम चाहते हैं कि राजस्थान के सभी किसानों को पानी पहुंचाया जाये, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। जितने हमारे साधन हैं उन्हीं में आगे बढ़ने की कल्पना कर सकते हैं। आपको तो देखना यह चाहिये कि राजस्थान जब बना था उस वक्त क्या था और आज हम क्या हैं और आगे आने वाली योजना के बाद राजस्थान क्या बन जायेगा। इस प्रकार की आप तुलना करेंगे तो वह तो वैज्ञानिक तुलना होगी, वरना आप कहें कि स्वर्ग लाना चाहिये, तो स्वर्ग लाने में समय तो लगेगा ही।

एक बात कही गई कि जितनी भी नई योजनाएं हाथ में ली गई हैं उनमें मार्जीनल फार्मर और स्माल फार्मर को बहुत कम लाभ मिला है। मेरे पास इस बात के बहुत आंकड़े तो नहीं है, लेकिन यह कहना सही नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कुछ जिलों को मार्जीनल और स्माल फार्मर्स को लाभ देने की दृष्टि से सलेक्ट किया गया है, उसमें राजस्थान के पांच जिले हैं। उदयपुर, भरतपुर और अलवर स्माल फार्मर्स के लिये और भीलवाड़ा और अजमेर मार्जीनल फार्मस् के लिये, उनको समय बद्ध तरीके से विकास करने के लिये चुने गये हैं और हमने इन जिलों में स्माल फार्मस् और मार्जीनल फार्मस् को आइडिन्टीफाइ किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दौरान हमने करीब करीब ढाई लाख फार्मस् को आइडिन्टीफाइ किया है, उनको ऋण देने की दृष्टि से, और उनके अन्य तरीकों से विकास करने की दृष्टि से। एक रिपोर्ट मेरे पास है Agricultural Credit Institutions in Rajasthan, जिसमें से कुछ उद्धरण मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान में जिन किसानों को लाभ मिला है, चाहे वह ट्राइबल एरियाज में हों, चाहे आम तौर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो, उसमें इन क्रेडिट इन्सटीट्यूशन्स का फायदा मार्जीनल और स्माल फार्मर्स को ही मिला है। अब कुछ जिले ऐसे हैं, जैसे जैसलमेर, जहां पर एवरेज के हिसाब से तो आप फार्मर को बड़ा लैंड होल्डर कह सकते हैं लेकिन उस डेजर्ट के इलाके में एक एकड़ की कोई मायने नहीं होती। इस सन्दर्भ में भी आपको इस बात को देखना होगा। यह उद्धरण इस प्रकार है:

"In the tribal areas, 57% of the cultivator borrowers have holdings below 5 acres; 32%

(श्री शिवचरण माथुर)

have holdings between five and ten acres and only 4% were big farmers with holdings above ten acres."

तो दस एकड़ से ऊपर के जितने भी फार्मर्स थे वह करीब 11 प्रतिशत थे, यह तो ट्राइबल एरियाज की बात है। और नार्मल एरियाज के बारे में वह क्या कहते हैं:—

"In the normal area, 40% of the cultivator borrowers had holding above ten acre, 33% were medium farmers with holdings between five and ten acres and 27% had holdings below five acres."

इसमें सेमी एरिड जोन का प्रतिशत डिस्टर्ब हो जाता है। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज में अगर आप एरिया के हिसाब से देखें तो परसेन्टेज और एकरेज ज्यादा आता है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि डेजर्ट एरियाज में दस एकड़ का होल्डिंग कोई मायना नहीं रखता। भारत सरकार से भी हमने निवेदन किया कि राजस्थान के सन्दर्भ में स्माल और मार्जीकल फार्मर का डेफीनेशन बदलना चाहिये, वरना राजस्थान की बहुत बड़ी एरिया के किसान इस फायदे से वंचित रह जायेंगे। इस पर भारत सरकार विचार भी कर रही है। इसलिये सूरतगढ़ से आने वाले और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी जो यह बात कही कि स्मालं और मार्जीनल फार्मर्स को फायदा नहीं मिला है, यह वास्तविकता से परे है, और इन सारी योजनाओं का फायदा मार्जीनल और स्माल फार्मर्स को मिला है।

यहां पर बीज के बारे में भी कहा गया कि आमतौर से जितना बीज किसानों को मिलना चाहिये उतना उपलब्ध नहीं हो पाता। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी बीज मिलने के सोर्सेज हैं जैसे नेशनल सीड्स कारपोरेशन, या सूरतगढ़ फार्म, उनसे हमने ज्यादा से ज्यादा बीज लेने की कोशिश की और इसके अलावा हमने यह भी कोशिश की कि हाई यील्डिंग वैराइटीज के अन्तर्गत जितनी भी ज्यादा एरिया कवर हो सके वह की जाये। यह हो सकता है कि फसल खराब हो जाने के कारण हमारे फार्मर्स के बीज भी खराब हो गए, इसलिए कुछ शार्ट-फाल जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे प्रयत्न यही रहे कि हाई यील्डिंग सीड्स अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जा सके और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले वर्ष हमने इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर हाथ में लिया है। 55 हजार क्विण्टल हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स गेहूं के राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। बाजार से और नेशनल सीड्स कारपोरेशन से जो सीड्स आते हैं, वह तो अलग से हैं, लेकिन राजस्थान में जो हमारी फार्म्स हैं या रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स हैं, उनके मारफत हम चेष्टा करेंगे कि वह काफी बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम हाथ में लें। और मैं समझता हूं कि इस साल जो हाई यील्डिंग वैराइटीज के अन्तर्गत टोटल एरिया 6 प्रतिशत है वह आने वाले सालों में बढ़कर 20 प्रतिशत हो जायेगी। तो शनैः शनैः हम इस दिशा में भी प्रगति करेंगे।

(श्री शिवचरण माथुर)

फर्टीलाइजर्स के बारे में भी कहा गया कि फर्टीलाइजर्स वक्त पर नहीं मिलते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर्स उपलब्ध कराने के लिये हम पूरी तरह से प्रयत्नशील रहते हैं। इस बार भी हमारे प्रयत्नों की वजह से भारत सरकार ने राजस्थान के लिए अलग से अलाटमेंट करके जनवरी के माह में खासतौर से गंगानगर और कुछ इलाकों के लिए, जहां फर्टीलाइजर्स काफी मात्रा में काम आते हैं, वहां पर स्पेशल ट्रेन्स और स्पेशल रेक्स फर्टीलाइजर्स के भेजे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी कुछ दिक्कतों की वजह से शार्टफाल रहता है तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिये हमने यह निर्णय लिया है कि जिन एरियाज में ज्यादा खपत होती है, उन इलाकों के लिये जैसे कि गंगानगर है, हम फर्टीलाइजर्स का एडवान्स में स्टाक रखेंगे ताकि फसल के मौके पर किसान को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और फर्टीलाइजर की कमी के कारण फसल को नुकसान हो, यह बात नहीं होने पाये। इसलिये फर्टीलाइजर के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है और इसमें कोई चिन्ता करने का कारण नहीं है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि आज वहां फर्टीलाइजर काफी है और आगे आने वाले फसल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसी प्रकार दूसरे जिलों के लिए भी हम फर्टीलाइजर्स उपलब्ध करना चाहते हैं। तो फर्टीलाइजर्स के बारे में कोई चिन्ता करने की बात नहीं है।

यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डेजर्ट एरिया और सेमी डेजर्ट एरिया की बात की, और जहां तक मैं समझ पाया हूं, उनकी मान्यता यह थी कि पानी की हर बून्द का उपयोग किया जाना चाहिये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस समस्या को डाक्टर स्वामीनाथन, जो इसके एक्सपर्ट हैं, को रेफर किया तो उन्होंने बताया कि रैगिस्तान इलाके में कुछ ऐसे तरीके निकाले जा सकते हैं जिनके जरिये पानी का सही उपयोग किया जा सके। राजस्थान में पहली वर्षा हो जाती है और दूसरी वर्षा अगर डेढ़ महीने के बाद होती है तो दूसरी वर्षा के अभाव में फसल नष्ट हो जाती है। जो सुझाव उन्होंने दिया, मुझे व्यवहारिक लगा और हम उसको लागू करना चाहते हैं। बाजरे के इलाके में भी पहली वर्षा के आने के वक्त यदि सीधा बीज न लगाने के बजाय नर्सरी के रूप में लगा दें और पानी के थोड़े थोड़े सोर्सेज हों और जब दूसरी वर्षा आये तो उन्हें दुबारा रोप दिया जाय जैसे चावल में करते हैं। साथ साथ यह कहा गया स्प्रिंकलिंग मैथड काम में ले सकते हैं। पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी जाय तो मैं समझता हूं बहुत उपयोगी बात होगी।

मैं समझता हूं राजस्थान में उन इलाकों में जहां सूखी खेती की जाती है और आप जानते हैं राजस्थान में सूखी खेती का बहुत इलाका है और सही धरातल पर लाने की स्थिति में उन तरीकों को काम में लेना पड़ेगा और बारानी जमीन में किस प्रकार खेती हो सके उसमें हम सचेष्ट हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बूंद बूंद वाला तरीका हो तो मैं समझता हूं राज-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

स्थान केनाल ही सारे राजस्थान के लिये काफी होगी।

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज के बारे में चर्चा की गई और खासकर एक समस्या आई कि इस कारपोरेशन ने ट्रैक्टर इम्पोर्ट किये थे वे अब बन्द हो गये और स्पेयर पार्ट्स भी मिलना बन्द हो गये हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं स्पेयर पार्ट्स आज भी अवेलेबिल है। मूल दिक्कत उनके टायरों की है और उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने इम्पोर्ट करने के लिए मांग की थी और अगली जून तक कुछ टायर यहां आ जायेंगे तो जो दिक्कत है वह भी मिट जायगी।

यहां पर यह कहा गया सीमेन्ट वक्त पर नहीं मिलती है। मैं प्रश्नोत्तर काल में भी निवेदन कर चुका हूं ये बातें दूसरे फेक्टर पर निर्भर करती है, जैसे उपलब्धि होती है उसके अनुसार देने की कोशिश की जाती है। किसान को वक्त पर सीमेन्ट दिया जाय, हमने यह निर्णय किया है। किसान को राजस्थान का जितना सीमेन्ट उपलब्ध होता है उसका 65 पर्सेन्ट मिलना चाहिये लेकिन वह नहीं मिल सका। यह हमारी नीति है कि किसान को 65 पर्सेन्ट दिया जाय और जब दिया जाय जब किसान को इसकी आवश्यकता हो और आफ सीजन में देने की बात है ताकि किसान अपने खेत पर कुयें बना सके या और कुछ काम कर सके।

इसी संदर्भ में किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा जो सीमेन्ट की घोषणा की थी कि 20 थैले एक राशन कार्ड पर मिल रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हरएक आदमी को राशन कार्ड पर 20 थैले मिल जायेंगे कोई चीनी तो है नहीं जो राशन कार्ड दिखाया और मिल गई। मैंने यह कहा था आवश्यकतानुसार एक क्वार्टर में एक आदमी को राशन कार्ड पर 20 थैले और वह भी अवेलेबिलिटि के आधार पर मिल जायगी। इसका मतलब उन्होंने यह समझ लिया कि हरएक आदमी का 20 थैले राशन कार्ड पर मिलेंगे। मैं समझता हूं अगर यह बात हो तो जो राजस्थान का अलाटमेंट है वह भी खतम होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सीमेन्ट की अवेलेबिलिटि करने के लिये और उसका गलत उपयोग न हो इसलिये कि एन्ट्री जरूरी है एक क्वार्टर में अपनी आवश्यकता के लिये 20 थैले ले सकता है और ज्यादा आवश्यकता है तो उसके कारण बताते हुये परमिट लेना चाहिये। उसको गलत समझ लिया गया है और यहां यह समझ लिया गया कि जयपुर शहर में एक राशन पर 20 थैले मिलेंगे, यह नहीं है। आवश्यकतानुसार 20 थैले वाली बात कही गई थी और आज भी हम उसके लिये तैयार हैं।

अब मैं पशु पालन के सम्बन्ध में•••

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है डिबेट में, मैं पार्टीसिपेट नहीं कर सका जो इम्पलीमेन्ट्स है मैनुअली हो चाहे केटिल ड्राइव के हो, आप मानेंगे राजस्थान पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ी सी घोषणा फरमा दें।

श्री शिवचरण माथुर : इम्पलीमेन्ट्स के बारे में जहां दूसरे प्रदेशों में काम हुआ है अपने यहां कम हुआ है लेकिन इम्पलीमेन्ट्स नहीं मिलते हैं, यह बात नहीं है । राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज अपने इम्पलीमेन्ट्स बनाता है । ट्रैक्टर लेते समय इम्पलीमेन्ट्स खरीद सकते हैं—ट्रैक्टर वाले आवश्यक इम्पलीमेन्ट्स खरीद सकते हैं....

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : मैं मैनुअल (साथ बोलने से अश्रव्य).... की बात कहता हूं ।

श्री शिवचरण माथुर : हाथ से काम में आने वाले जो औजार हैं वह बोर्ड करता था अब यह एग्रो इन्डस्ट्रीज के पास आया है वे बनाते हैं ।

श्री चेतराम : नाम बतायें कौन कौन से हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : पशु पालन के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में चिकित्सालय खोलने की मांग की है । मैं भी इसमें सहानुभूति रखता हूं । मैं भी चाहता हूं पशु चिकित्सालय की सुविधायें बढ़े जैसा नोट में कहा गया है राजस्थान में 520 चिकित्सालय होने चाहियें और आज कुल राजस्थान में चिकित्सालय हैं 300 तो बढ़ाने की निश्चित आवश्यकता है लेकिन सारी बातें निर्भर करती है साधनों पर । आज हमारे राजस्थान में डेयरी विकास का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया है और उसमें केवल दूध को इकट्ठा करना नहीं है और भी उसके साथ के कई काम हैं चिकित्सा सुविधायें भी जो डेयरी का केचमेंट ऐरिया है उसमें बड़े पैमाने पर पहुंचाना चाहते हैं । मैं चाहता हूं डेयरी का केचमेंट एरिया है उसमें इस फन्ड्स में से कितना दूसरी जगह दे सकते हैं इसकी सम्भावना पर विचार किया जा रहा है । इसको देखकर जितना आज बजट में प्रोविजन है, मैं कोशिश यह करूंगा अलग अलग क्षेत्र में कुछ चिकित्सा सुविधा बढ़ सकें । बजट के प्रोविजन्स को एडजस्टमेंट करके देखेंगे, ऐसा न हो कहीं रुपया बिलकुल ही नहीं मिले । इस तरह इन सारी योजनाओं के विकास करने का सोचा जा रहा है । जो आज प्लान में प्रोविजन है उसको भी अगले साल बढाने की ...

श्री गोकुल लाल असावा : एक निर्वाचन क्षेत्र में एक होना चाहिये ...

श्री शिवचरण माथुर : बहुत वजनदार बात कही है, निश्चितरूप से विचार करूंगा । हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा डेयरी विकास का काम कॉ-आपरेटिव से कैसे चलेगा तो मेरा निवेदन इसमें यह है कि डेयरी का विकास कॉ-आपरेटिव से ही होगा और कॉ-आपरेटिव के आधार पर ही चलेगी । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यदि आप यह देखना चाहते हैं तो आनन्द में चले जायं वहां गवर्नमेंट ऐजेन्सी के बिना बिलकुल सहकारिता के आधार पर डेयरी किस प्रकार चल रही है और उस डेयरी से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का रूप बदल गया है । यह स्पष्ट है कि सहकारिता के आधार पर डेयरी चल सकती है और मेरा तो इतना मानना है कि अगर डेयरी चल सकती है तो वह सहकारिता के आधार पर ही चल सकती है बाकी गवर्नमेंट का काम है, जैसा आप देखते हैं, दिक्कतें आती हैं वह आयेंगी और हम चाहते है कि सहकारिता के आधार पर डेयरी को चलाया जाय और यह पांचों डेयरीज ...

श्री दिनेशराय डांगी : आप फर्स्ट क्लास का पास दिला दीजिए आनन्द चले जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सही है कि सहकारिता सब जगह फेल हुई है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : आनन्द जाने के लिए यहां की एक टीम भेज दें।

श्री शिवचरण माथुर : इस पर सोचा जा सकता है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ही ब्रीड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए यह कहा गया। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मूल कार्यक्रम राजस्थान की जो उत्तम नस्लें हैं और जिनके ऊपर हमें गर्व है और जो हिन्दुस्तान के सबसे अच्छी नस्लों में से नस्ल है जैसे नागौरी है, थारपारकर है, हरियाणा है—यह सारी की सारी अपने आप में बहुत अच्छी नस्लें हैं उनको इम्प्रूव करने का मूल कार्यक्रम है। कृत्रिम गर्भाधान या एक्सोटिक ब्रीड या क्रास ब्रीडिंग के प्रोग्राम से यह न समझा जाये कि हम अपनी नस्लें नहीं सुधार रहे हैं और केवल अन्धे होकर चल रहे हों, ऐसी बात नहीं है। यह एक्सोटिक ब्रीड के आधार पर क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम केवल मिल्क शेड एरिया के आसपास की बात है। जहां दूध बढ़ेगा उतना ही मैं समझता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए जो मिल्क शेड एरिया है उनमें एक्साटिक ब्रीड के आधार पर क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम हाथ में लिया है और 3 पेज का सप्लीमेन्ट्री नोट जो सरकुलेट किया गया है वह इसलिए किया गया है कि यह भ्रांति जो दिमाग में है कि हम अपनी नस्लें खतम कर रहे हैं यह भ्रांति माननीय सदस्यों की दूर हो जाये। यह जो सप्लीमेंट्री नोट सरकुलेट कराया उसके आधार पर यह था। बाकी जो क्रास ब्रीड का काम है वह केवल दूध या यील्ड बढ़ाने की दृष्टि से कर रहे हैं।

झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्या ने कहा कि हमें चिन्ता है कि छोटे किसान या छोटे श्रमिक हैं उनको छाछ कहां से मिलेगी। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि हमारे डेयरी विकास के कार्यक्रम की मूल योजना यह है कि एक पशुपालक के पास जो पशु है उसकी दूध देने की क्षमता बढ़ाई जाये और साथ ही साथ यह भी कोशिश की जाये कि कम से कम अपनी आवश्यकता के बाद जो सरप्लस बचता है वह अच्छी कीमत कमाने के लिए बाजार में बेचा जाय। आजकी स्थिति में भी राजस्थान में 65 लाख लीटर दूध पैदा होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अभी भी 20 लाख लीटर सरप्लस बचता है। आज नेशनल एवरेज के हिसाब से बताऊं कि प्रति व्यक्ति 108 ग्राम का है जबकि हमारे राजस्थान का एवरेज 270 ग्राम का है और वह पूरा करने के बाद में आज किसान के पास दूध सरप्लस बचता है। दिक्कत यह है कि बहुत रिमोट एरियाज में, जयपुर एरिया के आसपास की बात करते हैं तो वह तो ठीक है क्योंकि यहां सारा मार्केट है लेकिन लूनकरणसर के अन्दर और जो रिमोट डेजर्ट एरिया है वहां के पशुपालन की कल्पना कीजिए जहां कोई मार्केट नहीं है। वहां मार्केट क्रियेट करना चाहते हैं और दूध पैदा करने की क्षमता बढ़ाना चाहते

(श्री शिवचरण माथुर)

हूं। मैं समझता हूं कि इसकी योजना ऐसी है कि जिससे पशुपालक की आर्थिक स्थिति ठीक बनेगी। इसलिए छाछ की चिन्ता छोड़ देनी चाहिए। वह इतना अधिक दूध पैदा करेंगे कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और बाद में बचे हुए दूध को डेयरी योजना को देंगे। इसलिए उनका यह चिन्ता निराधार है और उनको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

एक बात यहां पर फाडर डवलपमेन्ट के बारे में कहा गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पशुपालन के साथ में बड़े पैमाने पर फाडर डवलपमेंट का काम हाथ में लेना चाहिए। अगर डा. पी. ए. पी. की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने देखी होगी और मैं माननीय सदस्यों को रिपोर्ट भिजवाई है जिलाधीशों के मारफत, आपके पास पहुंची है या नहीं यह मैं चैक करा लूंगा, उसमें आप देखेंगे कि पशु विकास के काम के साथ में ही फडिर डवलपमेंट का काम भी हाथ में लिया गया है और यह सही बात है कि जब तक हम पशुओं को अच्छी फाडर लैण्ड नहीं देंगे और अच्छा पौष्टिक आहार नहीं देंगे तब तक न दूध बढ़ सकता है, न शक्ति बढ़ सकती है। तो इस कार्यक्रम को भी बहुत गम्भीरता से लेना चाहते हैं और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

ऊंट के बारे में भी कहा गया। ऊंट राजस्थान का जहाज है और उसकी बड़ी सेवायें हैं राजस्थान कैनाल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में। मैं उनकी सेवाओं को आदर के साथ स्वीकार करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ऊंट के विकास के लिए हम बहुत सतर्क हैं। जोड़ बीड़ के बारे में कहा गया। वहां हमारा अपना फार्म है और यह कोशिश की जाती है कि जो अच्छी नसल के बीकानेरी ऊंट हैं उनकी पैदावार बढ़ाई जाये और उनका मल्टीप्लीकेशन किया जाये। यह काम हमने अपने हाथ में ले रखा है। तो उसके लिए हम बेखबर हों ऐसी बात नहीं है। ऊंट के विकास के बारे में हम पूरी तरह सतर्क हैं।

मैं डेयरी प्रोग्राम के बारे में निवेदन कर दूं कि इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया है। बीकानेर में 1 लाख लीटर की केपेसिटी की डेयरी लगाने वाले हैं। लूनकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की चिन्ता है कि वहां के प्लान्ट के कन्सट्रक्शन के बारे में कुछ व्यवधान आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको हम बहुत जल्दी दूर करेंगे और कुछ महीनों की देरी हो सकती है लेकिन उस प्लान को जल्दी शुरू करना चाहते हैं। जोधपुर की डेयरी और उसके आस पास के चिलिंग प्लान्ट कम्पलीशन की स्टेज पर हैं। तो इन सारे प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और राजस्थान के 7 पूर्वी जिले हैं उनमें वर्ल्ड बैंक की मदद से बहुत बड़ी योजना हाथ में ली गयी है 41. 44 करोड़ रुपये के करीब उसमें व्यय होगा और उसके जरिये से 5 बड़ी डेयरी होंगी और एक एक लाख लीटर की केपेसिटी की होंगी और उनको दस सालों में बढ़ाकर 2 लाख की केपेसिटी कर देंगे। तो यह हो जाने के बाद मेरा ख्याल है कि राजस्थान में हरित क्रांति के साथ में हम श्वेत क्रांति लाने में सफल हो सकेंगे। इसमें कोई मुझे शक नहीं है।

यह बात तो मूलरूप से कही। एक बात हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री शिवचरण माथुर)

वे लाल बहादुर शास्त्री बीज के संबंध में कही....

श्री फूलचन्द जैन । वह तो पुरानी बात है छोड़ो साहब ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बड़ा चर्चित विषय है । जवाब दे दीजिए आपका उसमें क्या है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसी विषय पर इसी सदन में 8, 10 माननीय सदस्यों ने एक एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया था और विधान सभा सचिवालय ने मुझे रेफर किया है कि मैं इस बारे में प्रकाश डाल दूं ताकि आपकी जो भ्रांतियां है वह दूर हो जाये । मैं कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री किस्म का जो बीज है वह 1967-68 में चार स्थानों पर डालने के लिए लाया गया और कल्याण सोना से अच्छा प्रोडक्शन गया था । जब इसकी फसल हुई तो इसके मुकाबले में कल्याण सोना तीसरे स्थान पर आया था और लाल बहादुर ट्रिपल जीन की वेराइटी है और 38 क्वि. उसका प्रोडक्शन आया । इसके अलावा लाल बहादुर वेराइटी एक चमकदार, मोटा और बोने किस्म का बीज है । इसमें यह जरूर कहा गया था कि इसमें जो यलो रस्ट है उससे यह बहुत ससप्टेबल है । लेकिन राजस्थान में आम तौर से येलो रस्ट नहीं आती है । इसलिए राजस्थान के एरियाज के लिए क्योंकि इसके प्रोडक्शन की केपेसिटी काफी अच्छी थी इसलिए इसको रिलीज करने के लिए जो कमेटी थी उसने सिफारिश की और उसके बेसिस पर इसको रिलीज किया गया । मैं समझता हूं कि इसके अन्दर ऐसी कोई गलत बात नहीं है । बीज के कारण से किसानों को कोई नुकसान हो गया हो ऐसी बात नहीं है । किसान एडाप्ट करता है और उसको फायदा नहीं होता तो वह उसे अपने आप छोड़ देता है । लेकिन अब भी यह बात चल रही है और वह इसका प्रमाण है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बीमारी तो आदमियों को भी हो जाती है । फसलों को तो होती ही है ।

श्री शिवचरण माथुर : इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिसर्च के बारे में कहना चाहता हूं । रिसर्च का प्रासेस तो कन्टीनुइंग प्रासेस है इसलिए उसमें एक बात हमेशा के लिए लागू हो जाये यह सम्भव नहीं है ।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि मेरा सुझाव यह है कि सदन के माननीय सदस्य कृपा करके जो इसी जयपुर में हमारा दुर्गापुरा फार्म है उसको एक बार देखें और अपने आप तय करें कि वहां पर क्या काम हो रहा है तब आपकी भ्रांतियां दूर होंगी । मैं आपको दावत देता हूं कि इसी असेम्बली सत्र के दौरान एक कार्यक्रम तय कर लेंगे और सम्भव हुआ तो बस्सी का फार्म भी देख लें । बहुत नजदीक है एक बात डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि ऐच बी-1 बाजरे के बीज को क्यों रिजेक्ट किया गया और उस बारे में आपने एक बात बताई । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग ने इस पर प्रयोग किया था और परीक्षण से यह पाया गया कि एच 1-डी को जल्दी

(श्री शिवचरण माथुर)

पकड़ता है, बीमारियां लग जाती हैं और जल्दी कीटाणु लगते हैं इसलिए हमने एच-बी-3 का प्रयोग किया है और दुर्गापुरा फार्म में इन वैराइटीज का प्रयोग करके और एच बी 5 बीज को ट्राई किया गया है और उसको सही पाया गया है और इसलिए उसको रिकमण्ड किया गया है। मैं समझता हूं कि उसके अच्छे परिणाम आए हैं इसलिए एच-डी-1 को छोड़ा गया है।

एक बात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और दिक्कत यह है कि माननीय सदस्य बोल कर चले जाते हैं और हमारा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, यहां पर बैठते नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : आप तो छोड़ो साहब इसको।

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने यहां कहा कि बाड़मेर में भेड़ों का विकास नहीं होता है और भीलवाड़ा में भेड़ों का विकास होता है। शायद उनको पता नहीं है कि भीलवाड़ा में नागौर के बाद दूसरा नम्बर है संख्या में भेड़ों का। और वहां की एक अपना किस्म की वैरायटी है सोनाड़ी किस्म की भेड़ें है उस इलाके में जो ऊन के लिए भी अच्छी हैं और मीट के लिए भी बहुत अच्छी हैं। उनको शायद यह मालूम नहीं है कि डी. पी. ए. पी. के अन्दर जो भेड़ों के लिए कार्यक्रम रखा गया है उसमें बाड़मेर जिले के लिए डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम में जो पैसा बाड़मेर के लिए रखा है उसको अगर वे देखेंगे तो उनको अपने आप मालूम हो जाएगा कि डी. पी. ए. पी. में उनके जिले का कार्यक्रम लिया गया है और कितने पैसे का प्रावधान है। उन्होंने बहुत जोरों से कह दिया कि बाड़मेर को नहीं लिया गया और भीलवाड़ा को लिया गया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया।.......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वो अपनी गलती समझ गए साहब, इसलिए चले गए हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं कि मैंने करीब 2 सभी बातों का जवाब दे दिया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात का जवाब जरूर दे दीजिए माननीय मंत्रीजी। मैंने वाइट ग्रेन और कोमीटेड के बारे में कहा था कि इनके कीटाणु फसलों में लग जाते हैं और यह बहुत बड़ी बीमारी है जो रबी की फसल में गेहूं ले लिया तो खरीफ की फसल में कोई चीज नहीं ले सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या प्रिवेंटिव मेथड अडाप्ट किये हैं और क्यूरेटिव मेथड क्या अडाप्ट करना चाहते हैं इसके बारे में आप बता दीजिए।

श्री रामगोपाल : मेरी बात का जवाब दे दें।

श्री शिवचरण माथुर : वाइट ग्रब के लिए बहुत (Extensive) प्लान है और स्पेशली कुछ प्लान कुछ सलेक्टेड एरियाज में उसको चैक करने के लिए एक बड़ी योजना हाथ में लेने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया है और स्कीम सैंक्शन करने का निवेदन किया है। उसकी स्वीकृति मिलने पर उसके आधार पर कोशिश करेंगे।

Page No 208

(२०८)

(श्री शिवचरण माथुर)

एक बात चूहों के बारे में डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी। चूहों के बारे में यह बात सही है कि जो पिछले दिनों में रेट पोईजन के अभाव में इस कार्यक्रम में दिक्कत आई है और अब हम एक कम्पेन के बेसिस पर रेट्स को खत्म करने की चेष्टा करना चाहते हैं ताकि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इस ओर हम प्रयत्न करेंगे।

श्री रामगोपाल : अफीम की खेती के बारे में बता दें साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री रामगोपाल : मेरे प्रश्न का जवाब दिला दीजिए साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आई शैल नोट अलाऊ।

श्री रामगोपाल : बहुत जरूरी बात है उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि इन मांगों को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान में चूहों की संख्या क्या है यह तो बता दें साहब।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्षजी ? एक बात···

श्री उपाध्यक्ष : He has already replied.

वित्तीय समितियों के नामांकन पत्रों के सम्बन्ध में घोषणा

मुझे सदन को सूचित करना है कि जन लेखा समिति, 1975-76, प्राक्कलन समिति 1975-76 तथा राजकीय उपक्रम समिति 1975-76 के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामजदगी के पर्चे जांच के बाद सही पाये गये हैं:—

जन-लेखा समिति :

(1) श्री प्रद्युम्नसिंह (2) श्री मोहरसिंह (138) (3) श्री रामसिंह कुड़ी (4) श्री गोपालसिंह (5) श्री मोहम्मद गफ्फार अली (6) श्री रतिराम यादव (7) श्री दीपंकर (8) श्री मीठालाल मीणा (9) श्री मूलचन्द सामरिया (10) श्री लक्ष्मीनारायण (11) श्री भानुकुमार शास्त्री (12) श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (13) श्री मोहरसिंह राठौड़ (14) श्री जयकिशनलाल (15) श्रीमती प्रभा मिश्रा (16) श्रीमती मदनकौर (17) श्रीमती कान्ता कथूरिया (18) श्री जयनारायण रोत (19) श्री महेन्द्रकुमार (20) श्री ओंकारलाल चौहान (21) श्री सुरेन्द्रप्रसाद (22) श्री सहदेव शर्मा (23) श्रीमती उषाप्रकाश (24) श्री भीमसेन चौधरी (25) श्री मनोहर कोठारी।

प्राक्कलन समितिः—

(1) श्री मोहनसिंह (138) (2) श्री भोमाराम (3) श्री रतीराम यादव (4) श्री मोहम्मद गफ्फारअली (5) श्री दीपंकर (6) श्री मीठालाल मीणा (7) श्री मूलचन्द सामरिया (8) श्री गोवर्धनसिंह (9) श्री लक्ष्मीनारायण (10) श्री रामजीलाल (11) श्री अजीतसिंह (12) श्री राजेन्द्र

(श्री उपाध्यक्ष)

कुमार भारतीय (13) श्री बेगाराम चौहान (14) श्री जयकिशनलाल (15) श्रीमती गौरी पूनियां (16) श्री पूनमचन्द विश्नोई (17) श्रीमती निर्मला कुमारी (18) श्रीमती नगेन्द्रबाला (19) श्री लूणाराम (20) श्री गौरीशंकर (21) श्री नन्दलाल बैरवा (22) श्री नाथूराम (23) श्री भंवरलाल भदाश (24) श्री मोहनराज जैन (25) श्री रामप्रसाद बोहरा (26) श्री बिजयसिंह राठौड़ (27) श्री सज्जनसिंह (28) श्री सांवरमल मोर (29) श्री ज्ञानसिंह चौधरी (30) श्री कालूराम आर्य (31) श्री रावत राम आर्य (32) सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

राजकीय उपक्रम समिति

(1) श्री मोहरसिंह (138) (2) श्री रामसिंह कुड़ी (3) श्री गोपालसिंह (4) श्री भोमाराम (5) मो० गफ्फारअली (6) श्री रतिराम यादव (7) श्री शंकरलाल (156) (8) श्री दीपंकर (9) श्री मीठा लाल मीणा (10) श्री मूलचन्द सामरिया (11) श्री केसरदेव (12) श्री गिरधारी लाल भार्गव (13) श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (14) श्री जयकिशनलाल (15) श्री गोकुलचन्द (16) श्रीमती सुमित्रा सिंह (17) श्री भुवनेश चतुर्वेदी (18) श्री अमृतलाल गहलोत (19) श्री घासीराम यादव (20) श्री गोपाल जोशी (21) श्री दलपतसिंह (22) श्री विद्यासागर (23) श्री श्रीनिवास शारदा (24) श्रीमती जमुना सोलंकी (25) श्री चिम्मनसिंह भाटी (26) श्री राजेन्द्र सिंह (27) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (28) श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री मुंशीलाल महावर (राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन विभाग): माननीय उपाध्यक्षजी····

श्री उपाध्यक्ष : आप भी फरमायेंगे?

श्री मुन्शीलाल महावर : जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनके लिए तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे भाषण पढ़ा हुआ मान लेते हैं इसी तरह से इनका भाषण बोला हुआ मान लिया जावे।

श्री मुन्शीलाल महावर : पांच मिनिट के लिए निवेदन कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय के विवेक को मैं कैसे चेलैंज कर सकता हूं।

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं वह यह है कि चरागाहों के बिकास के लिए, भेड़ों के चरागाहों के विकास के लिए, राजस्थान में एक ऐसी ऊनी भेड़ें बनाने के लिए, शीप डवलपमेंट के बारे में कुछ माननीय सदस्यों के सवाल उठाये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस राज्य में जहां 80 लाख के लगभग भेड़ें हैं और जहां सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चरागाहों का विकास नहीं होने की वजह से यहां के भेड़ पालक काफी दुखी हो करके दूसरे प्रान्तों में निष्क्रमण कर जाते हैं। इसलिए चरागाह विकास के लिए डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत इस वर्ष में नागौर और जोधपुर जिलों को लिया गया है जिसमें लगभग दस लाख की स्वीकृति हुई है और इस कार्य को सम्पन्न किया जा रहा है। दूसरी ओर अगले वर्ष के लिए एक करोड़ 14 लाख रुपये की डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत योजनाएं ली जायेंगी जिसमें दस जिले और छः तहसीलें ली जायेंगी। इसमें अपेक्षाकृत दूसरे

(श्री मुन्शीलाल महावर)

जिलों के साथ जैसलमेर जिला भी आता है। बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिले हैं उनके लिए कहा गया था कि हमारे जिले के चरागाहों के विकास के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले को डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया गया है और जैसलमेर जिले को डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत एक करोड़ 25 लाख रुपये की योजना जो लगभग बीस हजार एकड़ में चरागाह का विकास किया जाएगा, उसके लिए हमने निर्णय लिया है। जिसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज बाजार के अन्दर मन्दी होने की वजह से आज जो हम ऊन परचेज करते हैं और उसका ग्रेडिंग करके नीलाम करते हैं उसमें भी मन्दी की वजह से हमारी ज्यादा ऊन की बिक्री नहीं हुई। लगभग 33 लाख की बिक्री हुई उसके मुकाबले हमने 38 लाख रुपये की ऊन परचेज की है और हम यह समझते हैं और राज्य सरकार इस बात पर तत्परता से विचार कर रही है कि जो इस प्रदेश में सारे देश के उत्पादन का लगभग चालीस से 45 प्रतिशत तक ऊन उत्पादन होता हैं उसका ग्रेडिंग सेलिंग और मार्केटिंग और उस ऊन पर आधारित धन्धा खोलें, इसके लिए एक स्वतन्त्र बोर्ड बनाया जाय इस पर भी तत्परता से विचार कर रहे हैं जहां तक शीप डवलपमेंट का कार्यक्रम है, वह हमारे जैसे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने अभी कहा, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले के बारे में कहा, उधर कार्यक्रम चालू है। हमारे यहां पर 6 भेड़ प्रजनन केन्द्र इस राजस्थान में कायम किये गये हैं इसके अलावा जो खातीपुरा का फार्म है वहां पर 154 अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं और अगले वर्ष 20,000 मेरीना नस्ल की भेड़ आ जाएंगी और हमारे यहां पर शंकर प्रजनन का काम चालू हो जायगा और हमें उम्मीद है कि हमारा शीप डवलपमेंट का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ेगा। हम संख्या न बढ़ा कर गुणात्मक दृष्टि से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इतना ही कह कर मेरा निवेदन है कि जो मांग संख्या इस विभाग के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है उसको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,72,64,-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 36 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, पशुपालन के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6 करोड़ 31 लाख 34 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 38 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39, डेयरी के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 करोड़, 47 लाख, 20 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 39 स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 मार्च, सन् 1975 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9-03 बजे मंगलवार दिनांक 13 मार्च 1975 के प्रात : 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

ता प्र. सं. 420 की सूची

वार्षिक योजना 1974-75 के कार्य

क्रमांक	नाम सड़क	आंवटित धन राशि 1974-75
1	क्रोस ड्रिनेज कार्य कोटा शाहबाद कस्बा थाना रोड़	30,000)
2	डामर रोड अटरू गउघाट सालपुरा छाबड़ा	1,25,000)
3	सुधार बारां खानपुर रोड़	1,00,000)
4	डामर रोड छोछट से खोरुन्डा	50,000)
5	डामर रोड़ ग्रटूसा से खायतून वाया बालाजी का थान	50,000)
6	कनवास से धूलेट	20,000)
7	मिसींग लिंग गऊघाट खानपुर के बीच	50,000)
8	डामर रोड गऊघाट से ग्रमली	1,00,000)
9	डामर सड़क सांगोद से ग्रटूसा वाया कुन्दनपुर	75,000)
	न्यूनतम आवश्यकता योजना	
1	बारां ग्रटरू सालपुर से मोटपुर ग्राम तक निर्माण	50,000)
	चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास	
1	सुल्तानपुर इटावा रोड	3,79,000)
2	कोटा बालोटा केशोरायपाटन रोड	4,50,000)
3	सुधार इटावा राजोपा रोड	1,00,000)
4	राजोपा खाटोली रोड केथोडा सड़क	3,50,000)
5	सुधार ग्रन्ता बाला खेडा रोड	2,50,000)
6	बाला खेडा शीशवाली डीवरी सड़क	2,50,000)

क्रमांक	नाम सड़क	लम्बाई
1	गणेशगंज से मांगरोल	25 किलोमीटर
2	मण्डावर सुलतानपुरा	14 किलोमीटर
3	इटावा पीपलोदा	10 किलोमीटर
4	तालेडा केशारायपाटन	13 किलोमीटर

(213)

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 421 की सूची)

नेहरू युवक केन्द्र डूंगरपुर की वर्ष 1973-74 में ग्रामीण गतिविधियां निम्न प्रकार रहीं:—

(1) पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्र के युवकों की एक तीरन्दाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें अधिकांश में बिछिवाड़ा पं. स. क्षेत्र के युवकों ने भाग लिया।

(2) पंचायत समिति सागवाड़ा में स्थित ग्राम गलियाकोट ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ आई थी जिससे वहां के निवासी बेघरबार हो गये थे। उनकी सहायता हेतु 26 युवकों के सहयोग से उन ग्रामीण वासियों को खाने पीने की व्यवस्था की गई यह व्यवस्था जिला प्रसाशन की देख रेख में की गई।

वर्ष 1974-75 की गतिविधियां

(1) ग्रामीण क्षेत्र में चेचक की रोकथाम एवं बिमारी एवं गन्दगी को दूर करने हेतु छात्र-ग्रुप से कार्य कराया गया।

(2) 15 अगस्त, 74 को मूल खेल कूद प्रतियोगिता में ग्रामीण युवकों ने शहर के युवकों के साथ भाग लिया।

(3) ग्रामीण युवकों की चिकित्सा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

(4) ब्लॉक ग्रामीण खेलकूद में खेलकूद सामग्री की सहायता दी गई। पं. स. सागवाड़ा के ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं के लिये भी प्रतियोगिताएं कराई गईं।

(5) हनुमतियां मेला में ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताएँ कराई गई।

(6) मेड माता मेला में ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता कराई गई।

(7) ग्राम रामरिया में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अन्तर्गत ग्रामीण महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों की देखरेख, महिलाओं का समाज में स्थान, एवं घर और ग्राम की सफाई पर प्रकाश डाला साथ ही युवा वर्ग के लिये भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये उनकी उपयोगिता एवं कार्य पर विचार रखे गये।

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 422 की सूची)

(सूची-अ)

तारांकित प्रश्न संख्या 319 सि. म.

राजस्थान के राष्ट्रीय राज मार्ग एवम स्टेट हाईवेज की सूची

1. राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8	(लम्बाई किलोमीटर)	741
2. राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 3	,,	29
3. राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11	,,	486
4. राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 15	,,	885

स्टेट हाई-वे

1. जयपुर, टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, अकलेरा, मध्यप्रदेश की सीमा तक
2. धौलपुर, सरमथुरा, करौली, गंगापुर, लालसोट, चाकसू, फागी, दूदू, मकराना, खाटू, नागौर, फलोदी।
3. गंगानगर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनुपगढ़, छत्तरगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली।
4. अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालौर, (गुजरात) सीमा तक।
5. ब्यावर, वर, जोधपुर, डीचू, पोकरन
6. डूंगरगढ़, सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़, हिसार, पंजाब।
7. किशनगढ़, नारायनपुर, डीडवाना, सुजानगढ़, तालछापर, रतनगढ़, सरदारशहर, परलू, हनुमानगढ़, सादुलशहर, अबोहर (पंजाब) सीमा तक।
8. सीकर, नवलगढ़, झून्झुनूं, चिड़ावा, सूरजगढ़, लोहारू, (हरियाणा)
9. उदयपुर, डबोक, मावली, भोपाल, कपासन, चित्तौड़, लाडपुरा, बूंदी।
10. सिरोही, पिंडवाडा, कोटरा, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, सनवाड़ा, बांसवाड़ा, रतलाम (मध्यप्रदेश)
11. रानीवाड़ा, मण्डोर, आबू रोड,
12. जयपुर, डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, माण्डलगढ़।

13. शाहपुरा, कावट, नीम का थाना, खेतड़ी, सिंघाना, चिड़ावा, पिलानी, राजगढ़।

14. भरतपुर, डीग, नगर, अलवर, बहरोड़, नारनोल (हरियाणा) सीमातक।

15. डबोक, मंगलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, नीमच (मध्य प्रदेश) सीमा तक।

16. बाड़मेर, सिंदरी, जालोर, सांडेराव, सादड़ी दीपूरी, अमरीतिया (राष्ट्रीय मार्ग 8)।

17. कोटा, बारां, शाहबाद, शिवपुरी (मध्यप्रदेश) सीमा तक।

18. अजमेर, बड़ी घाटी, भरूम्हा।

19. इन्द्रगढ़, इटावा, मांगरोल, बारां खानपुर, झालावाड़, भवानी मन्डी, डग आगार (मध्यप्रदेश) सीमा तक।

20. सीकर, सुजानगढ़, ताल छापर नाला।

21. दांतीवाड़ा, पीपार सीटी, मेड़ता सीटी, पर्बतसर।

22. मण्डरेल करोली, हिन्डोन, महूआ, नगर पहाड़ी हरियाणा सीमा तक।

23. गंगापुर, नादोति, सिकन्दरा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, किशनगढ़, तीजारा, भीवानी (हरियाणा) सीमा तक।

24. नसीराबाद, केकड़ी, देवली।

25. बर, पाली, सिरोही, मण्डार डीसा गुजरात सीमा तक।

26. जोधपुर, बालोतरा, सिणधरी, चीतलवाना।

27. बूंदी, लाखेरी, सवाई माधोपुर, दौसा से राष्ट्रीय मार्ग नं. 11।

28. टोंक, सवाई माधोपुर, पाली घाट, श्योपुर (मध्यप्रदेश) सीमा तक।

29. जालोर से भीनमाल, रानीवाड़ा सीमा तक।

30. भरतपुर, रूपवास सेपाऊ, धौलपुर

परिशिष्ट 4 समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर।

चिकित्सा एवं परिवार नियोजन विभाग के लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची

426. **श्री रामकिशन** (भरतपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक इत्यादि लिपिक वर्गों की वरिष्ठता सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है जिसके कारण अनियमित पदोन्नतियां दी जा रही हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

2. क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व एक लेखा अधिकारी तथा कुछ लेखाकार उपरोक्त वरिष्ठता को अन्तिम रूप देने हेतु करीब एक वर्ष के लिए निदेशालय में नियुक्त किये गये किन्तु फिर भी वरिष्ठता सूची को

Page No 216

(216)

(श्री रामकिशन)

अन्तिम रूप नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह राज्य कोष का दुरुपयोग नहीं है ?

3. क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं देने के कारण कर्मचारियों के वेतन में जो अनोमलीज हैं वे दूर नहीं की जा सकीं ? यदि हां, तो कितने मामले ऐसे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची, प्रकाशित की जा चुकी है। अन्य वर्गों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। केवल काम चलाने के लिए अस्थायी पदोन्नतियां की गई हैं जिन्हें वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देते ही नियमानुसार नियमित कर दिया जायगा।

(2) जी हां। वरिष्ठता सूचियों के कार्य हेतु कुछ माह के लिए वर्ष 1971 में एक लेखाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के पद सृजित किये गये थे। इतने कम समय में सारी कार्यवाही पूर्ण करना सम्भव नहीं था। इस सैल द्वारा जो सूचियां बनाने की पद्धति आदि अपनाई गई उसी के आधार पर कार्यवाही कर बाद में सूचियों को अन्तिम रूप दिया गया। अतः राज कोष के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये बिना वेतन की अनोमलीज के मामलों की संख्या देना या निपटारा करना सम्भव नहीं है। अतः सूची सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी तथा हिन्दी विषय

427. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा के कितने प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं ?

2. राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में कितने छात्रों ने अंग्रेजी साहित्य और कितने छात्रों ने हिन्दी साहित्य को ऐच्छिक विषय चुना है ?

3. राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में एम. ए. स्तर पर कितने छात्र अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और कितने छात्र हिन्दी साहित्य का ?

4. अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ाने के लिये प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अनुसार प्रति सप्ताह कितने पीरियड लगाये जाते हैं और इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निदेश प्रति सप्ताह कितने पीरियड का है ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में निम्न लिखित तथा अंग्रेजी के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं :—

	प्राध्यापक	विभागाध्यक्ष
हिन्दी	153	7
अंग्रेजी	125	3

Page No 217

[redacted]

(217)

(उत्तर)

(2) राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित छात्रों ने अंग्रेजी साहित्य और हिन्दी साहित्य को ऐच्छिक विषय चुना है :—

	छात्र	छात्रायें	कुल संख्या
स्नातकोत्तर			
हिन्दी	139	79	218
स्नातकोत्तर			
अंग्रेजी	133	66	199
स्नातक हिन्दी	—	—	9219
स्नातक अंग्रेजी	—	—	1169

(3) राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी व हिन्दी साहित्य स्तर पर निम्नलिखित छात्र अध्ययन कर रहे हैं :—

	छात्र	छात्रायें	कुल संख्या
एम. ए. अंग्रेजी			
स्तर पर	133	66	199
एम. ए. हिन्दी			
स्तर पर	139	79	218

(4) विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी व हिन्दी के लिए 6–6 पीरियड दिये जाने का निर्देश है किन्तु कालेजों में अंग्रेजी के लिए 6 तथा हिन्दी के लिए सामान्यतः 3 पीरियड ही दिये जाते हैं किन्तु यहां स्टाफ पहले से ही उपलब्ध होता है वहां 6 पीरियड तक दे दिये जाते हैं 6 पीरियड के अनुसार पढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ नहीं दिया जाता।

कच्चे माल के आवंटन हेतु समितियों का गठन

428. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि 25 अगस्त, 1972 के पश्चात कच्चे माल के आवंटन के लिये राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ? कृपया उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. राज्य में गठित उक्त समितियों को 25-8-1972 के पश्चात कब कब व कितना कितना कच्चा माल आवंटन करने हेतु सौंपा गया।

3. उक्त समितियों को माल सौंपने के पश्चात कितना माल कौन कौन सी श्रेणी का राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम ने अपने पास आवंटन हेतु रखा।

4. जिला स्तर पर कच्चे माल के लिये आवंटन हेतु समितियों के गठन के पश्चात उद्योग निदेशालय द्वारा किस किस को (अर्थात् 25-8-72 के पश्चात) कच्चा माल आवंटित किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समिति का गठन 22-8-72 को हुआ था। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) सूची 'ग' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

[redacted] [redacted] Page No 218

(218)

पाली जिले के गांवों में टैन्करों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था

429. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. पाली तहसील के किन किन गांवों में टैंकर द्वारा पानी पहुंचाना आवश्यक माना गया है और किन किन गांवों में वास्तव में पानी पहुंचाया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि पाली जिला प्रशासन के पास टैंकर आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने से व कार्यरत टैंकर भी अच्छी हालत में न होने से गांवों में समय पर पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे गांव वालों को कई मरतबा पानी के लिये कोसों दूर जाना पड़ता है ?

3. क्या यह सही है कि कार्यरत टैन्करों को भी भरने के इंजिन उपलब्ध न होने से स्वयं गांव वालों को साथ जाकर बाल्टियों से टैन्कर भरने पड़ते हैं और उसमें काफी समय लग जाने से व टैंकर जिन जिन गांवों में पहुंचना चाहिए उन गांवों में नहीं पहुंच पाता है ?

4. क्या सरकार द्वारा पाली जिले में टैंकरों से पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था अविलम्ब की जावेगी ?

उत्तर

(1) पाली तहसील के जिन गांवों में टैन्करों द्वारा पानी पहुंचाना आवश्यक माना गया है और जिन गांवों में वास्तविक पहुंचाया जा रहा है उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जिलाधीश की मांग पर अतिरिक्त टैन्करों की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग से लेकर की जा रही है।

जिलाधीश द्वारा प्रस्तावित सूची पाली तहसील के ग्रामों की जिनमें की टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाना आवश्यक माना गया है।

क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	टेवाली कला व खुर्द
2.	खुटाणी
3.	सिणगारी
4.	खाण्डी
5.	पाती
6.	निम्बली ब्राह्मान
7.	बस्सी
8.	निम्बली पटेलान
9.	ढूढ़ली
10.	पांचपदरिया
11.	मूगला मुकनपुरा
12.	नेहड़ा
13.	भाव नगर
14.	गोदावास
15.	राबतवास
16.	लाम्बिया
17.	खेतावास
18.	सांपा
19.	लाम्बडा
20.	पुनारी

(उत्तर)

21. खेड़ा खुर्द
22. मोरिया
23. रोहट
24. गेलावास
25. भिन्डर
26. सिराणा
27. दानासनी
28. सोनाईलाखा
29. चेण्डा
30. लालकी
31. साजी
32. बिश्नोई की ढाणी (सांकलता)
33. चोटीला
34. बाडाई
35. उतवन
36. सदावास
37. आकेली
38. बालेलाव
39. चवाडिया की ढाणी (रूपवास)
40. प्रेनवा
41. गुडा प्रतापसिंह
42. दीवान
43. मुरडिया

कुल 43 गांव

विभाग द्वारा मान्य ग्रामों की सूची पाली तहसील के ग्रामों की सूची जिनमें टैंकर्स द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	निम्बली
2.	सिणगारी
3.	डूंडली
4.	देवाली
5.	ठाकुरला
6.	पाली
7.	वस्सी
8.	खुटाणी
9.	डूदली
10.	पांच पदरिया

ग्राम पंचायत लालसोट (जयपुर) के मोटर स्टेण्ड का किराया

430. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

1. क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लालसोट (जयपुर) के मोटर स्टेण्ड के किराये के प्राइवेट बस मोटरों (सवारी) के मालिकों पर कई वर्षों से हजारों रुपये किराये के बाकी चले आ रहे हैं? यदि हां, तो किस किस मोटर मालिक पर कितने वर्षों से कितना रुपया बाकी है? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि मोटर मालिक उक्त किराये को अब देने में टालमटोल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार परिवहन विभाग से या अन्य प्रकार से उक्त किराये की राशि वसूल करने की कोशिश करेगी? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) नियमानुसार वसूली की कार्यवाही शीघ्र करवाई जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बस कन्डक्टर्स द्वारा यात्री कर की चोरी

431. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों द्वारा यात्रा के बदले दिये गये किराया में बस का किराया एवं यात्री कर दोनों सम्मिलित होता है ? यदि हां, तो उसका क्या क्या प्रतिशत है ?

2. क्या यह सही है कि कण्डक्टर्स (बस कण्डक्टर्स) यात्रियों से धनराशि वसूल कर लेते हैं और किराये के बदले में यात्रा प्रमाण-पत्र (टिकट) नहीं देते हैं ? यदि हां, तो पिछले दो सालों में ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

3. क्या यह सच है कि इस प्रकार की धनराशि के गोलमाल में यात्री कर की भी चोरी होती है ? यदि हां, तो कर चोरी के अभियोग में कितने बस कन्डक्टर्स का चालान पेश किया गया है और क्या नतीजा रहा ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कर चोरी (टैक्स इवेजन) के मामले में किस प्रकार परिवहन निगम ने इन्हें दोष मुक्त किया है ? विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। किराये में यात्री कर किराये की राशि का 30 प्रतिशत एवम् अधिभार 5 प्रतिशत सम्मिलित होता है।

(2) जब भी ऐसे मामले पकड़े जाते हैं उनमें नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। गत दो वर्षों में 1756 मामले पकड़े गये हैं उनकी सूची व की गई कार्यवाही सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(3) निगम के अधिकारियों द्वारा ऐसे मामले पकड़ जाने पर टिकट बना दिये जाते हैं अतः यात्री कर के गोल माल होने का प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी चेकिंग हेतु परिवहन विभाग को अलग से निर्देश दिये जा रहे हैं।

गत दो वर्षों में पकड़े गये मामलों की सूची व उन पर की गई कार्यवाही :—

कुल मामले	1756
वेतन वृद्धि रोकी गई	144
सेवा मुक्ति	426
चेतावनी	465
दोषारोपण	213
निलम्बित	265
स्पष्टीकरण	140
जुर्माना किया गया	77
सांकेतिक नोटिस	26

थानेदार सुनेल के विरुद्ध शिकायतें

432. श्री हाजी जान मोहम्मदखां (पिड़ावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि जब से श्री प्रभुदयाल शर्मा थानेदार सुनेल थाने में आया है वहां की जनता उनसे बहुत परेशान है ? और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

2. उक्त थानेदार के सुनेल थाने में आने के बाद से आज तक उस क्षेत्र के किस किस गांव में कितनी चोरियां हुई और कितनी चोरियों का माल बरामद हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

3. क्या यह भी सही है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व उक्त थानेदार पिड़ावा में था जब इसके खिलाफ 1500 रुपये रिश्वत लेने की शिकायत ग्राम दांता के एक राजपूत ने की थी और इसकी इन्क्वायरी एस० पी० झालावाड़ ने सी०ओ० श्री शिवराजसिंह के सुपुर्द की थी ? अगर हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

उत्तर

(1) श्री प्रभुलाल उपनिरीक्षक के विरुद्ध इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उनका तबादला कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री प्रभुलाल शर्मा दिनांक 1-9-74 से 31-1-75 तक थानाधिकारी के पद पर रहे। इस अवधि में 9 चोरियों के अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। जिनमें से 5 अभियोगों में माल बरामद हो चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

नक्शा मुकदमात चोरी थाना सुनेल जो श्री प्रभुलाल थाना अधिकारी के तैनाती में पंजीबद्ध हुये।

क्र सं.	केस नं० व तारीख धारा	घटनास्थल	नाम फरियादी	नाम मुल्जिम	माल मसरुका	माल बरामद	नतीजा
1.	59/26-9-74, 379 ता० हि०	सिन्दूरिया खेड़ा	भेरूलाल सिंदूरिया खेड़ा	गुलाब व प्रभू	20/-	—	एफ ग्रार अदमपता 31-1-75
2.	62/8-10-74, 379 ता० हि०	बालिया बाड़ा	चतरभुज	देवीलाल वगैरा	—	—	एफ ग्रार ग्रदमवकू 31-10-74
3.	65/10-11-74, 379 ता०हि०	सिन्दूरियां	शिवनारायण डूंगर गांव	भंवरिया	26/-	—	ग्रदमपता
4.	70/18-11-74, 379 ता०हि०	बनवाड़ी	रामदयाल ब्राह्मण	ग्रज्ञात	500/-	500/-	अदमपता मुल्जिमान 21-12-74
5.	72/8-12-74, 379 ता०हि०	सरपोई	बापूसिंह	रहमान	500/-	500/-	जेर तफतीश
6.	73/11-12-74, 380 ता०हि०	डावलाखीची	धन्नालाल	प्रभू वगैरा	936/-	936/-	जेर तफतीश
7.	75/16-12-74, 379 ता०हि०	सरपोई	नाथूलाल	नन्दराम वगैरा	2000/-	2000/-	चालान 31-12-74
8.	5/5-1-75, 454/380 ता०हि०	डोला	किशनलाल	ग्रज्ञात	355/-	—	जेर तफतीश
9.	6/13-1-75, 379 ता०हि०	उन्नेल	भूरा	—	3245/-	1145/-	जेर तफतीश

विश्वविद्यालय खोलने सम्बन्धी श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट

433. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. राजस्थान में और विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट कब तक सरकार प्रकाशित करेगी ?

2. क्या राज्य सरकार श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) रिपोर्ट मंत्री मंडल में विचारार्थ प्रस्तुत की जावेगी उसके पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) मंत्री मंडल में विचार करने के पश्चात् ही इस पर क्रियान्विति का निर्णय लिया जायेगा।

विराटनगर तहसील की आर. ई. सी. स्कीम

434. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सच है कि विराटनगर तहसील जिला जयपुर की आर. ई. सी. स्कीम बनाये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

2. क्या यह सच है कि विगत दो वर्ष पूर्व यह स्कीम बनाए जाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं बनाई गई ? अब कब तक बनाए जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) विराटनगर तहसील के लिए अभी हाल ही में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा एक स्कीम स्वीकृत हुई है, जिस पर कार्य चालू है।

(2) जी हां, स्कीम बनाई जाकर स्वीकृत भी हो चुकी है और काम चालू है।

बाड़मेर जिले के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

435. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. वर्ष 1968 और 1969 के अकाल में बाड़मेर जिले के कितने गांवों को रेल या ट्रक द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता था ? कृपया तहसील वाइज आंकड़ा बतायें।

2. क्या सारा बाड़मेर जिला इस वर्ष अकाल की चपेट में है ? यदि हां, तो इस वर्ष जिले के कितने गांवों को पानी भिजवाया जा रहा है ?

3. पंचायत समिति बालोतरा और बायतू में कौन कौन से गांवों को पानी भेजा जा रहा है ?

4. इन गांवों में सप्ताह में कितना पानी भेजा जाता है और क्या वहां जनसंख्या के लिए इतना पानी पर्याप्त है ?

उत्तर

वर्ष 1968 एवं 1969 में बाड़मेर जिले में क्रमश: 123 एवं 141 ग्रामों को रेल और ट्रक टैंकर्स द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता था। तहसीलवार स्थिति इस प्रकार थी :—

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्रामों की संख्या जिनमें पीने का पानी उपलब्ध कराया गया था वर्ष 1968	वर्ष 1969
1	2	3	4
1	चोहटन	—	1
2	पचपदरा	18	28
3	सिवाना	10	10
4	शिव	27	34
5	बाड़मेर	68	68
	योग	123	141

इस वर्ष ग्राम बिठुझा को छोड़कर इस जिले के समस्त ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित है। वर्तमान में 23 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की जा रही है।

पंचायत समिति बालोतरा के निम्न 11 ग्रामों को पानी भेजा जा रहा है :—

(1) नवातला (2) आकडली (3) घडसी का बाडा (4) गोदावास (5) गोल स्टेशन (6) भीमरलाई (7) आसरवा (8) कालेवा (9) छाछरलाई (चारलाई) (10) गवालनाड़ा (11) माड़पुरा

बायतू पंचायत समिति के निम्न 7 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है :—

(1) शहर (2) कानोड़ (3) कनाऊडा (4) खीपर (5) खारापार (6) लापून्दरा (7) भलवा

ग्रामों की जनसंख्या को दृष्टि रखकर ही उपेक्षित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पर्याप्त मात्रा में है।

445]

पंचायत समिति बालोतरा के ग्रामों की सूची जिनमें पेयजल व्यवस्था की जा रही है

क्र. सं.	नाम ग्राम	पानी की मात्रा
1	2	3
1.	नवातला	तीन टैंकर प्रति सप्ताह
2.	ग्राकडली	दो टैंकर प्रति सप्ताह
3.	घडसी का वाडा	दो टंकी प्रति सप्ताह
4.	गोदावास	तीन टंकी प्रति सप्ताह
5.	गोल स्टेशन	एक टंकी प्रति सप्ताह
6.	भीमरलाई	एक टंकी प्रति सप्ताह
7.	ग्रासरवा	सूचना उपलब्ध नहीं है।
8.	कालेवा	एक टंकी प्रति सप्ताह
9.	छाछरलाई (चारलाई)	दो सप्ताह में एक टंकी
10.	भवाल नाडा	,,
11.	माडपुरा	,,

Page No 226

(226)

गंभीर नदी का पानी

436. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. गम्भीर नदी (सवाई माधोपुर-भरतपुर) में गत चार वर्षों में कितना क्यूसेक पानी प्रति वर्ष आया ?

2. उपरोक्त पानी में से राजस्थान के किन किन बांधों की मार्फत कितना कितना पानी सिंचाई हेतु उपयोग में लिया गया ? वर्ष वार आंकड़े बतायें।

3. कितना क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश में बहकर गया ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सूची-क-में संलग्न है।

(2) मुख्य बांधों की सूची-ख- संलग्न है। उपयोग किये गये पानी का वर्ष वार ब्यौरा सूची-क-में अंकित है।

(3) सूची-क-में अंकित है।

सूची—क

गम्भीर नदी में पिछले चार वर्षों में आये पानी, सिंचाई हेतु उपयोग किया गया पानी तथा उत्तरप्रदेश की ओर बढ़े हुए पानी का वर्षवार ब्योरा

क्र. सं.	वर्ष	आये हुए पानी की कुल अनुमानित मात्रा (मिलियन घनफुट में)	सिंचाई हेतु उपयोग किये गये पानी की कुल मात्रा (मिलियन घनफुट में)	उत्तरप्रदेश की ओर बढ़े हुए पानी की अनुमानित मात्रा (मिलियन घनफुट में)
1	2	3	4	5
1.	1971	11,590	8000	3590
2.	1972	31,350	2000(क)	29,350
3.	1973	17,917	8000	9,917
4.	1974	9,310	[illegible]000	1310

(क) नोट:—सन् 1972 में बाढ़ के कारण अधिकांश तालाब टूट जाने से जल का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ।

सूची—ख

गम्भीर नदी के जल क्षेत्र में वर्तमान मुख्य सिंचाई कार्य

क्र. सं.	नाम	जिला	भराव क्षमता मिलियन घनफुट
1.	आगर बांध	सवाई माधोपुर	990
2.	बारेठा बंध	भरतपुर	1550
3.	सामदा बंध	भरतपुर	250
4.	सेवरा डाइवरशन हैड	भरतपुर	1000
5.	खानवा डाईवरशन नहरें	भरतपुर	750
6.	अन्य 157 तालाब	सवाई माधोपुर व भरतपुर	3460
		कुल जल का उपयोग	8000

राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी के उपनिदेशक के विरुद्ध शिकायतें

437. (77/शि.मं.) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के वर्तमान उपनिदेशक श्री यशदेव शल्य के पास न किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, न कोई अन्य प्रामाणिक शैक्षणिक योग्यता ?

2. क्या श्री यशदेव शल्य पर कागज के घोटाले के कई गम्भीर आरोप हैं और उनका मामला सी. बी. आई. को दे दिया गया है ?

3. क्या यह सही है कि श्री यशदेव शल्य का एक ऐसी तथाकथित सांस्कृतिक संस्था से गुप्त सम्बन्ध है जिसको सी. आई. ए. से पैसा मिलता रहा है ?

4. क्या श्री यशदेव शल्य पर वर्तमान निदेशक द्वारा अनुशासनहीनता और छलपूर्ण हरकतों के आरोप लगाये गये हैं ?

5. क्या श्री यशदेव शल्य को अकादमी के कार्यालय में भ्रष्ट आचरणों को बढ़ावा देने के लिए आरोप पत्र दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। इनके पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री नहीं है किन्तु संस्कृत की साहित्योपाध्याय तथा हिन्दी की साहित्य रत्न परीक्षाएं पास की हैं।

(2) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक की एक रिपोर्ट उस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। मामले की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी नहीं।

भगवान महावीर निर्वाण शताब्दी महोत्सव

438. (220/मु.मं.) श्री मोहनराज (बाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष में राज्य सरकार ने किन किन तारीखों को शराब व मांस की दुकानें बन्द करने के आदेश जारी करने का निर्णय लिया है ? कृपया आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या राज्य सरकार ने इसी उपलक्ष में 'नो किल इयर' की घोषणा की है ? यह वर्ष कब से प्रारम्भ होगा और इस हेतु क्या कदम उठाने की व्यवस्था की है ? क्या इस वर्ष में राज्य भर में पशु-पक्षी वध (शिकार) के साथ साथ किसी दण्डित व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ? कृपया आवश्यक आदेश जो इस सम्बन्ध में जारी किये गये हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष में राज्य सरकार ने दिनांक 12, 13 एवं 14 नवम्बर, 1974 तथा 3, 4 व 5 नवम्बर, 1975 की शराब व मांस की दूकानें बन्द कराने का निर्णय लिया है।

(2) जी हां, 'नो किल इयर' दिनांक-12-12-74 से प्रारम्भ माना जावेगा। इसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। फांसी की सजा न दिये जाने सम्बन्धित प्रश्न पर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है व आदेश शीघ्र ही प्रसारित किये जा रहे हैं।

Page No 230

(230)

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक एफ. 4 (18) वित्त/आव/7435 दिनांक 1-10-74

— आज्ञा —

इस विभाग की आज्ञा संख्या प. 4 (18) वित्त/आय/74, दिनांक 16-8-74 को निरस्त करते हुए, राज्यपाल महोदय भगवान महावीर की दो हजार पांच सौवीं निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में निम्न दिवसों को समस्त राजस्थान में सहर्ष:-सूखे दिवस-घोषित करते हैं:—

1. 12, 13 एवं 14 नवम्बर, 1974।
2. 3, 4 एवं 5 नवम्बर, 1975।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बी. एल. पानगडिया)
उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

No Misc. F. 7 ( ) DLB/63/65300. Dated 4-11-74

NOTIFICATION

In connection with the 2500 Nirwan Mahotsav of Bhagwan Mahaveer the Government has been pleased to order that the Agta will also be observed on 12, 13 and 14th November, 1974 and on 2, 4, & 6th November, 1975. On these days the slaughter houses and butcher's shop (and no other shops) shall be closed.

Sd/-
(J. N. Mathur)
Dy. Secretary to Govt.

जयपुर नगर की सी. टी. एस. बसें

439. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) :—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर नगर में राजस्थान रोडवेज की सी. टी. एस बसें कितनी और किस किस रूट पर चलती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि बसों के चलने का समय की पाबन्दी न होने के कारण जयपुर की जनता को कष्ट का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

3. क्या यह सही है कि नगर में चलने वाली बसों की हालत, सीट, खिड़कियां, अच्छी नहीं है जिसके कारण गुलाबी नगरी में यात्रा करने वालों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है ? क्या व्यवस्था में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर 80 वाहनें संचालित की जा रही है। मार्गों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वाहनों को समय के अनुसार ही चलाया जाता है। कभी कभी कोई वाहन यान्त्रिक खराबी व यातायात असुविधा के कारण समय पर नहीं चल पाती। वाहनों को समयानुसार चलाने हेतु मुख्य-मुख्य स्टेण्डों पर स्थान प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई हैं, जो वाहनों को समय पर प्रस्थान कराने हेतु पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, इससे इस दिशा में काफी सुधार हुआ है।

(3) कुछ बसों की अवस्था खराब है। उनको सुधारने की व्यवस्था की जा रही है।

---

(232)

तारांकित प्रश्न संख्या 439 की सूची

नगर वाहन सेवा द्वारा संचालित वाहनों की सूची

क्र. सं.	मार्ग नं.	कहां से	कहां तक	कुल वाहनें
1.	1 (एक)	रेल्वे स्टेशन से	सूरजपोल एवं रामगंज	9 (2डबल डेकर)
2.	2 (दो)	रेल्वे स्टेशन से	जलमहल तक	5
3.	3 (तीन)	अजमेरी गेट से	आदर्शनगर राजा पार्क, यूनिवर्सिटी	1
4.	3अ (जामरोली)	घाटगेट से	जामरोली, बावटी	1
5.	4 (जगतपुरा)	अजमेरी गेट से	मालवीया कालेज	7 (एक पुच्छल वाहन)
6.	4अ (बजाज-नगर)	अजमेरी गेट से	टोंक फाटक, बजाजनगर	4 (एक डबल डेकर)
7.	5 (खातीपुरा)	चांदपोल से	खातीपुरा	1
8.	6 (पीतल फैक्ट्री)	रेल्वे स्टेशन से	सुभाष चौक वाया चांदपोल	5
9.	6अ (शास्त्रीनगर)	बड़ी चौपड़ से	शास्त्रीनगर वाया चांदपोल	3
10.	6बी (झोटवाड़ा)	चांदपोल से	झोटवाड़ा फैक्ट्री ऐरिया	1
11.	6सी (द्वारका-पुरी)	बड़ी चौपड़ से	शास्त्रीनगर वाया कलेक्ट्री	1
12.	7 (ब्रह्मपुरी)	ब्रह्मपुरी से	टोंक फाटक वाया अजमेरी गेट	1
13.	14 (सोडाला पावर हाउस)	चांदपोल से	सोडाला हीरापुरा पावर हाउस	1
14.	17 (विश्वकर्मा)	चांदपोल से	विश्वकर्मा फैक्ट्री एरिया	2
15.	9 (सांगानेर थाना)	अजमेरी गेट से	दुर्गापुरा सांगानेर थाना	4

ग्रुप—बी

1.	8 (बगरू)	चांदपोल से	बगरू	4
2.	9 (सांगानेर)	अजमेरी गेट से	सांगानेर शहर	4
3.	10 (हवामहल) बड़ी चौपड़	हवामहल से	आमेर	4
4.	11 (बस्सी)	घाटगेट से	कानोता, लवाण, बस्सी, दुंगा, देवगांव	7
5.	12 (चौमू)	चांदपोल से	चौमू	8 (3 पुच्छल वाहन)
6.	9अ (वाटिका)	लालनिवास से	वाटिका	1
7.	9बी (गोनेर)	लालनिवास से	गोनेर	1
8.	9सी (कोटखावदा)	लालनिवास से	कोटखावदा	1
9.	13 (सिरसी)	चांदपोल से	सिरसी	1
10.	15 (चाकसू)	लालनिवास से	चाकसू	1
11.	15अ (पदमपुरा)	लालनिवास से	पदमपुरा	1
12.	16 (अचरोल)	चांदी की टकसाल से	अचरोल	1

80 वाहनें

(234)

ग्राम पंचायत गंगधार (झालावाड़) के मेले की रकम

440. श्री औंकारलाल चौहान (डग): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंगधार जिला झालावाड़ के मेले की रकम 97903/- रुपये 24 पैसे सन् 1954-58 तक की अब तक पंचायत को नहीं दी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह मेला मोलखेडी में लगता है। जो पंचायत कोलवी उर्फ राजेन्द्रपुर (चौमहला) में स्थित है पंचायत गंगधर ने राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

अकाल पीड़ित विस्थापित प्रवासी राजस्थानियों को सहायता

441. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल के कारण पश्चिमी राजस्थान के अनगिनत परिवार अपने पशुधन को जीवित रखने और रोजी कमाने के उद्देश्य से राजस्थान के बाहर पड़ोसी राज्यों में निष्क्रमण कर गये ? यदि हां, तो किस किस जिले में कितने पुरुष, महिलाएं, बच्चे एवं वृद्ध व कितने पशु कहां कहां गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि राज्य प्रशासन निष्क्रमण-रत इन परिवारों को कुछ भी सहायता प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ रहा ? यदि नहीं तो कितनी धनराशि किस प्रयोजनार्थ किन किन बिन्दुओं पर व्यय की गई ?

3. क्या यह सही है कि अनेकों परिवार पड़ोसी राज्यों में भिखारियों एवं खानाबदोश की जिन्दगी बिता रहे हैं ? व राज्य सरकार उन अभागे परिवारोंको किसी प्रकार की वहां पर सहायता करने में सर्वथा असमर्थ हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ने किस किस राज्य में किन किन अकाल से पीड़ित विस्थापित प्रवासी राजस्थानियों की सहायतार्थ क्या क्या कदम उठाये हैं ? ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

थाना भालता (झालावाड़) में चोरी के दर्ज मामले

442. श्री भेरूंलाल (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. थाना भालता (जिला झालावाड़) में जब से वर्तमान अधिकारी ने कार्यभार संभाला तब से अब तक कितने केस चोरी व सरका मवेशी आदि के दर्ज हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. दर्जशुदा किन किन केसों में कौन कौन सी चोरियां बरामद हो गई ? तथा बरामदगी का केसों के अनुपात में क्या प्रतिशत रहा ? एवं शेष में क्या कार्यवाही जारी है ? कृपया यह सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भैरूंलाल)

3. क्या यह सत्य है कि भालता पुलिस थाना के वर्तमान अधिकारी की अकर्मण्यता के कारण उस क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है एवं इनकी उच्च अधिकारियों के पास शिकायतें पहुंचाई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) थाना भालता जिला झालावाड़ में दिनांक 6-12-73 से वर्तमान अधिकारी श्री बशीर मोहम्मद ने कार्यभार सम्भाला है तब से अब तक 9 अभियोग चोरी, 16 अभियोग नकबजनी, व 13 अभियोग सरका 4 मवेशी के दर्ज हुये हैं। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चोरी के 3, नकबजनी के 5 व सरका मवेशी के 9 अभियोगों में चोरी गया माल बरामद हो चुका है तथा नकबजनी के 3, सरका मवेशी के 1 मुकद्दमें में तफतीश चल रही है शेष अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है। बरामदगी का अनुपात क्रमश: 25, 51, 68 प्रतिशत रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

सूची सरका (चोरी) नकबजनी सरका मवेशी दिनांक 6-12-73 से 28-2-75 तक थाना भालता जिला झालावाड़:—

क.सं.	एफ. आई. आर. मय जुर्म	मुस्तगीस का नाम व पता	मुलजिमान नाम व पता	नतीजा	माल मसरूका	माल बाजाप्ता	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	107/दि.16–12–73/धारा 380 आई.पी.सी.	श्री मांगीलाल पुत्र भंवरलाल	अज्ञात	एफआर अदमपता	25/–	—	मूर्ति चोरी
2–	3/दि.9-1-74 धारा 379 आइ.पी सी.	केसरलाल पुत्र भंवरलाल गूजर नि. सावल्दा	,,	एफआर अदमपता मुलजिम	100/–	-100-	बन्दूक
3–	10/दि.13-2-74 धारा 379 आई.पी.सी.	रामेश्वरदयाल एवसी सरसा	बंशी पुत्र रोडा	चालान	36–00	36–00	कपड़े
4–	15/दि.20-2-74 धारा 379 आई.पी.सी.	रामनारायण	घोसा छोटू प्रभू	एफआर अदमपता	300–00	—	बैल गाड़ी
5–	17/दि.23–10–74 धारा 379 आई.पी.सी.	उदयसिंह एवसी घाटोली	मांगीलाल वगैराह	चालान	25–00	25–00	पेड़ नीम
6–	36/दि.24-3-74 धारा 379 आई.पी.सी.	रामसिंह पुत्र चैनसिंह गूजर	रतननारायण वगैरह	एफआर अदमवक	—	—	गेहूं
7–	40/दि.5-4-74 धारा 379 आई.पी.सी.	चैना पुत्र देवा गूजर	देवीसिंह गूजर	एफआर अदमपता	42–00	—	पट्टे

237

1	2	3	4	5	6	7	8
8-41/दि.11-4-7 4	धारा 380 आई.पी.सी.	जाल्या उर्फ जालम, गौरीलाल भील	भूरा	एफआर अदमवकू	—	—	कन्दोरा चांदी
9-57/दि.15-6-74	धारा 379 आई.पी.सी.	नाथू पुत्र देवी लाल	पेमा पुत्र गोपी	चालान	100-	—	मुर्गी
			नकबजनी				
1-104/11-12-73/	धारा 457/380/ भादसं	राधाकिशन पुत्र नन्दा	रघुनाथ पुत्र परसा	चालान	80-	—	जेवर चांदी
2-1/दि.7-1-74/	,, ,,	भूरीलाल गंगाराम	अज्ञात	एफआर अदमपता	28-50	-	ताव चरस
3-20/दि. 24-2-74/	धारा 457/380भादसं	लक्ष्मीनारायण साकिन घाटोली	भाग्या चमार	एफ.आर. अदमसबूत	260	206-70	ज्वार
4-27/दि. 5-3-74/	धारा ,, ,, ,,	गंगा पत्नि गणेश	देवीसिंह	एफ.आर.अदमपता	200	—	नकद नोट
5-34/दि. 18-3-74	,, ,, ,,	अमरलाल पुत्र ओंकारलाल	अज्ञात	,, ,,	50	—	बर्तन
6-37/दि. 26-3-74	,, ,, ,,	नाथु पुत्र घूणा खेडी	नारायणसिंह गूजर	,, ,,	540	—	बकरे बकर
7-48/दि. 15-5-74	,, ,, ,,	नारायण पुत्र किसना हरीपुरा	प्रभू सोपा	चालान	1335	188	जेवर चांदी

Page No 238

(238)

1	2	3	4	5	6	7	8
8-69/दि. 12-8-74	4457/380 भादंसं	नन्दा नाई पाटड़ी	अज्ञात	एफ.आर.अदमपता	1400	1400	भैंस पाडी
9-70/दि. 15-8-74	,, ,, ,,	केसरसिंह पुत्र रघुनाथ गूजर	,,	एफ.आर.अदमपता	40	—	कपड़े बर्तन
10-95/दि. 1-11-74	,, ,, ,,	श्री उमा सदामा	कन्हैयालाल	चालान	65	65	तेल गेहूं
11-97/दि. 12-11-74	,, ,, ,,	चौथमल पुत्र थानूमल महाजन	अज्ञात	एफ.आर.अदमपता	238	—	नकद नोट
12-103/दि. 25-11-74	,, ,, ,,	रामप्रसाद पुत्र किशन-लाल महाजन	,,	,, ,,		—	कपड़े
13-106/दि. 5-12-74	,, ,, ,,	गोपाल पुत्र मोती महाजन	,,	,, ,,	46	—	बर्तन
14-5/दि. 20-1-75	,, ,, ,,	हजारीलाल पुत्र मिसरी-लाल महाजन	,,	जेर तफतीश	169	—	बर्तन
15-10/दि. 12-2-75	,, ,, ,,	कंवरलाल पुत्र बोदल भील	हीरा भील	,, ,,	1000	1000	त.मु. जारी है
16-11/दि. 15-2-75	,, ,, ,,	देवलाल पुत्र भीमा	अज्ञात	,, ,,	500	—	,, ,, ,,
		सरका मेवशीः—					
1-2/दि. 9-1-74	धारा 379/भादंसं	श्री तिलोकचन्द ब्रा०	अज्ञात	एफ.आर.अदमपता	700	—	भैंस
2-6/दि. 18-1-74	,, ,, ,,	ओमकारसिंह पुत्र गोपाल-सिंह	गंगाराम	चालान	500	500	बैल

1	2		3	4	5	6	7	8
3-12/दि. 15-2-75	380	भादसं	भंवरलाल पुत्र गिरधारी	अज्ञात	एफ.आर. अदमपता	—	—	भैंस पाडा
4-13/दि. 15-2-75	,,	,,	ओमकारसिंह पुत्र गोपालसिंह	गंगाराम पुत्र गोपाल	,, अदमवकू	—	—	बैल
5-23/दि. 3-3-74	379	,,	विजयसिंह पुत्र सेहूमल गूजर	प्रताप दामी	चालान	400	400	बैल
6-25/दि. 4-3-74	,,	,,	मोती पुत्र हीरा	मांग्या	,,	1200	1200	भैंस
7-49/दि. 20-5-74	,,	,,	भूरीलाल पुत्र नन्दा गूजर	छोटू	,,	750	750	घोड़ी बकरी
8-50/दि. 20-5-74	,,	,,	बिरधीलाल पुत्र प्रभूलाल	—	,,	140	140	घोड़ा
9-51/दि. 20-5-74	,,	,,	लल्लू पुत्र बालचन्द	,,	,,	70	70	घोड़ा
10-68/दि. 11-8-74	215	,,	कंवरलाल पुत्र मन्ना	चम्पा	,,	250	250	भैंस बकरी
11-84/दि. 23-9-74	,,	,,	विजयसिंह पुत्र मोती गूजर	अज्ञात	एफ.आर.अदमपता	150	150	बकरी
12-91/दि. 21-10-74	,,	,,	अमरलाल पुत्र नाथू भाबी	प्रभू	दस्त/माल चालान	900	—	बकरी
13-6/दि. 27-1-75	215	,,	मुस्मात धीसी साकिन तलवाड़ा	रतन बाबू भोरिया	जेर तफतीस	1000	1000	बैल चोरी हुआ है तफतीश जारी है।

Page No 240

(240)

राजस्थान आवासन मन्डल जयपुर के क्वार्टर्स

443. **श्री लालाराम** (फलासिया) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जिन लोगों की लाटरी जून 73 व दिसम्बर 73 में निकाली है उनको अभी तक पजेशन नहीं दिये गये है यदि हां, तो क्यों ?

2. क्या सेक्टर नं० 3, 4, 5 जवाहर नगर जयपुर में जो क्वार्टर्स जून 73 में व दिसम्बर 73 में लाटरी में निकले थे वे वैसे ही पड़े हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

जयपुर जिले के गांवों का विद्युतिकरण

444. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर जिले के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या क्या योजनाएं है ? कृपया योजना की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार गांवों को बिजली मुहैया कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने गांवों को जयपुर जिले में बिजली दे सकेगी ?

3. क्या सरकार को पता है कि सरकार की विद्युतिकरण की नीति से काश्तकार असन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या आधार है ?

उत्तर

(1) जयपुर वृत्त में विद्युतिकरण हेतु विभिन्न मुद्दों के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में रखे गये प्रावधानों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सरकार उपलब्ध साधनों के अनुसार अधिक से अधिक गांवों को बिजली मुहैया करने का विचार रखती है। चालू वर्ष में जयपुर जिले में जनवरी, 75 तक 28 गांवों का विद्युतिकरण किया गया है।

(3) सरकार अधिक से अधिक गांवों का विद्युतिकरण करने के लिये सदा ही प्रयत्नशील रही है। परन्तु धनाभाव के कारण प्रान्त के काश्तकारों की सारी आवश्यकता एक साथ ही पूरी नहीं हो पा रही है।

PROVISION MADE IN THE REVISED BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1974-75.

	Jaipur City Circle Revised Budget Estimates 1974-75	Jaipur Distt. Circle Revised Budget Estimates 74-75
1. Trunk Transmission Lines	1,95,400	50,000
2. 33 KV Works (Line & Sub-Station)	4,05,500	21,36,600
3. 11 KV Works („)	13,40,000	27,40,800
4. Distribution Works (Below 11 KV Lines)	6,20,000	2,06,400
5. Service Connections	12,60,000	91,23,100
6. Electrification Works against REC of India	—	82,19,200
	38,20,900	2,24,76,100

फर्म मैसर्स एमरी स्टोन मेन्यू. कम्पनी नावां (कुचामन रोड) को सबसिडी

445. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. नावां (कुचामन रोड) की एक फर्म मैसर्स एमरी स्टोन मेन्यू. कम्पनी को आज तक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से आटे की चक्कियां बनाने हेतु कितने रुपये सबसिडी के रूप में दिये गये हैं? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि विशेषज्ञों से उक्त फर्म को चक्कियों का परीक्षण कराने पर चक्कियां एमरी स्टोन की बनी हुई नहीं पाई गई? इस परीक्षण के बाद क्या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने इनको सबसिडी देना बन्द कर दिया है? क्या सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी करने पर इस फर्म के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है? अगर हां, तो क्या? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अगर नहीं तो क्यों नहीं?

3. क्या यह भी सही है कि एमरी स्टोन मेन्यू. कम्पनी को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से सबसिडी बन्द होने पर इन्हीं साबू बन्धुओं ने साबू इन्डस्ट्रीज के नाम से दूसरी फर्म खोल ली और फिर से बोर्ड से सबसिडी प्राप्त करने लगे? अगर हां, तो इस फर्म को सबसिडी क्यों दी जा रही है जबकि यही हिस्सेदार सरकार को पहले भी धोखा दे चुके हैं?

4. क्या साबू इन्डस्ट्रीज की चक्कियों का विशेषज्ञों से परीक्षण करवाया गया है? अगर हां, तो विशेषज्ञों की क्या रिपोर्ट है सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अगर परीक्षण नहीं करवाया गया तो इसके पीछे क्या रहस्य है जबकि इस उद्योग के हिस्सेदारों ने खादी बोर्ड से पहले भी फर्जी तौर पर सबसिडी प्राप्त की है?

5. क्या यह भी सही है कि उक्त साबू इन्डस्ट्रीज ने सन् 1968 में खादी बोर्ड से दो लाख आठ हजार छः सौ चालीस रुपये कुछ पैसा सबसिडी के रूप में लिया जिसकी सी. बी. आई. द्वारा जांच की गई और उक्त उद्योग के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420 एवं 120 (बी) तथा 467 के तहत मुकदमा चल रहा है?

6. सी. बी. आई. द्वारा जांच करने पर जब उक्त उद्योग को चार्जसीट देकर मुकदमा चलाया जा रहा है तो खादी बोर्ड द्वारा अब भी मान्यता देकर इनको सबसिडी क्यों दी जा रही है? इस सबसिडी का चालू रखने के पीछे क्या साजिश है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

7. क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त उद्योग को अब भी वित्तीय अनुदान तथा सुविधाएं दे रही है जब कि सी. बी. आई. इनको दोषी ठहरा कर धोखाधड़ी का मुकदमा चला रही है? सरकार द्वारा उक्त उद्योग को अब तक क्या क्या अनुदान एवं अन्य सुविधाएं दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या सरकार अब भी अनुदान तथा अन्य सुविधाएं वापिस लेने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मैसर्स एमरी स्टोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को चक्की बनाने हेतु कोई सबसिडी नहीं दी गई है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने साबू इन्डस्ट्रीज को कोई सबसिडी नहीं दी है।

(6) राजस्थान खादी एवं ग्रामोउद्योग बोर्ड ने 1968 में साबू इन्डस्ट्रीज को कोई सबसिडी नहीं दी है। सी. बी. ग्राई. द्वारा अगर कोई कार्यवाही की गई हो तो राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

(क) जी हां। सी. बी. ग्राई. की जांच की सूचना सरकार को नहीं है।

(ख) उक्त उद्योग को सरकार द्वारा दी गई अनुदान एवं अन्य सुविधाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(२४४)

विधान सभा तारांकित प्रश्न सं० 14/मु० नं० के भाग 7 में दी जाने वाली सूची

मैसर्स साबू इण्डस्ट्रीज, कुचामन रोड, वर्ष 1970-71

क्र०सं०	दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	8-10-70	बी० पी० शीट	1003 कि०ग्रा०
2.	8- 2-71	बी० पी० शीट	1007 ,,
3.	8- 3-71	बी० पी० शीट	1260 ,,
		वर्ष 71-72	
		कोई माल नहीं उठाया गया ।	
		वर्ष 1972-73	
1.	10- 4-72	बी० पी० शीट	1994 ,,
2,	8- 8-72	सी० आर० बी० पी०	1004 ,,
	28- 2-73	ऐंगल्स	2009 ,,
2.	28- 2-73	प्लेट्स	1000 ,,
3,	28- 2-73	राउण्डस	2032 ,,
		वर्ष 73-74	
1.	14- 7-73	बी० पी० शीट	1003 ,,
2.	14- 7-73	बी० पी० शीट	1023 ,,
3.	26- 9-73	बी० पी० शीट	1006 ,,
4.	29- 9-73	ऐंगल्स	5020 ,,
5.	20-12-73	बी० पी० शीट	3007 ,,
6.	20-12-73	बी० पी० शीट	1001 ,,
7.	15- 3-74	ऐंगल्स	2995 ,,
		वर्ष 74-75 (अप्रेल से जनवरी 75 तक)	
1.	1- 6-74	बी० पी० शीट	4006 ,,
2.	1- 6-74	प्लेट्स	10400 ,,
3.		बी० पी० शीट	1005 ,,
4.	10- 1-75	पिग आइरन	11500 ,,
5.	11- 1-75	पिग आइरन	11500 ,,

मैसर्स आबू आइरन फाउन्ड्री

वर्ष 70-71 कुछ नहीं

वर्ष 71-72 कुछ नहीं

1	2	3	4
	वर्ष 72-73 कुछ नहीं		
	वर्ष 73-74 कुछ नहीं		
	वर्ष 74-75 (अप्रेल से जनवरी, 1975) तक		
1.	28-11-74	पिग आइरन	26000 कि०ग्रा०
	(3) मैसर्स एसोसियेटेड एमरी		
	70-71 से 74-75 (अप्रेल से जनवरी 1975 तक) कोई माल नहीं उठाया ।		
	(4) मैसर्स साबू इन्जीनियरिंग वर्क्स		
	वर्ष 70-71 कुछ नहीं उठाया		
	वर्ष 71-72		
1.	19- 8-71	ऐंगिलस	1267 कि०ग्रा०
2.	7- 3-72	बी० पी० शीट	1015 ,,
3.	22- 3-75	राउण्डस	1010 ,,
4	22- 3-75	ऐंगिल्स	1975 ,,
5.	31- 3-72	प्लेट्स	10150 ,,
	वर्ष 72-73		
1.	10- 4-72	बी० पी० शीट	1004 ,,
2.	8- 8-72	सी० आर० बी० पी०	5996 ,,
3.	29- 7-72	बी० पी० शीट	3990 ,,
4.	29- 7-72	ऐंगल्स	1700 ,,
5.	29- 7-72	सी०आर०बी०पी० शीट	2015 ,,
6.	2-12-72	प्लेट्स	4435 ,,
7.	22- 3-73	जोईस्टस	3213 ,,
8.	28- 2-73	राउण्डस	2032 ,,
9.	28- 2-73	ऐंगिल्स	2009 ,,
10.	28- 2-73	प्लेट्स	1000 ,,
	वर्ष 73-74		
1.	30- 5-73	जोईस्टर	20045 ,,
2.	26- 9-73	बी० पी० शीट	5019 ,,
3.	29- 9-73	ऐंगिल्स	5000 ,,
4.	29- 9-73	जोईस्टर	5085 ,,
5.	23-12-73	बी० पी० शीट	3528 ,,
6.	16- 3-74	ऐंगल्स	3029 ,

[redacted]

1	2	3	4

उपरोक्त इकाई की चार इकाईयां हैं :—

1. मै० एमरी स्टोन मैन्युफेक्चरिंग को० कुचामन रोड़, नागौर
2. मै० साबू ग्राइरन फाउन्ड्री कुचामन रोड़, नागौर
3. मै० साबू इन्जीनियरिंग वर्क्स, कुचामन रोड़, नागौर
4. मै० साबू इण्डस्ट्रीज, कुचामन रोड़, नागौर

25-4-68 से सात वर्ष के लिये काम में आने वाले कच्चे माल को चुंगीकर से मुक्त किया गया।

मै० एमरी स्टोन मैन्यु० कम्पनी को उद्योग विभाग द्वारा ऋण दिया गया था, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

ऋण राशि	वर्ष	जमा राशि	बकाया राशि
7500/-	54-55	7500/-	×
2500/-	55-56	2500/-	×

पिछड़े जिले में होने के कारण निम्न अनुदान दिया गया :—

1. मै० साबू इन्जिनियरिंग वर्क्स, कुचामन रोड़ 3385/-
2. मै० साबू ग्रायरन फाउन्ड्री, कुचामन रोड़ 1469/-
3. मै० साबू इण्डस्ट्रीज, कुचामन रोड़ 713/-

पंचायत समिति राजगढ़ के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

446. श्री मोहर सिंह (सादुंलपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) चूरू जिले की राजगढ़ पंचायत समिति के अन्तर्गत कितने सरपंचों पर गबन की शिकायतें चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो क्या कदम उठाया है ?

उत्तर

(क) दस सरपंचों के विरुद्ध। पंचायत गालड, खैरू बडी, चांदगोठी, रामपुराबेरी, लाखलाण, सुलखनिया, कालाण, बींजावास, नौरंगपुरा व सुरतपुरा।

(ख) नियमानुसार कार्यवाही हो रही है।

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर के जनरल सेक्रेटरी को ओनरेरियम

447. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जनरल सेक्रेटरी जावर माइन्स मजदूर संघ, जावर माइन्स उदयपुर ने दिसम्बर 67 को समाप्त होने वाले वर्ष में ओनरेरियम के रूप में उक्त संघ से रुपये प्राप्त किये ? यदि हां, तो कितने और संघ के किस निर्णय के आधार पर और किस अनुपात से ?

2. क्या यह सही है कि (1) जिन्क स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर (2) राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर (3) उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ (4) सीमेन्ट माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर (5) सीमेन्ट फैक्टरी मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़ (6) मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा (7) पोस्ट साइड्स मजदूर संघ, उदयपुर से भी दिसम्बर 67 को समाप्त होने वाले वर्ष में जनरल सेक्रेटरी ने, अथवा पदाधिकारी ने आनरेरियम के रूप में रुपये प्राप्त किये ? यदि हां, तो किस किस से, किन किन ने और कितने कितने रुपये प्राप्त किये ?

3. क्या उक्त श्रमिक संगठनों का जनरल सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है अथवा अलग अलग है ? कृपया उनके नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

4. क्या यह सही है कि इन्टक के अधीनस्थ उपरोक्त अन्य श्रमिक संगठनों के अतिरिक्त भी अन्य श्रमिक संगठनों से भी दिसम्बर सन् 67 को समाप्त होने वाले वर्ष में आनरेरियम दिया गया ? यदि हां, तो किन किन श्रमिक संगठनों से और किन किन को ?

उत्तर

(1) जनरल सेक्रेटरी, जावरमाइन्स मजदूर संघ, उदयपुर ने वर्ष 1967 को

Page No 248

(२४८)

उत्तर

समाप्त होने वाले वर्ष में ग्रोनरेरियम के रूप में 5400/–रु० प्राप्त किये इसके अतिरिक्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अन्य किसी संगठन के जनरल सेक्रेटरी ने ओनरेरियम नहीं लिया।

(3) जिंक स्मेलटर मजदूर संघ एवं जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर के जनरल सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है अन्य संगठनों के सेक्रेटरी भिन्न 2 व्यक्ति हैं। वर्ष 1968 से 1972 तक के नामों को रिटर्न के आधार पर सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूचना उपलब्ध नहीं है।

249

श्रमिक संगठनों के जनरल सेक्रेटरी

क्र. सं.	श्रमिक संगठन का नाम	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
1	जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर।	—	बी० चौधरी	बी० चौधरी	बी० चौधरी	बी० चौधरी	बी० चौधरी	—	—
2	राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर।	—	—	श्री रामदास वैश्य	श्री गंगा शर्मा	श्री वेदप्रकाश	श्री रामदास	—	—
3	उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ, उदयपुर।	—	—	बी० चौधरी	बी० चौधरी	श्री सन्तोष कुमार	श्री केमजाई नेवरानी	—	—
4	सीमेंट माईन्स मजदूर संघ, उदयपुर।	—	—	—	—	,,	श्री सन्तोष कुमार	—	—
5	सीमेंट फैक्ट्री मजदूर संघ, उदयपुर।	—	श्री जे०पी० गोस्वामी	श्री ईश्वरलाल पटेल	श्री ईश्वरलाल पटेल	श्री ईश्वरलाल पटेल	—	—	—
6	मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा	—	—	श्री गिरधारीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास	विवादास्पद है	विवादास्पद है	—	—
7	पेस्टीसाईट मजदूर संघ, उदयपुर।	—	—	—	श्री सन्तोष कुमार	श्री सन्तोष कुमार	श्री सन्तोष कुमार	—	—
8	जावरमाईन्स मजदूर संघ, उदयपुर।	बी० चौधरी	बी०चौधरी	बी० चौधरी	बी० चौधरी	बी० चौधरी	—	—	—

Page No 250

(250)

छीपाबड़ोद ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने का मामला

448. (118. सह. मं.) श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद ग्राम पंचायत (जिला कोटा) को नगरपालिका में परिवर्तित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

2. यदि हां, तो यह कार्यवाही कब से चल रही है और किस स्टेज पर है और इसे नगरपालिका कब तक घोषित कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) दिनांक 8-9-72 से चल रही है । इसमें जिलाधीश कोटा से रिपोर्ट मांगी गई है जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

जिला जालौर में पुलिस थानों का पुनर्गठन

449. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला जालोर में पुलिस थाना पुनर्गठन कमेटी द्वारा कितने नये पुलिस थाने बनाने का सुझाव दिया गया है ? इस कमेटी द्वारा रिपोर्ट सरकार को कब पेश कर दी गई है ? इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

2. क्या उक्त कमेटी की सिफारिश के अनुसार जिला जालौर में पुलिस प्रशासन के लिए पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों का पुनर्गठन कर दिया जावेगा ?

3. क्या सरकार जिला जालौर में कानून एवं व्यवस्था के हित में पुलिस थानों में सरकारी जीपों की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुनर्गठन कमेटी ने जालौर जिले की पुलिस चौकी बागरा एवं चीतल थाने को थानों में परिवर्तित करने एवं थाना उम्मेदपुर को आहोर में व चौकी पुलिस आहोर को उम्मेदपुर में स्थानान्तरित करने हेतु सुझाव दिया है । पुनर्गठन कमेटी की रिपोर्ट अ० शा० पत्र सं० आ-21/30 पुलिस फोर्स/एलोके/72/1076 दिनांक 23-10-73 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई जिस पर सरकार ने इस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को तीन चरण में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है । प्रथम चरण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । थानों का पुनर्गठन द्वितीय एवं तृतीय चरण में लिया जाना है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार ने पुनर्गठन कमेटी की रिपोर्ट को सिद्धांत रूप से मान लिया है । अतः जालौर में पुलिस प्रशासन के लिए पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों के पुनर्गठन पर सरकार विचार करेगी ।

(3) सभी पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों को जीपें उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । थानों एवं पुलिस चौकियों द्वारा मांग किये जाने पर संबन्धित वृत्त अधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी जीप उपलब्ध कराई जा सकती है । वैसे गत वर्ष राजस्थान के 38 थानों को जीपें दी गई हैं जिनमें थाना जालौर भी शामिल है ।

परिशिष्ट 5

ता. प्र. स. 418 की सूची

आबूरोड़ क्षेत्र में हाईस्कूल एवं हायर सैकेन्डरी स्कूलों के नाम मय छात्र संख्या

नाम शाला	छात्र	छात्राए	योग
1. रा. उ. मा. विद्यालय, आबू पर्वत	358	25	383
2. रा. उ. मा. विद्यालय, आबूरोड़	519	20	539
3. रेल्वे उ. मा. विद्यालय, आबूरोड़	677	299	976
4. रा. बालिका मा. विद्यालय, आबूपर्वत	—	110	110
5. वैदिक कन्या मा. विद्यालय आबूरोड़	—	803	803
रेवदर क्षेत्र में हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों के नाम मय छात्र संख्या			
1. रा. मा. विद्यालय, मंडार	137	26	163
2. रा. मा. विद्यालय, रेवदर	140	16	156
3. रा. मा. विद्यालय, सिरोही	192	6	198
पिण्डवाड़ा क्षेत्र में हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों के नाम मय छात्र संख्या			
1. रा. उ. मा. विद्यालय पिण्डवाड़ा	418	31	449
2. रा. मा. विद्यालय. सरूपगंज	227	59	286
3. रा. मा. विद्यालय, रोहिड़ा	181	3	184

(252)

परिशिष्ट–6

अता० प्र० सं० 230 की सूची

सरपंच रटलाई द्वारा अवैधानिक आवंटन या बिक्री किये गये भूमि के विवरण की पत्रावलियां जो विकास विभाग राजस्थान जयपुर को भेजी गई।

क्रम सं०	नाम खरीददार		भूमि का नाम		मूल्य	पत्रावली संख्या व दिनांक
1.	श्री गुफरखां वल्द नानदीरखां	रटलाई	50	40		166, 19-3-64
2.	,, रोडूमल तुलसीराम	,,	50	40		65, 1-7-65
3.	,, कवरलाल भंवरलाल	,,	32	37		93, 11-8-65
4.	,, मांगीलाल देवा गूजर	,,	30	22	25-00	46, 13-4-65
5.	,, पूरा वल्द देवा लोधी	,,	35	45	25-00	114, 8-7-66
6.	,, ताराचन्द देवसिंह	,,	38	29	74-00	166, 24-8-66
7.	,, कंवरलाल नन्दाराम खटीक	,,	20	20	40-00	31,271 26-3-67
8.	,, सफदरअली हमामशाह	,,	34	42	71-00	67, 21-6-67
9.	,, नन्दा मांगीलाल धोबी	,,	24	20	40-00	181 7-9-66
10.	,, कनीराम भेरू माली	,,	40	20	80-00	140 22-11-6
11.	,, नन्दराम सेवाराम	,,	20	17	34-00	28 22-5-68
12.	,, प्रभुलाल नंदा बागरी	,,	25	20	64-00	2 27-4-62
13.	,, अमीमन प्यार जी लखारा	,,	15	13	18-00	32, 19-5-68
14.	,, मोहनलाल लक्ष्मीनारायण	,,	30	20	60-00	30,75 22-3-67
15.	,, काना भंवरलाल	,,	30	48	80-00	3 12-3-66
16.	,, ओंकार उदा गूजर,	रघुनाथपुरा	26	15	40-00	3,137 12-4-67
17.	,, घासीखां कालेखां	रटलाई	25	25	93-25	38 12-4-67
18.	,, मोतीलाल कालू गूजर	फीकड़िया	17	15	51-50	163 12-2-68
19.	,, बापूलाल मांगीलाल पिंजारा	रटलाई	20	20	40-00	167 26-1-68
20.	,, प्रभूलाल देवालाल माली	,,	10	15	25-50	168 26-1-68
21.	,, ग्यारसीराम नारायणनाथ	,,	40	25	100-00	11 11-9-68
22.	,, अब्दुल चांद पिंजारा	,,	20	20	60-00	44 26-6-68

1	2	3	4			5	
23.	श्री मोतीलाल नंदा सुथार	सांवतपुरा	48	20	87-00	174	1-3-68
24.	,, रामचन्द्र मिसरीलाल	,,	40	40	160-00	7	14-3-68
25.	,, उदा कालूख मीना	रठलाई	20	20	30-00	16	15-10-69
26.	,, मोहनलाल भवानीराम	,,	20	20	100-00	12	24- 9-69
27.	,, भ्रमरलाल हीरालाल तेली	,,	20	20	100-00	20	16-11-60
28.	,, जानकीलाल खटीक	,,	20	20	40-00	53	26- 7-69
29.	,, गुलामअली फकीर	,,	15	20	49-50	16	22- 7-70
30.	,, श्रीनारायणलाल बीसा	,,	15	15	निशुल्क	17	22- 7-70
31.	,, महावीरप्रसाद जैन	,,	15	20	45-00	19	31- 7-70
32.	,, नारायणलाल लक्ष्मीनारायण	,,	20	15	निशुल्क	14	7- 9-72
33.	,, नारायणलाल भैरूलाल माली	,,	15	15	75-00	12	2- 2-72
34.	,, भंवरलाल कलाल	,,	14	16	56-00	9	26- 7-72
35.	,, लक्ष्मीनारायण महाजन	,,	16	22	88-00	8	26- 7-72
36.	,, रामनारायण नाई	,,	12	12	36-00	16	5-10 72
37.	,, नंदा उदा गूजर	,,	15	15	76-50	17	11-10-72
38.	,, बशीर मोहम्मद	,,	25	15	32-50	9	22-11-70
39.	,, गंगाराम माली	,,	34	42	75-00	67	11- 6-67
40.	,, श्रीराम चन्द्र गोविन्दलाल	,,	15	22	45-00	13	26- 8-70

(254)

परिशिष्ट 7

(अता. प्र. सं. 233 की सूची)

सुभाष बाल मंदिर श्री डूंगरगढ़ की चुकाई गई अनुदान राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	चुकाई गई अनुदान राशि (नियमित)	चुकाई गई तदर्थ अनुदान राशि
1	67—68	2245)00	
2	68—69	2206)00	
3	69—70	3766)00	
4	70—71	5174)00	3000)00
5	71—72	5935)00	
6	72—73	7153)00	2000)00
7	73—74	5985)00	1000)00

ह. विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, चूरू।

श्री सुभाष बाल मन्दिर, श्री डूंगरगढ़ (चूरू) राजस्थान के द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क की सूची

क्र.सं.	कक्षा	प्रवेश शुल्क	पुन: प्रवेश शुल्क	टी०सी० शुल्क	डुप्ली. टी.सी. शुल्क	पाठन शुल्क	नाश्ता शुल्क	परीक्षा शुल्क	क्रीड़ा शुल्क	पुस्त. वाच. शुल्क	समारोह शुल्क	विशेष विवरण
		प्रतिभार लिया जाने वाला शुल्क				मासिक लिया जाने वाला शुल्क		वार्षिक लिया जाने वाला शुल्क				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1—	5	1)	1)	1)	2)	4)	—	2)	2)	1)	—	
2—	4	1)	1)	1)	2)	3)	—	2)	2)	1)	—	
3—	3	1)	1)	1)	2)	2)	—	2)	2)	—	—	
4—	2	1)	1)	1)	2)	1)	—	—	—	—	—	
5—	1	1)	1)	1)	2)	1)	—	—	—	—	—	
6—	नर्सरी	1)	1)	1)	2)	1)	—	—	—	—	—	

ह० विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, चूरू।

255

परिशिष्ट—8

(अता. प्र. सं. 238 की सूची)

सूची मुकदमात भागे दार जिला बीकानेर जो सन् 1973 व उसके पूर्व से तफतीश हेतु

क्र. सं.		अभियोग संख्या मय जुर्म				नाम थाना
1.	मु. नं.	132/68	धारा 420	भा. दं. सं.	कोतवाली	बीकानेर
2.	,,	174/68	,, ,,	,,	,,	,,
3.	,,	132/72	,, 334	,,	,,	,,
4.	,,	219/72	,, 409	,,	,,	,,
5.	,,	220/72	,, ,,	,,	,,	,,
6.	,,	222/72	,, ,,	,,	,,	,,
7.	,,	221/72	,, 380	,,	,,	,,
8.	,,	223/72	,, 409	,,	,,	,,
9.	,,	37/73	,, ,,	,,	पुलिस थाना सदर	बीकानेर
10.	,,	249/73	,, 420,468	,,	,,	,,
11.	,,	20/68	,, 420,468	,,	पुलिस थाना	लूणकरणसर
12.	,,	22/71	,, 409	,,	,,	,,
13.	,,	4/71	,, ,,	,,	पुलिस थाना	देशनोक
14.	,,	85/73	,, ,,	,,	पुलिस थाना	नोखा
15.	,,	132/73	,, ,,	,,	,,	,,
16.	,,	195/73	,, 419,420 467,468	,,	,,	,,
17.	,,	217/72	,, 409	,,	कोतवाली	बीकानेर

256

परिशिष्ट- 9

(अता. प्र. सं. 239 की सूची)

Appendix 'A'

No.	Name of the District	No. of localities sanctioned during the current year 1974-75	Total estimated cost of electrification
1.	Alwar	2	1,22,900
2.	Banswara	1	38,900
3.	Bharatpur	4	1,83,000
4.	Bikaner	2	1,93,900
5.	Bhilwara	1	55,500
6.	Churu	1	67,200
7.	Chittorgarh	4	2,01,800
8.	Jaipur	3	1,79,350
9.	Jalore	1	1,34,000
10.	Jhalawar	1	52.600
11.	Sawaimadhopur	–	15,000
12.	Sri Ganganagar	12	8,82,500
13.	Udaipur	5	3,56,900
14.	Bundi	–	15,000

परिशिष्ट—10

(अता. प्र. सं. 241 की सूची)

चाकसू तहसील के विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

1. बारखेडा
2. चाकसू
3. बडा मकसुन्दपुरा
4. गोगावास
5. शिवदासपुरा
6. सील की डूंगरी
7. मानपुर डूंगरी
8. निम्बोडिया
9. चन्दलाई
10. किलकीपुरा
11. दयापुरा
12. कुतकपुरा उर्फ गोपीनाथपुरा
13. प्रहलादपुरा उर्फ दमकपुरा
14. नार्या का बास

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 1975

क्रम सं०	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	21	ऊपर से 8	राजकुमार	रामगोपाल
2.	22	,, 8	जा नका ी	जानकारी
3.	48	,, 16	यातायात	सहकारिता
4.	67	,, 13	1965–76	1975–76
5.	81	,, 2	स्वयं संघ	स्वयं सेवक संघ
6.	87	,, 1	कसे	कैसे
7.	89	,, 2	धारीय	धारियां
8.	101	शीर्ष	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
9.	102	ऊपर से 17	मंगलवाड़ा	मंगलपुरा
10.	,,	,, 18	ग्रामीणों	ग्रामीणों की
11.	105	,, 10	रिपर्ट	रिपोर्ट
12.	116	,, 19	की	के
13.	121	अन्तिम से 12	13–2–	13–2–75
14.	125	ऊपर से 5	नह	नहीं
15.	129	अन्तिम से 1	हाली	माली
16.	,,	,, 10	लगाई	लगी
17.	130	,, 17	मेरा	—
18.	135	,, 10,12,14	पाञ्चीराम	पांचीराम
19.	136	ऊपर से 9	ताराख	तारीख
20.	166	अन्तिम से 8	की	—
21.	200	,, 18	का	की

(259)

क्रम सं०	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
22.	216	ऊपर से 3	यशवंतसहि जी	यशवंतसिंह जी
23.	249	,, 13	खार	खाकर
24.	254	,, 7	रप	पर
25	334	अन्तिम से 2	समय लिखें	—
26.	356	,, 15	स्थिति	स्थिति
27.	371	ऊपर से 1	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया	श्री राम रघुनाथ चौधरी
28.	373	,,	,,	,,
29.	389	ऊपर से 9	अपनी	अपने
30.	390	,, 1	योजन	योजना
31.	393	अन्तिम से 18	हम	हमें
32.	402	ऊपर से 13	बूसरी	दूसरी
33.	405	अन्तिम से 2	प्रामः	प्रातः
34.	430	ऊपर से 3	अंजी	अंग्रेजी

———